खण्ड-474, अंक-3
मंगलवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1932
(10 अगस्त, 2010 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2010)

(खण्ड 474 में 6 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	7-10
प्रश्नोत्तर	10-114
वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण... ...	114
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	114-116
जनपद बदायूं की सहकारी चीनी मिल शेखूपुर बदायूं के कर्मचारियों के वेतन से भविष्यनिधि कटौती धनराशि कर्मचारियों के खाते में न जमा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद मुजफ्फरनगर स्थित मोहल्ला उत्तरी व दक्षिणी रामपुरी एवं हरीपुरम में विद्युत खम्भे एवं विद्युत लाइन एवं तार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	116-117
जनपद महराजगंज स्थित महाव तटबन्ध के रिपेयरिंग मद में करोड़ों रुपये के फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	117
जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मगरौरा के अन्तर्गत बनाये गये कतिपय मार्गों की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त एवं आवागमन बाधित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
प्रदेश के महाविद्यालयों एवं पी0जी0 कालेजों में छात्र-छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की संस्तुति भारत सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118-119
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	120
प्रदेश में राजीव आवास योजना तथा सागरपेशा वासियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पुनर्वासित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	120-121
जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां एवं महमूदाबाद के विकास खण्ड रउसा रामपुर मथुरा में भयंकर बाढ़, अतिवृष्टि आवागमन के रास्ते क्षतिग्रस्त होने तथा टूटे हुये पुलियों का पुनः मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में स्थित मध्य गंग नहर के पुलों पर रेलिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
जनपद आजमगढ़ के कोतवाली आजमगढ़ में दर्ज अभियोजन संख्या-1024/2005 पर विभागीय जांच में निर्दोष पाये जाने के उपरान्त अभियोजन ई0ओ0डब्लू0 वाराणसी की प्रचलित जांच को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद मुजफ्फरनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर चन्द्र मोहन शर्मा को मूल पद पर तैनात करने के आदेश का क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	123-124
जनपद बहराइच के महाराज सिंह इण्टर कालेज में व्याप्त अनियमितताओं एवं किये गये फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	124
कानपुर गोविन्दनगर स्थित सी0पी0आई0 चौराहे से बर्रा-शास्त्री चौक जाने वाली सड़क पर खुला नाला ठीक कराने एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	124-125
जनपद वाराणसी के शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की सभी सीवर लाइनों तथा पेय जलापूर्ति लाइनों की क्षमता वृद्धि के साथ जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	125
छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन कर अनुसचिव, उप सचिव एवं अन्य पदों पर न्यूनतम मूल वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	125-126
नियम-300 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था	126
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	126-127
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	127-138
भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री हुकुम सिंह की पत्नी की नृशंस हत्या पर परम्परा से हटकर सदन की ओर से शोक-संवेदना भिजवाने का आग्रह ...	138
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	138-157
वन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-570/14-57-2010-2006, दिनांक 9 अप्रैल, 2010 (सदन के पटल पर रखी गयी)	158
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	158

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	158
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	158
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	158
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	159
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	159
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	159
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	159
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-980/43-2-2009, दिनांक 07 जून, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	159-160
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2007 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	160
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-241/ग्यारह-9(295)/07-उ0प्र0, अधि0-5-2008 यू0पी0 वैट नियमावली, 08-आदेश-(55)-2010, दिनांक 4 फरवरी, 2010 (सदन के पटल पर रखी गयी)	160
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- का0नि0-2-246/ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0,अधि0-30-07-आदेश-(56)-2010, दिनांक 28 जून, 2010 (सदन के पटल पर रखी गयी)	160-161
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- का0नि0-2 901/ग्यारह-9(81)/91-उ0प्र0,अधि0-30-2007-आदेश-(61)-2010, दिनांक 19 फरवरी, 2010 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	161
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7-2009 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	161
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06/2009 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	161
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01/2008 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	161

विषय	पृष्ठ-संख्या
परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1560/30-4-2009-167-91टी0सी0, दिनांक 31 अगस्त, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	161
यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 के वार्षिक प्रतिवेदन 2007-2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	162
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-15-2007 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	162
उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 में नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	162
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2010 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	162
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	162-164
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	164-201
मा0 सदस्य डा0 राजेन्द्र सिंह के अपने परिवार पर हुए हमले के सम्बन्ध में सुरक्षा एवं जांच की मांग	202-203
मा0 सदस्य श्री जगदीश सोनकर के ऊपर हुये हमले के सम्बन्ध में सुरक्षा दिलाये जाने की मांग	203-204
डी0 आई0 जी0 मेरठ द्वारा श्री मदन चौहान के प्रति अभद्र व्यवहार ...	205
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित) ...	205-217
उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित) ...	217-224
जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर पुनर्विचार एवं पुनः पारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	224-225
इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर पुनर्विचार एवं पुनः पारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	225-226
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 पर पुनर्विचार एवं पुनः पारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	226
उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 पर पुनर्विचार एवं पुनः पारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	226-227
राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 पर पुनर्विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत)	227
स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश हेतु वर्ष 2009-10 की प्रवेश परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (समाप्त)	227-230
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	230-232
नत्थियां	233-243

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2010

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता से आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-364

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5. अजय तोमर, डा0 — बागपत
6. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
7. अजय यादव, श्री — एटा
8. अजय सिंह, श्री — जालौन
9. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
10. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
15. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
16. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
19. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
21. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
22. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
23. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
24. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
25. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
26. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
27. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
28. अम्बिका चौधरी, श्री — गोरखपुर
29. अम्बिका सिंह, श्री — बलिया
30. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
31. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
32. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
33. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
34. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
35. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
36. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
37. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
38. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
39. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
40. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
41. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
42. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
43. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
44. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
45. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
46. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
47. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
48. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
49. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
50. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
51. आर0ए0 उस्मानी (डा0), श्री — लखीमपुरखीरी
52. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
53. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
54. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
55. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
56. आसिफ, श्री — हरदोई

57. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
58. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
59. इमरान महमूद, श्री सहारनपुर
60. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
61. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
62. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
63. उदयराज, श्री उन्नाव
64. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
65. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
66. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
67. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
68. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
69. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
70. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
71. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
72. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
73. काशीराम, श्री रामपुर
74. कुवेर सिंह, श्री एटा
75. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
76. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
77. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
78. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
79. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
80. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
81. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
82. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
83. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
84. कैलाश साहू, श्री झांसी
85. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
86. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
87. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
88. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
89. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
90. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
91. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
92. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
93. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
94. घूराराम, श्री बलिया
95. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
96. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
97. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
98. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
99. छोटे सिंह, श्री जालौन
100. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
101. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
102. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
103. जगपाल, श्री सहारनपुर
104. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
105. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
106. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
107. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
108. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
109. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
110. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
111. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
112. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
113. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
114. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
115. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
116. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
117. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
118. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
119. दयाराम, श्री कौशाम्बी
120. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
121. दाउद अहमद, श्री हरदोई

122. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
123. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
124. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
125. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
126. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झांसी
127. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
128. दूधराम, श्री बस्ती
129. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
130. धर्मपाल यादव
डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
131. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
132. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
133. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
134. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
135. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
136. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
137. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
138. धू राम लोधी, चौधरी, श्री हमीरपुर
139. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
140. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
141. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
142. नारायण सिंह, श्री आगरा
143. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
144. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
145. पशुपति, श्री गाजीपुर
146. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
147. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
148. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
149. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
150. प्रजापालन, श्री एटा
151. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
152. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
153. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
154. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
155. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
156. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
157. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
158. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
159. फसीहा बशीर चौधरी
(गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
160. फागू चौहान, श्री मऊ
161. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
162. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
163. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
164. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
165. बिमलेश सिंह, श्रीमती अलीगढ़
166. बिरजू राम, श्री जौनपुर
167. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
168. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
169. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
170. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
171. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
172. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
173. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
174. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
175. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
176. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
177. मंजू, श्रीमती बलिया
178. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
179. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
180. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
181. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
182. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
183. ममतेश शाक्य, श्री एटा
184. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
185. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
186. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
187. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
झीन बाबू, श्री सीतापुर
188. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
189. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा

190. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
191. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
192. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
193. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
194. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
195. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
196. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
197. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
198. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
199. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
200. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
201. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
202. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
203. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
204. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
205. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
206. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
207. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
208. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
209. याकूब हाजी, श्री मेरठ
210. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
211. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
212. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
213. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
214. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
215. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
216. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
217. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
218. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
219. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
220. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
221. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
222. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
223. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
224. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
225. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
226. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
227. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
228. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
229. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
230. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
231. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
232. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
233. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
234. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
235. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
236. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
237. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
238. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
239. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
240. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
241. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
242. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
243. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
244. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
245. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
246. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
247. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
248. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
249. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
250. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
251. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
252. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
253. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
254. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद

255. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
256. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
257. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
258. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
259. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
260. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
261. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
262. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
263. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
264. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
265. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
266. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
267. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
268. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
269. लखीराम नागर, श्री मेरठ
270. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
271. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
272. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
273. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
274. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
275. वारिस अली, श्री बहराइच
276. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
277. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
278. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
279. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
280. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
281. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
282. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
283. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
284. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
285. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
286. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
287. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
288. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
289. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
290. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
291. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
292. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
293. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
294. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
295. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
296. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
297. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
298. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
299. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
300. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
301. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
302. शिवशंकर, श्री बलिया
303. शीशराम, श्री बिजनौर
304. शेख नसीरुद्दीन सिद्दकी,श्री फिरोजाबाद
305. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
306. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
307. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
308. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
309. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
310. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
311. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
312. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
313. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
314. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
315. संजय कपूर, श्री रामपुर
316. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
317. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'', श्री कानपुर नगर
318. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
319. संध्या, कुमारी मैनपुरी
320. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
321. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
322. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
323. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ

324.	सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
325.	सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
326.	सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
327.	सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
328.	सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
329.	सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
330.	सिद्धार्थ शंकर, डा0	लखनऊ
331.	सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूँ
332.	सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
333.	सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
334.	सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
335.	सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
336.	सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
337.	सुखलाल, श्री	पीलीभीत
338.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
339.	सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
340.	सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
341.	सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
342.	सुभाष, श्री	बलिया
343.	सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती	ललितपुर
344.	सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
345.	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
346.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
347.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
348.	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
349.	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
350.	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
351.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
352.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
353.	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
354.	सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
355.	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
356.	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
357.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
358.	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
359.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
360.	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
361.	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
362.	हरिओम, श्री	जालौन
363.	हसरत उल्ला, श्री	एटा
364.	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट :-लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) एवं भूतल एवं खनिकर्म, सहकारिता, परिवार कल्याण, अवस्थापना विकास विभाग, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवथा से उत्पन्न स्थिति पर नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

(प्रतिपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े हो गये और अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। नेता प्रतिपक्ष जी, मा0 अम्बिका चौधरी, मा0 ओम प्रकाश सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी स्थान ग्रहण कर लें। एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात कहें। अम्बिका चौधरी जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियम-311 के अन्तर्गत प्रदेश की जो बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति है उस सम्बन्ध में हमने नियम-311 के अन्तर्गत सूचना दी है। कल भी सदन का इतना मूल्यवान समय चला गया, सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सुनने को तैयार नहीं है। यह इतना महत्वपूर्ण मामला है उसमें सरकार के कैबिनेट मंत्री पर इस तरह का हमला कि वह अभी तक जीवन-मृत्यु से जूझ रहे हैं। पूर्व विधायक की हत्या और समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसकी हत्या न हो रही हो, दलितों के साथ बलात्कार सहित अनेक घटनायें हैं। जब मुझे आप अवसर देंगे तो अपनी सूचना पर विस्तार से ये सारी बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। कल भी आपने कृपा की थी और आप सुनना चाहते थे लेकिन जो परिस्थितियां थी मैं दोबारा उसको दोहराकर सदन का माहौल खराब नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी को बहाना चाहिए और जानबूझ करके, उकसा कर, उस पर चर्चा न हो सके, इसके लिए कुछ कहने का प्रयास किया।

श्री अध्यक्ष-

एक मदद करिये, आप उधर की तरफ ज्यादा हाथ न दिखाया करिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मजबूरी है, हाथ तो सामने की ओर है पीछे की ओर होता तो मैं पीछे की ओर दिखाता, इसलिए हाथ तो हमारा उधर ही जायेगा। मैं इसलिए कह रहा था कि आपने कृपापूर्वक कई बार इस बात के लिए प्रयास किया कि विपक्ष की बात सुनी जा सके। सम्पूर्ण विपक्ष इस पर अपनी बात कहना चाह रहा था लेकिन कल यह नहीं हो सका। पुनः इस विषय की गुरूता को देखते हुए हमने सूचना दी है और आपसे आग्रह है कि सभी नियमों को निलम्बित करते हुए, इसको प्राथमिकता पर सुन लें। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और बात प्रदेश में नहीं है, हाहाकार और चीत्कार की स्थिति है। इसलिए कानून-व्यवस्था पर जो सूचना दी है उसको सबसे पहले सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-311 की सूचना हमारे दल की ओर से भी दी गयी है। हमारा आपसे अनुरोध है कि सभी नियमों को निलम्बित करते हुए पहले कानून-व्यवस्था के ऊपर चर्चा करा दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि किसी भी जनकल्याणकारी सरकार का प्रथम दायित्व होता है कानून-व्यवस्था को कायम करना। विपक्ष एक स्वर से कह रहा है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत खराब है इसीलिए नियमावली के नियम-311 के अन्तर्गत हम लोगों ने आपको सूचना दी। मान्यवर, आप नियम-311 का अवलोकन कर लें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी सदस्य अगर प्रस्ताव करता है तो अध्यक्ष की अनुमति से तो मान्यवर, प्रस्ताव इधर से सम्पूर्ण विपक्ष कर रहा है, आपके अनुमति की आवश्यकता है। जहां तक परम्परा की बात है माननीय अक्षयवर मल्ल के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था इसी सदन के सामने तत्कालीन स्पीकर श्री नियाज हसन साहब थे, तत्कालीन नेता विरोधी दल मुलायम सिंह यादव के कहने पर उसी समय उस घटना को लिया था। वह इकलौती घटना थी हम लोग उस समय सरकार में थे। सच्चाई से कभी घबराना नहीं चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी भी परिस्थति में इस पर चर्चा जरूर हो जाय। ग्राह्यता पर आप सुन लें चर्चा भी स्वीकार कर लें। यह ऐसा विषय है जिस पर किसी भी हालत में किसी भी स्तर पर चर्चा से कम विपक्ष को स्वीकार नहीं है।

श्री कौकब हमीद खां-

अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर नियम-311 के अन्तर्गत नोटिस हमारी भी है हमारे दल की भी हैं। चाहे सारे विपक्ष की बात हो, प्रदेश की जनता, कानून-व्यवस्था के ऊपर पूरा प्रदेश चिन्तित है। विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है। कानून-व्यवस्था सरकार ने खराब कर रखी है उसके ऊपर चर्चा होना आवश्यक है। इस पर आप चर्चा स्वीकार कर लें।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था पर नियम-311 में पूरे विपक्ष ने नोटिस दिया है और कानून-व्यवस्था की हालत उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। अराजकता का माहौल है। महिलाएं और लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा हंसने पर विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें आईं)

श्री अध्यक्ष-

कोई रोने लगे कोई हंसने लगे यह तो सबका अपना-अपना अधिकार है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह चर्चा से क्यों भागना चाहते हैं। सदन क्यों नही चलाना चाहते हैं ? इतनी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। बिजली की हालत बहुत खराब है। अस्पतालों में दवाएं नहीं है। इतनी समस्याएं हैं कि इन पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। सूखा है बाढ़ है बहुत सी समस्याएं हैं लेकिन यह सदन भी नहीं चलने देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

सदन चलाने का पूरा प्रयास हो रहा है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, आपके चाहने के बावजूद भी कानून-व्यवस्था पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

अध्यक्ष जी क्या प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया है ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मुझे भी इस पर सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपको सुनने के बाद ही निर्णय होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अध्यक्ष जी, एक रास्ता निकलना चाहिए। कल भी सदन स्थगित रहा केवल शासकीय अनिवार्य कार्य के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ। कल पूरे विपक्ष का मत आ गया था कि हम कानून-व्यवस्था पर चर्चा चाहते हैं। मैं इतना आग्रह करूंगा कि कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो। यह कैसे हो यह आपके ऊपर है। कानून-व्यवस्था पर चर्चा के लिए आप कोई रास्ता निकाल लें।

श्री लालजी वर्मा-

नियमानुसार आज यह ग्राह्य नहीं हो सकता है लेकिन अध्यक्ष जी आपको असीमित अधिकार है। आप जैसा चाहें वैसा निर्णय लें। जहां तक प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की बात है कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री लालजी वर्मा-

मैनें कल भी कहा था यह मेरा कहना नहीं है भारत सरकार की अधिकृत एजेन्सी है नेशनल क्राइम ब्यूरो उसका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है।

श्री अध्यक्ष-

यह बात जब जवाब देंगे उस समय कहेंगे। मैंने नेता प्रतिपक्ष एवं सभी दलीय नेताओं को सुना। मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं कि सदन चले। मैंने नेता प्रतिपक्ष एवं सभी दलीय नेताओं की भावनाओं का आदर भी किया है। उनको यह अधिकार भी है कि वह सिद्धान्त के आधार पर सरकार की नीतियों की आलोचना करें, विरोध करें।

जिस तरह से प्रोटेस्ट करना चाहें। मैंने भी स्वीकार किया है। अभी सभी माननीय नेताओं ने 311 की सूचना का उल्लेख किया। कल भी यही विषय हमारे समक्ष आया। मैंने एक विनिश्चिय भी किया कि ठीक है परम्परागत आप लोगों ने हमारी मदद भी की है, कि मैं इसको नियम-56 में परिवर्तित करके ग्राह्यता पर पहले सुन लूंगा फिर निर्णय आप हमारा लीजिये। मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी आमंत्रित कर लिया, चौधरी साहब को भी और ओम प्रकाश जी को भी तो आज इस विषय पर मैं चाह रहा हूं कि प्रश्नकाल हो लेने दीजिये इसके तत्काल बाद मैं आपको ग्राह्यता पर सुनना शुरू कर लूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज अनुपूरक बजट भी है।

श्री अध्यक्ष-

एक चीज के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री बराबर कहते हैं। सही है कि प्रतिपक्ष अपनी बात कहे। सत्ता पक्ष का वर्जन भी आता है, इनके उत्तर भी आते हैं तो जरा इनकी भी सुनें। पसन्द होना, न होना अलग है। इनके भी विचार आ जायं और इनको भी आप सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सप्लीमेंट्री बजट के बाद होगा।

श्री अध्यक्ष-

हां, सप्लीमेंट्री के बाद होगा। सबके बाद होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि एजेन्डे से कार्यवाही चलने दीजिये।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान की मांग

**1-चौधरी रविन्द्र प्रताप (अनुपस्थित)-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों को माह जनवरी, 10 से देय महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या सरकार राजकीय कर्मचारियों को नगदीकरण की सुविधा बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-480/दस-2010-42 (एम)/08, दिनांक 19-7-2010 तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-480 (2)/दस-2010-42 (एम)/08, दिनांक 19-7-2010 द्वारा मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को केवल सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों तक देय अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त नकदीकरण सम्बन्धी अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए यह संभव नहीं है।

गुटखा तथा पान मसाला आदि के निर्माण व बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

**2-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तम्बाकू तथा स्वास्थ्य हेतु हानिकारक अन्य वस्तुओं के मिश्रण से निर्मित गुटखा तथा पान मसाला आदि के सेवन से

विशेषकर मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में इसके निर्माण व बिक्री पर व्यापक जनहित में प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

जी हां।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में राज्य स्तर पर एण्टी टोबैको सेल का गठन किया गया है। साथ ही जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त सेल बनाये गये हैं। सार्वजनिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों/चिकित्सालयों के 100 गज की सीमा तक पान-मसाला, तम्बाकू आदि की दुकानें खोलने व विक्रय करने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के दो जनपद कानपुर व लखनऊ में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को आप देखने की कृपा करें। मैंने और बातों के अलावा इसमें दो बिन्दुओं पर जोर दिया था कि यदि हां तो क्या सरकार इस पर रोक लगाने के लिये कठोर कार्यवाही जिनके अन्तर्गत वर्तमान कानून में परिवर्तन के साथ ही अभियुक्तों को निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत कठोरतम दण्ड देना और एकत्रित सेम्पिल्स की जांच भी ...

श्री अध्यक्ष-

अल्पसूचित का प्रश्न संख्या-2 है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मुझे खेद है कि मैं दूसरे प्रश्न के बारे में कहने लगा था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज सुबह से ही नाराज हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं नाराज नहीं हो सकते।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मुझे यह लगा कि यह ज्यादा इम्पार्टेंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने कहा तो है कि सभी जो विद्यालय हैं उसके सौ गज की दूरी पर या उस सीमा तक हम यह सब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं लेकिन जो व्यवहार में है वह ऐसा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय आप किसी भी एक निष्पक्ष जांच एजेन्सी द्वारा इसकी जांच करा सकते हैं कि इसकी बिक्री वहां अधिक होती है जहां विद्यालय खुले हैं और यह 100 गज की सीमा का तो कोई मतलब नहीं है। जहां जिसकी दुकान है वहां एकदम जैसे माला लटकाये रहते हैं फूलों की उसी तरह से इसकी

माला लटकी हुई मिलेंगी और बच्चे भी इसको खरीदते हुए पाये जाते हैं और विद्यालय में पठन-पाठन के दरम्यान भी वो इसको चबाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक करें चौधरी साहब।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मेरा तो जो सरकार ने इसमें उत्तर दिया है कि हमने यह कानून बना रखा है और उसके अन्तर्गत 100 गज की दूरी तक यह प्रतिबन्धित है तो यह ठीक है कि आपने इसको प्रतिबन्धित करने का कानून बनाया है लेकिन क्या उस कानून का अनुपालन आज सरकार सुनिश्चित कराती है ? कभी कराया है ? एक तो मेरा सवाल यह है दूसरा यह है माननीय अध्यक्ष जी कि यह जो जिला तम्बाकू नियंत्रक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है तो मंत्री जी यह बता दें इसका काम क्या है ? इन्होंने कहा है कि प्रदेश के दो जनपद कानपुर और लखनऊ में जिला नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित किया है यह किस प्रकार नियंत्रण करते हैं ? क्या उस नियंत्रण के कारण लोगों के द्वारा तम्बाकू का प्रयोग घटा है किस प्रकार का निषेध हुआ है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कानपुर और लखनऊ में पान मसाले का उत्पादन और शहरों से ज्यादा है। तम्बाकू के अलावा भी बहुत सी हानिकारक सामग्रियां ऐसी हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होती है। उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे यहां अभी फूड और ड्रग डिपार्टमेन्ट का गठन हुआ है पूरा विभाग बना दिया गया है जो उसकी जांच करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पान मसाले और तम्बाकू पर बैन लगाया था। हाई कोर्ट से इस पर प्रतिबन्ध था, पान मसाला विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और वहां से प्रतिबन्ध का जो आदेश था उस पर स्टे हो गया था मैं विनम्रता से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इस तरह की कहीं पर कोई शिकायत हो तो उसमें हम जांच कराकर कार्यवाही करायेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

राधामोहन जी कई मा0 सदस्यों इस पर बोलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो आप इस पर अनुपूरक सूक्ष्म में करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं एक बात का समाधान करना चाहूंगा अगर विद्यालयों और चिकित्सालयों में 100 गज के अन्दर खुले आम गुटखा बिक रहा है माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रतिबन्धित है तो माननीय मंत्री जी को जानकारी होनी चाहिए कि बिक रहा है और सरकार की तरफ से रोकने का प्रयास होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में स्कूलों और चिकित्सालयों के बगल में गुटखे बिक रहे हैं इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कितने छापे मारे गये, कितनों पर कार्यवाही की गई और कितनी दुकानें बन्द की गई ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, इस तरह की कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप सभी बैठ जाएं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, ऐसा पूरे प्रदेश में नहीं होगा कि विद्यालय और चिकित्सालय के आस-पास दुकानें न हों और मंत्री जी कह रहे हैं कि इनके संज्ञान में नहीं है। माननीय मंत्री जी बता दें कि इनके संज्ञान में क्या-क्या है। इतनी छोटी सामान्य बात है, ऐसा नौजवान खोजना मुश्किल हो गया है जो बात करते समय गुटखा न खाता हो। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि मेरे संज्ञान में नहीं है इसका मतलब कि यह सारा का सारा अधिनियम, सारा का सारा प्राविधान कागज पर है।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों नौजवान हैं या नहीं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी मैं जानना यह चाहता हूँ कि आज प्रदेश में निजी दुकानें चल रही हैं उसका संज्ञान लेते हुए सदन में यह कह दें कि सात दिन के अन्दर वह सब दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है तो मैं बता रहा हूँ।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इसकी जाँच कराकर सख्ती से इसका अनुपालन करायेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे प्रत्युत्तर का मौका दिया। मान्यवर, यह बात पूरी तरह से सिद्व हो गई है कि पान पराग का प्रयोग हानिकारक है। सिगरेट का प्रयोग हानिकारक है एक बात मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक तरफ गुटखा और पान पराग हानिकारक हैं वहीं दूसरी ओर बड़ी कम्पनियों के नाम पर नकली पान पराग, नकली गुटखें के पाउच बिक रहे हैं वह और ज्यादा हानिकारक हैं तो मैं मा0 मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हुए, उनकी मजबूरी मैं जानता हूँ, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद जो इसकी बिक्री हुई है तो क्या मरे इस सुझाव को वह स्वीकार करेगें कि व्यापक स्तर पर छापे मारकर आप नकली गुटकों, नकली पान-पराग और खासतौर से गांवों और कस्बों में जो यह बिक रहा है, उसको रोकने के लिए एक अभियान चलायेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो तथ्य हमारे संज्ञान में आया है, फूड एण्ड ड्रग डिपार्टमेन्ट इसके लिए गठित किया गया है और निश्चित रूप से फूड एण्ड ड्रग डिपार्टमेन्ट को निर्देशित किया जायेगा और वह कार्यवाही करें।

श्री इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कानपुर से है और इनके घर के पास ही एक अस्पताल है, उसके दरवाजे पर ही गुटके की, मसाले की दुकानें हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, रोज सुबह वहां से निकलते हैं और वापस अपने घर भी वहां से जाते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, दरवाजे पर ही गुटके और मसाले की दुकानें हैं। यह तो वहीं कहावत हो गई-'चिराग तले अंधेरा।' अध्यक्ष जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम कार्यवाही करेंगे, हमने तो दुकानें ही बता दी। क्या मा0 मंत्री जी वह दुकानें बन्द करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पड़ोस का मसला है। अब पी0के0 राय जी।

डा0 पी0के0 राय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, नम्बर-1, क्या इस देश में किसी भी प्रदेश में गुटके की बिक्री के ऊपर प्रतिबन्ध है या नहीं है ? दूसरा प्रश्न है, गुटका घातक है, यह सभी लोग जानते हैं, क्या विभाग ने कोई इस तरह का सर्वेक्षण, परीक्षण या निरीक्षण कराने का कार्य किया है कि जो गुटका बाजार में आ रहा है, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं ई0एन0टी0 सर्जन हूं, मैंने स्वयं देखा है, जबड़ा लॉक होते हुए, जबड़ा बन्द होते हुए, उस गुटके की वजह से। हमें निश्चित तौर पर यह जानकारी है कि बाजार में कुछ ऐसे गुटके हैं कि जिन गुटकों को खाने से यह बीमारी बहुत जल्दी और कैंसर का रोग जल्दी पकड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए, जैसा आपने कहा कि हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट के आदेश हैं, उस दिशा में विभाग के द्वारा व्यापक जनहित में क्या प्रयास किया गया और तीसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी इस बात का निरीक्षण करायेंगे कि किस प्रकार का गुटका, कौन से ब्रांड का गुटका ज्यादा घातक साबित हो रहा है, जिससे उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, निश्चित रूप से मा0 सदस्य के प्रश्न बहुत सार्थक हैं, हमारी सरकार ने इन्हीं सब कारणों की वजह से फूड एण्ड ड्रग डिपार्टमेन्ट का गठन किया है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है, इसके अलावा और किसी भी प्रदेश में नहीं है। पहले जो व्यावहारिक रूप से दिक्कत आती थी, जब सब इन्सपेक्टर जाते थे, वह प्रभावशाली कम हो पाते थे, लेकिन इस विभाग के गठन करने के बाद इसमें पुलिस के भी एक अधिकारी को रखा गया है और पुलिस के हर लेविल के अधिकारियों को पोस्ट इसलिए किया गया ताकि इन सारी चीजों का क्रियान्वयन कराया जा सके।

(श्री ओम प्रकाश सिंह और श्री प्रमोद तिवारी एक साथ अनुपूरक करने के लिए खड़े हो गए)

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश सिंह जी, आप बैठ जायें, देखें कि तिवारी जी की कौन सी महत्वपूर्ण बात है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष महोदय, हमेशा आदर्श ऊपर से प्रस्तुत करना पड़ता है। मान्यवर, मेरे इस सुझाव पर आप माननीया मुख्य मंत्री जी को विचार करने को कहेंगे कि जो-जो मंत्रि-परिषद् के सदस्य गुटखा खाते हों, सिगरेट पीते हों, उनको मंत्रि-परिषद् से बाहर का रास्ता दिखायें और बसपा से जो न खाते हों उनको मंत्रि-परिषद् में शामिल करें। क्या इस तरह का सुझाव माननीय मंत्री जी आप देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप चिन्हित करके सूची इनको बता दीजिएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, चोरी छिपे श्री लाल जी वर्मा खाते हैं।

(हंसी)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि मुझे जानकारी नहीं कि कहीं स्कूल और अस्पतालों के गेट पर बिक रहा है। दूसरी बार जब दूसरा प्रश्न हुआ कि क्या आप जांच कराकर कार्यवाही करेंगे तो कहा गया कि हां मैं करूंगा। यह भी लॉ एण्ड आर्डर की समस्या है कि मंत्री जी को पता ही नहीं है कि बिकता है कि नहीं बिकता है, फिर दबाव में आते हैं तो कहते हैं कि हां जांच करा लेंगे। अगर आप आश्वस्त है कि नहीं बिकता है तो नहीं बिकता है। मान्यवर, यह प्रश्न कभी-कभी उठता है। मैं इस प्रश्न पर माननीय मंत्री जी का और पूरे मंत्रि-परिषद् का ध्यान दिलाना चाहता हूं, प्रश्न सीधा सा है कि तम्बाकू तथा स्वास्थ्य हेतु हानिकारक अन्य वस्तुओं के मिश्रण से निर्मित गुटखा तथा पान मसाला आदि के सेवन से विशेषकर मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती जा रही है ? मान्यवर, इसका उत्तर नहीं आया है। मान्यवर, दूसरा है कि क्या सरकार प्रदेश में इसके निर्माण व बिक्री पर व्यापक जनहित में प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ? इसका भी उत्तर नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते समय कहा कि हां सुप्रीम कोर्ट में है, स्टे हो गया है। लेकिन इस उत्तर में लिखित में नहीं है। मान्यवर, यह सर्वविदित है कि स्कूल और अस्पताल या जहां भी अवसर मिलता है, सार्वजनिक रूप से बिक रहा है। क्या आप उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है और इस सदन की सूचना को विश्वस्त मानकर आज ही सरप्राइज चेकिंग करके क्या सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह कोई प्रश्न नहीं है बल्कि एक सुझाव है कि अगर इस तरह की परिस्थतियां हैं, जैसा माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा है कि जिनको आपने जिम्मेदारी दी है अगर कहीं इस तरह से परिलक्षित हो रहा है कि इस तरह से अवैध ढंग से गुटखा वगैरह बेच रहे हैं, अगर ऐसे अधिकारी चिन्हित हों तो उसमें कार्यवाही करेंगे ? उसको एक प्रभावी स्वरूप देने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया है और हम उन पर इतना विश्वास करते हैं कि अगर वह आश्वस्त करते हैं तो वह गम्भीर होंगे। उन्होंने माननीय सदस्यगण को कहा है कि वह जो भी सूचना देंगे हम तुरन्त उसकी जांच करायेंगे। लेकिन दो माननीय सदस्यों के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीमन्, यह बहुत चिन्तनीय विषय है। मेरा इसमें अनुरोध है कि इस सदन में माननीय सदस्य जिस घटना का उल्लेख करें उसका संज्ञान तो आपके पास होगा ही, लेकिन आपने इतना बड़ा महकमा अलग से गठित किया और जिसका आपने उल्लेख भी किया कि महाराष्ट्र के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में किया और इतना बड़ा महकमा गठित करने के बाद आपको इस प्रदेश की इस सम्बन्ध में एक छोटी सूचना भी वह संगठन आपको नहीं दे पा रहा है तो इसका औचित्य क्या है, इस पर विचार कर लें और इस सम्बन्ध में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अखबारों में छपता है उसकी कटिंग भी पेश करने के लिए सूचना विभाग का एक अधिकारी होता है जो अखबारों की वह कटिंग या सूचनाएं लाकर के विभाग में देता है। अखबारों में रोज ऐसी घटनायें छपती हैं और अगर किसी तंत्र से सरकार तक यह सूचना ही नहीं पहुंच पा रही है कि कहीं यह गुटखा और पान मसाला इस तरह से बिक रहा है तो यह अत्यन्त चिन्तनीय स्थिति है। क्या इस गम्भीर स्थिति पर, जिसमें सरकार को अपने स्रोतों से कोई सूचना एक भी घटना की पूरे प्रदेश में नहीं मिली है तो क्या इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और सदन में चार दिन का सदन है, यह बात संज्ञान में आ गयी कि यह-यह घटनायें हैं। क्या सरकार सदन में, संज्ञान में दी जाने वाली घटनाओं के अतिरिक्त घटनाओं को संज्ञान में लेने का काम करेगी ? मेरा सीधा प्रश्न है।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यह निश्चित रूप से बहुत चिन्तनीय विषय है, यह सरकार पूरी तरह गम्भीर है और इसमें कार्यवाही करेगी।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, पान मसाला और गुटखा खाने के बाद इसके थूकने से गन्दगी भी हो रही है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो छोटे-छोटे अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं। सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि जो विनियमन अधिनियम है, वर्ष 2003 में दिये गये प्राविधानों, निर्देशों का अनुपालन करते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एण्टी टोबैको सेल का गठन किया गया है। एक तो यह है और दूसरा यह है कि साथ ही जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त सेल बनाये गये हैं तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने राज्य स्तर पर एण्टी टोबैको सेल का गठन किया है और साथ ही जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जो कमेटियों का गठन किया है। उसका काम क्या है और अगर काम जनहित का है तो वह क्या काम किया गया ? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं

और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि मा0 सदस्य डा0 राय साहब ने एक सवाल किया था कि क्या भारत के किसी प्रदेश में गुटखा और पान मसाला पर बिक्री प्रतिबन्धित है ? अगर आपकी जानकारी में है तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, जो प्रकोष्ठ गठित हुआ है, इसका कार्य क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, जो प्रदेश के बारे में पूछा गया है कि किसी प्रदेश में प्रतिबन्ध है कि नहीं, यह सूचना मेरे पास नहीं है और यह जो टोबैको सेल बनाया गया है, इसमें जैसा कि बार-बार बताया जा रहा है, उत्तर में भी लिखा गया है कि सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों, विद्यालयों के 100 मीटर के अन्दर दुकानें नहीं लगेंगी और तम्बाकू से रिलेटेड जो भी प्रॉडक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होता है, स्टेट्च्युरी वॉर्निंग, टोबैको इज इन्ज्युरियस फॉर हेल्थ। यह उसमें लिखा होता है और लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक है, इसको हम इन्श्योर कराते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा उद्देश्य यह है कि सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, वही तो बता रहे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आपने खाली प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने इतना बता दिया है कि मोटी सी हेडिंग में लिखा है कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

यह बता करके बड़ी कृपा की है जनता के ऊपर। हम सवाल लाये हैं और उस पर अनुपूरक करना चाहते हैं और कोई सहयोग नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ये लोग आपका सहयोग ही कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में दूध, खोया, मसालों, खाद्य तेलों, दलिया एवं दालों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा श्री इमरान मसूद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दूध, खोया, मसालों और खाद्य तेलों के अतिरिक्त दलिया, सिवईं और दालों में भी मिलावट की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार

इस पर रोक लगाने हेतु कोई कठोर कार्यवाही, जिनके अन्तर्गत वर्तमान कानून में परिवर्तन के साथ ही अभियुक्तों को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत कठोरतम दण्ड देना और एकत्रित सैम्पल्स की जांच भी एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत कराये जाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनाने व लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

प्रदेश में दूध, खोया, मसालों, खाद्य तेलों, दलिया, सिवईं एवं दालों में मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही हेतु खाद्य निरीक्षकों से नमूने संग्रहीत कराकर संग्रहीत नमूनों का विश्लेषण राजकीय/क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में कराया जाता है। विश्लेषण में अपमिश्रित पाये गये नमूनों में अपमिश्रण हेतु उत्तरदायी निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 व तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कराकर मा0 न्यायालय में वाद योजित कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 व तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 में व्यापक प्राविधान है। उक्त अधिनियम की धारा 16 में आर्थिक दण्ड से आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है। प्रदेश में खाद्य अपमिश्रण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक प्रार्थना यह है कि कम से कम जो माननीय सदस्य अनुपूरक करें उसका सुसंगत उत्तर तो दिलाने की कृपा करें। अब अगर आप खाली मंत्रिगणों को ही संरक्षण देंगे तो हम लोगों के सवालों का क्या औचित्य होगा, एक तो चला नहीं सदन और आज चल रहा है कृपा है, सबके तो उत्तर नहीं आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, उत्तर आयेंगे, संरक्षण हमारा सबके लिए बराबर है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है और मैंने जो अनुपूरक प्रश्न किया था उसमें दो विषय पर मैंने बल दिया था, वर्तमान कानून में परिवर्तन के साथ ही अभियुक्तों को एक निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत कठोरतम दण्ड देना और जो सैम्पल्स एकत्रित किये जाते हैं, उसकी जांच भी एक निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत कराये जाने हेतु तो इसको पूछने का मेरा आशय यह था कि सैम्पुल्स इकट्ठा किये जाते हैं और वह स्टाक करके भेज दिये जाते हैं सालों-साल उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आती, वहां स्टाफ नहीं है, वहां वह सब इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और दूसरी बात यह कि जिनका चालान किया जाता है उनका भी चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो उससे होता क्या है कि दण्डित होने में इतना अधिक समय लग जाता है कि दूसरे लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो मान्यवर, यह जो मैंने दो अनुपूरक सवाल किया है आपसे अनुरोध है कि इसका

उत्तर दिला दें कि इस पर सरकार ने क्या किया है ? एक निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत दण्ड देना और दूसरे एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर उस सैम्पुल्स की जांच को सुनिश्चित करना।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने जो उत्तर दिया उसमें इस बात का मैंने उल्लेख किया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 व तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 में व्यवस्था है और जिसमें आजीवन कारावास तक का दण्ड/सजा होने की व्यवस्था है। मान्यवर, यह प्रभावी ढंग से लागू हो और त्वरित कार्यवाही हो इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीया मुख्य मंत्री जी ने 30-7-2009 को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया है और जिसके गठन होने के उपरान्त मान्यवर, इसमें प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो जो कुछ बना हुआ है, वह तो बना हुआ ही है, मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी उत्तर न देना चाहें या समझ न पाये हों तो और बात है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसको रोकने के लिए आपने जो भी सिस्टम बनाया, अधिनियम बनाया या प्रकोष्ठ बनाया है, माननीय चौधरी साहब यह जानना चाहते हैं कि यह जो सैम्पुल लिये जाते हैं या इनको दण्डित करने की जो भी प्रक्रिया है क्या इसके लिए कोई समय-सीमा का निर्धारण है या नहीं है अगर नहीं है तो क्या इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित करायेंगे कि इतने समय में ही यह निस्तारित हो जाया करे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उस नियमावली में जो व्यवस्था है उसके तहत कार्यवाही हो रही है और उसमें कई ऐसी जगह हैं जहां पर कार्यवाही हुई है, अगर वह उसको जानना चाहते हों तो मैं उसको भी बता दूंगा कि कहां-कहां हुई, कितने लोगों को दण्ड दिया गया है, कितने लोगों को आजीवन कारावास हुई है, कितने लोग बन्दी बनाये गये हैं। अगर यह जानना चाहते हैं, तो मैं बता दूंगा।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

सूचनायें हैं, उनको देखने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा संतोष की सीमा बनाइये आप लोग भी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही इस बात को बताया कि इसमें प्रभावी दण्ड की व्यवस्था है और उसके तहत जो नमूने इकट्ठा करने की आप जानकारी चाहते हों तो वह बता दूं, उसमें कितने लोगों को दण्डित किया गया यह भी बता दूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह सवाल नहीं पूछा गया है। यह पूछा गया है कि कोई समय-सीमा सुनिश्चित है। मान्यवर, हम लोगों को सारे छापों की सूचना मिल रही है और यह भी सूचना आ रही है कि अपमिश्रण खूब बढ़ रहा है। लेकिन सैम्पुल्स की जांच समय-सीमा के अन्दर न होने के कारण वह सब कार्यवाही व्यर्थ हो जाती है। आपने भी प्रश्नकर्ता सदस्य को सहयोग करने के लिए माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाही कि कोई समय-सीमा है। अगर अधिनियम में नहीं है तो अब करेंगे ताकि सैम्पुल्स का समय से परीक्षण हो सके ?

श्री अध्यक्ष-

एक तो आपने बताया कि अगर सैम्पुल्स में कोई बात प्रकाश में आती है तो उसके लिये वाद दायर होता है और न्यायालय के लिये तो कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरे जो सैम्पुल्स लिये जा रहे हैं कहीं नियमावली में ऐसी व्यवस्था है कि कितने दिन के अन्दर उनका निस्तारण हो जायेगा ताकि उसमें वह परीक्षण करके बता दें चीजों को। उनके रिजल्ट्स पता चल जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो अधिनियम हैं उसी में समय निर्धारित है 40 दिन का। 40 दिन की समय सीमा पूर्व से ही निर्धारित है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, सैम्पुल्स लाकर यहां पर इकट्ठा किये जाते हैं और रखे जाते हैं जहां इसकी जांच होती है उसकी क्षमता कितनी है कितने सैम्पुल्स की जांच करा लेते हैं। एक माह में कितने सैम्पुल्स इकट्ठा करते हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस नियमावली के अन्तर्गत वर्ष 2009 में 21662 नमूने संग्रहीत किये गये और इसमें जो जांच हुई उसमें 3492 मामले अपमिश्रण के पाये गये। मान्यवर, आप सुन लें, यहां आने के बाद उसकी समय-सीमा के अन्दर जांच होती है। मान्यवर, इस नियमावली के अन्तर्गत इस विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग का गठन होने के बाद लगातार इसमें कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अपमिश्रण हो रहा है, इसको लेकर सारे अखबार आज भरे हुए हैं टी0वी0 चैनलों पर खबरे आ रही हैं। मान्यवर, इसका उदाहरण यह है कि जब भारत के प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश आये तो कानपुर में जो उनको भोजन दिया जाना था उसमें अपमिश्रण मिला। अगर प्रधान मंत्री जी को उत्तर प्रदेश में शुद्ध भोजन नहीं मिला तो साधारण इंसान की क्या स्थिति होती होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वह कानपुर यात्रा पर आये थे और उन्हें अपमिश्रित भोजन मिला था उसमें क्या कार्यवाही की गयी, उसमें दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह इस प्रश्न का अंग तो नहीं है आप देखें।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल सामूहिक तौर पर पूछा गया है। इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री जी की यात्रा के समय दिये गये भोज्य पदार्थ में पाये गये अपमिश्रण की शिकायत शासन को है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप प्रश्न देखें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह मंत्री जी खुद ही अपमिश्रित हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी कला है, मिक्स करने की वह क्या मिक्स होंगे।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सैम्पिल की जांच के लिए एक निश्चित समय आपने बताया कि 40 दिन की समय-सीमा निर्धारित है आपने बताया कि करीब 21 हजार नमूने हमने प्रदेश के अन्दर एकत्रित किये हैं जिसमें से 3,492 अपमिश्रित पाये गये तो इतना बड़ा अन्तर है दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह 3,492 अपमिश्रित नमूने पाये गये इसमें से कितनों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी और कितनों को सजा मिल गयी है, क्या माननीय मंत्री जी इसको बताने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

वही तो माननीय मंत्री जी बता रहे थे आप लोग सुने ही नहीं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह 3,492 मामले अपमिश्रित पाये गये इनमें से कितने के विरुद्ध मुकदमें कायम कराकर कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 104 एफ0आई0आर0 हुई है और गिरफ्तार 140 लोग हुए हैं, अर्थदण्ड 1 लाख 32 हजार 50 रुपये का लगाया गया है।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

दो फीगर बताया उन्होंने कि इतने में इतने को दण्डित किया गया इतने के ऊपर मुकदमें आरोपित किये गये अब और क्या चाहिए। आपने दो जानकारी हासिल करना चाहा कि पूरी संख्या में कितनों को सजा हुई और कितनों को दण्डित किया गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 2009 का बताया है, 2010 का जानना चाहे तो मैं बता दूं।

श्री अध्यक्ष-

अब सब फीगर आ गयी है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे संज्ञान में है इस तरह के लैब जांच के सिर्फ दो ही जगह है लखनऊ और मेरठ। जहां तक मुझे पता चला है कि बरेली, गोरखपुर, वाराणसी और झांसी को यह जांच के विषय में ला रहे हैं क्या इन जगहों पर जांच के लिए लैब तैयार है दूसरा मेरा प्रश्न है कि अभी पिछले साल आगरा के अन्दर काफी बड़ी मात्रा में चर्बीयुक्त घी पाया गया, बहुत अखबारों में उसके बारे में निकला लेकिन उस केस के अन्दर न तो किसी आदमी की गिरफ्तारी हुई और न किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई जबकि कई सरकारी संस्थाएं उसमें लिप्त पाई गयी थीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस चर्बीयुक्त घी का प्रयोग हमारे आगरावासियों ने किया और उसमें खुद सरकार ने अपने जांच एजेन्सियों से पता किया कि यह चर्बीयुक्त घी था तो क्या उस काण्ड में आज तक कोई गिरफ्तारी हुई, किसी सरकारी विभाग के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई और जो लोग उसमें लिप्त थे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

क्या माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान है जिसका उल्लेख कर रहे हैं माननीय सदस्य ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसका अलग से प्रश्न पूछ लेंगे माननीय सदस्य तो हम उसका जवाब दे देंगे।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैंने लैब के बारे में भी पूछा था।

श्री अध्यक्ष-

आपने लैब के बारे में संज्ञान में लाया है तो उस पर विचार करेंगे जहां दो जगह है वहां वह चल रही है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आगरा के अन्दर लैब बनाने में कोई प्राब्लम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने सरकार के संज्ञान में ला दिया है वहां पर लैब बनाने के लिए आपका यह एक अच्छा सुझाव है कि वहां भी लैब की जरूरत है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमें इतना तो आश्वासन दे दें कि आगरा के अन्दर जल्दी से जल्दी एक लैब बनाई जायेगी क्योंकि आगरा इस समय अपमिश्रण के मामले, अपमिश्रित पदार्थों के मामले में, दूध के मामले में, ड्रग्स के मामले में और दूसरे खाद्य पदार्थों के

अपमिश्रण के मामले में बहुत बड़ी मण्डी है। मैं चाहता हूं कि आगरा के अन्दर जल्द से जल्द एक लैब का गठन हो।

श्री अध्यक्ष-

लैब के गठन की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो जांच हो रही है वह लखनऊ, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और झांसी।

श्री अध्यक्ष-

आप देखें नहीं होंगे डाक्टर साहब।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह केवल प्रश्न और उत्तर का विषय नहीं है यह पूरा सदन पिछले कुछ महीनों में या पिछले एक वर्ष में मिश्रण के खाद्य पदार्थों में जिस तरह से मिश्रण चर्बी से लेकर केमिकल का, आक्सीटोसिन का एक नया अपमिश्रण का प्रकरण आया है और पूरी आबादी के ऊपर एक तरह से अस्वस्थ करने का षडयंत्र चल रहा है। बल्कि अब हर खाद्य पदार्थ अविश्वसनीय हो गया है, सब्जियां अविश्वसनीय हो गयी हैं और एक तरह से यह पूरा समुदाय अपमिश्रण करने वाला जहर घोल रहा है और जितनी प्रभावी भूमिका, उतनी प्रभावी कार्यवाही प्रशासनिक तौर से होनी चाहिए, वह जनता के संतोषजनक दृष्टि में नहीं हो रही है। जनता संतुष्ट नहीं है और दण्ड जिस तेजी से और जांच जिस तेजी से होना चाहिए वह नहीं हो रही है। इसकी पांच लैब अभी पूरी तरह से कार्यवाही में नहीं हैं और यह भी सामने आया कि लैबों में सेम्पुल्स पड़े रहते हैं। तो मैं दो चीज जानना चाहता हूं कि क्या पर्याप्त मात्रा में हर जिला मुख्यालय पर परीक्षण के लिये पर्याप्त साधन के साथ लैब स्थापित करेंगे और नं0 2 कि क्या दण्ड प्रावधान में सरकार दोषी के लिये मृत्युदण्ड का भी प्राविधान प्रस्तावित करेगी। यह दो हमारे स्पेसिफिक प्रश्न है जिससे यह विश्वास हो सके कि यह सरकार अपमिश्रण रोकने में या जनता के खाद्यान्न में धीमे जहर घोलने के कार्य को रोकने के प्रति जागरूक है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश सरकार खाद्य अपमिश्रण रोकने के लिये संकल्पबद्ध है और कार्यरत है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जैसा मैंने बताया कि दिनांक 3-7-09 को अलग विभाग गठित किया गया। अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के व्यवसाय को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये हैं। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला खाद्य एवं सतर्कता समिति गठित कर जागरूकता बढ़ाने की कार्यवाहियां और अनुश्रवण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय की जानकारी प्राप्त कर प्रभावी रूप से खाद्य निरीक्षकों को पुलिस बल की सहायता प्रदान करने के लिये विभाग में एक पुलिस उप महानिरीक्षक की अपर आयुक्त अभिसूचना प्रवर्तन के पद पर तथा उनके अधीन एक पुलिस उपाधीक्षक तथा चार पुलिस निरीक्षकों की तैनाती की गयी है। विभाग के गठन के पश्चात् खाद्य एवं औषधि विभाग में कार्यरत मुख्य खाद्य

निरीक्षकों को जिलाधिकारी के अधीन तथा खाद्य निरीक्षकों को उप जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन तैनात कर पुलिस व प्रशासन के सहयोग से मिलावट रोकने के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। नगर मजिस्ट्रेट अथवा नगर मजिस्ट्रेट का पद न होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी घोषित करते हुए व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया गया है। मान्यवर, इसके साथ-साथ अखबार में विज्ञापन देकर भी जनसामान्य से भी अपमिश्रण के बारे में जानकारी देने की अपील की गयी है और मिलावटी खाद्य पदार्थ और नकली दवायें हम सभी के स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त घातक है इनके सेवन से तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इस तरह से बातों से जनसामान्य को सूचना प्राप्त हो और उस पर कार्यवाही की जाय। मान्यवर, केवल इसीलिये त्वरित गति से कार्यवाही करने का एक विशेष अभियान जुलाई महीने में चलाया गया। 31-7-2010 तक विशेष अभियान चलाकर कार्बाइड से सम्बन्धित जो अपमिश्रण था, उसमें 41 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी, इसके अलावा इथोपान से 12, कृत्रिम रंग से 8, अन्य से 73, कुल 134 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी। जिसमें 190 व्यक्तियों की संख्या है और 84 गिरफ्तार किये गये और इस तरह से जो खाद्य पदार्थ जब्त किये गये, वह करीब 34,94,200 रुपये मूल्य का जब्त किया गया। तो मान्यवर, इस प्रकार व्यापक पैमाने पर कार्यवाही की गयी। यह अधिनियम भारत सरकार का अधिनियम है इसमें राज्य सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सब कार्यवाही निष्प्रभावी है और केवल दिखाने के लिये है और यह सरकार खाद्यान्न में मिश्रण रोकने में पूरी तरह से असफल है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इससे पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और यह अपमिश्रण का काम ही कराते रहे। हमने जब उस पर प्रभावी कार्यवाही करना शुरू किया। जनता को जागरूक करना शुरू किया तो लोगों को इस बात का ध्यान आया कि अपमिश्रण हो रहा है और जिसके कारण आम जनता सचेत हुई है। यह तो मान्यवर, स्वयं कराने वाले लोग हैं।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन

*2-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 01-04-2010 से लागू किया गया है। अधिनियम के क्रियान्वयन का दायित्व भारत सरकार तथा राज्य सरकार का है। भारत सरकार से वित्तीय सहायता तथा स्पष्ट दिशा-निर्देशन प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखू लाल यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनायी गयी है और मा0 मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ''भारत सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 01-04-2010 से लागू किया गया है। अधिनियम के क्रियान्वयन का दायित्व भारत सरकार तथा राज्य सरकार का है। भारत सरकार से वित्तीय सहायता तथा स्पष्ट दिशा-निर्देशन प्रतीक्षित है। प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न नहीं उठता।'' मान्यवर, भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्वों में इस बात का जिक्र किया गया था कि देश के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। आजादी के 63 साल बाद इस पर पहल की गई और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 पहली अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा आप देंगे वह या तो आप प्राथमिक पाठशालाओं में देंगे या फिर प्रबन्धन समिति के मैनेजमेन्ट के विद्यालयों में देंगे। मान्यवर, जो प्राथमिक विद्यालय सरकार चला रही है उनमें तो आप निःशुल्क शिक्षा दे लेंगे लेकिन जो प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित हैं उनमें आप कैसे निःशुल्क शिक्षा देंगे ? क्योंकि प्रबन्ध समिति के विद्यालय तो शुल्क के आधार पर ही शिक्षा देते हैं और उसी शुल्क से वह विद्यालय के अध्यापकों को मानदेय वेतन के रूप में देते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 बनाया है और जो 01 अपैल, 2010 से प्रभावी हो गया है। यह सरकार संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली है और हम लोग भी मानने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, हम यही जानना चाहते हैं कि जो प्रबन्धन समिति के विद्यालय हैं वहां आप निःशुल्क शिक्षा कैसे देंगे ? क्या आप फीस की जगह पर उनको कुछ प्रतिपूर्ति देंगे या वहां के अध्यापकों के लिए कुछ मानदेय निर्धारित करेंगे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्य को अपने उत्तर में ही बता चुका हूं कि यह जिम्मेदारी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की है। जहां तक इसे लागू करने का प्रश्न है तो अभी तक भारत सरकार यही तय नहीं कर पायी है कि राज्य के मध्य वित्त पोषण का अनुपात क्या होगा, कितने-कितने प्रतिशत का होगा ? उच्च शिक्षा मंत्री जी भी एक बार भारत सरकार के पास गये उन्होंने भी अनुरोध किया कि 90 और 10 के अनुपात से हमें वित्तीय सहायता दी जाये। मैंने भी भारत सरकार से अनुरोध किया। मा0 सदस्य की जो जिज्ञासा है मैं उसके लिए मा0 सदस्य को

बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें तो हम निःशुल्क शिक्षा दे ही रहे हैं और जो हमारे सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें भी 25 प्रतिशत उन बच्चों को जो शिक्षा से वंचित हैं उन्हें निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जिसकी फीस सरकारी गवर्नमेंट के रेट से सरकार देने का काम करेगी।

श्री उदयराज-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने कहा अभी अपने उत्तर में कि जो मैनेजमेन्ट के विद्यालय हैं, उनमें विद्यार्थियों का निर्धारण किया है कि उनमें इतने विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम मैनेजमेन्ट के विद्यालय करेंगे और उनको पैसा देने का काम सरकार करेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना जानना चाहता हूं कि अब तक कितने विद्यार्थियों का शुल्क मैनेजमेन्ट के विद्यालयों को सरकार द्वारा दिया गया है ? उन छात्रों की संख्या बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

अब यह जो सूचना आप मांग रहे हैं मा0 श्री उदयराज यादव जी प्रश्न से हटकर है।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

अभी तक भारत सरकार से इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश ही नहीं मिले हैं। जब अभी इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई दिशा-निर्देश ही नहीं मिले हैं, तब हम इसे कैसे तय कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 कृष्णाराज जी बैठ जाएं। मा0 उदयराज जी, उत्तर में देखिए, उत्तर दिया है कि भारत सरकार से वित्तीय सहायता का दिशा-निर्देश अभी हमको कुछ मिला नहीं है। इनका कहना है कि कोई गाइडलाइन्स मिलती तो उसके आधार पर हम इसे बनाते। अभी भारत सरकार से कोई गाइडलाइन्स नहीं मिली है। केवल एक ऐक्ट बना है और उस ऐक्ट को उन्होंने लागू कर दिया है और अब वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसके लिए कोई गाइडलाइन्स आ जाए।

श्री उदयराज-

मान्यवर, इन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत 25 प्रतिशत छात्रों की शिक्षा शुल्क का भुगतान राज्य सरकार करेगी। यदि इस सम्बन्ध में मान्यवर, कोई दिशा-निर्देश नहीं आया है, कोई मानक नहीं निर्धारित हुआ है तो मा0 मंत्री जी ने जवाब कैसे दे दिया कि हमने व्यवस्था कर दी है। मा0 मंत्री जी ने ऐसा स्वयं अपने जवाब में कहा है। इसका मतलब है कि वह सदन को गुमराह कर रहे हैं और दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश सरकार को क्या भुगतान करना है ? शिक्षा के अधिकार को लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने अब तक क्या पहल की ? प्रदेश सरकार ने यदि कोई पहल की हो तो बता दें, यदि कोई पहल नहीं की है, तो इसका मतलब वह शिक्षा के अधिकार को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करना चाहते हैं। आप 25 प्रतिशत की बात किस आधार पर कह रहे हैं, उसका पैसा कहां से देंगे ? अब बेसिक शिक्षा मंत्री जी को रहने दीजिए, अब उच्च शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सब ठीक है, कोई भी मा0 मंत्री उत्तर बता सकते हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

अभी मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो उत्तर दिया और जैसा मा0 सदस्य, जोखू लाल यादव जी की चिन्ता है, अभी भारत सरकार से शिक्षा के अधिकार में उसका क्या अनुपात रहेगा, यह तय नहीं हो पाया है। दूसरा बिन्दु यह है कि जब भारत सरकार ने अधिनियम बनाया तो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त आपत्ति किया कि आर्थिक सहयोग का अनुपात क्या होगा ? दिनांक 18 व 19 जून की बैठक में हम गये थे, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार अपना हिस्सा तय करे। यदि 90 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार को देना है और 10 प्रतिशत भारत सरकार को देना है तो जब हम 90 प्रतिशत देने की स्थिति में रहेंगे तो 10 प्रतिशत भी अपना देकर के अपनी नीति लागू करेंगे, हम केन्द्र सरकार की नीति क्यों लागू करेंगे। यह सवाल अन्य राज्यों ने भी जिसमें कांग्रेस शासित राज्य भी थे। उन राज्यों ने भी कहा कि जब तक राज्य सरकारों को आप आर्थिक सहयोग नहीं दे पायेंगे, तब तक यह लागू नहीं हो पायेगा। तीसरा यह कि हमने भारत सरकार के मा0 मंत्री जी से कहा कि जब आपके पास आर्थिक सहयोग देने की स्थिति नहीं है, तो पार्लियामेंट में बिल नहीं लाना चाहिए था। हम अपने राज्य के लोग जैसे चला रहे हैं, वैसे चलाते रहेंगे।

श्रीमती कृष्णाराज-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुपूरक करना चाहती हूं, न तो मैनेजमेंट की बात है और न ही केन्द्र और प्रदेश की बात है। हम मा0 मंत्री जी से केवल इतना पूछना चाहते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के अभाव से बंद हुए हैं उनके लिए कौन-सा कानून बना है और कौन-सा कानून लागू होगा। आज भी 25 प्रतिशत स्कूल गांवों में शिक्षकों के अभाव से बंद हैं, यह प्रश्न मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहती हूं। मा0 अध्यक्ष जी मेरा सीधा सा प्रश्न है कि अध्यापकों के अभाव में विद्यालय बंद हैं, तो उसके लिए कौन-सा कानून बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृष्णाराज जी यहां पर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पर विचार चल रहा है। आप बैठ जाएं।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है और पत्थरों के लिए पैसा है। शिक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप सीने पर पत्थर क्यों रखते हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो हम सदन का वाक-आऊट करते हैं।

(नेता प्रतिपक्ष ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन तथा मल-मूत्र एवं खून की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

*1-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन, मल-मूत्र एवं खून की जांच की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना विषयक मानक के अनुसार एक्स-रे मशीन तथा मल-मूत्र एवं खून की जांच की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

मल-मूत्र एवं खून की जांच की सुविधा समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध है। प्रदेश के कुल 515 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 379 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है। शेष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इसकी उपलब्धता वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी-ग का तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने व प्रश्नकर्ता सदस्य श्री जोखू लाल यादव के उपस्थित न होने पर)

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो प्रश्नगत विषय है-------

(इसी बीच श्री जोखू लाल यादव जी सदन में उपस्थित हुये)

श्री जोखू लाल यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आ गया हूं, मेरा प्रश्न ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब हम आगे बढ़ गये हैं और अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, पीछे लौट आईये।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बंटने वाला मिड-डे-मील की गुणवत्ता सुधारने एवं विद्यालयों की जवाबदेही सुनिश्चित कराये जाने की मांग

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में बंटने वाला मिड-डे-मील काफी घटिया किस्म का होने के कारण जयसिंहपुर (सुल्तानपुर) के प्राथमिक विद्यालय मुंगर में पढ़ रहे विकास क्षेत्र कनरहिया गांव निवासी मुस्तकिम के दो बच्चे जाहिद अली 12 वर्ष

और सूफी 8 वर्ष की वर्ष 2009 के अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में मिड-डे- मील खाने से मौत हो गई तथा विद्यालय के और भी बच्चे बीमार हो गये ? यदि हां, तो क्या सरकार मिड-डे-मील की गुणवत्ता एवं विद्यालयों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। प्रश्नगत बच्चों की मृत्यु मिड-डे मील खाने से नहीं हुई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मेरा प्रश्न हो जाए फिर ले लीजिएगा। जो प्रश्नगत विषय है उसमें कौन सा जिला, कौन सा विद्यालय है, कौन सा गांव है, कौन सा विकास खण्ड है, सबका उल्लेख है और मेरी जानकारी के अनुसार यह घटना इतनी दुःखद है कि 22 या 24 बच्चे इससे प्रभावित हुए थे उस दिन के मिड-डे-मील खाने से और उसमें से 2 बच्चों की दुःखद मृत्यु भी हो गयी थी। सरकार का यह कहना है कि-जी नहीं। प्रश्नगत बच्चों की मृत्यु मिड-डे-मील खाने से नहीं हुई थी। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी स्पष्ट राय किस आधार पर बनी कि इन दो बच्चों की मृत्यु मिड-डे-मील खाने से नहीं हुई, तो फिर कैसे हुई ? माननीय मंत्री जी या सरकार किन कारणों से इस निश्चित धारणा पर पहुंची, क्या उनका पोस्टमार्टम कराया गया था जिसमें स्पष्ट हुआ हो कि जहरीला मिड-डे-मील खाने से मृत्यु नहीं हुई, आपके कहने का आधार क्या है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य चौधरी साहब जिन दो बच्चों की मृत्यु का जिक्र कर रहे हैं। एक बच्चा, सोफिया नाम की लड़की की मृत्यु 15-10-2009 को हो गयी। 23-10-2009 को समाचार-पत्रों में एक खबर आयी कि फलां स्कूल में खाने में कीड़े पाये गये। 23 तारीख में खबर आयी, इसका मतलब वह 22-10-2009 की खबर थी। 22-10-2009 को यह सही है कि खाने में जो सोयाबीन की गुटिया थी वह बनायी गयी, उसमें कीड़े पाये गये, तैरते देखे गये और प्रधानाध्यापक ने जब यह देखा तो उस खाने को फेंकवा दिया और उसे किसी भी बच्चे को खाने के लिये नहीं दिया गया। 22 तारीख को घटना हुई, बच्चे की मृत्यु 15 तारीख में अर्थात् 7 दिन पहले हो गयी थी, इससे स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन खाने से उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसी तरह से दूसरे बच्चे की मृत्यु 21-10-2010 को हुई है, 22 तारीख से एक दिन पहले उस बच्चे की मृत्यु हो गयी थी इसलिये मिड-डे-मील खाने से उन बच्चों की मृत्यु नहीं हुई है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भिज्ञ हैं और इस विषय में जानकारी रखते हैं, तमाम समाचार-पत्रों में और चैनल्स में इस बात की चर्चा होती है कि मिड-डे-मील का स्तर घटिया है। इस कारण बहुत से बच्चे मिड-डे-मील लेने से इन्कार कर देते हैं और बहुत से बच्चे इसलिये स्कूल नहीं पहुंचते कि कहीं इसका शिकार होकर बीमार न पड़ जायं। इसमें बहुत से कारण हैं। समाचार-पत्रों में आता है कि इसकी कन्वर्जन कास्ट पर्याप्त नहीं है कि अच्छी क्वालिटी

का भोजन दिया जा सके। बच्चों को बासी भोजन दिया जाता है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिड-डे-मील की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये, इसको सुधारने के लिये कन्वर्जन कास्ट में कोई तब्दीली लाने के लिये सरकार प्रयास कर रही है ताकि बच्चे बीमार न हों और उनको अच्छा भोजन मिले और स्कूल जाने का आकर्षण बना रहे क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

हमारी सरकार बनते ही माननीया बहन जी के निर्देशन में जो मिड-डे-मील में शिकायतें आती रहती थी उसके लिये आदेश कर दिया गया कि कोई भी तेल ऐसा नहीं होगा जो ब्रांडेड न हो। डिब्बाबंद तेल होगा आयोडीन युक्त नमक होगा। रसोई की साफ-सफाई होगी। हर तरह से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को सुचारु रूप से किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं कोई यदा कदा घटना हुई हो उसको संज्ञान में लेकर सरकार ने कार्यवाही की है। सरकार इस मामले में गम्भीर है।

श्री सुधीर कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री श्यामदेव राय चौधरी जी ने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जिन परिषदीय विद्यालयों में दूर अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे-छोटे बच्चे वहां पढ़ने के लिये आते हैं जो हमारे देश के भविष्य भी हैं उन बच्चों को जो मिड-डे-मील दिया जाता है। उस मिड-डे-मील के बारे में कहीं न कहीं हर जनपद में आये दिन शिकायतें आती रहती हैं इन शिकायतों का निस्तारण बड़े ही लापरवाह ढंग से किया जाता है। जहां से जिसके कोटे से राशन की आपूर्ति की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री सुधीर कुमार-

हमारे जनपद उन्नाव में सफीपुर ब्लाक में प्राथमिक विद्यालय पड़ता है भदनी में अभी 17 जुलाई को मध्याह्न भेजन खाने से कम से कम डेढ़-दो दर्जन बच्चे बीमार पड़ गये। वहां पर तीन महीने से मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा था।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री सुधीर कुमार-

वहां तीन महीने से भोजन नहीं बन रहा था। उसके बाद वहां पर ब्लाक के बी0 आर0 सी0, एस0 डी0 आई0 गये ...

श्री लालजी वर्मा-

माननीय सदस्य का अनुपूरक मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री सुधीर कुमार-

अगर कहीं पर ऐसी घटना होती है तो उस घटना के सापेक्ष जो कार्यवाही की जाती है उस कार्यवाही में प्रधान और शिक्षक ही दोषी करार दिया जाता है और उसका निलम्बन किया जाता है इसके अलावा अन्य लोग भी दोषी होते हैं उनकी भी भागीदारी होती है क्या उनके ऊपर कार्यवाही किये जाने की योजना बनाई जाएगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

अध्यक्ष जी, प्रधान द्वारा वह खाना बनाया जाता है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि खाना सही बने प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि वह खाना देखकर चखकर बताये कि खाना सही है कि नहीं तो जिसकी बनाने की जिम्मेदारी है, जिसकी चेक करने की जिम्मेदारी है उसी के खिलाफ तो कार्यवाही की जायेगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी पात्र बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था की जानकारी

*3-श्री हुकुम सिंह (अनुपस्थित)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी पात्र बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि हां, तो व्यवस्था का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था कब तक लागू कर दी जायेगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

भारत सरकार द्वारा 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' दिनांक 1-4-2010 से लागू किया गया है। अधिनियम के क्रियान्वयन का दायित्व भारत सरकार तथा राज्य सरकार का है। भारत सरकार से वित्त पोषण की व्यवस्था का निर्धारण नहीं हुआ है तथा इस हेतु प्रदेश को वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुयी है। इसके अतिरिक्त अध्यापकों की योग्यताओं के निर्धारण, अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण आदि हेतु भारत सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देशन भी प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार से वित्तीय सहायता एवं स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रदेश में बी0 एड0 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में लिये जाने की मांग

*4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0एड0 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में लिये जाने की क्या नीति है ? क्या विशिष्ट बी0टी0सी0 की भांति बी0एड0 डिग्री धारकों को समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश में बी0 एड0 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में लिये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं है। विशिष्ट परिस्थितियों में वर्ष 1998, 2004 एवं 2007 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा

परिषद् के अनुमोदनोपरान्त बी0 एड0, एल0 टी0, बी0 पी0 एड0, डी0 पी0 एड0, सी0 पी0 एड0, योग्यताधारी अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण कराकर सेवायोजित किया गया है।

एन0 सी0 टी0 ई0 द्वारा अग्रेतर विशिष्ट बी0 टी0 सी0 के चयन की अनुमति न दिये जाने के कारण प्रश्नगत समायोजन का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली 2006 के अन्तर्गत बी0 एड0 योग्यताधारी प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता नहीं रखते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रदेश के लगभग साढ़े तीन लाख-चार लाख बी0 एड0 बेरोजगारों से सम्बन्धित प्रश्न है। इसके पहले भी यह प्रश्न इस सदन में कई बार आया है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के पहले पैराग्राफ में बता दिया कि प्रदेश में बी0 एड0 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में लिये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं है। मान्यवर, सरकार का और व्यक्ति बहुत कुछ खर्च करके बी0 एड0 बनता है। एक तरफ तो सैकड़ों स्कूल शिक्षक के अभाव में बन्द हैं। यहां तक कि परिषदीय स्कूल भी मान्यवर, उसमें भी सरकार ने कई बार इस बात को स्वीकार किया कि 25 से 40 प्रतिशत स्कूल शिक्षकों के अभाव में बंद हैं और दूसरी तरफ साढ़े तीन लाख-चार लाख बी0 एड0 बेरोजगार हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वर्ष 1998, 2004 और 2007 में एक विशिष्ट व्यवस्था करके उन बी0 एड0 बेरोजगारों को या इस प्रकार के स्कूलों में खास तौर से ऐसे स्कूलों में वो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं मान्यवर, जो गरीब लोग हैं या आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं, ऐसे स्कूलों को खोलने की दृष्टि से इस नीति पर विचार करेंगे कि बी0 एड0 बेरोजगारों को रोजगार मिल जाय और वह स्कूल भी खुल जायं। केवल एक औपचारिकता पूरी करनी होगी मान्यवर सरकार को। अगर यह चाहें तो कर सकते हैं। यह इस नीति पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह एक सुझाव दिया है खन्ना जी ने।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट उत्तर इसका देना चाहता हूं और माननीय खन्ना जी भी इसके लिये सहमत होंगे कि सरकार बनते ही माननीया मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहिन कुमारी मायावती जी ने 88 हजार अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश दिया और उसमें हमने विशिष्ट बी0 टी0 सी0 के माध्यम से वही बी0 एड0 डिग्रीधारक जो थे उन्हें इसमें लेने का काम किया और उसके बाद क्योंकि हम अध्यापकों की नियुक्ति भारत सरकार के संस्थान (एन0 सी0 टी0 ई0) राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। 88 हजार अध्यापकों की नियुक्ति करने के बाद में 66 हजार अध्यापकों की विशिष्ट बी0 टी0 सी0 के माध्यम से नियुक्ति करने का अनुरोध फिर भारत सरकार के संस्थान एम0 सी0 टी0 से किया था जो भारत सरकार के संस्थान एम0 टी0 सी0 ने अमान्य कर दिया लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम

दोबारा फिर भारत सरकार को इस अनुरोध के साथ आवेदन भेज रहे हैं कि इसमें बी0 एड0 डिग्री धारकों को विशिष्ट बी0 टी0 सी0 के माध्यम से नियुक्ति दी जाय। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। 12.20 हो गया है, माननीय मंत्री जी।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

चलिये, एक मिनट और, आप कर लीजिये एक अनुपूरक।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हो गया है, यह सामने की घड़ी में 12.20 हो गया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, अभी समय बाकी है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब किसलिये। जब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया तो किसलिये ?

पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैलने वाले मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण हेतु योजना

*5-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से प्रत्येक वर्ष फैलने वाली (इन्सेफेलाइटिस), मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण हेतु शासन द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्द कुमार मिश्रा-

जी हां।

मस्तिष्क ज्वर पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत सरकार के साथ जे0 ई0 नियंत्रण कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अनुसार वाहक मच्छर पर नियंत्रण, जे0 ई0 टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोगियों के त्वरित उपचार की निःशुल्क व्यवस्था का प्राविधान, सभी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालयों पर किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा स्तर को उठाने की योजना

*6-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में निम्नांकित कार्यक्रम संचालित है :-

विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु 88,000 अध्यापकों की भर्ती की जा रही है, जिनमें से 70,000 अध्यापकों की तैनाती की जा चुकी है तथा शेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

विद्यालयों में अवथापना सुविधायें सुदृढ़ की गई हैं, जिसके अन्तर्गत नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित कराये गये हैं। विद्यालयों के विकास तथा रख-रखाव हेतु विद्यालय अनुदान दिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1-8 तक का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा तदनुसार पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण पूर्ण कर नवीन पाठ्यपुस्तकें लागू की जा चुकी हैं।

कक्षा 1-8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा कक्षा 1-5 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास के अवसर प्रदान करने के लिये निःशुल्क कार्य पुस्तिकायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षक सन्दर्शिकाएं अध्यापकों के उपयोगार्थ विकसित की जा रही है।

शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु वर्ष 2010-2011 में अधिगम अभिवृद्धि कार्यक्रम (लर्निंग एनहैन्समेण्ट प्रोग्राम) के अन्तर्गत सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत कक्षा-1 एवं 2 के बच्चों में पठन कौशल एवं गणितीय दक्षता विकास हेतु कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा-6 एवं 7 के बच्चों को प्रयोग, गतिविधि एवं प्रदत्त कार्यों के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने हेतु रुचिपूर्ण कार्यक्रम संचालित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु कार्यवाही

*7-श्री मदन चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु निम्नवत कार्यवाही की जा रही है:-

विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु 88,000 अध्यापकों की भर्ती की जा रही है, जिनमें से 70,000 अध्यापकों की तैनाती की जा चुकी है तथा शेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

विद्यालयों में अवथापना सुविधाएं सुदृढ़ की गई है, जिसके अन्तर्गत नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित कराये गये हैं। विद्यालयों के विकास तथा रख-रखाव हेतु विद्यालय अनुदान दिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1-8 तक का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा तदनुसार पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण पूर्ण कर नवीन पाठ्यपुस्तकें लागू की जा चुकी हैं।

कक्षा 1-8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा कक्षा 1-5 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास के अवसर प्रदान करने के लिए निःशुल्क कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन हेतु सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं तथा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षक सन्दर्शिकाएं अध्यापकों के उपयोगार्थ विकसित की जा रही है।

शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु वर्ष 2010-11 में अधिगम अभिवृद्धि कार्यक्रम (एल0ई0पी0) के अन्तर्गत सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत कक्षा-1 एवं 2 के बच्चों में पठन कौशल एवं गणितीय दक्षता विकास हेतु कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा-6 एवं 7 के बच्चों को प्रयोग, गतिविधि एवं प्रदत्त कार्यों के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने हेतु रुचिपूर्ण कार्यक्रम संचालित किया गया है।

कक्षा 1-8 तक के बच्चों के सतत् मूल्यांकन हेतु नवीन मूल्यांकन व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों का प्रावधान रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में क्षय रोगियों की पहचान हेतु योजना

*8-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में क्षय रोगियों की पहचान के लिये कोई कारगर योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रदेश में क्षय रोगियों की पहचान कर उपचार के लिए पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से चलाया जा रहा है। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में सम्भावित क्षय रोगियों का उपचार डाट्स प्रणाली द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नये बलगम धनात्मक क्षय रोगियों की खोज करना तथा नये बलगम धनात्मक रोंगियों को रोग मुक्त करना तथा निरन्तरता बनाये रखना है। कार्यक्रम में सम्भावित क्षय रोगियों के पंजीकरण, जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने की मांग

*9-डा0 अनिल चौधरी तथा श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में कुल कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं ? क्या सरकार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्तमान में कुल 178158 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं जिसमें से सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत 161110 शिक्षा मित्र तथा बेसिक शिक्षा निदेशालय के 17048 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

वर्तमान में नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध एवं सिन्थेटिक दूध से बने पदार्थों को बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

*10-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिबन्ध होने के बाद भी सम्पूर्ण प्रदेश में सिन्थेटिक दूध एवं सिन्थेटिक दूध से बने पदार्थ बेचे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु ठोस एवं स्थाई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध या उससे बने पदार्थ बेचे जाने की सूचना संज्ञान में नहीं है तथापि प्रदेश में सिन्थेटिक/अपमिश्रित दूध के निर्माण एवं विक्रय पर रोकथाम हेतु शासनादेश दिनांक 25-06-2007 एवं मिलावटी दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के निर्माण व विक्रय पर नियंत्रण हेतु सघन अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांकित 17-10-2008, 28-11-2008, 30-06-2009, 18-02-2010 एवं 07-07-2010 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य खाद्य निरीक्षकों एवं खाद्य निरीक्षकों की संयुक्त टीम गठित कर दूध की निर्माण इकाईयों, सम्बन्धित डेयरियों, दुग्ध संग्रह केन्द्रों तथा दुग्ध टैकरों की विशेष साप्ताहिक जांच कराये जाने संदिग्ध पाये जाने पर पुलिस व प्रशासन की सहायता से नियमित व छापामार तरीके से नमूने संग्रह किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिला प्रशासन एवं पुलिस के सक्रिय सहयोग से संदेहात्मक इकाईयों पर छापे डाले जाने एवं अपमिश्रण पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में कलेन्डर वर्ष 2009 में अपमिश्रित दूध एवं दुग्ध पदार्थ के मामलों में कुल 38 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 53 व्यक्तियों को एवं 01 जनवरी, 2010 से 31 जुलाई, 2010 तक 21 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध कराया गया।

प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने हेतु योजना

*11-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत वर्तमान में क्या है ? क्या साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने हेतु सरकार कोई कारगर योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 56.30 प्रतिशत है।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा 15 से अधिक वय वर्ग की निरक्षर महिला/पुरुषों को साक्षर करने के लिए ''साक्षर भारत मिशन-2012'' योजना तैयार की गयी है। उ0प्र0 के कुल 66 जनपदों को चयनित किया गया है जिनमें से 26 जनपदों की स्वीकृति अभी प्राप्त हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जल प्रपातों से वैकल्पिक ऊर्जा बनाने को कार्य योजना

*12-श्री प्रदीप माथुर-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा सृजित किये जाने हेतु गतिवान वायु बिन्दु तथा नहरों पर उपलब्ध जल प्रपात कहां-कहां पर उपलब्ध है ? क्या इनसे वैकल्पिक ऊर्जा बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विण्ड पावर तथा नहरों पर वर्टिकल माइक्रोहाइडिल स्थापित करने हेतु कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अकबर हुसैन)-

प्रदेश में पवन ऊर्जा से वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन किये जाने हेतु ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, आगरा, इटावा और बदायूं में विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया किन्तु उपयुक्त पवन ऊर्जा घनत्व नहीं पाया गया। प्रदेश में 38 स्थानों पर नहरों पर जल प्रपात उपलब्ध हैं जिनकी सूची संलग्न[†] है।

प्रदेश में पवन ऊर्जा से वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन हेतु कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार उपयुक्त वायु वेग उपलब्ध न होने के कारण पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कोई योजना वर्तमान में नहीं है। जल प्रपातों से वैकल्पिक ऊर्जा बनाने की परियोजनाएं निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से विकसित किये जाने की कार्य योजना बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पवन ऊर्जा से वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन हेतु कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार उपयुक्त वायु वेग उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्य योजना सम्भव नहीं है तथा नहरों पर उपलब्ध लो-हेड के अन्तर्गत माइक्रोहाइडिल परियोजनायें लगाने की योजना है जिसके अन्तर्गत यू0पी0 नेडा द्वारा 15 मेगावाट तक की माइक्रोहाइडिल परियोजनायें निजी विकासकर्ताओं के माध्यम

[†] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 233-234 पर।)

से स्थापित की जानी है। परियोजना की स्थिति के अनुसार हरिजेन्टल एवं वर्टिकल टरबाइन स्थापित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

*13-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[दूसरे शुक्रवार के तारां0प्रश्नसं0-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*14-डा0 पी0 के0 राय-

[पहले शुक्रवार के तारां0प्रश्नसं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद सिद्धार्थनगर के जवाहरलाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज नौगढ़ में प्रवक्ता हिन्दी के एक ही पद के सापेक्ष दो लोगों को वेतन भुगतान की जानकारी

1-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के जवाहरलाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज नौगढ़ में प्रवक्ता हिन्दी के एक ही पद के सापेक्ष दो लोगों को वेतन भुगतान दिनांक 07-07-1982 से दिनांक 30-6-2008 तक किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने निर्णय दि0 25-3-1994 एवं 10-5-1994 को एक ही पद का वेतन भुगतान का आदेश किया है ? यदि हां, तो क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

श्री राजमणि पाण्डेय को दिनांक 18-11-81 से 02-05-82 तक तथा 07-07-82 से 30-06-07 तक और श्री त्रिलोकी नाथ मिश्र को दिनांक अप्रैल, 94 से 30-06-02 तक जवाहरलाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, नौगढ़ प्रवक्ता हिन्दी के एक ही पद के सापेक्ष वेतन भुगतान किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25-03-94 के अनुसार श्री त्रिलोकी नाथ मिश्र को प्रवक्ता पद का वेतन भुगतान किया जाना था और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10-05-94 से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं।

दोषी जिला विद्यालय निरीक्षक तथा लेखाधिकारी, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती

2-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार शिक्षकों के अभाव में बन्द पड़े विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती कर शिक्षण कार्य चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

कोई विद्यालय बन्द नहीं है।

76,861 शिक्षकों की तैनाती हो चुकी है। सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के निर्माणाधीन भवन की टी0 ए0 सी0 जांच

3-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम नहरवल थाना रामपुर मथुरा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भवन निर्माण निर्माणाधीन एजेन्सी/ठेकेदारों द्वारा निम्न स्तर का कराये जाने व मानक व गुणवत्ता के विपरीत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-11-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त भवन निर्माण में मानक से कम नींव भरी गई है तथा 150 बोरी सीमेंट बेंची गई जिसमें क्रेता दिनेश आदि का चालान भी हुआ है, जिसका मु0अ0सं0-213/09 धारा 41/411 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी ठेकेदार व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के प्रकरण की टी0ए0सी0 जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रामपुर मथुरा की स्वीकृति वर्ष 2008-09 में पंचम चरण में प्राप्त हुयी थी। उक्त विद्यालय भवन का निर्माण समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा कराये जाने का निर्णय जनपद स्तर से लिया गया एवं तदनुसार समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य अधोमानक होने के सम्बन्ध में टी0 ए0 सी0 जांच की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी के प्राथमिक विद्यालय रायचन्द्र पट्टी के सहायक अध्यापक श्री श्रीराम सरोज सहायक का निलम्बन व विभागीय कार्यवाही

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के वि0खं0 पट्टी के प्राथमिक विद्यालय रायचन्द्र पट्टी में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप कार्य न कराये जाने के दोषी कार्य प्रभारी अध्यापक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या-1105/अ0सं0/09, दिनांक 6-8-09 एवं 488/आ0सं0/08, दिनांक 14-11-08 प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

सहायक निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रकरण की जांच करायी गयी थी। जांच के आधार पर दोषी श्री श्रीराम सरोज सहायक अध्यापक को रु0 30765/- को शासकीय खाते में जमा करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु दोषी द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण दिनांक 03-7-2010 को निलम्बित किया गया। विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा रायचन्द्र पट्टी वि0 खं0 पट्टी के भवन निर्माण में की गई गड़बड़ी की जांच

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा रायचन्द्र, पट्टी वि0खं0 पट्टी के भवन निर्माण भू-कम्परोधी कक्ष तथा मध्याह्न भोज इत्यादि में की गई गड़बड़ी की जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-877/आ0सं0/09, दिनांक 26-3-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या मुख्यालय द्वारा स्थलीय जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जी हां। सहायक निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रकरण की जांच करायी गयी थी।

जांच के आधार पर दोषी श्री श्रीराम सरोज सहायक अध्यापक को रु0 30765/- को शासकीय खाते में जमा करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु दोषी द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण दिनांक 03-7-2010 को निलम्बित किया गया। विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के भविष्य निधि एवं जी0 पी0 एफ0 कटौती की जानकारी

6-श्री सतीश महाना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 अप्रैल, 2005 के पश्चात् सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों पर भविष्य अंशदायी निधि योजना लागू है ? यदि हां, तो क्या उनके जी0पी0एफ0 की कटौती की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों की पेंशन गणना में असहायता प्राप्त अवधि अर्हकारी योजना में जोड़ने की जानकारी

7-श्री सतीश महाना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त विद्यालयों की पेंशन गणना में असहायता प्राप्त अवधि अर्हकारी योजना में जोड़ी जाती है ? यदि हां, तो क्या असहायता अवधि के प्रबन्धकीय अंशदान जमा करने हेतु मूल शासनादेश दिनांक 05 जनवरी, 1996 के समय

में वृद्धि की गई है ? यदि नहीं, तो क्या शिक्षा निदेशालय का प्रबन्धकीय अंशदान जमा कराने हेतु कोई प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0 खं0 सुजानगंज में ग्राम अंजिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होने की जानकारी

8-श्रीमती सीमा द्विवेदी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के वि0खं0 सुजानगंज में वर्ष 2007-2008 में शिक्षा समिति के माध्यम से प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम अंजिया में जू0हा0 हेतु प्रस्ताव दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका शिलान्यास अथवा उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक द्वारा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में निर्माण हेतु स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण विगत वर्ष में ही पूर्ण हो गया है तथा विद्यालय संचालित है। अतः अब इस विद्यालय का शिलान्यास अथवा उद्घाटन कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में मोअल्लिम-ए-उर्दू योग्यताधारी तथा जनपद सीतापुर में एल0टी0 योग्यताधारी अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 1978 एवं संशोधित नियमावली के अन्तर्गत सहायक अध्यापकों के पद के लिये न्यूनतम अर्हता स्नातक एवं राज्य सरकार या परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण बी0एड0 उपाधि निर्धारित है ? यदि हां, तो जनपद मऊ में मोअल्लिम-ए उर्दू योग्यताधारी तथा जनपद सीतापुर में एल0टी0 योग्यताधारी अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान किस नियम के अन्तर्गत किया जा रहा है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

शासनादेश संख्या-1732/15-5-2002-400(38) 2002, दिनांक 24 अप्रैल, 2002 के बिन्दु 5 के आधार पर किया जा रहा है। एल0 टी0 प्रशिक्षण बी0 एड0 प्रशिक्षण के समकक्ष है।

प्रदेश के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में छात्र संघों के गठन की मांग

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आगामी सत्र 2010-2011 में छात्र संघों का गठन किया जायेगा ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रकरण में अन्तिम निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नकली दूध, घी एवं मिलावटी खाद्य सामग्री को रोकने हेतु उपाय

11-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में नकली दूध, घी के कारोबार को रोकने हेतु सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने हेतु कोई कानून बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में नकली दूध/घी के कारोबार पर रोक लगाये जाने के निमित सतत् रूप से प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही से की जा रही है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों/जिला अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को नमूना संग्रह, निरीक्षण, जांच की कार्यवाही प्रभावी ढंग से किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 व तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 में मिलावट को रोकने हेतु व्यापक प्राविधान पूर्व से ही विद्यमान है।

प्रदेश में कक्षा-8 तक सभी बच्चों को अनिवार्य/निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की योजना

12-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कक्षा-8 तक सभी बच्चों के लिये अनिवार्य/निःशुल्क शिक्षा योजना लागू कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

भारत सरकार द्वारा निर्गत 'बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के सभी पात्र बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था हेतु

'उ0 प्र0 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2010' के प्रख्यापन की कार्यवाही गतिमान है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

13-श्री उदयभान करवरिया-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त अध्यापकों/प्रधान अध्यापकों को 6वें वेतन आयोग के एरियर के भुगतान की जानकारी

14-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर वित्त पोषित विद्यालयों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों/प्रधान अध्यापकों को 6वें वेतन आयोग के तहत पेंशन तथा एरियर का भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर वित्त पोषित विद्यालयों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन तथा एरियर के भुगतान हेतु राजाज्ञा संख्या-625/79-6-2010 दिनांक 22 जुलाई, 2010 निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को वेतन भुगतान किये जाने की मांग

15-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल के अन्तर्गत दिसम्बर, 2006 में अनुदान सूची पर लिये गये विद्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनुमोदित एवं नियमित रूप से कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या अन्य मण्डलों की भांति बरेली मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को भी वेतन भुगतान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

याचिका संख्या-57868/06 तिलक सिंह बनाम स्टेट में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल सृजित पदों के सापेक्ष अर्ह, विहित प्रक्रिया द्वारा नियुक्त एवं अनुमोदित तथा नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों को ही भुगतान किया जा सकता है।

परीक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि केवल सृजित पदों के सापेक्ष अर्ह, विहित प्रक्रिया द्वारा नियुक्त एवं अनुमोदित तथा नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों को ही वेतन भुगतान किया जा सकता है।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में आटो एनालाइजर आर0ए0-1000 मशीन के क्रय करने की मांग

16-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के दूसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-13 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में आटो एनालाइजर आर0ए0-1000 मशीन जो निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी है, के स्थान पर क्या उपरोक्त क्षमता की नई मशीन क्रय की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई एनालाइजर आर0ए0-1000 मशीन क्रय करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी मशीन के स्थान पर उपरोक्त क्षमता की आटो एनालाइजर मशीन टरगा-2000 दिनांक 08-04-2010 को स्थानान्तरित कर दी गयी है।

निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी मशीन के स्थान पर आटो एनालाइजर मशीन टरगा-2000 दिनांक 08-04-2010 को स्थानान्तरित कर दी गयी है। अतः नई मशीन का क्रय किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

17-श्री लालजी यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत कितने प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय संचालित हैं ? क्या उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो उक्त विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की कब तक नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद सिद्धार्थनगर स्थित विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत 112 प्राथमिक विद्यालय एवं 38 पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित है।

विधान सभा क्षेत्र बांसी में 46 प्रधानाध्यापक एवं 39 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं तथा पैराटीचर के रूप में 198 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। सृजित पदों के सापेक्ष अध्यापकों की कमी के

कारण रिक्त पदों पर विशिष्ट बी0टी0सी0/बी0टी0सी0 शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों/स्टाफ की नियुक्ति की मांग

18-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी के कारण अस्पताल का कार्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सकों/स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा गया है। आयोग से चयन/संस्तुतियां प्राप्त होने तथा प्रोन्नति के उपरान्त चिकित्सकों के रिक्त पदों को यथा उपलब्धता भरा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के डायट में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

19-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त डायटों में ''काम चलाऊ'' शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो जनपद शाहजहांपुर के डायट में उक्त नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

डायटों में काम चलाऊ शिक्षकों की व्यवस्था हेतु निर्गत शासनादेश सं0-1274/15-11-07-06(12)/07, दिनांक 27/28-11-07 को अतिक्रमित करते हुए शासनादेश सं0-430/15-11-10, दिनांक 20-5-2010 द्वारा शिक्षकों को संविदा पर रखे जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-6-2010 द्वारा स्थगित किये जाने के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए अग्रेतर कार्यवाही अवरुद्ध है।

वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगनादेश को दृष्टिगत रखते हुए नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही अवरुद्ध है।

जनपद इलाहाबाद में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शुल्क वृद्धि पर अंकुश लगाने की योजना

20-श्री उदयभान करवरिया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों द्वारा बेतहाशा शुल्क वृद्धि की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर अंकुश लगाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

कतिपय विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि की गयी है।

शासनादेश संख्या-1719/15-7-09-10(107)/2006, दिनांक 29-6-2009 द्वारा शुल्क निर्धारण एवं शुल्क नियमन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[विस्तीर्णता एवं एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर, विधान सभा क्षेत्र तेलीबाग के कतिपय मोहल्लों के निवासियों हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की मांग

22-श्री उदयराज-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरोजनी नगर, विधान सभा क्षेत्र के तेलीबाग खरिका नेपालगंज लौगा खेड़ा, पसियाना, बंगाली खेड़ा, सुभानी खेड़ा तथा पुराना व वृन्दावन योजना तेलीबाग पिपरौली आदि मोहल्लों के निवासियों को क्या सरकार चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

सरोजनी नगर, विधान सभा क्षेत्र के तेलीबाग खरिका, नेपालगंज, लौगाखेड़ा, घसियाना, बंगालीखेड़ा, सुभानीखेड़ा तथा पुराना व वृन्दावन योजना तेलीबाग, पिपरौली आदि मोहल्लों के निवासियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरठिया संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में फखरुद्दीन राजकीय महाविद्यालय के भवन के निर्माण की जानकारी

23-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फखरुद्दीन राजकीय महाविद्यालय सीतापुर के भवन निर्माण हेतु भूमि का अर्जन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो अर्जन का काम पूर्ण कर महाविद्यालय के भवन के निर्माण का कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, सीतापुर को निर्देश दिया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र भवन निर्माण पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के गांधी फैजाम (महाविद्यालय) कालेज में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्राचार्य नियुक्त करने की नीति क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में कितने अल्पसंख्यक महाविद्यालय ऐसे हैं, जहां पर स्थाई प्राचार्य नहीं हैं ? क्या यह सही है कि शाहजहांपुर के गांधी फैजाम (महाविद्यालय) कालेज में पिछले 28 वर्षों से स्थाई प्राचार्य नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

प्रदेश स्थित सभी अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य की नियुक्ति प्रबन्धतंत्र द्वारा की जाती है।

जी नहीं।

शासन के पत्र संख्या-939/सत्तर-2-2010-5(1)/2010, दिनांक 06-05-2010 द्वारा महाविद्यालय प्रबन्ध समिति को प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यवाही वांछित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0पी0 कालेज प्रतापगंज, जौनपुर में नियम विरुद्ध नियुक्ति संबंधी प्रकरण पर कार्यवाही

25-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 के तीसरे मंगल हेतु निर्धारित श्री आरिफ अनवर हाशमी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0-56 के उत्तर के संबंध में क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी0पी0 कालेज प्रतापगंज जौनपुर में नियम विरुद्ध नियुक्ति संबंधी प्रकरण में कब और क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

श्री विजय कुमार उपाध्याय प्रवक्ता, सैन्य विज्ञान का विनियमितीकरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा वर्ष 1998 में कर दिया गया है। श्री विनोद कुमार उपाध्याय को आशुलिपिक पद पर गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन का अनुमोदन उप शिक्षा निदेशक (पंचम मण्डल), वाराणसी के पत्र दिनांक 22-01-1986 द्वारा कर दिया गया है। श्री विनय कुमार उपाध्याय, पुस्तकालय लिपिक की नियुक्ति का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के ब्लाक बक्शा के तेजी बाजार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने की मांग

26-श्री उदयराज-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक बक्शा के तेजी बाजार से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 10 से 15 किमी0 दूर स्थित होने के कारण

स्थानीय लोगों को आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार तेजी बाजार में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एक विकास खण्ड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का मानक है।

जनपद जौनपुर के ब्लाक बक्शा की ग्राम पंचायत शंकरगढ़ के ग्राम अटरा के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के नियुक्ति की मांग

27-श्री उदयराज-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक बक्शा की ग्राम पंचायत शंकरगढ़ के ग्राम अटरा में स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक/सहायकों के पद रिक्त होने से छात्रों के पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

नियुक्ति कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के ब्लाक सिकन्दराराऊ व हंसायन के प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जानकारी

28-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति का मानक क्या है ? क्या जनपद महामायानगर के ब्लाक सिकन्दराराऊ व हंसायन के प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षक नियुक्त हैं ? यदि हां, तो किन-किन प्राथमिक विद्यालयों में ? यदि नहीं, तो क्या सरकार छात्र संख्या के आधार पर मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति का मानक 40:1 का है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-इलाहाबाद, तहसील बारा के विकास खण्ड शंकरगढ़ में पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों की चिकित्सा सुविधा

29-श्री उदयभान करवरिया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद, तहसील बारा के विकास खण्ड शंकरगढ़ में पत्थर तोड़ कर परिवार का पालन पोषण करने वाले मजदूरों को टी0बी0 एवं सिलकौसिस के उपचार हेतु सरकार द्वारा चिकित्सा के क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे मजदूरों की पहचान कर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद-इलाहाबाद, तहसील बारा के विकास खण्ड शंकरगढ़ में पत्थर तोड़कर परिवार का पालन पोषण करने वाले मजदूरों को टी0बी0 एवं सिलकौसिस के सम्भावित मजदूरों की जांच तथा उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शंकरगढ़ में बलगम जांच केन्द्र बनाया गया है एवं एक्सरे की सुविधा प्रदान की गयी है तथा दवायें उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति

30-श्री राधेश्याम गुप्त-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो चिकित्सकों के रिक्त पद कब तक भर लिये जायेंगे ? क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

चिकित्सकों की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति या पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जाती है। वर्ष 2010 में प्रदेश में कुल 1689 चिकित्सकों को नियुक्ति प्रदान की गयी है।

जनपद-जौनपुर में जयहिन्द इण्टर कालेज तेजी बाजार में रिक्त लेक्चरर के पदों हेतु अधियाचना

31-श्री उदयराज-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर में जयहिन्द इण्टर कालेज तेजी बाजार में लेक्चरर के 6 पद तथा सहायक अध्यापक के 13 पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु वर्ष 2009 में विद्यालय द्वारा आयोग को अधियाचन भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद-जौनपुर में जयहिन्द इण्टर कालेज तेजी बाजार में सीधी भर्ती के अन्तर्गत प्रवक्ता के 05 पद तथा सहायक अध्यापक के 11 पद सम्प्रति रिक्त चल रहे हैं।

जी नहीं। वर्ष 2009 में विद्यालय द्वारा उक्त पदों हेतु कोई अधियाचना उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त पदों को भरने हेतु सम्बन्धित संस्था से जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर को दिनांक 30-06-2010 को अधियाचन प्रेषित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर द्वारा चयन बोर्ड को अधियाचन दिनांक 19-07-2010 को भेज दिया गया है।

नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर यथासमय नियुक्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के बापू भवन स्थित डिस्पेंसरी में एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध कराने की मांग

32-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सचिवालय के बापू भवन स्थित डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस, अल्ट्रासाउण्ड, एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

उत्तर प्रदेश सचिवालय के बापू भवन स्थित डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस/अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध एवं क्रियाशील है। एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में डिस्पेंसरियों में एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध कराने का मानक नहीं है।

महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, देवरिया में कार्यरत परिचारकों के वेतन भुगतान विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

33-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 19-03-10 जो महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज देवरिया में कार्यरत परिचारकों के वेतन भुगतान विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 08-07-2010 को निर्णीत हुआ है। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त अशासकीय स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धनराशि लिये जाने की जानकारी

34-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त अशासकीय स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न विषयों के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धनराशि देने हेतु छात्रों/अभिभावकों को बाध्य किया

जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्धारित नीति का लाभ छात्रों/अभिभावकों को दिलाने हेतु कोई पारदर्शी नीति बनाकर लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय/वेतन के भुगतान की जानकारी

35-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदन होता है ? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितने वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय हैं और उनमें शिक्षा विभाग द्वारा मान्य कितने शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उन्हें शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अन्तर्गत कुशल श्रमिक के लिये निर्धारित मानदेय/वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निजी नर्सिंग होम एवं चिकित्सकों में होने वाले टेस्टों, कमरों का किराया आदि हेतु अधिकतम दरें निर्धारित करने का विचार

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों के लिए पैथालोजिकल टेस्ट/रेडियोलॉजिकल टेस्ट फीस तथा आपरेशन फीस, कमरे का किराया आदि की अधिकतम दरें निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

राज्य के निजी नर्सिंग होम एवं चिकित्सालयों हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य विधि आयोग की संस्तुति एवं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक ड्राफ्ट अधिनियम पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली

37-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी नहीं। अनुपालन हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे कोचिंग संस्थाओं द्वारा मनमाने शुल्क पर नियंत्रण की मांग

38-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोचिंग कक्षायें चलाने वाली संस्थाओं द्वारा छात्रों से लिये जाने वाले मनमाने शुल्क पर नियंत्रण हेतु सरकार की कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर नियंत्रण हेतु कोई कानून बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

जी नहीं।

कोचिंग संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता/अनुदान नहीं दिया जाता है। अतः कोचिंग संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर नियंत्रण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अन्य सरकारी अध्यापकों की भांति सुविधा दिये जाने की मांग

39-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों को नियमित किये जाने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शिक्षा मित्रों को अन्य सरकारी अध्यापकों की भांति सुविधाएं दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा मित्रों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण है तथा इन्हें संविदा पर नियत मानदेय के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा एक शैक्षिक सत्र के लिए अनुबन्धित किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के पदों के सापेक्ष नियुक्त नहीं किया जाता है। अध्यापकों का संवर्ग नियमित एवं स्थायी है जिसमें शिक्षा मित्र सम्मिलित नहीं हैं। अतः शिक्षा मित्रों को सरकारी अध्यापकों की भांति सुविधाएं अनुमन्य किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद आजमगढ़ में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

40-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पदों पर चिकित्सक तैनात हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद आजमगढ़ में चिकित्सकों के कुल 262 पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में 173 पदों पर चिकित्सक तैनात हैं।

जी हां।

प्रदेश के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेजा गया है। आयोग से चयन/संस्तुतियां प्राप्त होने तथा प्रोन्नति के उपरान्त चिकित्सकों के रिक्त पदों को यथा उपलब्धता भरा जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के राजकीय चिकित्सालय जीयनपुर में मानक के अनुसार चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती

41-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में स्थित 30 शैय्यायुक्त राजकीय चिकित्सालय जीयनपुर में मानक के अनुसार चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बुलन्दशहर के ग्राम लोहमरा वि0खं0 अगौता की प्राइमरी पाठशालाओं की चहारदीवारी कराने की मांग

42-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अगौता, जनपद-बुलन्दशहर के ग्राम लोहमरा वि0खं0 अगौता की प्राइमरी पाठशाला जो सड़क के किनारे स्थित है, में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहरदीवारी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद-बुलन्दशहर के विकास क्षेत्र अगौता में प्राथमिक विद्यालय लोहगरा नं-1 एवं प्राथमिक विद्यालय लौहगरा नं0-2 वर्तमान में चहारदीवारी विहीन है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में किसी भी जनपद हेतु भारत सरकार द्वारा चहारदीवारी स्वीकृत नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव

43-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मानक के अनुरूप कितनी ऐसी बस्तियां हैं, जिनमें प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? इस कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपदों द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2010-11 में दी गयी सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मानक के अनुसार 5189 बस्तियां प्राथमिक विद्यालय से तथा 2037 बस्तियां उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में भारत सरकार को 2235 प्राथमिक विद्यालय तथा 1676 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा गया था। भारत सरकार से प्रदेश हेतु वर्ष 2010-11 में 1126 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के पोस्ट ककरा में विद्यालय भवन का निर्माण कराकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

44-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में वर्ष 2008-09 में कितने जूनियर हाई स्कूलों के नये भवन बनकर उनमें पढ़ाई प्रारम्भ हो चुकी है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पो0 ककरा में जूनियर हाई स्कूल का भवन अभी तक निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्ष 2008-09 में शाहजहांपुर नगर हेतु कोई नवीन भवन स्वीकृत नहीं हुआ है।

जी हां।

अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर विद्यालय भवन यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। उक्त भवन में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराकर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है।

अतिरिक्त धनराशि की उपलब्धता पर यथाशीघ्र।

जनपद शाहजहांपुर में ट्रामा सेन्टर खोलने एवं चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की मांग

45-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल शाहजहांपुर को ट्रामा सेन्टर सहित 300 शैय्याओं का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 12 साल के होने के बाद भी मशीनें उपलब्ध होने के बाद भी 300 शैय्याओं का अस्पताल नहीं बन सका है एवं स्वीकृत पदों के अनुसार डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी नहीं

हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको 300 शैय्याओं का अस्पताल बनाकर चिकित्सकों/स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। (ट्रामा सेन्टर के अतिरिक्त) 300 शैय्याओं का अस्पताल निर्मित और स्थापित है। चिकित्सक के कुल स्वीकृत 44 पदों के सापेक्ष 22 तथा पैरामेडिकल कुल स्वीकृत 36 पदों के सापेक्ष 20 कार्मिक विभाग में उपलब्धता के आधार पर तैनात/कार्यरत हैं।

प्रदेश में चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और उपलब्ध मानव संसाधन के दृष्टिगत यह प्रयास किया जाता है कि कोई भी चिकित्सालय चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ विहीन न रहे। स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध होने पर तैनाती किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

46-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 09-08-2010 को अता0प्रश्न सं0-133 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में हार्ट, किडनी एवं लीवर आदि गम्भीर बीमारियों से ग्रसित गरीब रोगियों के उपचार की व्यवस्था

47-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हार्ट, किडनी एवं लीवर कैंसर आदि गम्भीर बीमारियों में ग्रसित गरीब मरीज जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है, के इलाज की नीति क्या है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि वर्ष 2007-2008-2009 में उक्त गम्भीर बीमारियों के कितने रोगी प्रकाश में आये ? क्या ऐसे गरीब रोगियों का सम्पूर्ण इलाज सरकारी खर्चे पर कराने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में हार्ट किडनी एवं लीवर, कैंसर आदि गम्भीर बीमारियों में ग्रसित गरीब मरीज जिनका नाम बी0 पी0 एल0 सूची में नहीं है, के उपचार हेतु राज्य आरोग्य निधि के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-848/पांच-1-2008-4 (51)/08, दिनांक 03-04-2008 के प्रस्तर-5 में व्यवस्था दी गयी है कि बी0 पी0 एल0 कार्ड न होने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र पात्रता निर्धारण के लिये पर्याप्त समझा जायेगा जिसमें प्रतिबंध यह है कि सम्बन्धित रोगी के परिवार की आय समस्त स्रोतों से रु0 24,000/- वार्षिक से अधिक न हो अथवा तत्समय बी0 पी0 एल0 कार्ड के लिये विनिश्चत धनराशि के समतुल्य हो।

ऐसे रोगियों का पृथक से चिकित्सालयों में पंजीकरण नहीं किया जा रहा है।

उक्त शासनादेश दिनांक 03-04-2008 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत सरकारी खर्चे पर उपचार की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त डायटों में काम चलाऊ शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश

48-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त डायटों में ''काम चलाऊ'' शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या जनपद शाहजहांपुर के डायट में नियुक्तियों का विज्ञापन माह जनवरी, 2008 में प्रकाशित हुआ था ? यदि हां, तो उक्त विज्ञापन के अनुसार अब तक डायट शाहजहांपुर में नियुक्तियां न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त नियुक्तियों को पूर्ण कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

डायटों में काम चलाऊ शिक्षकों की व्यवस्था हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1274/15-11-07-06(12)/07, दिनांक 27/28-11-07 को अतिक्रमित करते हुये शासनादेश सं0-430/15-11-10, दिनांक 20-5-2010 द्वारा शिक्षकों को संविदा पर रखे जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-6-2010 द्वारा स्थगित किये जाने के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये अग्रेतर कार्यवाही अवरुद्ध है।

जी हां।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शाहजहांपुर में ''काम चलाऊ'' शिक्षकों के कुल 14 रिक्त पदों के सापेक्ष 14 अर्ह आवेदन प्राप्त हुये थे, जिसमें से कला, मनोविज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, कृषि, व्यायाम, कम्प्यूटर विषयों हेतु योग्य अध्यापकों के आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुये थे, जिसके कारण चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिये जाने की मांग

49-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सा विभाग के कितने चिकित्सक दिनांक 01-01-2006 से दिनांक 7-12-2008 के मध्य अपनी 20 वर्ष की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हुए हैं ? इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने की वर्तमान नीति क्या है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्त छठे वेतन आयोग का लाभ देते हुए पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों/चिकित्सकों को भी उपरोक्त पेंशन का लाभ प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

कोई नहीं।

वर्तमान में शासनादेश दिनांक 08-12-08 द्वारा अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा को संशोधित करके पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा निर्धारित की गयी है।

जी हां।

शासनादेश दिनांक 08-12-08 द्वारा उक्त लाभ प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिये जाने की मांग

50-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो छठे वेतन आयोग का लाभ उन्हें कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ राजाज्ञा संख्या-625/79-6-2010, दिनांक 22 जुलाई, 2010 द्वारा दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी की इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों की जांच

51-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी का पत्र दिनांक 28-3-2009 के क्रम में राज्यपाल सचिवालय उ0 प्र0 के पत्र संख्या-जी-1412/जी0एस0 दिनांक 28-4-09 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र में इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी जिला शाखा वाराणसी के पूर्व शासकीय सचिव, डा0 एम0एन0 यादव व कोषाध्यक्ष के0सी0 श्रीवास्तव द्वारा किये गये लगभग 21 लाख रुपये की अनियमितता की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रस्तर-7 के अन्तर्गत डा0 एम0 एन0 यादव के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई जिसमें आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांकित 03 फरवरी, 2010 प्राप्त हुई। जांच अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। फलस्वरूप सम्यक् विचारोपरान्त डा0 एम0 एन0 यादव के विरुद्ध संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिया गया है।

जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा श्री के0 सी0 श्रीवास्तव, पूर्व कोषाध्यक्ष, इण्डियन रेडक्रास सोसायटी शाखा वाराणसी के विरुद्ध ''कारण बताओ नोटिस'' निर्गत कर उनका जवाब मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में समस्त प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति

52-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर में समस्त प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापक नियुक्त हैं व सभी विद्यालय खुले हैं ? यदि नहीं, तो बन्द विद्यालयों को कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डीय राजकीय चिकित्सालय में ''रोगी कल्याण समिति'' का गठन, पंजीकरण एवं प्रतिनिधियों के बैठक की जानकारी

53-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डीय राजकीय चिकित्सालय में ''रोगी कल्याण समिति'' का गठन कर उसका पंजीकरण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति अस्तित्व में है ? यदि हां, तो किन-किन वर्षों में उक्त समिति की कितनी बैठकों का आयोजन किया गया ? क्या नियमानुसार जनप्रतिनिधियों को भी उक्त सभी बैठकों में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन जवाबदेह है और क्या उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक क्रमशः 1, 2, 3, 4 एवं 2 बैठकों का आयोजन किया गया।

जी हां।

समस्त नामित प्रतिनिधियों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिये सूचति किया गया।

प्रत्येक बैठक आहूत के लगभग एक सप्ताह पूर्व।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर में वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति

54-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-162/रालोद/विमदल/विस/2010 दिनांक 8 मार्च, 2010 जो जनपद-महामायानगर में वित्त

एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

श्री महिमा चन्द्र, वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत मुरादाबाद की तैनाती वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, महामायानगर के पद पर की गई है।

प्रदेश में अगले शिक्षा सत्र में महाविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव करवाने की मांग

55-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगले शिक्षा सत्र, 2010-11 में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ0 प्र0 इलाहाबाद में कार्यरत श्रीमती नीरजा भार्गव प्रवक्ता की सेवा में उनके द्वारा की गई सहायक अध्यापिका की सेवाओं को जोड़ने की मांग

56-श्री जोखू लाल यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती नीरजा भार्गव वर्तमान में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ0 प्र0 इलाहाबाद में प्रवक्ता राजपत्रित पद पर दिनांक 8-11-94 से कार्यरत हैं। श्रीमती नीरजा भार्गव ने दिनांक 7-8-73 से 7-11-94 तक अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था, बसन्त कन्या महाविद्यालय (इण्टर विभाग) कमच्छा, वाराणसी में सहायक अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम के पद पर कार्य किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्रीमती नीरजा भार्गव द्वारा सहायक अध्यापिका के पद पर की गयी सेवाओं को जोड़ने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

जी हां।

जी हां।

जी हां। प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ के कर्मचारियों के वेतन एरियर के भुगतान की मांग

57-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0 प्र0 शासन शिक्षा अनुभाग-10 लखनऊ को उ0 प्र0 सैनिक स्कूल के कर्मचारियों के वेतन एरियर 1-1-1996 से 31-8-2000 तक का भुगतान किये जाने विषयक प्रधानाचार्य, उ0 प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ का पत्र सं0-127/2स्था0-07 दिनांक 30 जुलाई, 2008

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि है नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

जी हां।

वेतन समिति (1997-99) की संस्तुति पर लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग की सहमति के आधार पर स्वशासी संस्था उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ दिनांक 01 सितम्बर, 2000 से दिये जाने की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 17 मई, 2003 द्वारा प्रदान की गयी है। चूंकि पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ दिनांक 01 सितम्बर, 2000 से दिये जाने का निर्णय लिया गया है, अतः पुनरीक्षण के आधार पर दिनांक 01-01-96 से दिनांक 31-8-2000 तक के एरियर के भुगतान का औचित्य नहीं बनता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मैनपुरी में सरकार द्वारा पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 भवन निर्माण एवं चिकित्सकों की तैनाती

58-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में सरकार द्वारा नयी पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन केन्द्रों पर डाक्टरों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जिन पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 का भवन निर्माण कराया गया है वहां पर उसी स्थान पर पूर्व में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी एवं स्टाफ कार्यरत हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ओन्छा की स्थापना का आदेश निर्गत हुआ है, वहां पर चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की मांग

59-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की गम्भीर बीमारी के दृष्टिगत क्या सरकार उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में स्थापित राज्य आरोग्य निधि योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को गंभीर रोगों हेतु निःशुल्क उपचार पूर्व से ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर में सम विकास योजना में बने विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग

60-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर में सम विकास योजना के अन्तर्गत कुल कितने स्कूल के भवन बनाये गये हैं और किस वर्ष में बने हैं ? क्या उन स्कूलों में अध्यापक की नियुक्ति कर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है ? यदि नहीं, तो कब से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

सम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में 59 प्राथमिक विद्यालयों के भवन वर्ष 2005-06 में बनाये गये हैं।

जी नहीं।

पद उपलब्ध होने पर।

जनपद कुशीनगर के बन्द विद्यालयों को संचालित कराने की मांग

61-श्री शम्भू चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर में आधे से अधिक विद्यालय बंद हैं तथा बहुत से विद्यालय कागज में चलते हैं किन्तु मौके पर विद्यालय में ताला लगा रहता है ? क्या सरकार बन्द विद्यालयों को संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम-धुवला करीम नगर के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति का वितरण

62-श्री राजेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम-धुवला करीम नगर के प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्रवृत्ति का वितरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालय धुवला करीम नगर में सम्पूर्ण पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण हो गया है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अनुसूचित जाति के कुल 10 बच्चों में से सभी को दोनों किस्तों तथा सामान्य जाति के कुल 37 बच्चों में से 14 बच्चों को दोनों किश्तें वितरित की जा

चुकी हैं। शेष 23 सामान्य जाति के छात्रों तथा कुल 42 पिछड़ी जाति के छात्रों को प्रथम किश्त की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है तथा इन्हें द्वितीय किश्तें दी जानी अवशेष हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर से धन/स्वीकृति प्राप्त होते ही अवशेष छात्रवृत्ति वितरित कर दी जायेगी।

जनपद-लखीमपुर खीरी के राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय कन्या इण्टर कालेजों में शिक्षक/शिक्षिकाओं की तैनाती की जानकारी

63-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के राजकीय इण्टर कालेज तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज लखीमपुर में छात्र संख्या के अनुपात में मानक के अनुसार शिक्षक/शिक्षिकाएं तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कालेजों में मानक के अनुसार शिक्षक/शिक्षिकाएं तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रवक्ता (पुरुष/महिला) संवर्ग के सीधी भर्ती के अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किये गये हैं। लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर सृजित पदों के प्रति सम्बन्धित विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी जायेगी।

पुरुष/महिला शाखा में स्नातक वेतनक्रम के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावली में संशोधन की कार्यवाही गतिमान है। संशोधित सेवा नियमावली प्रख्यापित हो जाने पर पुरुष/महिला शाखा में स्नातक वेतनक्रम के रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सृजिद पदों के सापेक्ष अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही

64-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बांदा में वर्ष 2009-10 में 94 प्राथमिक विद्यालयों एवं 265 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एकल अध्यापक तैनात होने के कारण स्कूल बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जुलाई, 2010 तक सभी एकल विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि ब्लाक कमसिन व नरैनी, जसपुरा के दूरस्थ विद्यालयों में तैनात अध्यापक/अध्यापिकाएं अपने स्थान पर वैकल्पिक रूप से गांव के अप्रशिक्षित लोगों से पठन-पाठन करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बांदा के प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक सहित दो-दो शिक्षा मित्रों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त विद्यालयों में अध्यापक तैनात हैं। जनपद का कोई भी विद्यालय बन्द नहीं है।

विशिष्ट बी0टी0सी0/बी0टी0सी0 उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है जिसके द्वारा सृजित पदों के सापेक्ष अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

जनपदीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण हेतु कार्यवाही

65-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण हेतु शासन की क्या नीति है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में गोरखपुर में इस उद्देश्य से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण तथा बिक्री की रोकथाम हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 30-07-2009 को चिकित्सा विभाग से पृथक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया है। विभाग में प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु विभागीय टास्कफोर्स का गठन करते हुये पुलिस उप महानिदेशक के स्तर के अधिकारी को अपमिश्रण की रोकथाम हेतु नियुक्त किया गया है। विभाग में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर अपमिश्रण कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यों के आधार पर नमूना संग्रहण कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। जनपद गोरखपुर में वर्ष 2009 में संदेहास्पद मिलावटी खाद्य पदार्थों के संग्रहित नमूनों में से अपमिश्रित पाये गये नमूनों के सापेक्ष खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के अन्तर्गत 56 वाद सक्षम न्यायालय में योजित किये गये।

जनवरी, 2010 से दिनांक 28 जुलाई, 2010 तक संदेहास्पद मिलावटी खाद्य पदार्थों के संग्रहित नमूनों में से अपमिश्रित पाये गये नमूनों के सापेक्ष खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के अन्तर्गत अपमिश्रित पाये गये नमूनों के विक्रेताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में 58 वाद योजित किये गये। रु0 1,14,500/- मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गयी। आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में 33 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराकर जेल भेजा गया। वर्ष 2010 में मा0 न्यायालय द्वारा 02 व्यक्तियों को 02-02 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को रु0 एक-एक हजार जुर्माने से दण्डित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में कोचिंग क्लास चलाये जाने वाली संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर नियंत्रण की जानकारी

66-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रबन्धकों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग क्लास चलाये जाने वाली संस्थाओं द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोचिंग संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता/अनुदान नहीं दिया जाता है। अतः कोचिंग संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर नियंत्रण की कोई मंशा नहीं है।

जनपद-शाहजहांपुर में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा शिक्षकों की तैनाती की मांग

67-श्री राजेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कितने जूनियर हाई स्कूल व प्राथमिक विद्यालय हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें मानक के अनुसार कितने शिक्षक होने चाहिए तथा वर्तमान में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या-505 है।

1. शिक्षकों की स्थिति निम्नवत् हैः--

अध्यापक	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
प्रधानाध्यापक	447	268	179
सहायक अध्यापक	758	347	411
योगः	1205	615	590
2. शिक्षा मित्र	-	832	-

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या-201 है।

1. शिक्षकों की स्थिति निम्नवत् हैः--

अध्यापक	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
प्रधानाध्यापक	201	148	53
सहायक अध्यापक	395	283	112
योगः	596	431	165

अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

मदरसों की छात्राओं को सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना से लाभान्वित किये जाने की मांग

68-श्री जावेद अंसारी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 द्वारा संचालित अरबी-फारसी मदरसों में आलिम की कक्षाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद् के इण्टरमीडिएट कक्षाओं के समकक्ष हैं ? यदि हां, तो क्या सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त मदरसों की छात्राओं को भी इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

मदरसों की छात्राओं को सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना से लाभान्वित किये जाने का प्रकरण अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में केमिकल से पकाये गये केलों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग

69-श्री रियाज अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केला केमिकल से पकाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि केमिकल से पके केले खाने से बड़े पैमाने पर लोग लीवर की भयंकर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार केमिकल से पके केले की बिक्री पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के नियम-44 ए, के अन्तर्गत कृत्रिम रूप से कार्बाइड गैस से पकाये गये फलों को रखना, बिक्री करना या बिक्री के लिये प्रदर्शित करना प्रतिबन्धित है। विभाग द्वारा कार्बाइड का उपयोग करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत 37 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में आलू पर आधारित कोई उद्योग लगाने की जानकारी

70-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में आलू का उत्पादन अधिक होने के कारण क्या सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु आलू पर आधारित कोई उद्योग लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

सार्वजनिक क्षेत्र में इकाई/उद्योग लगाने की सरकार की कोई नीति प्रचलित नहीं है।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की योजना की जानकारी

71-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के ब्लाक-जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द में प्राथमिक विद्यालय विहीन ग्रामों, मजरों जिनकी आबादी 250 से अधिक है तथा निकटतम प्राथमिक विद्यालय से 1 कि0मी0 से अधिक दूरी पर है, का सर्वे कराकर इनमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालय खोलने के मानक 300 की आबादी तथा निकटतम प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1.0 कि0मी0 निर्धारित है। मानक के अनुसार विकास खण्ड जसपुरा में 04, तिन्दवारी में 01 तथा विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में 03 बस्तियां असेवित हैं। वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में जनपद हेतु प्राथमिक विद्यालय का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, जिसके कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की मांग

72-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं अथवा मानक से कम हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बांदा में 35 प्राथमिक एवं 45 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। अतः विद्यालय एकल संचालित हैं। कोई भी विद्यालय बन्द नहीं है।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय गावों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

73-श्री जावेद अन्सारी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में निर्धारित मानक के अनुसार कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जहां प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन गांवों में उक्त विद्यालयों की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड करजाकला में निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से असेवित 04 ग्राम-01 बैसपार-2 कुकुहा हरिजन बस्ती-03 रामपुर डेरवा-04 आदमपुर अकबरपुर, हरिहरपुर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित 01 ग्राम बरैयाकाजी है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में 22 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुयी है, जिसके समक्ष समिति के अनुमोदनोपरान्त स्थापना की जायेगी।

वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन/मानदेय की जानकारी

74-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति का क्या प्राविधान है और कितनी अवधि के लिए रखे जाते हैं ? क्या प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों के वेतन में भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शासनादेश संख्या 214/सत्तर-4-2000-7(7)/94, दिनांक 04 फरवरी, 2000 के विहित प्राविधानों के अनुरूप पदों का सृजन वित्त समिति एवं कार्य परिषद् की स्वीकृति से किये जाने की व्यवस्था है। संविदा पर प्राध्यापकों की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है तथा वार्षिक अप्रेजल रिपोर्ट के संतोषजनक होने पर नियुक्ति का विस्तरण अधिकतम तीन वर्ष के लिए किया जाता है।

जी हां।

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से प्राप्त आय का 60 प्रतिशत संविदा पर रखे शिक्षकों के वेतन/मानदेय एवं आकस्मिक व्यय पर खर्च किये जाने का प्राविधान है।

75-श्री मदन चौहान-

[दिनांक 09-8-2010 को अता0प्रश्न सं0-195 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के समस्त अस्पतालों में आई0सी0यू0 की सुविधा की मांग

76-श्री मदन चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त अस्पतालों में आई0सी0यू0 की सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है।

जनपद जौनपुर के सी0एच0सी0 मड़ियाहूं में चिकित्सकों की तैनाती की मांग

77-श्री जावेद अंसारी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर के सी0एच0सी0 मड़ियाहूं में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने चिकित्सक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जनपद जौनपुर के सी0एच0सी0 मड़ियाहूं में स्वीकृत 8 पदों के सापेक्ष 03 चिकित्सक तैनात हैं ?

चिकित्सकों की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति या पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जाती है। वर्ष 2010 में आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत जनपद जौनपुर में कुल-23 चिकित्सकों को तैनात किया गया है।

जनपद जौनपुर के उमानाथ सिंह राजकीय जिला अस्पताल में बर्न यूनिट की स्थापना करने की मांग

78-श्री जावेद अंसारी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उमानाथ सिंह राजकीय जिला अस्पताल जौनपुर में किन-किन गम्भीर रोगों के इलाज की सुविधा है तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने चिकित्सक वर्तमान में तैनात हैं ? क्या उक्त चिकित्सालय में बर्न यूनिट की स्थापना कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

उमानाथ सिंह राजकीय जिला अस्पताल जौनपुर में मेडिसिन, बाल रोग, नेत्र, चेस्ट, डेन्टल, कार्डियोलॉजी तथा आर्थोपैडिक्स इकाइयां स्थापित हैं। उक्त विधाओं से सम्बन्धित रोगों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

वर्तमान में चिकित्सालय में चिकित्सकों के स्वीकृत 27 पदों के सापेक्ष 21 चिकित्सक तैनात हैं।

बर्न यूनिट की स्थापना के लिए भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बी0पी0एल0 कार्ड विहीन निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के निःशुल्क इलाज की मांग

79-श्री जावेद अंसारी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे निर्धन एवं असहाय व्यक्ति जिन्हें बी0पी0एल0 कार्ड जारी नहीं हैं, के गम्भीर रूप से बीमार होने पर उनकी

निःशुल्क जांच एवं इलाज की जिला चिकित्सालयों में माननीय विधायकों की संस्तुतियों पर करने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं। बी0पी0एल0 कार्ड विहीन निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों को मा0 विधायकों की संस्तुतियों पर निःशुल्क जांच एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का प्राविधान नहीं है अपितु इमरजेन्सी तथा चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विवेक पर ऐसे निर्धन एवं असहाय व्यक्ति जिन्हें बी0पी0एल0 कार्ड जारी नहीं है, को जिला चिकित्सालय में उपलब्ध निःशुल्क जांच एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महामायानगर सिकन्दराराऊ कस्बे में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को निर्मित करके महिला चिकित्सालय स्थानान्तरित करने की जानकारी

80-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ, जनपद-महामायानगर में महिला अस्पताल का नया भवन बनाकर दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिये जाने के कारण जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा करोड़ों रुपये की स्वास्थ्य विभाग की सिकन्दराराऊ की जमीन एवं भवन बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महिला अस्पताल को पुनः संचालित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

सिकन्दराराऊ में स्थित महिला अस्पताल जीर्ण-क्षीर्ण एवं अनुपयोगी अवस्था में था, अतः इसके दृष्टिगत इसी कस्बे में नया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित करके उसमें महिला चिकित्सालय को हस्तान्तरित करते हुए क्रियाशील किया गया है। यहां चिकित्सा एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और जनता को कठिनाई नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

81-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने की नीति

82-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों के गिरते स्तर को देखते हुए शासन ने शोध कार्यों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ विश्वविद्यालय में पी0एच0डी0 के दाखिले हेतु रिक्त सीटों को भरने की नीति

83-श्री मदन चौहान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विश्वविद्यालय में पी0एच0डी0 के दाखिले हेतु क्या पद्धति अपनाई गई है एवं वर्तमान में कुल कितनी सीटें रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त सीटों को भरने की कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार पी0एच0डी0 में पंजीकरण हेतु शोध पात्रता परीक्षा (रिसर्च इलिजिबिलिटी टेस्ट) की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। नेट, स्लेट, सी0एस0आई0आर0, गेट परीक्षा उत्तीर्ण तथा चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्रवेश परीक्षा के द्वारा एम0फिल0 उत्तीर्ण छात्रों को शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश के अनुसार प्रत्येक प्रोफेसर को 12 छात्र, रीडर को 10 छात्र एवं प्रवक्ता को 8 छात्र एक समय पर शोध कराने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रत्येक शोधार्थी को अपना शोध पूर्ण करने के लिये 05 वर्ष का समय नियत है। यदि कोई इस अवधि से पूर्व अपना शोध कार्य खत्म कर देता है तो उस तिथि से उसका स्थान रिक्त हो जाता है और उस स्थान पर नये शोध छात्र का पंजीकरण किया जाता है।

वर्तमान में रिक्त सीटों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शोध छात्रों को दाखिला दिये जाने का कार्य विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पादित किया जाता है।

गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के विभिन्न जनपदों में मस्तिष्क ज्वर तथा मरीजों की संख्या

84-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के विभिन्न जनपदों में 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में मस्तिष्क ज्वर के अब तक कितने मरीज आये तथा इनमें से कितने मरीजों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों/बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में उपचार किया गया तथा शासन द्वारा इन्हें क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गयी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

गोरखपुर मण्डल के जनपदों में मस्तिष्क ज्वर (ए0ई0एस0) के वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009 तथा 2010 में (दिनांक 25 जुलाई तक) कुल आये मरीजों की संख्या क्रमशः 1469, 2001, 2123, 2340 एवं 435 है।

बस्ती मण्डल के जनपदों में मस्तिष्क ज्वर (ए0ई0एस0) के वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009 तथा 2010 में (दिनांक 25 जुलाई तक) कुल आये मरीजों की संख्या क्रमशः 175, 288, 252, 352 एवं 61 है।

गोरखपुर मण्डल के जनपदों में मस्तिष्क ज्वर (ए0ई0एस0) के वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009 तथा 2010 में (दिनांक 25 जुलाई तक) विभिन्न इकाइयों में उपचारित रोगियों की संख्या-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमशः 12, 23, 24, 61, 14 जिला चिकित्सालयों में क्रमशः 75, 223, 467, 367, 59 एवं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में क्रमशः 1382, 1755, 1632, 1912 एवं 362 है।

बस्ती मण्डल के जनपदों में मस्तिष्क ज्वर (ए0ई0एस0) के वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009 तथा 2010 में (दिनांक 25 जुलाई तक) विभिन्न इकाइयों में उपचारिता रोगियों की संख्या-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमशः 6, 7, 9, 6, शून्य, ओपेक जिला चिकित्सालय में क्रमशः 44, 49, 85, 25, शून्य, जिला चिकित्सालय में क्रमशः 4, 15, 8, 19, शून्य एवं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में क्रमशः 151, 217, 230, 302 एवं 61 है।

मस्तिष्क ज्वर से ग्रस्त रोगियों की समस्त जांचें, परीक्षण एवं उपचार निःशुल्क किया गया। मस्तिष्क ज्वर रोग के परिणामस्वरूप विकलांग हुए रोगियों के पुनर्वास हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से संचालित मनोविकास पुनर्वास केन्द्र द्वारा जीवकोपार्जन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

प्रदेश के कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों एवं उनके परिवार को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं

85-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुष्ठ रोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ? कुष्ठ रोगियों एवं इनके परिवार को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पूरोनिधानित कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर, जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर तक कुष्ठ रोग के निवारण का स्तर अर्थात् कुष्ठ रोग की व्यापकता दर 01 रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या से कम का स्तर लाया जाना है। प्रदेश में कुष्ठ रोग के प्रभावी नियंत्रण हेतु कोई अलग से नीति निर्धारित नहीं है, क्योंकि इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम देश में प्रदेश सरकार के माध्यम से संचालित है।

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति की जांच एवं एम0डी0टी0 से उपचार का कार्य निःशुल्क किया जाता है। कुष्ठ प्रभावित विकलांग व्यक्तियों को रिकान्स्टक्टिव सर्जरी प्रदान करके उन्हें जीविकोपार्जन योग्य बनाया जाता है। कुष्ठ रोगियों के परिवार को सुविधाएं प्रदान किया जाना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित नहीं है।

जनपद महामायानगर के जिला चिकित्सालय हाथरस में ब्लड बैंक की स्थापना

86-डा0 अनिल चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय हाथरस, जनपद-महामायानगर में ब्लड बैंक स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ब्लड बैंक की स्थापना कराकर कब तक चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जानकारी

87-श्री हुकुम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के मौलिक अधिकार के कानून को 01 अप्रैल, 2010 से लागू कर दिया गया है, जिसमें 6 से 11 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है ? क्या सरकार द्वारा प्रश्नगत दायित्व को निभाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गयी है तथा शिक्षा सत्र 2010-11 में सभी बच्चों को उपयुक्त शिक्षा देने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

भारत सरकार द्वारा ''बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009'' नोटीफाई करते हुए दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व भारत सरकार एवं राज्य सरकार का है।

भारत सरकार से वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर सत्र 2010-11 में सभी बच्चों को उपयुक्त शिक्षा देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण सभी छात्रों को प्रवेश देने की नीति

88-श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना तथा डा0 अजय तोमर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् बहुत बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार की नीति इण्टरमीडिएट के समस्त उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश देने की है।

89-डा0 अनिल चौधरी-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-महामायानगर के विद्यालय की कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

90-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 134 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गीगला, विकास खण्ड सादाबाद, जनपद-महामायानगर के विद्यालय की कृषि भूमि को पट्टे पर देने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ से निदेशालय के पत्रांक-शि0नि0(बे0)/वि0स0/325632/2008-09, दिनांक 06 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकरण में जांच कर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था।

अद्यतन आख्या अप्राप्त है।

आख्या प्राप्त न होने के कारण।

जनपद-महामायानगर की तहसील-सादाबाद में मत्स्य पालन हेतु तालाबों के पट्टाधारकों की सूची

91-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील-सादाबाद में मत्स्य पालन हेतु वर्ष 2007-08, 2008-09 व वर्ष 2009-10 में कितने तालाबों को पट्टे पर वितरित किया गया ? क्या शासन पट्टाधारकों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य मंत्री (श्री धर्मराज निषाद)-

जी हां, जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में वर्ष 2007-08 में कुल 10 तालाबों, वर्ष 2008-09 में कुल 19 तालाबों एवं वर्ष 2009-10 में कुल 24 तालाबों को 10 वर्षीय पट्टे पर आवंटित किया गया है।

जी हां, वर्षवार सूची संलग्न[†] की जा रही है।

कार्बाइड से आम पकाने पर अंकुश लगाने की मांग

92-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड से पकाया आम मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में प्रभावी नीति बनाकर कार्बाइड से आम पकाने पर अंकुश लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के नियम-44 ए, ए, के अन्तर्गत कृत्रिम रूप से कार्बाइड गैस से पकाये गये फलों को रखना, बिक्री करना या बिक्री के लिये प्रदर्शित करना प्रतिबन्धित है। विभाग द्वारा कार्बाइड का उपयोग करने वाले

[†] (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 235-239 पर)

व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत 37 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

लखनऊ के मोती महल हास्टल से गैर आवंटी असामाजिक व अनाधिकृत अध्यासियों को हटाने की मांग

93-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शोध विद्वानों के लिये बनाये गये मोती महल हास्टल थाना-हजरतगंज, लखनऊ में कितने अनधिकृत अध्यासी रह रहे हैं ? क्या सरकार मोती महल हास्टल से गैर आवंटी असामाजिक व अनधिकृत अध्यासियों को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मोती महल हास्टल, थाना-हजरतगंज, लखनऊ उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन नहीं हैं, बल्कि उक्त हास्टल निजी संस्था मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड-मदनापुर के ग्राम वरुआ में प्रा0स्वा0 केन्द्र निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच

94-श्री राजेश यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड-मदनापुर के ग्रमा वरुआ में प्रा0स्वा0 केन्द्र निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित क्रम सं0 5 कम्प्यूटर सं0 सी 10213264 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-213264/2009, दिनांक 02-12-2009 प्रमुख सचिव, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जांच कराई गई जांचोपरान्त उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक प्रोजेक्ट कार्पोरेशन को निर्देश दिये गये है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रवक्ता रसायन शास्त्र, शिवली नेशनल स्नाकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़ के वेतन निर्धारण में विलम्ब विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

95-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-4-2010 जो कि प्रवक्ता रसायन शास्त्र, शिवली नेशनल स्नाकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़ के लियन को

सुरक्षित रखते हुये वेतन निर्धारण में विलम्ब करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों के रखे जाने की योजना

96-श्री राजेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के कितने प्रा0वि0 एवं पू0मा0वि0 में कितने शिक्षा मित्र बिना विज्ञप्ति के वर्तमान में कार्यरत है ? क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी शिक्षा मित्र बिना विज्ञप्ति के वर्तमान में कार्यरत नहीं है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र रखे जाने की योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के राजदेव कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीराम सुराई, सठियांव को मान्यता देने की जानकारी

97-श्री उदयराज-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजदेव कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीराम सुराई, सठियांव जनपद-आजमगढ़ की मान्यता वर्ष 1995 में दी गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि महाविद्यालय की भूमि का बैनामा वर्ष 2008-2009 में किया गया है ? यदि हां, तो बिना भूमि के महाविद्यालय को मान्यता किन नियमों/आदेशों के अन्तर्गत दी गई ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

जी हां।

ग्राम-काशीपुर, तहसील-सदर (आजमगढ़) में गाटा संख्या-37ख एवं ग्राम-चक्की हाजीपुर, तहसील-सगड़ी (आजमगढ़) में गाटा संख्या-1च की भूमि के आधार पर महाविद्यालय को दी गई अनापत्ति के क्रम में मान्यता दी गई।

जी नहीं।

महाविद्यालय के नाम भूमि होने के आधार पर दिनांक 01-07-1995 से मान्यता दी गई थी।

जनपद-शाहजहांपुर के प्रा0 विद्यालयों एवं पूर्व मा0 विद्यालयों की चहारदीवारी बनवाने की मांग

98-श्री राजेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में कितने प्रा0 विद्यालयों एवं पूर्व मा0 विद्यालयों में बाउन्ड्री (चहारदीवारी) बनी है तथा कितने पर चहारदीवारी नहीं बनी है ? क्या सरकार द्वारा जिन प्रा0 विद्यालयों एवं पू0मा0 विद्यालयों में चहार दीवारी नहीं बनी है उनकी चहारदीवारी कब तक बनवा दी जायेगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद शाहजहांपुर में 689 प्राथमिक विद्यालय व 300 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में चहारदीवारी बनी है तथा 1485 प्राथमिक विद्यालय व 547 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं बनी है।

भारत सरकार द्वारा जनपद हेतु वर्ष 2010-11 में चहारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गयी है जिसके कारण इस वर्ष विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण सम्भव नहीं है।

जनपद बरेली में प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की जानकारी

99-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले के दमखोदा ब्लाक मुख्यालय पर प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार इस स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर भुडिया नवीबक्स में बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

उपयुक्त स्थल का चयन न होने के कारण।

जी नहीं।

स्थल की उपयुक्तता के आधर पर उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को रिछा में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम्, लखनऊ में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

100-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम्, लखनऊ में चिकित्सकों के अनेक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस-किस विभाग में और उनकी नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम्, लखनऊ में फिजीशियन, हृदय रोग, बालरोग, रेडियोलाजी, चर्मरोग, ई0एन0टी0, आर्थो, पैथालाजी, एनेस्थेसिया विभागों में एवं

चिकित्सा अधीक्षिका तथा महिला ई0एम0ओ0 व पुरुष ई0एम0ओ0 के पद रिक्त हैं। चिकित्सकों के प्रोन्नति के उपरान्त, यथाउपलब्धता, समायोजन के द्वारा रिक्त पदों को भरा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

देवीपाटन मण्डल मुख्यालय के गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली पर विश्विद्यालय की स्थापना की मांग

101-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवीपाटन मण्डल मुख्यालय के गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली पर उनके नाम पर एक अर्न्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति देवीपाटन मण्डल मुख्यालय के गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली पर विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

102-श्री मदन चौहान-

[दिनांक 09-8-2010 को अता0प्र0सं0-190 द्वारा उत्तरित]

जनपद-गोण्डा की तहसील मनकापुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण प्रभारी से वसूली की जानकारी

103-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की तहसील मनकापुर की क्षेत्र पंचायत, मनकापुर में जूनियर हाई स्कूल, अम्बरपुर एवं क्षेत्र पंचायत छपिया के जूनियर हाई स्कूल, लक्ष्मनपुर के निर्माण के सम्बन्ध में क्या सरकार द्वारा जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण में भवन निर्माण प्रभारी एवं प्रधान को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो क्या इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

उच्च प्राथमिक विद्यालय अम्बरपुर के निर्माण प्रभारी श्री घनश्याम सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री जगराम से कार्यालय आदेश दिनांक 25-10-2008 द्वारा रु0 30209/- की वसूली के आदेश दिये गये, जिसके विरुद्ध याचिका संख्या-1150 (एस0एस0ए0)/09 द्वारा स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मनपुर के निर्माण प्रभारी श्रीमती मधुरा देवी एवं ग्राम प्रधान श्री लखपत तिवारी के विरुद्ध कार्यालय आदेश दिनांक 10-10-2008 द्वारा रु0 20986/- की वसूली के आदेश दिये गये, जिसके क्रम में पूर्ण धनराशि की वसूली हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायतों में खोले गये प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूलों की स्वीकृति

104-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में किन-किन क्षेत्र पंचायतों में प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल खोले गये ? क्या उक्त विद्यालय मानक के अनुसार ही खोले गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्थलीय परीक्षण करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में 96 प्राथमिक विद्यालय तथा 128 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा वर्ष 2009-10 में 35 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिन्हें निम्नवत् खोला गयाः--

क्र0सं0	विकास खण्ड	वर्ष 2008-09 में स्वीकृत विद्यालयों की संख्या		वर्ष 2009-10 में स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	
1	नगर क्षेत्र	01	0	-	-
2	तरबगंज	05	05	-	-
3	बेलसर	11	12	13	0
4	कटरा बाजार	03	08	02	0
5	बभनजोत	01	03	-	-
6	मुजेहना	04	05	01	0
7	हलधरमऊ	07	03	02	0
8	रूपईडीह	09	11	03	0
9	छपिया	03	10	-	-
10	इटियाथोक	06	08	03	0
11	कर्नलगंज	04	05	02	0
12	नवाबगंज	04	03	01	0
13	परसपुर	08	12	-	-
14	पण्डरी कृपाल	02	04	02	0
15	वजीरगंज	06	10	-	-
16	मनकापुर	09	14	-	-
17	झंझरी	13	13	06	0
	योगः--	96	126	35	0

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 बोर्ड इण्टरमीडिएट की हिन्दी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि और हाई स्कूल की काव्य संकलन में सूकर खेत (आजमगढ़) के स्थान पर 'सूकर खेत' गोण्डा करने की जानकारी

105-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली गोण्डा के सम्बन्ध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा अपने पत्रांक मा0शि0प0/पा0प्र0रा0/273, दिनांक 8-3-08 द्वारा संस्थापक अध्यक्ष, सनातन धर्म परिषद् एवं तुलसी जन्म भूमि सूकर खेत विकास समिति चिनहट, लखनऊ को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का परीक्षण करने के उपरान्त यू0पी0 बोर्ड इण्टरमीडिएट की हिन्दी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि और हाई स्कूल की हिन्दी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में सूकर खेत (आजमगढ़) को त्रुटि पूर्ण मानते हुए सूकर खेत (गोण्डा) का नामोल्लेख कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

शैक्षिक सत्र 2010-11 में इण्टरमीटिएट की हिन्दी पाठ्य पुस्तक 'काव्यांजलि' एवं हाई स्कूल की 'काव्य संकलन' पाठ्य पुस्तक की जो आदर्श प्रतियां चयनित प्रकाशकों से प्राप्त हुई थी, उनमें डा0 नागेन्द्र द्वारा लिखित 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर 'सूकर खेत' को गोण्डा जिले में अवस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। तद्नुसार चयनित प्रकाशकों द्वारा इसे संशोधित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों की आवंटित धनराशि

106-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत मनकापुर, छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत किन-किन प्राथमिक विद्यालयों के भवनों को वर्ष 2007-08 में मरम्मत हेतु धन का आवंटन किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन विद्यालयों को धन का आवंटन किया गया है, उनका निर्माण वर्ष क्या है ? क्या वह मरम्मत की श्रेणी में आते हैं तथा मरम्मत का मानक क्या है ? क्या सरकार सभी तथ्यों की उच्चस्तरीय जांच करवाकर सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के विकास खण्ड मनकापुर छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज में वर्ष 2007-08 में 165 प्राथमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु धन आवंटित किया गया, जिसका विकास खण्डवार संख्या निम्नवत् हैः--

विकास खण्ड का नाम	विद्यालय की संख्या
मनकापुर	60
छपिया	48
वजीरगंज	12
नवाबगंज	45
कुलः--	165

विद्यालयवार सूची संलग्न है[†]

160 विद्यालयों का निर्माण वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 1998 तक है तथा 05 विद्यालयों का निर्माण वर्ष 2002 से 2004 तक है।

जी हां।

सामन्यतः किसी भवन के बनने के बाद 10 साल तक कोई विशेष मरम्मत अनुमन्य नहीं है किन्तु दैवीय आपदा से प्रभावित भवन अपवाद से अपवाद स्वरूप होंगे।

मरम्मत योग्य विद्यालयों का ही मरम्मत कराया गया है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में घटते जल स्तर को रोकने हेतु तालाबों व पोखरों में जल संचयन की मांग

107-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-आजमगढ़ में सूखे के कारण घटते जल स्तर को रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित तालाबों, पोखरों में जल संचयन की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में कितने उच्चीकृत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती

108-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में कितने उच्चीकृत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनें हैं ?

[†] छापी नहीं गयी।

क्या उन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थानाभवन पर रेडियोलॉजिस्ट तैनात हैं, अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेडियोलॉजिस्ट का पद सृजित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तैनाती

109-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें शिक्षकों की कमी है ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद मुजफ्फरनगर में ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1316 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें प्रधानाध्यापक के 78 व सहायक अध्यापक के 1919 पद रिक्त हैं तथा 586 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें प्रधानाध्यापक के 96 व सहायक अध्यापक के 58 पद रिक्त हैं।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्राम-सीस्ता में हैण्डपम्प लगवाने की मांग

110-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सादाबाद जनपद-महामायानगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्राम-सीस्ता में हैण्डपम्प नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में हैण्डपम्प लगवाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

हैण्डपम्प अवस्थापना का कार्य शासनादेश संख्या 223/79-5-2008-194/2008, दिनांक 1-2-2008 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में प्राइवेट स्कूलों में सरकार द्वारा फीस निर्धारण की जानकारी

111-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अधिक फीस लिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में कोई जांच जिलाधिकारी अथवा शासन स्तर से करायी गयी है ? यदि हां, तो अधिक फीस लेने वाले कौन-कौन से स्कूलों को चिन्हित किया गया और उनके

विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ में सत्र 2010-11 में पुनः फीस बढ़ाकर ली जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार फीस निर्धारित करने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सत्र 2010-11 में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने की कोई शिकायत बेसिक शिक्षा विभाग में प्राप्त नहीं है।

फीस निर्धारित करने की व्यवस्था को शासनादेश संख्या-2926/15-6-95-18(20)/91, दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 के द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

112-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

113-श्री अरविन्द सिंह यादव-

[पहले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-कन्नौज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छिबरामऊ में दवाइयां बाजार में बेचने वालों के विरुद्ध जांच

114-श्री अरविन्द सिंह यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कन्नौज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छिबरामऊ में दवाइयां बाजार में बेची जा रही हैं तथा रोगियों को बाहर से दवाइयां लाने के लिये बाध्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कन्नौज में मिड-डे-मील योजना के राशन में कीड़े निकलने की जांच

115-श्री अरविन्द सिंह यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कन्नौज में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मिड-डे-मील योजना के राशन में सूड़ी नामक कीड़े आदि निकल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त समस्या का निराकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समर विले डा0 पी0 एस0 आशीष कान्वेन्ट नोएडा सहित प्राइवेट स्कूल/कालेजों द्वारा फीस में वृद्धि पर रोक लगाने की मांग

116-श्री मदन चौहान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समर विले डा0 पी0 एस0 आशीष कान्वेन्ट नोएडा सहित प्राइवेट स्कूल/कालेजों द्वारा फीस में बेताहाशा वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत तथा इसके मानक/आधार क्या हैं ? क्या सरकार द्वारा फीस वृद्धि पर रोक लगाने हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

कतिपय विद्यालय द्वारा शुल्क वृद्धि की गयी है। सम्बन्धित विद्यालय न तो यू0पी0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और न ही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित है, परन्तु इन विद्यालयों में शुल्क वृद्धि की सूचना प्राप्त हुई है।

छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों को आधार बनाकर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गयी है।

शासनादेश संख्या-1719/15-7-09-10(107)/2006, दिनांक 29-6-2009 द्वारा शुल्क निर्धारण एवं शुल्क नियमन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। उक्त के क्रम में बैठक कर जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा 18-7-2009 को इन संस्थाओं की फीस निर्धारण के औचित्य के परीक्षण हेतु अभिलेख मांगे गये थे। उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-36841/2009 में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 18-7-2009 द्वारा स्थगनादेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में एम्स की तर्ज पर आई0सी0सी0यू0 के निर्माण की मांग

117-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में एम्स की तर्ज पर आई0सी0सी0यू0 का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह जनता की चिकित्सा के लिये कब तक उपलब्ध हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

118-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ में प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड पम्प की अवस्थापना एवं खराब हैण्डपम्पों को ठीक/रिबोर कराने की जानकारी

119-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ, जनपद-महामायानगर के कौन-कौन से प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प नहीं लगे हैं एवं किस-किस प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में लगे हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार हैण्डपम्प रहित विद्यालयों में हैण्डपम्प की अवस्थापना एवं खराब हैण्डपम्पों को ठीक/रिबोर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद के 6 प्राथमिक विद्यालय व 23 उच्च प्राथमिक विद्यालय व विकास खण्ड सहपऊ के 03 प्राथमिक व 28 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प नहीं लगे हैं।

विकास खण्ड सादाबाद के 4 प्राथमिक व 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय में तथा विकास खण्ड सहपऊ के 03 प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प खराब है।[†]

हैण्डपम्प अवस्थापना का कार्य शासनादेश संख्या-223/79-5-2008-194/2008, दिनांक 1-2-08 के द्वारा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराया जाना है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खराब हैण्डपम्प की लघु मरम्मत का प्राविधान है, लेकिन रिबोर कराये जाने हेतु बजट का प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र, थानाभवन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी

120-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र, थानाभवन के ग्रामीण अंचलों के गम्भीर रोगियों को जिला चिकित्सालय पहुंचाने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 240-242 पर)

जनपद-मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन की सुविधा, न्यूरो सर्जन की तैनाती आदि सुविधायें उपलब्ध कराने की जानकारी

121-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय जनपद-मुजफ्फरनगर में सी0टी0 स्कैन की सुविधा, न्यूरो सर्जन की तैनाती, फेस इन्जरी, सर्जन, वेंटिलेटर आपरेटर की तैनाती तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुसार उक्त सभी सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में स्थापित चिकित्सा इकाइयों एवं इनमें उपलब्ध विशेषज्ञता व चिकित्सा उपचार की सुविधा के दृष्टिगत संप्रति सी0टी0 स्कैन मशीन की स्थापना तथा न्यूरो सर्जन, पेस इन्जरी सर्जन एवं वेन्टीलेटर आपरेटर की तैनाती का औचित्य नहीं है।

जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन व थानाभवन में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवाने की मांग

122-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन व थानाभवन में स्थित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प न होने के कारण विद्यार्थियों को पानी पीने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद मुजफ्फरनगर के ऊन में 12 एवं थाना भवन विकास खण्ड में 02 नल विहीन परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।

उ0प्र0 जल निगम द्वारा मुजफ्फरनगर के ऊन विकास खण्ड में 13 तथा थानाभवन विकास खण्ड में 04 विद्यालयों में हैण्डपम्प अधिष्ठापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ऊन विकास खण्ड में 12 एवं थानाभवन विकास खण्ड में 02 हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों में हैण्डपम्प अधिष्ठापना का कार्य गतिमान है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में केवल नगर क्षेत्र के विद्यालयों हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

जनपद मुजफ्फरनगर में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय खोले जाने की मांग

123-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय किन-किन जनपदों में खोला जाना प्रस्तावित है ? क्या जनपद मुजफ्फरनगर में भी उक्त अस्पताल खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय स्थापित किये जाने की संप्रति कोई योजना नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में सरकारी अस्पतालों में खरीदी गई दवाओं की जानकारी

124-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर व सहारनपुर में सरकारी अस्पतालों, पी0 एच0 सी0 व सी0 एच0 सी0 पर वित्तीय वर्ष 2010-11 में कितना धन दवाओं की खरीद पर खर्च किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त दवाओं में से कितनी दवाइयां जैनरिक नाम से तथा कितनी ब्राण्ड नाम से खरीदी गयीं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनपद मुजफ्फरनगर व सहारनपुर में सरकारी अस्पतालों, पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 पर कुल रु0 10480966/-(एक करोड़ चार लाख अस्सी हजार नौ सौ छाछठ रुपये मात्र) की औषधियां क्रय की गयी।

सभी दवायें जेनेरिक नाम से उपलब्ध विभागीय दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय की गई है। कोई दवा ब्राण्ड नाम से क्रय नहीं की गई है।

जनपद शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की तैनाती की मांग

125-श्री राजेश यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के कस्बा-तिलहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उसके विरुद्ध कितने चिकित्सक वर्तमान में तैनात हैं ? क्या सरकार रिक्त चिकित्सकों के पद पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में चिकित्सकों के कुल 06 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 04 चिकित्सक तैनात हैं।

जी हां।

प्रदेश के पी0एच0एच0एस0 संवर्ग के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा गया है। आयोग से चयन/संस्तुतियां प्राप्त होने तथा प्रोन्नति के उपरान्त चिकित्सकों के रिक्त पदों को यथा उपलब्धता भरा जायेगा।

प्रश्न ही नही उठता।

रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक कालेजों में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की मांग

126-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के किन-किन अल्पसंख्यक कालेजों में 7 वर्षों से अधिक समय से स्थायी प्राचार्य नहीं हैं ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालयों में रिक्त प्राचार्य पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

गांधी फेज-ए-आम महाविद्यालय शाहजहांपुर।

अल्पसंख्यक महाविद्यालय में नियुक्ति का अधिकार प्रबन्ध समिति में निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े विकास खण्ड के प्रत्येक न्याय पंचायत के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक अध्यापक को पुरस्कृत करने की योजना

127-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में प्रत्येक न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में से एक योग्य अध्यापक को 5000/- रुपया पुरस्कार देने हेतु एक समारोह आयोजित कर उन अध्यापकों को सम्मानित किये जाने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर में कितने समारोह आयोजित कर योग्य अध्यापकों को सम्मानित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

एन0पी0ई0जी0ई0एल0 योजना अन्तर्गत शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े विकास खण्ड के प्रत्येक न्याय पंचायत में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से एक योग्य अध्यापक को पुरस्कृत किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मैनपुरी के ग्रा0 न0 सुखू (बम्बा, नगला) में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

128-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद-मैनपुरी के ग्रा0 न0 सुखू (बम्बा, नगला) ब्लाक सुल्तानगंज में जनहित में सरकार प्रा0 पा0 स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति किसी भी जनपद हेतु नहीं प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

129-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें प्राइमरी पाठशालाओं की आवश्यकता है ? क्या सरकार मानक के अनुसार प्रा0 पा0 बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद मैनपुरी में 65 गांव असेवित हैं, जिनमें प्राइमरी पाठशाला की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति किसी भी जनपद हेतु नहीं प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में टी0बी0 के इलाज में डाट ट्रीटमेन्ट के मरीजों को इलाज छोड़ने का प्रतिशत एवं इसे रोकने के उपाय

130-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में टी0 बी0 के इलाज में डाट ट्रीटमेन्ट के मरीजों का इलाज छोड़ने (ड्राप आउट) का प्रतिशत क्या है ? क्या इसे रोकने हेतु सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद-मुजफ्फरनगर में टी0बी0 के इलाज में डाट ट्रीटमेन्ट के मरीजों का इलाज छोड़ने (ड्राप आउट) का प्रतिशत 0.0 है।

जी हां।

मरीजों के इलाज छोड़ने (ड्राप डाउन) कम करने के लिये बलगम परीक्षण केन्द्र (डी0एम0सी0) पर तैनात प्रयोगशाला सहायक एवं जनपद के समस्त डाट्स प्रोवाइडर द्वारा मरीजों का उपचार प्रारम्भ करते समय समस्त रोगियों को बिना बाधा उपचार पूर्ण करने की उपयोगिता पर विशेष बल देते हुए रोगी को प्रेरित किया जा रहा है।

समस्त एस0एन0/डाट्स प्रोवाइडर द्वारा रोगी को उपचार प्रपत्र पर उसका पूर्ण पता, लैंड मार्क सहित रोगी के सम्पर्क व्यक्ति का नाम तथा दोनों के मोबाइल नम्बर लिखे जा रहे हैं। मरीज के ड्राप आउट होने पर मरीज एवं मरीज के सम्बन्धित व्यक्ति से सम्पर्क कर मरीज को पुनः उपचार पर लाया जा रहा है।

स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात पुरुष/महिला कार्यकर्ता डाट्स प्रोवाइडर, टी0बी0एच0बी0, एस0टी0एस0 द्वारा मरीज के ड्राप आउट होने की स्थिति में 24 घण्टे के अन्दर मरीज से सम्पर्क कर पुनः उपचार पर लाया जा रहा है।

एस0टी0एस0 द्वारा ड्राप आउट रोगियों की सूची बनाकर उसको पुनः उपचार पर लाने का कार्य किया जा रहा है।

एम0ओ0टी0सी0/चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 27 तारीख को ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र पर डाट्स प्रोवाइडर की बैठक आयोजित की जा रही है तथा ड्राप आउट रोगियों की समीक्षा कर उन्हें पुनः उपचार पर लाया जा रहा है।

समस्त रोगियों का उपचार प्रारम्भ करने से पूर्व एक परामर्श पत्र दिया जा रहा है जिसमें रोगी को बिना बाधा उपचार पूर्ण करने के महत्व के बारे में बताया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र, थाना भवन में उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

131-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र, थानाभवन में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में कितने उच्च प्राथमिक व कितने प्राथमिक विद्यालय चयनित किये गये तथा उन्हें कहां-कहां स्थापित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्ष 2009-10 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर हेतु भारत सरकार द्वारा कोई भी नवीन परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के लक्ष्य की स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर व सहारनपुर में अन्धता निवारण समिति द्वारा किये गये मोतियाबिन्द के आपरेशनों की जानकारी

132-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 31 मार्च, 2010 तक जनपद-मुजफ्फरनगर व सहारनपुर में अन्धता निवारण समिति को कितना-कितना धन प्राप्त हुआ एवं उक्त धन से कहां-कहां कितने-कितने मोतियाबिन्द के आपरेशन किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त अवधि में आये शेष मरीजों के आपरेशन की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद सहारनपुर में अन्धता निवारण समिति को प्राप्त धनराशि का विवरण

धन प्राप्ति का श्रोत	2007-08	2008-09	2009-10
महानिदेशालय लखनऊ	403069.00	3132445.00	1813031.00
बैंक ब्याज	6583.00	14519.00	68751.00
टेण्डर बिक्री	1400.00	--	--
कुल योग	411052.00	3146964.00	1881782.00

मोतियाबिन्द आपरेशन

संस्थावार/जिला चिकित्सालय	2007-08	2008-09	2009-10
जिला चिकित्सालय	2135	2218	2285
सा0 स्वा0 केन्द्र, देवबन्द	504	359	341
सा0 स्वा0 केन्द्र फतेहपुर	--	07	257
सा0 स्वा0 केन्द्र गंगोह	--	200	--
स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा	1417	1556	1346
निजी चिकित्सकों द्वारा	7282	7024	7207
कुल योग	11338	11464	11438

भर्ती/पंजीकृत किये गये समस्त मरीजों के मोतियाबिन्द आपरेशन कर दिये गये थे। उक्त अवधि में आये मरीज शेष नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर में अन्धता निवारण समिति को प्राप्त धनराशि का विवरण

धन प्राप्ति का श्रोत	2007-08	2008-09	2009-10
महानिदेशालय लखनऊ	5707920.98	7985652.98	1666465.00
कुल योग	5707920.98	7985652.98	1666465.00

मोतियाबिन्द आपरेशन

संस्थावार/जिला चिकित्सालय	2007-08	2008-09	2009-10
जिला चिकित्सालय	1093	2267	1968
स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा	7779	2272	2700
निजी चिकित्सकों द्वारा	6161	10470	9699
कुल योग	15023	15009	14367

उपरोक्त वर्णित केसों के अलावा उक्त अवधि में जनपद मुजफ्फरनगर में कोई भी मोतियाबिन्द के मरीज अवशेष नहीं है।

प्रदेश की महिला अध्यापिकाओं को उनके प्राप्त विकल्पों के आधार पर तैनाती की जानकारी

133-श्री लल्लू सिंह

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा महिला अध्यापकों पर हो रहे अपराधिक घटनाओं को देखते हुये उन्हें नजदीकी एवं सड़क के किनारे के स्कूलों में तैनात करने की कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

महिला अध्यापिकाओं के यथा संभव प्राप्त विकल्पों के आधार पर सुविधानुसार तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन (लाल इमली) कानपुर के श्री पंकज को उनके मूल विभाग में वापसी की मांग

134-श्री राजेश यादव-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर कोई ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन (लाल इमली) कानपुर का कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात है ? यदि हां, तो कब से ? क्या बी0आई0सी0 (लाल इमली) का कर्मचारी/अधिकारी इस पद पर नियुक्त हो सकता है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त अधिकारी/कर्मचारी को उसके मूल विभाग में वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाखीराम नागर-

जी हां। ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन (लाल इमली) के श्री पंकज पावर हाउस इन्चार्ज लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

दिनांक 29-03-95 से।

नियुक्ति नहीं, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद बरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्यारा में चिकित्सकों के रिक्त पदों की जानकारी

135-श्री राजेश यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्यारा में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? रिक्त चिकित्सकों के पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद बरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्यारा में चिकित्सकों के 02 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 02 चिकित्सक कार्यरत हैं। चिकित्सकों का कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के सी0टी0 ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों को एल0टी0 संवर्ग में प्रोन्नत करने की मांग

136-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के लगभग 27 हजार माध्यमिक शिक्षक जो सी0टी0 ग्रेड में कार्य कर रहे हैं, को एल0टी0 ग्रेड में प्रोन्नत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

सी0टी0 संवर्ग मृत संवर्ग घोषित है।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की यू0पी0 हेल्थ प्रोजेक्ट योजना के तहत कराये गये कार्य व व्यय का विवरण

137-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 हेल्थ प्रोजेक्ट योजना के तहत जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में अब तक किन-किन मदों में कितना धन प्राप्त हुआ और कितना धन व्यय किया गया है तथा कौन-कौन से कार्य उक्त योजना के अन्तर्गत कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में यू0पी0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना द्वारा प्रारम्भ से दिनांक 30 जून, 2009 तक कुल धन रु0 30,84,443/- (रु0 तीस लाख चौरासी हजार चार सौ तैंतालिस मात्र) व्यय किया गया है। विधानसभा पट्टी में परियोजना द्वारा किये गये व्ययों का मदवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	कार्य	व्यय धनराशि (रु0 में)
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टी में वेस्ट स्टोरेज रूम का निर्माण कार्य।	163919.00
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरगढ़ पट्टी में गैरेज का निर्माण कार्य।	233682.00
3	स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से सुदूर ग्रामीण मलिन बस्तियों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया गया।	2165724.00
4	एम्बुलेंस के मरम्मत पर व्यय।	12116.00
5	एम्बुलेंस के ईंधन पर व्यय।	20000.00
6	एम्बुलेंस क्रय पर व्यय।	489000.00

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ ब्लाक पट्टी के ग्राम नोही उमरपुर डाडी के प्राथमिक विद्यालय में नये कक्षों का निर्माण

138-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ ब्लाक पट्टी के ग्राम नोही उमरपुर डाडी के प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर है ? यदि हां, तो उक्त भवन का पुनः निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जर्जर भवन के स्थान पर अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराकर, विद्यालय संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दूध मिलावट को रोकने की योजना

139-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 जनवरी, 2009 से अप्रैल, 2010 तक कितने मामले दूध में मिलावट के प्रकाश में आये हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधीन कार्यरत खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली-1955 के अन्तर्गत आलोच्य अवधि में 3932 दूध के नमूने मिलावट के सन्देह में संग्रहित कर जांच हेतु जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में प्रेषित किये गये। विश्लेषण में 1403 नमूने अधोमानक/अपमिश्रित पाये गये। अपमिश्रित पाये गये नमूनों के विक्रेताओं को दण्डित कराने के लिये 1077 वाद सक्षम मा0 न्यायालय में योजित करा दिये गये हैं। अवशेष मामलों में वाद योजित कराये जाने की कार्यवही की जा रही है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, विभाग की जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में संग्रहित नमूनों की जांच कराकर मिलावट हेतु दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। मिलावट की रोकथाम हेतु दिन-प्रतिदिन के आधार पर सघन प्रवर्तन की कार्यवाही मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों/उप जिलाधिकारियों/खाद्य निरीक्षकों, विभागीय टास्क फोर्स टीम द्वारा छापा मारकर, दूध नमूनों को जब्त कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर, संलिप्त संस्थाओं/व्यक्तियों को गिरफ्तार कराकर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कराकर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिकने वाले गुटकों में मिलावट की जांच

140-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिकने वाले गुटकों में कत्थे के स्थान पर गैम्बियर का इस्तेमाल होने से मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत गैम्बियर अपद्रव्य हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पान-मसाला व गुटखा के वर्ष 2009 तथा जनवरी से मई, 2010 तक

51 नमूनें संग्रहित कर जांच हेतु जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराये गये हैं। गैम्बियर के प्रयोग हेतु दोषी 19 नमूनों के निर्माताओं व विक्रेताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद योजित कराये गये हैं। गैम्बियर का प्रयोग रोकने हेतु दिन-प्रतिदिन के आधार पर सघन प्रवर्तन की कार्यवाही मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों/उप जिलाधिकारियों/खाद्य निरीक्षकों, विभागीय टास्क फोर्स टीम द्वारा छापा मारकर गैम्बियर युक्त पान मसालों को जब्त कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर, संलिप्त संस्थाओं/व्यक्तियों गिरफ्तार कराकर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों की सम्बद्धता तथा उनके मूल नियुक्ति स्थान पर वापसी

141-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बेसिक शिक्षा परिषद् के भिन्न-भिन्न संवर्ग के कर्मचारी सम्बद्ध हैं क्या इस सम्बद्धता के कारण विद्यालयों के कार्यालय का कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को उनके मूल नियुक्ति स्थान पर वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी के उच्च प्राथमिक विद्यालय, सारडीह के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

142-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी के उच्च प्राथमिक विद्यालय, सारडीह के मुख्य भवन एवं अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के दोषी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध थाना आसपुर देवसरा में धारा 409 के अन्तर्गत दर्ज एफ0आई0आर0 पर अभियुक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से अभियुक्त के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लालता यादव, सदस्य भारत परिषद्, आजमगढ़ के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

143-श्री उदयराज-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-01-2010 के साथ संलग्न श्री लालता यादव, सदस्य, भारत परिषद्, आजमगढ़ का पत्र दिनांक 11-01-2010 जिसमें जनपद आजमगढ़ के एस0डी0एम0 व कुल सचिव पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को फर्जी कालेजों को बचाने सम्बन्धी 24 बिन्दुओं की जांच पर कार्यवाही की मांग विषयक मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

उक्त शिकायती पत्रों को जिला अधिकारी, आजमगढ़ एवं कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को प्रेषित कर शिकायती बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त की गयी। मां शारदा महाविद्यालय शम्भूपुर गहजी आजमगढ़, श्री हरि शंकर जी महाविद्यालय रामपुर, जहानागंज, आजमगढ़, धनपत्ति धर्मा महाविद्यालय खेमऊपुर, आजमगढ़ एवं राज बहादुर सिंह स्मारक महाविद्यालय हमीदपुर (शहीदवारा) आजमगढ़ के सम्बद्धता समाप्ति की पूर्वानुमति उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(8) के अधीन शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा थानाभवन स्थित स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक उपलब्ध न होने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

144-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या-196/रालोद/स0वि0स0/2010 दिनांकित 15-4-2010 जो जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा थानाभवन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात चिकित्सक के अस्पताल पर उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जांचोपरान्त यह पाया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थाना भवन मुजफ्फरनगर में वर्तमान में कुल 04 चिकित्सक नियमित रूप से एवं 02 चिकित्सक संविदा पर तैनात/कार्यरत है। डा0 विनीत कौशिक के दिनांक 01-05-2010 से चिकित्सा अवकाश पर होने के कारण उनके अतिरिक्त शेष चिकित्सक, परिसर में ही रह कर ड्यूटी कर रहे हैं। पत्र में उल्लिखित चिकित्सक डा0 डी0 के0 शर्मा सर्जन वर्तमान में जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में तैनात है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में रैबीज के इंजेक्शन की कालाबाजारी

145-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में रैबीज के इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं। जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में रैबीज इंजेक्शन की कोई कालाबाजारी नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सक व विशेषज्ञों का विवरण

146-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में किन-किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने चिकित्सक व कितने विशेषज्ञ कार्यरत हैं ? क्या सभी तैनात चिकित्सक ओ0पी0डी0 का कार्य करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद मुजफ्फरनगर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सक व विशेषज्ञ का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	सामुदायिक स्वा0 केन्द्र का नाम	कार्यरत चिकित्सक	कार्यरत विशेषज्ञ
1	शामली	01	08
2	खतौली	01	07
3	गढ़ीनौआबाद	01	--
4	थाना भवन	01	02
5	जानसठ	--	06
6	कांधला	01	01
7	कैराना	02	03
8	चरथावल	01	02
9	शाहपुर	01	01

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के महिला चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों की मानक के अनुरूप तैनाती

147-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के महिला चिकित्सालय में चिकित्सक एवं अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों की मानक के अनुरूप तैनाती है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों की मानक के अनुसार तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में चिकित्सकों की मानक के अनुरूप तैनाती नहीं है परन्तु पैरा मेडिकल कर्मचारी मानक के अनुसार तैनात हैं।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में महिला चिकित्साधिकारियों की अत्यन्त कमी है एवं चिकित्साधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राइमरी विद्यालय राम चन्द्र पट्टी के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच

148-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत रंगाई, पुताई तथा भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा जनपद भ्रमण में निरीक्षण एवं जांच हेतु, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-2008-79-5-2007, दिनांक 26 जून, 2007 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या जनपद-प्रतापगढ़ के प्राइमरी विद्यालय रामचन्द्र पट्टी के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कब-कब की गयी और क्या-क्या कमी पायी गयी तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्राथमिक विद्यालय रामचन्द्र पट्टी के निर्माण की जांच सहायक निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14-11-2008 को की गयी। जांच के समय सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला समन्वयक (निर्माण) भी थे। निर्माण कार्य में कक्ष की माप मानक से कम तथा नींव में पी0 सी0 सी0 का कार्य, फर्श का निर्माण, प्लेटफार्म तथा अप्रेन का कार्य मानक के अनुरूप नहीं पाया गया था। अतः दोषी अध्यापक के विरुद्ध रु0 30,765/- के दुरुपयोग किये जाने के कारण रिकवरी के आदेश दिये गये थे। रिकवरी जमा न करने के कारण दिनांक 3-7-2010 को आरोपी को निलम्बित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती

149-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं तथा उन रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 38 पद रिक्त हैं। वर्ष 2010 में आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत जनपद प्रतापगढ़ में कुल 56 चिकित्सकों को तैनात किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजकीय महाविद्यालयों में बी0 बी0 ए0 ओर बी0 सी0 ए0 की कक्षायें चलाने की योजना

150-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 2010-11 में, लखनऊ स्थित समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बी0बी0ए0 और बी0सी0ए0 की कक्षायें चलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

शैक्षणिक सत्र 2010-11 प्रारम्भ हो चुका है। सम्प्रति प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना, पुरकाजी जानसठ एवं खतौली के प्राईमरी स्कूलों की चहारदीवारी बनवाने की मांग

151-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना, पुरकाजी जानसठ एवं खतौली में कितने ऐसे प्राईमरी स्कूल हैं जिनकी चहारदीवारी नहीं बनी है ? क्या सरकार इन प्राईमरी स्कूलों की चहारदीवारी बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना में 13, पुरकाजी में 38 जानसठ में 40 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनकी चहारदीवारी नहीं बनी हैं।

उक्त में से मोरना में 01, पुरकाजी में 17, जानसठ में 16 एवं खतौली में 05 अम्बेडकर ग्रामों में स्थित विद्यालय हैं, जिनमें चहारदीवारी निर्माण की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

धनराशि उपलब्ध होने पर।

धनराशि उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी में मत्स्य विभाग द्वारा मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित आवासों का विवरण

152-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में मत्स्य विभाग द्वारा गरीब मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और किस-किस गांव में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मराज निषाद-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी में योजना के आरम्भ होने से वर्ष 2009-2010 तक मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत 26 गांवों के 206 मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को मछुआ आवास आवंटित किये गये हैं। ग्रामवार आवासों का विवरण संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में चिकित्सकों के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

153-श्री राजेश यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? रिक्त चिकित्सकों के पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद-शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में चिकित्सकों के 02 पद रिक्त हैं ?

प्रदेश के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा गया है आयोग से चयन/संस्तुतियां प्राप्त होने तथा प्रोन्नति के उपरान्त चिकित्सकों के रिक्त पदों को यथा उपलब्धता भरा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के सभी राजकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

154-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के सभी राजकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार शिक्षकों के सभी पदों पर समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

जनपद लखनऊ में स्थित 04 राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 17 पद रिक्त हैं और सहायता प्राप्त 14 अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 100 पद रिक्त हैं।

लोक सेवा आयोग एवं उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर तैनाती कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत करने के मानक

155-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत करने का मानक क्या है ? क्या उक्त मानक को पूर्ण करने वाले जनपद-मुजफ्फरनगर के जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 243 पर।

श्री रंगनाथ मिश्र-

जिला योजनान्तर्गत असेवित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर राजकीय हाईस्कूल (बालक/बालिका) की स्थापना तथा राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल (बालक/बालिका) का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित मानक निर्धारित है--

1-ऐसे विकास खण्ड का चयन पहले किया जायेगा जहां बालिकाओं के राजकीय अथवा परिषदीय हाईस्कूल हैं, परन्तु कोई कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेज संचालित न हों।

2-चयन में उस विकास खण्ड को प्राथमिकता दी जायेगी जहां जनपद की तुलना में बालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत सबसे कम हो।

3-विकास खण्ड चयन में ऐसे विकास खण्ड को वरीयता प्रदान की जायेगी जहां विद्यालय स्थापना हेतु भूमि/भवन उपलब्ध हो। राजकीय भवन बनाने हेतु पांच एकड़ भूमि की उलपब्धता होनी चाहिए।

प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन राजकीय हाईस्कूल की स्थापना हेतु 05 कि0मी0 की दूरी पर हाईस्कूल तथा 7-10 कि0मी0 की दूरी पर इण्टर का मानक निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत नवीन राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के हाई स्कूलों को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत किये जाने का मानक

156-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हाई स्कूलों को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत किये जाने का मानक क्या है ? क्या उच्चीकृत कराते समय क्षेत्रीय विधायकों के प्रस्ताव भी लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्रा-

प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हाईस्कूल की स्थापना हेतु राजकीय विद्यालय भवन बनाने के लिए 05 एकड़ भूमि तथा 05 कि0मी0 की दूरी पर हाई स्कूल एवं 07 से 10 कि0मी0 की दूरी पर इण्टर का मानक निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में नवीन राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना की जा रही है।

उच्चीकृत करते समय क्षेत्रीय मा0 विधायकगण के प्राप्त युक्तसंगत प्रस्तावों पर मानकों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाता है किन्तु भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-मुजफ्फरनगर में घटते भू-गर्भ जल स्तर को बढ़ाने की परियोजनायें

157-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में सूखे के कारण भू-गर्भ जल स्तर लगातार गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या इसके समाधान हेतु वर्षा के पानी को

रिचार्ज कर घट रहे जल स्तर को बढ़ाने की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड-चरथावल, जनसठ, खतौली, पुरकाजी, बघरा, शाहपुर, मोरना में 01 से0मी0 से 10 से0मी0 प्रतिवर्ष, विकास खण्ड-थाना भवन, ऊन, बुढ़ाना में 20 से0मी0 से 30 से0मी0 प्रतिवर्ष, विकास खण्ड-सामली में 30 से0मी0 से 40 से0मी0 प्रतिवर्ष तथा विकास खण्ड-कधंला, करैना में 50 से0मी0, 60 से0मी0 प्रतिवर्ष की दर से भूजल स्तर में गिरावट परिलक्षित हो रही है। यह गिरावट भूजल के दोहन एवं विगत वर्षों में वर्षा में कमी के कारण परिलक्षित हो रही है।

प्रदेश के 40 जनपदों के 138 संकटाग्रस्त विकास खण्डों, जिनमें अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत विकास खण्ड सम्मिलित है, में शासनादेश दिनांक 9-6-2009 के अनुपालन में गिरते भूजल स्तर की समस्या के निदान व उन्हें सुरक्षित श्रेणी में लाने हेतु तीन से पांच वर्षीय वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज की परियोजनायें क्रियान्वित की जानी प्रारम्भ की गयी है। जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड-शाहपुर ऊन, कैराना, कंधला, खटौली, सामली एवं थाना भवन में उक्त परियोजनायें चलायी जा रही है।

उक्त क्षेत्रों एवं प्रदेश के भूजल स्तर में गिरावट वाले व अन्य क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा भूजल रिचार्ज बढ़ाने हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है।

इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भूजल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य मे सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं:-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में, 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किए जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 300 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भू-खण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाले आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जायेगा।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भूगर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडेम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी, इनसीतू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(10) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडेम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(11) उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना एवं चेकडेम का निर्माण किया जा रहा है।

(12) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने मांग

158-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद-मुजफ्फरनगर में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के कुल-544 पद रिक्त हैं।

जी हां। लोक सेवा आयोग से संस्तुति प्राप्त होने तथा चयन एवं प्रशिक्षण के उपरान्त उक्त रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विद्यालयों में परीक्षा पश्चात अवकाश के दिनों में मध्याह्न भोजन हेतु योजना के संचालन को प्रतिबन्धित किया जाना

159-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/जू0 हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की वार्षिक परीक्षा सम्पन्न हो जाने के पश्चात् माह मई, जून में

विद्यालय बन्द कर दिया जाता था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वर्ष 2010 में अवकाश के दिनों में माह मई, जून में बच्चों को मध्यान्ह भोजन हेतु विद्यालय खोले जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों में तैनात महिला प्रधानाध्यापकों/महिला सहायक अध्यापिकाओं के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होने से बचाने हेतु क्या सरकार उक्त निर्णय पर पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

बच्चों की कम उपस्थिति को देखते हुए शासनादेश दिनांक 8-6-10 द्वारा ग्रीष्मावकाश में योजना का संचालन इस प्रतिबन्ध के साथ बन्द करने के निर्देश दिए गये कि यदि जिलाधिकारी चाहें तो अपने जनपद में आवश्यकता के दृष्टिगत योजना का संचालन जारी रख सकते हैं।

निर्णय पर पुनर्विचार उपरोक्तानुसार किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल में अवकाश के दिनों उपस्थित रहने वाले शिक्षकों को अवकाश दिये जाने की मांग

160-श्री विश्वनाथ-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत प्राथमिक जू0 हाई स्कूल में कार्यरत प्रधानाध्यापकों/सहायक अध्यापकों को माह मई, जून में वार्षिक परीक्षा सम्पन्न हो जाने के पश्चात् अवकाश दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि माह मई, जून 2010 में मध्यान्ह भोजन हेतु विद्यालय खुले रहेंगे ? यदि हां, तो उपस्थित रहने वाले प्रधानाध्यापकों/सहा0 अध्यापकों को अर्जित अवकाश/आकस्मिक अवकाश/प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित 58 जिलों में दिनांक 21 मई, 2010 से 08 जून, 2010 तक अल्प समय हेतु विद्यालय खुले थे।

जी नहीं।

केवल अल्प समय हेतु उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये थे। अतः किसी प्रकार के अवकाश देने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई राजकीय चिकित्सालय राजाजीपुरम् में रक्ति पदों पर नियुक्ति की मांग

161-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् लखनऊ को 30 बेड के अस्पताल से बढ़ाकर 100 बेड का कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सालय के मानक के अनुसार हृदय रोग विशेषज्ञ, स्किन रोग विशेषज्ञ और एनेस्थिसिया के चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्नगत चिकित्सालय में हृदय रोग विशेषज्ञ, स्किन रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं तथा एनेस्थेसिस्ट कार्यरत हैं।

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र पट्टी प्रतापगढ़ के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/ छात्राओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था

162-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी प्रतापगढ़ के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करायेगी ? क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कुल 266 प्राथमिक व 101 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था है। शेष 119 प्राथमिक विद्यालय एवं 23 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था नहीं है।

शौचालय व्यवस्था का कार्य शासनादेश संख्या-223/79-5-2008-194/2008 दिनांक 1-2-2008 के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जाना है। 119 प्राथमिक तथा 23 उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिनमें पृथक-पृथक शौचालय नहीं है, की सूची जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ को प्रेषित की जा चुकी है।

उक्तवत्।

जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम के प्राइमरी एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प व्यवस्था

163-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम में स्थित किन-किन प्राइमरी एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प नहीं हैं ? क्या सरकार प्रत्येक विद्यालय में हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक-एक हैण्डपम्प है परन्तु 04 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प नहीं है।

हैण्डपम्प अवस्थापना का कार्य शासनादेश संख्या-223/79-5-2008-194/2008 दिनांक 1-2-2008 के द्वारा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

164-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में निर्माणाधीन कौन-कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और कौन-कौन से अपूर्ण हैं ? उनका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आसपुर देवसरा एवं दीवानगंज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलखरनाथ धाम का मुख्य भवन पूर्ण है। चिकित्साधिकारी आवास 75 प्रतिशत, श्रीणी-2 एवं श्रेणी-1 आवास पूर्ण है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐरैला का मुख्य भवन पूर्ण है। चिकित्साधिकारी आवास भूतल फिनिसिंग है श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 आवास 4 नग पूर्ण है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिपुर बरदेता का मुख्य भवन पूर्ण है। चिकित्साधिकारी आवास भूतल फिनिसिंग, श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 आवास पूर्ण है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुजाही बाजार का मुख्य भवन पूर्ण है। चिकित्साधिकारी आवास एवं श्रेणी-2 आवास अपूर्ण है। श्रेणी-1 आवास पूर्ण है।

शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के नियुक्ति की मांग

165-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम सहित प्रत्येक बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में केवल शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा मित्रों के माध्यम से चल रहे विद्यालयों में नियमित अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ में 1768 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल 3898 शिक्षक एवं 2922 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। उक्त में से विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम में 97 प्राथमिक विद्यालयों में 237 शिक्षक एवं 165 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जो विद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के कारण शिक्षक विहीन हो गये थे, उनमें समायोजन से शिक्षक की व्यवस्था कर दी गयी है।

जनपद-प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति की मांग

166-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में प्राचार्य, उप प्राचार्य व वरिष्ठ प्रवक्ताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ?

क्या स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनाती की गई है ? यदि नहीं, तो रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ मे ंप्राचार्य का 01, उप प्राचार्य का 01 एवं वरिष्ठ प्रवक्ता के 06 पद स्वीकृत हैं।

प्राचार्य के पद पर तैनाती की गयी है। उप प्राचार्य और वरिष्ठ प्रवक्ता के पद रिक्त हैं।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के कतिपय विकास खण्डों के विद्यालयों में मानक के अनुसार नियुक्तियों की मांग

167-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन थानाभवन व शामली के प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितने-कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा कितने अध्यापक व शिक्षा मित्र कार्यरत हैं ? मानक के अनुसार नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन थानाभवन व शामली के प्रत्येक प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पंजीकृत छात्र तथा कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षामित्रों की सूची (15 प्रतियों में) संलग्न है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य केन्द्रों में बुखार एवं ऐन्टीरैबीज के इन्जेक्शन उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

168-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन्सेफेलाइटिस बुखार एवं ऐन्टीरैबीज में लगने वाले इन्जेक्शन उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पतालों में ब्लड सेपरेटर मशीन की उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी

169-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पतालों में रक्त अवयवों विशेषकर प्लेटलेट्स करने की मशीन ब्लड सेपरेटर उपलब्ध है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के निकट जनपद मेरठ के जिला चिकित्सालय में ब्लड सेपेरेटर यूनिट स्थापित एवं क्रियाशील है।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को निजी क्षेत्रों में देने के प्रस्ताव सम्बन्धी जानकारी

170-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में स्थित सरकारी अस्पतालों को निजी क्षेत्रों में देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और किन-किन राजकीय अस्पतालों को इस हेतु चयनित किया गया है तथा इनको निजी क्षेत्रों में देने के क्या कारण हैं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफ की नियुक्ति की मांग

171-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्सक व अन्य स्टाफ तैनात हैं ? यदि नहीं, तो उक्त के अनुरूप तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद बुलन्दशहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डिबाई पर मानक के अनुरूप चिकित्सक तैनात हैं, अन्य किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ तैनात नहीं हैं।

चिकित्सकों की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति या पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जाती है। वर्ष 2010 में आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत जनपद बुलन्दशहर में कुल 16 चिकित्सकों को तैनात किया गया है तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति चयन/प्रशिक्षण के पश्चात् नियमानुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक व स्टाफ के रहने की व्यवस्था

172-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक व अन्य स्टाफ के रहने की व्यवस्था है ? क्या सरकार चिकित्सक व अन्य स्टाफ के रहने की व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

44 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक व अन्य स्टाफ के रहने की व्यवस्था है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में असेवित योजनान्तर्गत कन्या इण्टर कालेज खोलने हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण

173-श्री प्रदीप माथुर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान में असेवित योजनान्तर्गत कन्या इण्टर कालेज खोलने हेतु सरकार धन उपलब्ध कराती है ? यदि हां, तो क्या यह धन इण्टर कालेज खोलने के भवन के मानक के अनुरूप ही होता है ? यदि हां, तो सरकार के इस धन से विद्यालय बनते ही तदर्थ रूप से इण्टर कालेज की मान्यता लाभार्थी संस्था को न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने विद्यालयों को विगत तीन वर्षों में धन अवमुक्त किया गया तथा क्या वह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

शासनादेश संख्या-1930/15-8-98/3070/98, दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 द्वारा कार्यकारी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं, जिसमें निर्धारित अर्हताएं रखने वाली संस्थाओं के चयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है। उक्त योजनान्तर्गत निजी प्रबन्धतंत्र के सहयोग से कन्या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु रु0 20.00 लाख का अनावर्तक अनुदान 10+10 दो समान किस्तों में दिये जाने की व्यवस्था है। यदि निर्माण कार्यों/साज सामान पर व्यय दिये गये अनुदान से अधिक होगा तो वह संस्था को अपने स्रोतों से वहन करना होगा।

मानक शर्तों की पूर्ति करने पर इण्टर की मान्यता प्रदान की जा रही है।

वर्ष	विद्यालय की संख्या	
	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
2007-08	2	11
2008-09	10	2
2009-10	8	2

द्वितीय किश्त प्राप्त विद्यालयों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय तथा अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति कराये जाने की मांग

174-श्री प्रदीप माथुर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के अधीन राजकीय इण्टर कालेजों तथा राज्य सरकार से अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकाध्यक्ष या पुस्तकालय प्रभारी जैसे पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो प्रदेश के कितने राजकीय तथा अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष अब तक नहीं हैं ? क्या यह भी सत्य है कि प्रबन्धतंत्र लाइब्रेरियन के पद पर किसी अध्यापक से अतिरिक्त कार्य लेकर कार्य चलाते हैं ? क्या सरकार सभी विद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

राजकीय इण्टर कालेज बालक में 09 व बालिका में 02 कुल 11 पद सृजित हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का कोई पद सृजित नहीं है।

शेष राजकीय तथा अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं हैं।

इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

175-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्रश्न संख्या-188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बी0एड0 में प्रवेश हेतु एन0आर0आई0 का कोटा

176-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0एड0 में प्रवेश हेतु एन0आर0आई0 का कोटा प्रतिशत सरकार ने निर्धारित किया है ? यदि हां, तो सत्र 2009-10 एवं 10-11 में बी0एड0 में एन0आर0आई0 कोटा में कितने प्रवेश किये गये एवं इसके सापेक्ष प्रदेश सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि एन0आर0आई0 के अभ्यर्थी न मिलने की दशा में उनके स्थान पर किन छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के सम्बन्ध में जानकारी

177-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में कितने उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय चयनित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में जनपद प्रतापगढ़ हेतु कुल 50 उच्च प्राथमिक विद्यालय व 31 प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से विधान सभा क्षेत्र पट्टी हेतु कुल 08 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 06 प्राथमिक विद्यालयों का चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में ब्लाक बेलखरनाथ सहित टी0बी0 के इलाज में डाट्स ट्रीटमेंट में इलाज छोड़ने का प्रतिशत एवं इसे रोकने के उपाय

178-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में ब्लाक बेलखरनाथ सहित टी0बी0 के इलाज में डाट ट्रीटमेंट के गरीब मरीजों का इलाज छोड़ने (ड्राप आऊट) का प्रतिशत क्या है ? इसे रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में टी0 बी0 के इलाज में डाट्स ट्रीटमेंट के मरीजों का इलाज छोड़ने (ड्राप आउट) का प्रतिशत 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक 5.7 प्रतिशत था। 01 जनवरी, 2010 से 30 मार्च, 2010 तक 4.8 प्रतिशत तथा बेलखरनाथ में 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक 2.4 प्रतिशत था। 01 जनवरी, 2010 से 30 मार्च, 2010 तक शून्य प्रतिशत है।

इसे रोकने के लिए मरीजों के नजदीक टी0बी0 की दवा खिलाने हेतु आशा के घर/प्रत्येक उपकेन्द्र पर डाट्स सेन्टर खोल कर ए0एन0एम0 और आशा को प्रशिक्षित कर मरीजों को दवा खिलायी जा रही है और उक्त कर्मचारी दवा छोड़ने वाले मरीजों से सम्पर्क कर उन्हें इलाज हेतु प्रेरित करते हैं। संविदा पर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर पट्टी विधान सभा क्षेत्र में नियुक्त हैं एवं ब्लाक बेलखरनाथ धाम हेतु अलग सीनियर ट्रीटमेन्ट सीनियर सुपरवाइजर है जो दवा छोड़ने वाले मरीजों के घर-घर जाकर दवा छोड़ने की हानियां बता कर इलाज पूरा करने हेतु मरीजों को प्रोत्साहित करते हैं।

प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच हेतु प्रयोगशालाओं के सम्बन्ध में जानकारी

179-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच हेतु कितनी प्रयोगशालाएं हैं और ये कहां-कहां स्थापित हैं ? इन प्रयोगशालाओं में अब तक कितने नमूने जांच के लिये लम्बित हैं ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण हेतु 5 जन विश्लेषक प्रयोगशालायें क्रियाशील हैं। जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का विवरण निम्नवत् हैं:-

1-राज्य स्तरीय राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ।

2-क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, वाराणसी।

3-क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, मेरठ।

4-क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, आगरा।

5-क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, गोरखपुर।

माह जून के पश्चात् प्राप्त लम्बित 1596 नमूनों के विश्लेषण की कार्यवाही जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में की जा रही है। संग्रहित नमूनों के विश्लेषण की प्रक्रिया सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रदेश में नकली दवाओं की जांच हेतु प्रयोगशालायें तथा लम्बित नमूने

180-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में नकली दवाओं के नमूनों की जांच के लिये उ0प्र0 में कितनी प्रयोगशालायें हैं ये कहां-कहां स्थापित हैं तथा प्रत्येक प्रयोगशालाओं में अब तक कितने नमूने जांच के लिये लम्बित हैं ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ तथा 04 क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशालायें क्रमशः मेरठ, आगरा, वाराणसी तथा गोरखपुर में स्थापित एवं क्रियाशील हैं। नकली दवाओं के नमूनों के विश्लेषण हेतु केवल राज्य स्तरीय राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ क्रियाशील है।

माह जून, 2010 तक कुल 5877 औषधि के नमूने जांच हेतु लम्बित हैं।

जनपद बुलन्दशहर में मलेरिया रोग के नियंत्रण हेतु आवंटित धनराशि

181-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में मलेरिया रोग के नियंत्रण हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कितना धन आवंटित किया गया तथा तहसील वार कितनी-कितनी फागिंग मशीनों द्वारा माह अप्रैल, 2010 तक मच्छरों को मारने हेतु दवा का छिड़काव माहवार कब-कब किया गया एवं इस पर हुए व्यय का विवरण क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद बुलन्दशहर में मलेरिया रोग के नियंत्रण हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 में रु0 1,60,000 तथा वर्ष 2010-2011 में रु0 58,000 की धनराशि आवंटित की गयी।

जनपद बुलन्दशहर हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत फागिंग मद में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। जनपद में जिला मलेरिया अधिकारी के स्तर से दिनांक 25-9-2009 से दिनांक 13-10-2009 की अवधि में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहासू की चयनित जनसंख्या 46998 पर एक चक्र डी0 डी0 टी0 3035 कि0 ग्रा0 का छिड़काव कराया गया।

समता समिति उ0 प्र0 की संस्तुतियों के अनुसार राजकीय मुद्रणालयों के फोरमैन पद के वेतनमान एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के उक्त पद धारकों के वेतनमान में असमानता

182-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समता समिति उत्तर प्रदेश 1983 की संस्तुति के अनुसार समस्त राजकीय मुद्रणालय में फोरमैन पद का वेतनमान दिनांक 01-01-1996 से रु0 5000-8000 दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में उक्त पद धारक का वेतनमान रु0 3050-4500 है ? यदि हां, तो क्या सरकार समता समिति के अनुसार समान कार्य के लिये समान वेतनमान 5000-8000 दिये जाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

समता समिति उ0 प्र0 1989 की संस्तुति के अनुसार राजकीय मुद्रणालयों में फोरमैन पद का वेतनमान दिनांक 31-7-96 से रु0 5000-8000 दिया गया है।

जी हां।

जी नहीं।

राजकीय मुद्रणालयों में फोरमैन बाइण्ड्री, फोरमैन प्रेसरूम, फोरमैन आफसेट, फोरमैन कम्पोजिंग तथा फोरमैन वर्कशाप का पद शत-प्रतिशत प्रोन्नति का है, जिनकी अलग-अलग अर्हताएं निर्धारित हैं। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में सृजित सीधी भर्ती के फोरमैन के पद की तुलना राजकीय मुद्रणालय में पदोन्नति से भरे जाने वाले फोरमैन के पद से नहीं की जा सकती है।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ में प्रशिक्षण अवधि के उपरान्त ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही

183-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

प्रथम सत्र 2010 के तसरे मंगल के अता0 95 के उत्तर के सन्दर्भ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महामहिम राज्यपाल के आदेश संख्या ई-2586 जी0एस0 दिनांक 18-6-96 द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने उक्त प्रमाण-पत्र किस तिथि को चिकित्सक को हस्तगत कराया एवं उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

महामहिम राज्यपाल के आदेश संख्या-ई-2586 जी0 एस0 दिनांक 18-06-96 के अनुपालन में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, लखनऊ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मुख्यालय से चिकित्सक को दिनांक 13-06-1997 को हस्तगत कराया गया है। प्रमाण-पत्र में अंकित प्रशिक्षण अवधि के उपरान्त ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तक की अवधि के लिये, सम्बन्धित चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम गजरौला में ऊर्जा पार्क का निर्माण कराये जाने की मांग

184-श्री संजय कपूर-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रामपुर की तहसील बिलासपुर में नेडा द्वारा ग्राम गजरौला में ऊर्जा पार्क स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या नेडा द्वारा इस ऊर्जा पार्क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अकबर हुसैन-

जी हां।

जी नहीं।

वर्ष 2009 में स्वीकृत पार्क का स्थल उपयुक्त न पाये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि नवम्बर, 2009 में उन्हें समर्पित कर दी गयी।

जनपद पीलीभीत के ग्राम अशोक नगर के विद्यालय भवन तथा विनोबा नगर प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कराये जाने की मांग

185-श्री सुखलाल-

क्या सरकार को जानकारी है कि ट्रान्स शारदा क्षेत्र, जिला पीलीभीत के ग्राम अशोकनगर वर्ष 2007 में शारदा नदी में समा गया था एवं इसके साथ ही विद्यालय भवन भी बह जाने के बाद से अब तक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो सका है ? क्या यह भी सही है कि इस बार की बाढ़ में विनोबानगर प्राथमिक विद्यालय भवन नदी में समा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कटान से नष्ट प्राथमिक विद्यालय, भवनों को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

वर्ष 2007 में ग्राम अशोक नगर का मजरा पक्की कालोनी व विद्यालय भवन शारदा नदी की बाढ़ में समाहित हो गया था। ग्राम अशोक नगर की आबादी, ग्राम रामनगर व अशोक नगर के निकट वन विभाग की भूमि पर बस गयी। वन विभाग की भूमि पर विद्यालय भवन का पक्का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं था। वर्तमान में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की उपलब्ध करायी गयी भूमि पर कक्षा-कक्ष का निर्माण कराकर विद्यालय का संचालन वर्तमान सत्र से प्रारम्भ कराया जायेगा।

जी हां।

ग्राम अशोक नगर में विद्यालय संचालन हेतु कक्षा-कक्षों को स्वीकृत कर निर्माण कराया जा रहा है। विनोबा नगर की आबादी कटान के बाद अलग-अलग स्थान टिब्बा, सिद्धार्थ नगर बाजार घाट व अन्य स्थान पर बसी है। जहां प्राथमिक विद्यालय पूर्व से संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अल्प वार्षिक आय व कम भूमि के कृषकों को बिजली के कोटे नलकूप हेतु अनुदान की व्यवस्था

186-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कृषक जिनके पास आधा हेक्टेयर तक जोत की भूमि है तथा सालाना आय 16000-20,000 है, को छोटे बिजली के नलकूप मुफ्त लगवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाखीराम नागर-

लघु सिंचाई विभाग में निःशुल्क बोरिंग योजना में लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये अनुदान पर उथले नलकूप लगवाये जाते हैं, जिनमें बोरिंग पर सामान्य जाति के लघु कृषकों को रु0 5000/- सीमान्त कृषक को रु0 7000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु रु0 10,000/- अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त डीजल चालित एवं विद्युत चालित दोनो प्रकार के पम्पसेट स्थापित होते हैं और इनके लिये सामान्य जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत रु0 18,000/- के आधार पर क्रमशः इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 4500/- इकाई लागत का 33.33 प्रतिशत अधिकतम रु0 6000/- एवं इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 9000/- का अनुदान भी देय है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बंटवा दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गयी)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 अगस्त, 2010 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 44 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं, जो पढ़ी हुई मानी गयीं :-

पहली सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की जनपद बदायूं की सहकारी चीनी मिल सेखूपुर बदायूं के कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि कटौती धनराशि कर्मचारियों के खाते में न जमा

किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अशोक कंसल की जनपद मुजफ्फरनगर स्थित मोहल्ला उत्तरी व दक्षिणी रामपुरी एवं हरीपुरम में विद्युत खम्भे एवं विद्युत लाइन एवं तार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू की जनपद महराजगंज स्थित महाव तटबन्ध के रिपेयरिंग मद में करोड़ों रुपये के फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के अन्तर्गत बनाये गये कतिपय मार्गों की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त एवं आवागमन बाधित होने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री संजीव दरियाबादी ''बन्टी'' की प्रदेश के महाविद्यालयों एवं पी0जी0 कालेजों में छात्र-छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की संस्तुति भारत सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की प्रदेश में राजीव आवास योजना तथा सागरपेशा वासियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पुनर्वासित कराने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां एवं महमूदाबाद के विकास खण्ड रेउसा रामपुर मथुरा में भयंकर बाढ़, अतिवृष्टि आवागमन के रास्ते क्षतिग्रस्त होने तथा टूटे हुये पुलियों का पुनः मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में स्थित मध्य गंग नहर के पुलों पर रेलिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के कोतवाली आजमगढ़ में दर्ज अभियोजन संख्या 1024/2005 पर विभागीय जांच में निर्दोष पाये जाने के उपरान्त अभियोजन ई0ओ0डब्लू0 वाराणसी की प्रचलित जांच को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती मिथलेश पाल की जनपद मुजफ्फरनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर चन्द्र मोहन शर्मा को मूल पद पर तैनात करने के आदेश का क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में है तथा पन्द्रहवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच के महाराज सिंह इण्टर कालेज में व्याप्त अनियमितताओं एवं किये गये फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में।

16वीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी की है। यह अनुपस्थित हैं। 17वीं सूचना श्री सतीश महाना की है इन्होंने कानपुर गोविन्दनगर स्थित सी0पी0आई0 चौराहे से बर्रा-शास्त्री चौक जाने वाली सड़क पर खुला नाला ठीक कराने एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। 18वीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है इन्होंने जनपद वाराणसी के शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की सभी सीवर लाइनों तथा पेय जलापूर्ति लाइनों की क्षमता वृद्धि के साथ जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री नरेन्द्र सिंह जी के स्थान पर श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप की सूचना जो छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों सम्बन्धी शासनादेशों में संशोधन कर अनु सचिव, उप सचिव एवं अन्य पदों पर

न्यूनतम मूल वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में है, ली जायेगी। शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है। जिन मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं उनके नाम निम्नवत् है :-

श्री राम विशुन आजाद, श्री इमरान मसूद, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री सुन्दर सिंह, श्री विद्यासागर गुप्ता, श्री प्रदीप माथुर, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री राज किशोर सिंह, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री लालजी यादव, श्री दीप नारायण सिंह, श्री राधेश्याम जायसवाल, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री लल्लू सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सुनील शर्मा, श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री कुबेर सिंह, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री निर्मल वर्मा, श्री आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद बदायूं की सहकारी चीनी मिल शेखूपुर बदायूं के कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि कटौती धनराशि कर्मचारियों के खाते में न जमा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[महोदय,

निवेदन है कि किसान सहकारी चीनी मिल शेखूपुर बदायूं के कर्मचारियों का भविष्य निधि की धनराशि जो लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपया कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं है। जो कि कर्मचारियों के वेतन 12 प्रतिशत कटौती हर माह की जाती है तथा 12 प्रतिशत चीनी मिल जमा करती है। यह धनराशि कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं है। कर्मचारियों की भविष्य निधि की पास बुकों में 2005-06 ही दर्ज है। जो कि गबन की श्रेणी में आता है। इसकी लिखित शिकायत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बदायूं/उच्चाधिकारियों को भी दी गयी। फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। 700 कर्मचारियों का भविष्य अन्धकार में डूबा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये संवैधानिक कार्यवाही करने एवं ट्रस्ट भंग करके सम्पूर्ण धन को भवष्यि निधि संगठन बरेली 111 सिविल लाइन, बरेली को भेजवाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित मोहल्ला उत्तरी व दक्षिणी रामपुरी एवं हरीपुरम में विद्युत खम्भे एवं विद्युत लाइन एवं तार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कंसल-

[महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित मोहल्ला उत्तरी एवं दक्षिणी रामपुरी एवं हरीपुरम (कुकड़ा) में विद्युत के खम्भे एवं विद्युत लाइन न होने के कारण यहां के निवासियों के सामने समस्या बड़ी विकट है जिसके कारण यहां के निवासी विद्युत के अभाव में अंधकार में रहने को विवश हैं। काफी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समय से जिला स्तर एवं शासन स्तर पर विद्युत लाइन हेतु निवेदन किया गया है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से यहां के निवासियों में असन्तोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मोहल्ले में विद्युत लाइन, खम्भे एवं तार उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद महराजगंज स्थित महाव तटबन्ध के रिपेयरिंग मद में करोड़ों रुपये के फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सर्वेश कुमार सिंह ''सीपू''-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद महराजगंज अन्तर्गत महाव तटबन्ध व बलिया नाला व एगेप नर नरायनी छितौनी बंधे के निर्माण/रिपेयरिंग मद में बगैर कार्य कराये फर्जी रूप से करोड़ों रुपये का भुगतान अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड-2 महराजगंज श्री मुन्ना लाल सचान द्वारा अपने सगे रिश्तेदारों को कर दिया है। यही नहीं मेसर्स नावेद इण्टर प्राइजेज जो सचान का सगा साला है, के नाम पर बिना कार्य कराये ही करोड़ों का भुगतान कर दिया है जिसकी शिकायत स्थानीय मंत्री, जनप्रतिनिधि आदि लोगों द्वारा शासन से की गयी। परन्तु श्री सचान की पहुंच के चलते कोई कार्यवाही नहीं हुई। यही नहीं पूर्व में कमिश्नर, गोरखपुर द्वारा करीब एक माह पहले ही स्पष्ट रूप से प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य अधिकारियों को लिखित रूप से भेजा कि शासन का ही कोई अधिकारी इस घोटालेबाज को बचाने में लगा है परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई इसी घोटाला महाव तटबन्ध के सम्बन्ध में कुछ अभियंता निलम्बित भी हो चुके हैं और बलिया नाला घोटाला में आर0 बी0 मिश्रा अवर अभियन्ता द्वारा ज्यादातर फर्जी एम0 बी0 के माध्यम से भुगतान कर दिया है। इस तरह से शासकीय धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है इससे तटबन्धों आदि पर कोई कार्य न होने के कारण बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। जनमानस में इस प्रकरण को लेकर काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस प्रकरण पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के अन्तर्गत बनाये गये कतिपय मार्गों की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त एवं आवागमन बाधित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के अन्तर्गत बनाया गया मार्ग मंगरौरा से दीवानगंज ब्लाक पट्टी का मार्ग पट्टी से पटकौली वाया पृथ्वीगंज एवं ब्लाक आसपुर देवसरा में पट्टी राजाबाजर वाया रेडीगारापुर एवं बाबा बेलखरनाथ धाम का मार्ग शीतलागंज से उड़ैययाडीह तथा मार्ग कोंहड़ौर से चंदौका जिनका निर्माण लेपन स्तर तक निम्न

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गुणवत्ता का किये जाने के कारण जगह-जगह पर गड्ढे होते जा रहे हैं एवं कुछ मार्ग आज भी अपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भी बनाये गये मार्ग जिनकी मरम्मत का कार्य भी विभाग द्वारा नहीं कराया गया है जिसके कारण सड़कें कट गयी हैं, पटरियां क्षतिग्रस्त हैं और आवागमन प्रभावित है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश के महाविद्यालयों एवं पी0 जी0 कालेजों में छात्र/छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव दरियाबादी ''बन्टी''-

[मैं इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान प्रदेश के महा विद्यालयों एवं पी0 जी0 कालेजों में छात्र/छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहता हूं। छत्रपति शाहूजी महराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध डिग्री कालेज/पी0 जी0 कालेज में वर्तमान सत्र में प्रवेश की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। विगत वर्ष शासन द्वारा बीस प्रतिशत अतिरिक्त सीटें प्रवेश हेतु बढ़ा दी गयी थीं, किन्तु इस वर्ष अभी तक अतिरिक्त सीटें नहीं बढ़ायी गयी हैं, जिससे समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। सैकड़ों छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु वंचित हैं। प्रवेश न मिल पाने के कारण हजारों छात्र/छात्रायें आन्दोलनरत हैं और प्रवेश को लेकर सड़कों पर उतर आये हैं। दिनों-दिन प्रवेश को लेकर समस्या गम्भीर होती जा रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की संस्तुति भारत सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[गोरखपुर विश्वविद्यालय तकरीबन 6½ करोड़ नागरिकों के क्षेत्र में अकेला विश्वविद्यालय है। 1957 में स्थापित यह उत्तर प्रदेश राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। यहां कला, विज्ञान, विधि, वाणिज्य, शिक्षा, गृह विज्ञान, चिकित्सा, बायोटेक्नोलॉजी, कृषि सहित अनेक रोजगार परक विषयों की शिक्षा दी जाती है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थापित होने तथा मूलतः उ0 प्र0 के द्वारा आर्थिक रूप से संचालित होने के बावजूद यहां सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही छात्र अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि बहुत बड़ी संस्था में बिहार के छात्र भी यहां शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सीमित आर्थिक संसाधनों का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में बिहार प्रान्त के शैक्षणिक विकास के लिये होता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रहा है, इसीलिये विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिये आर्थिक संसाधन जुटाने में इसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्रों का शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास सीधे प्रभावित हो रहा है।

व्यापक जनहित में यह अत्यन्त आवश्यक है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्र सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दे, इसके लिये प्रदेश सरकार से एक संस्तुति भारत सरकार को भेजी जाये, जिससे इसमें आर्थिक संसाधन बढ़ाये जा सकें।

अतः लोकमहत्व के इस निश्चित, अविलम्बनीय विषय को कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत सदन में उठाने तथा इसका जवाब पटल पर रखने हेतु अनुग्रह।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह-

[आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है, क्योंकि वर्तमान में हाटा तहसील के अन्तर्गत आने वाले गांव की दूरी बहुत अधिक पड़ती है जिसके कारण जनमानस को वहां पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कप्तानगंज नगर पंचायत को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में कागजी कार्यवाही भी की गयी थी, लेकिन अभी तक कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने का पूर्ण मानक रखता है। कप्तानगंज नगर पंचायत को तहसील बनाये जाने हेतु स्थानीय जनता द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाते हैं परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण जनमानस में असन्तोष व्याप्त है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा भी नियम-301 के तहत कई बार विधान सभा में भी मुद्दा उठाया गया परन्तु कोई जवाब नहीं मिला।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कप्तानगंज को तहसील बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयभान करवरिया-

[मान्यवर,

सम्पूर्ण प्रदेश में व्यापक पैमाने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनायें प्रमुख टी0वी0 चैनलों पर प्रसारित हुईं जिससे आम जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न हो गयी है। जुलाई माह में इलाहाबाद तथा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ऐसी कई बड़ी घटनायें प्रकाश में आयी जिससे व्यापक पैमाने पर चर्बी की मिलावट कर देशी घी बनाया जाता है। चर्बी के मिलावट के गोरखधन्धे में विभिन्न नगर निगमों का संलिप्तता के कारण प्रदेश के विभिन्न स्लाटर हाऊसों में स्वीकृत संख्या से अधिक जानवर काटे जा रहे हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फल तथा सब्जियों का कारोबार भी मिलावट से अछूता नहीं है। सब्जी के पैदावार में आई0आई0टी0आर0 के शोध के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि 20 विभिन्न प्रकार की सब्जियों में 28 तरह के कीटनाशक पाये गये। सब्जियों में इन्ओफान, फिनोप्रो पैथरित, परनीमिट प्रमुख रूप से पाये गये। जो मानव के अन्दर बीमारी फैलाने का कार्य कर रहे हैं दाल में कंकड़ की मिलावट आम व केला को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से मानसिक असंतुलन पैदा होता है दूध में सिन्थेटिक तत्वों, यूरिया डिटरजेन्ट की मिलावट, पिसी धनिया एवं हल्दी में मिलावट, खोया में आलू की मिलावट, भरपूर मात्रा में की जा रही है। एक तरफ महंगाई की मार तथा दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों में मिलावट से प्रदेश की जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। नकली दवाइयों से भी मानव के जीवन को खतरा बढ़ रहा है सम्पूर्ण प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए इस धन्धे में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है। जिसमें सरकार असफल तथा असहाय सी दिखती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं तात्कालिक तथा सुनिश्चित विषय पर सरकार से कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वारिस खान--

[जनपद मुजफ्फरनगर में अर्न्तग्रामीण मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं प्रमुख जिला मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में है। जिन पर वर्तमान में गहरे गड्ढे हो गये हैं व क्षतिग्रस्त अवस्था में है। जिस कारण वाहनों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है। इन मार्गों का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

1-शहर मुजफ्फरनगर के व्यस्तम जानसठ मार्ग के अलमासपुर चौराहे से कूकड़ा नवीन मण्डी स्थल के सामने से होते हुए भोपा रोड तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।

2-जनपद मुजफ्फरनगर के बिडौली गंगोह मार्ग का शेष बचा हुआ 5 कि0 मी0 (ग्राम खोड़समा से डिडौली चौक तक) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।

3-जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम अम्बेहटा रिंदान से ग्राम सिंभालका तक मार्ग का नवनिर्माण।

4-जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम गागोर से ग्राम पिण्डौरा तक के मार्ग का पुनः निर्माण।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में राजीव आवास योजना तथा सागरपेशा वासियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पुनर्वासित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[नगरों में मलिन बस्तियों के गरीबों को पुनर्वासित करने हेतु देश एवं प्रदेश सरकार कई योजनायें संचालित कर रही है, भारत सरकार ने सेना, रेल विभाग की भूमियों पर स्थित गरीबों को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुनर्वासित करने हेतु राजीव आवास योजना बनायी है, और प्रदेश सरकार से 20 जुलाई, 2009 को सम्पूर्ण विवरण की मांग की है। उत्तर प्रदेश शासन के सूडा विभाग ने 15 अक्टूबर, 2009 को सभी जिलाधिकारी व डूडा से 10 दिनों के अन्दर अपने-अपने नगरों की स्तलम का पूर्ण विवरण देने को लिखा, किन्तु 10 माह बीत जाने के बाद भी इलाहाबाद ने अभी तक विवरण नहीं भेजा है जिससे योजना विफल होने के कगार पर है।

इसी प्रकार मा0 आवास मन्त्री द्वारा इलाहाबाद की नजूल भूमि पर पीढ़ियों से आवासित सागरपेशावासियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पुनर्वासित किये जाने हेतु 30 जुलाई, 09 और 30 दिसम्बर, 09 को जिला प्रशासन, नगर निगम एवं इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की टीम गठित करके पुनर्वासन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निर्देश दिया, किन्तु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रगति शून्य है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर ततकाल राजीव आवास योजना तथा सागरपेशावासियों को पुनर्वासित कराने एवं दोषी लोगों को दण्डित करने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां एवं महमूदाबाद के विकास खण्ड रेउसा एवं रामपुर मथुरा में भयंकर बाढ़ अतिवृष्टि से आवागमन के रास्ते क्षतिग्रस्त होने तथा टूटे हुये पुलियों की पुनः मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

[मान्यवर,

जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां एवं महमूदाबाद के विकास खण्ड रेउसा एवं रामपुर मथुरा में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित रहता है, जिससे आवागमन से समस्त रास्ते डामर रोड क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पुलिया आदि भी टूट जाती हैं। शासन द्वारा जनपद में मरम्मत हेतु धन भी आता है परन्तु दुर्भाग्यवश क्षतिग्रस्त मार्गों व पुलियों की मरम्मत नहीं की गयी है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः विकास खण्ड रेउसा में 1-भिटौली, चन्दसेनी, सुतौली मार्ग 2-रेउसा-तम्बौर मार्ग से खानपुर मुइया पतरासा मार्ग 3-खुरवलिया, किशोरगंज, बढ़ईडीह मार्ग 4-चन्दौली समशेरी पुरवा मार्ग 5-ग्वारी, जब्बर पुरवा मार्ग, विकास खण्ड रामपुर मथुरा में 1-कितुरी केवड़ा मार्ग 2-रामपुर सोहरिया मार्ग 3-रामपुर छाछी मार्ग 4-रामपुर बहादुरगंज 5-रामपुर तिवारीपुर मार्ग 6-रामपुर कनरखी मार्ग 7-रामपुर थानगांव से दहला मार्ग की शासन द्वारा मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में स्थित मध्य गंग नहर के पुलों पर रेलिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर,

मेरी विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर में एक बड़ी नहर मध्य गंग नहर निकलती है जो बहुत गहरी है तथा हाइवे NH-24 के समान्तर बहती है। उसमें लगभग तमाम पुलों पर रेलिंग नहीं है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिस प्रकार गढ़ मेरठ हाइवे, झडीना, फूलड़ी, रसूलपुर, हरोड़ा पुल आदि जिससे आये दिन वाहनों को नहर में गिरने से अनेकों लोगों की मृत्यु हो चुकी है कल दिनांक 9-8-2010 को भी वाहन गिरने से तीन लोग मौत के शिकार हो चुके हैं क्योंकि यह सूचना अत्यन्त लोक महत्व व अविलम्बनीय है अतः बिना विलम्ब के त्वरित निर्देशों के द्वारा सभी पुलों पर रेलिंग लगाने की व्यवस्था हेतु मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ की कोतवाली आजमगढ़ में दर्ज अभियोजन सं0-1024/2005 पर विभागीय जांच में निर्दोष पाये जाने के उपरान्त अभियोजन ई0ओ0डब्ल्यू0 वाराणसी को प्रचलित जांच को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दूर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक ही प्रकरण पर बार-बार जांच कराकर कर्मियों/अधिकारियों पर उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है, जो उचित नहीं है। श्री एच0 एन0 सिंह चीफ फार्मासिस्ट सी0एम0एस0डी0 स्टोर आजमगढ़ के आवास पर जिला प्रशासन द्वारा 22-09-2005 में छापा मार कर कुछ सामान बरामद किया गया था जिस पर सी0एम0ओ0 आजमगढ़ द्वारा 27-09-2005 को अभियोजन कोतवाली आजमगढ़ में अभियोजन संख्या-1024/2005 दर्ज कराया गया था जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0 द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव मा0 मीरा यादव के हस्ताक्षर से जारी शासनादेश संख्या-611/कार्मिक-1-2005, दिनांक 02 जुलाई, 2005 के क्रम में प्रकरण की विस्तृत जांच करायी गयी और श्री सिंह निर्दोष पाये गये जिसमें महानिदेशक के पत्र संख्या-4डी(2)/जांच/13/96/टी0सी0/2115 दिनांक 22 फरवरी, 2006 द्वारा उक्त अभियोजन संख्या-1024/2005 को वापस करने हेतु सी0एम0ओ0, आजमगढ़ को निर्देश दिया गया था। सी0एम0ओ0 आजमगढ़ ने अपने पत्र संख्या--फार्मे0/2005-06/2238, दिनांक 30-03-2006 द्वारा वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को उक्त अभियोजन को समाप्त करने हेतु पत्र लिख दिया गया था। परन्तु अभियोजन को वापस न कर गृह विभाग गोपन-3 द्वारा उसी प्रकरण को ई0ओ0डब्ल्यू0 संस्था, गृह विभाग अनुभाग गोपन-3 के पत्र संख्या-303/25-8-2006-17(59)/2005, 29 मार्च, 2006 को सौंप दिया गया है। जिस पर ई0ओ0डब्ल्यू0 शाखा वाराणसी द्वारा जांच प्रचलित है। इस प्रकरण पर श्री सिंह चीफ फार्मेसिस्ट के विरुद्ध तीन बार अनुशासनिक कार्यवाही क्रमशः जनपद झांसी, जनपद-बदायूं व जनपद-बुलन्दशहर स्थानान्तरण किया गया एवं तीन बार विभागीय अपर निदेशक, आजमगढ़ के जांच में पत्र संख्या-अ0नि0/जांच/भण्डार/7-8/372, दिनांक 29/30-6-2007 के द्वारा जांच में निर्दोष पाये गये। यहां तक कि श्री सिंह को महानिदेशक के आदेश संख्या-4डी(2)/13/96/2249 दिनांक 19 फरवरी, 2008 को निलम्बित कर आरोप-पत्र जो संप्रेक्षा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट के अनुसार 9,50,602/-रु0 की औषधि का दुर्विनियोग व वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 में कुछ दवाओं की हेरा-फेरी का आरोप लगाया गया और आरोप-पत्र की जांच

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महानिदेशक के पत्र संख्या-4डी(2)/13/96/2107, दिनांक 21-3-2008 के द्वारा अपर निदेशक, वाराणसी से जांच कराया गया, जांच में अपर निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या-अ0नि0/एस0टी0/एच0एन0 सिंह/2008/2939 दिनांक 28-07-2006 को आरोप से मुक्त कर दिये गये और जांच में निर्दोष पाये गये जिसके पश्चात् श्री सिंह को सवेतन बहाल कर दिया गया परन्तु श्री सिंह को परेशान करने हेतु पुनः इस प्रकरण को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा पत्र संख्या-2875/5-7-2008-सात-74/2002 चिकित्सा अनुभाग-7, दिनांक 06 अक्टूबर, 2008 द्वारा आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ से जांच विस्तृत कराया गया और जांच में मधुसूदन राय, आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ ने अपनी जांच रिपोर्ट संख्या-596/ज्ये0सहा0-1(अरुण तिवारी) दिनांक 09-07-2009 में यह दर्शाते हुए कि जिन बिन्दुओं पर जांच अधिकारी नामित किया गया हूं, उन बिन्दुओं पर अब किसी और जांच का कदाचित कोई विधिक अवसर नहीं रह जाता है और न्यायोचित यही है तथा शासनादेश भी है कि आरोप से आरोपी कर्मी को यदि बरी कर दिया गया है तो उस पर पुनः कोई जांच की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी मण्डल से बाहर स्थानान्तरण करने हेतु आयुक्त ने संस्तुति जांच रिपोर्ट में किया था जिस पर श्री सिंह का स्थानान्तरण बुलन्दशहर कर दिया गया था और उक्त आदेश पर मा0 उच्च न्यायालय इलाबाहाद द्वारा स्थगन आदेश भी दे दिया गया है। इस तरह एक ही प्रकरण पर श्री सिंह को कई बार स्थानान्तरण/निलम्बित कर इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित एवं उत्पीड़न किया जा रहा है। जबकि सभी जांच में श्री सिंह निर्दोष पाये गये हैं।

अतः इस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए तुरन्त ई0ओ0डब्ल्यू0 वाराणसी द्वारा प्रचलित जांच व कोतवाली आजमगढ़ में दर्ज अभियोजन संख्या-1024/2005 को वापस किये जाने सम्बन्धी लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार से तत्काल वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर चन्द्र मोहन शर्मा को मूल पद पर तैनात करने के आदेश का क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मिथिलेश पाल-

[जनपद मुजफ्फरनगर में नगरीय मलेरिया इकाई में एलोपैथ चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 चन्द्र मोहन शर्मा, एम0 ओ0 सी0 एच0 (बी0 ए0 एम0 एस0) कब से व क्यों तैनात हैं जबकि एम0 ओ0 सी0 एच0 का पद केवल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सृजित है। एम0 ओ0 सी0 एच0 का वेतन अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक 2210 चिकित्सालयों लोक सेवा आयोजनेत्तर 03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-110 अस्पताल तथा औषधालय-10 एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय हेड से देने का शासनादेश है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा डा0 चन्द्रमोहन शर्मा का वेतन अनुदान संख्या-36 लेखा शीर्षक 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 17 मलेरिया उन्मूलन प्रावस्था के अन्तर्गत आहरित किया जा रहा है। क्या यह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता क्या आडिट आपत्ति के उपरान्त भी डा0 चन्द्रमोहन शर्मा को इसी पद पर तैनात रखते हुये वेतन दिया जा सकता है। क्या अपर निदेशक मलेरिया/वी0वी0डी0 उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्पष्ट

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदेश कि नगरीय मलेरिया इकाई मुजफ्फरनगर में चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर सामु0 स्वा0 डा0 चन्द्रमोहन शर्मा को उनके मूल पद पर तैनात करने के आदेश के उपरान्त भी मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा उनको नहीं हटाया जाना न्याय संगत है।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद बहराइच में महाराज सिंह इण्टर कालेज में व्याप्त अनियमितताओं एवं किये गये फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 वकार अहमद शाह-

[मैं आपका ध्यान महाराज सिंह इण्टर कालेज बहराइच की ओर आकर्षित करते हुये इसमें व्याप्त अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की ओर दिलाना चाहता हूं। 30 जून, 10 को विद्यालय की कमेटी के निर्णय न लिये जाने के कारण अपात्र को छोड़ते हुये श्री आनन्द मोहन प्रधान को कार्यवाहक प्रिन्सपल का चार्ज दिया गया। कालेज 2005 की सोसायटी के अन्तर्गत कार्य कर रहा, जिसे रिन्यू नहीं कराया गया है। इस प्रकार जब सोसायटी ही नहीं तो मैनेजर व कमेटी कहां रह जाती है।

2-श्री संकटा प्रसाद प्रथम नम्बर पर टीचर विकलांग हैं 50,000 रुपये की आयकर छूट ले रहे हैं और वे प्रशासनिक पोस्ट के लिये योग्य नहीं है। दूसरे नं0 के टीचर की अनिच्छा के कारण तीसरे नम्बर के टीचर आनन्द मोहन को चार्ज दिया गया।

3-2005 में सोसायटी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया 2006 में इलेक्शन हुआ लेकिन मंडलीय समिति से अनुमोदन नहीं लिया गया केवल मदर-मेम्बर को ही निर्णय में वोट का अधिकार है लेकिन 2 जुलाई, 10 को फर्जी सोसायटी बनाकर रिन्यूवल 8 जुलाई, 10 को कराया गया। डी0एम0 ने बिना मेम्बर बुलाये मीटिंग कर ली। उसी समय फर्जी तरीके से संकटा प्रसाद तिवारी को चार्ज दे दिया।

कृपया उपर्युक्त विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन में उठाने हेतु अनुमति दिलाने का कष्ट करें।]

कानपुर गोविन्दनगर स्थित सी0 पी0 आई0 चौराहे से बर्रा-शास्त्री चौक जाने वाली सड़क पर खुला नाला ठीक कराने एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय,

कानपुर गोविन्द नगर स्थित सी0 पी0 आई0 चौराहे से बर्रा शास्त्री चौक जाने वाली रोड पर दोनों तरफ विकास प्राधिकरण की कालोनियां व मकान बने हैं। इसी डबल रोड पर लगभग 100 मी0 से अधिक पर अतिक्रमण होने के कारण रोड केवल एक तरफ ही चलती है साथ में ही एक तरफ खुला नाला होने के कारण वहां के रहने वाले लोगों को गम्भीर नरकीय स्थिति से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खुला नाला होने के कारण इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में सड़क के एक किनारे से अतिक्रमण हटाकर सड़क को 4 लेन करना तथा खुले नाले को ढक कर वहां पर हो रही बदबू व प्रदूषण से मुक्ति दिलाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः उक्त सी0 पी0 आई0 चौराहे से शास्त्री चौक जाने वाले नाले को पक्का बनाकर उसको ढकने का कार्य एवं अतिक्रमण हटाकर दोनों तरफ सड़क बहाल करने की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की सभी सीवर लाइनों तथा पेय जलापूर्ति लाइनों की क्षमतावृद्धि के साथ जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 योजना के अन्तर्गत बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[मान्यवर,

वाराणसी शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र सबसे पुरानी आबादी तथा गंगा तट पर बसा हुआ क्षेत्र है। क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति हेतु तथा सीवर लाइन की पाइपें बहुत पुरानी टूट-फूट गयी हैं जिससे पूरे दबाव पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पाता है तथा सीवर लाइनें भी अक्सर चोक हो जाया करती हैं और ओवर फ्लो होने के कारण जहां तहां सीवर का गन्दा पानी बहता रहता है जिसका सीधा असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बहुत पुरानी पड़ चुकी पेयजल पाइप लाइनों की क्षमतावृद्धि तथा सीवर लाइनों की क्षमतावृद्धि के साथ ही क्षेत्र की सभी लाइनें बदलने की जनहित में अत्यन्त आवश्यकता है। इन दिनों जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के तहत पेय जलापूर्ति को सुदृढ़ करने तथा गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में सीवर लाइनों को भी सुदृढ़ करना योजना के अन्तर्गत है। मेरी मांग है कि मेरे क्षेत्र के सभी सीवर लाइनों तथा पेय जलापूर्ति लाइनों की क्षमता वृद्धि के साथ जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

व्यापक जनहित में मेरी मांग है कि मेरे दक्षिणी विधान सभा वाराणसी के अन्तर्गत सभी पक्के मोहल्लों के क्षेत्र के पेय जलापूर्ति पाइप लाइनों को क्षमतावृद्धि के साथ ही बदल दिये जायें और सीवर लाइनों को भी क्षमतावृद्धि के साथ ही बदल दिये जायं ताकि क्षेत्र के लोगों को अत्यन्त कम दवाब पर पेय जलापूर्ति तथा दूषित पेय जलापूर्ति से अविलम्ब निजात मिल सके।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त कार्य को कराये जाने की मांग करता हूं।]

छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन कर अनुसचिव, उप सचिव एवं अन्य पदों पर न्यूनतम मूल वेतन निर्धारित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप-

[महोदय, छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने पर एक ही दिन एक ही मूल पद पर अनुसचिव/उप सचिव व अन्य पद पर पदोन्नति से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से कम वेतन निर्धारित किया जा रहा है। अनुसचिव पी0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बी0-3 वेतनमान 15600-39100 के ग्रेड पे 6600 में सीधी भर्ती पर 25350.00 संशोधित मूल वेतन निर्धारित किया गया है। उप सचिव पी0बी0-3 वेतनमान 15600-39100 के ग्रेड पे 7600 में सीधी भर्ती पर 29920 संशोधित मूल वेतन निर्धारित किया जा रहा है। जबकि उसी एक ही दिन को उसी पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त अधिकारियों का संशोधित मूल वेतन कम निर्धारित किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य पदों पर भी ऐसी विसंगति उत्पन्न हो गयी है जबकि एक ही दिन एक ही पद पर नियुक्त दोनों तरह के अधिकारियों का एक ही संशोधित न्यूनतम मूल वेतन निर्धारित किया जाना चाहिये। इस वेतन विसंगति से काफी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

अतः इस औचित्य के प्रश्न से मैं मांग करता हूं कि यदि शासनादेश में कोई आंशिक संशोधन अपेक्षित हो तो उसे कराते हुये न्याय हित में एक ही तिथि को एक ही मूल पद पर पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों एक ही संशोधित न्यूनतम मूल वेतन निर्धारित कराने का कष्ट करें।]

नियम 300 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री संजय कपूर-

श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने नियम 300 में एक सूचना दी थी।

*श्री अध्यक्ष-

नियम 300 की सूचनायें में एक निर्णय हुआ था 300 की सूचनायें रोकी गई थीं। आज ग्राह्यता पर होना था, कार्य-मंत्रणा में भी तय हुआ था कि नियम 300 की सूचनायें नहीं ली जाएंगी हमारे पटल के लोग सूचनायें ले लिये थे लेकिन 300 की सूचनायें नहीं ली जाएंगी, आज नियम 301 की सूचनायें ली जानी थीं। खन्ना जी कल आज दे दीजियेगा आपका महत्वपूर्ण विषय था आप अलग से दे दीजियेगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या 184 पर लगा था। जिसमें ऊर्जा पार्क के सम्बन्ध में मांग की थी और ऊर्जा पार्क के लिये भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत हो गई थी माननीय मंत्री जी का इसमें जबाव आया है कि- 'वर्ष 2009 में स्वीकृत पार्क का स्थल उपयुक्त न पाये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि नवम्बर, 2009 में उन्हें समर्पित कर दी गयी।' माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिये पहले जमीन का चयन हुआ था, जगह उपलब्ध थी, केन्द्र सरकार द्वारा पैसा भेजा गया लेकिन व्यक्तिगत किसी कारणवश उस पैसे को वापस कर दिया गया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार से आये हुये पैसे को वापस कर दिया गया। मा0 अध्यक्ष जी, यहां पर मेरे सवाल का जो जवाब आया है, वह गलत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिये नियमों में प्राविधान है, आप लिखकर हमें दे दीजिये।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और जब यह सरकार बनी थी, उस समय सरकार ने बड़े दावे के साथ कहा था कि कानून का राज होगा, बड़े-बड़े पोस्टर लगा दिये थे और सरकार के बजट का पैसा पोस्टरों में, पूरे लखनऊ और पूरे प्रदेश में इतना खर्च कर दिया और आज अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है, दिन में भी महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं चल पा रही हैं और लखनऊ का तो यह हाल है, लखनऊ में राजधानी के अन्दर, यहीं पर मुख्य मंत्री हैं, यही पर डी0जी0पी0 हैं, प्रमुख सचिव हैं, पूरा का पूरा प्रशासन-तंत्र यहां पर है और लखनऊ का ही जब यह हाल है, लखनऊ में इतनी हत्यायें हो रही हैं, इतनी लूट हो रही हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। आपकी जानकारी में है, अध्यक्ष जी, 4 जुलाई, 2010 को मऊ में पूर्व विधायक कपिल देव सिंह यादव और उनके ड्राइवर की दिन दहाड़े हत्या हो गई। मान्यवर, दिन-दहाड़े हत्या हो गई और अपराधी जो हत्या करने वाले लोग थे, यहां मानवाधिकार आयोग में आकर के, क्योंकि यहां पर संरक्षण प्राप्त था। सत्तापक्ष के लोगों का संरक्षण प्राप्त था और अगर वहां की पुलिस एक्टिव होती तो वह हत्यारे पकड़े जा सकते थे लेकिन मऊ से लेकर लखनऊ तक और राजधानी तो आजकल अपराधियों की शरण-स्थली बन गयी है और अध्यक्ष जी, यहीं तक नहीं 12 जुलाई, 2010 को इलाहाबाद में आपको पता ही है, मंत्री, नन्द गोपाल 'नन्दी' पर दिन-दहाड़े बम से हमला कर दिया गया और यह झगड़ा आपसी था, बसपा के ही लोगों का झगड़ा था, यह सम्पत्ति का था, खनन का था और तीन दिन के अन्दर मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रेस से कह दिया कि सपा के विधायक विजय मिश्रा ओर उनके साथियों ने, जबकि आपकी जानकारी में है कि विधायक विजय मिश्रा, लोक सभा के चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में नहीं रुक पाए। पिछले सदन में आपसे भी मांग की गई थी, यह आपकी जानकारी में है, जब विधायक सुरक्षित नहीं है, मंत्री सुरक्षित नहीं है, पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का क्या होगा ? मान्यवर, इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं। मान्यवर, गाजीपुर जेल में कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर 2 कैदियों को मार डाला। जेल के अन्दर हत्यायें होने लगी हैं। शाहजहांपुर में 3 सिपाहियों ने बैंक का ए0टी0एम0 लूट लिया, उसमें से एक सिपाही मंत्री की गारद में था। जब सीधा-सीधा मंत्रियों का संरक्षण होगा, बसपा के पदाधिकारियों का संरक्षण होगा तो कानून व्यवस्था फिर कैसे चल सकती है। मंत्री जी कल बहुत दावे कर रहे थे। मान्यवर, इस सरकार के रहते कानून व्यवस्था सही नहीं हो सकती हैं मान्यवर, मंत्री पर हमला हुआ, उनके दो शैडो मारे गये। मान्यवर, वहां के अधिकारियों के खिलाफ चाहे डी0 जी0 पी0 हो, चाहे एस0 उस0 पी0, डी0 एम0 हों, उनके खिलाफ या किसी एक सिपाही के खिलाफ इलाहाबाद में आज तक कार्यवाही नहीं की गयी है। अगर की है तो बतायें। माननीय हुकुम सिंह जी भाजपा के सीनियर नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है। जनता का इस सरकार पर बिल्कुल भी इकबाल नहीं रहा है। दिन दहाड़े अपराधी चाहे कुछ भी करें। इस सरकार में अपराधियों की भरमार है, यहां तक कि थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। इस सरकार का काम केवल लोगों का शोषण करना और अत्याचार करना और पैसे की वसूली करना है। थाने किसलिये हैं। थाने तो इसलिये हैं कि जनता की सेवा हो, जनता की सुनवाई हो। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई परेशानी में है तो इस सरकार में कोई अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। अधिकारी अगर बात नहीं सुनते हैं तो क्या इस सरकार में कोई आन्दोलन कर सकता है ? लेकिन हम लोगों ने तय किया है आन्दोलन करेंगे, जेल जायेंगे। मान्यवर, आगरा में जैतपुरा थाने में धनपुरा है, वहां के एक सज्जन पंडित छोटे लाल जी थे। उन पर बराबर अत्याचार हो रहा था। वह कई बार थाने में गये और पैसे भी दिये लेकिन उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी। इसलिये नहीं लिखी गयी क्योंकि वहां पर बसपा का एक मामूली कार्यकर्ता था उसको वहां के एक विधायक का संरक्षण प्राप्त था। वह पंडित छोटे लाल जी को अपमानित और परेशान करता था। लेकिन वहां पर जो पीड़ित होता था पंडित छोटे लाल जी उसकी रिपोर्ट न लिखकर के जो उनको पीड़ित करता था उसकी रिपोर्ट लिखी गयी। दरोगा पंडित जी के घर में घुसता है और वह घर की महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें भी करता है, अपमानित भी करता है तब वहां की महिलाओं ने उस दरोगा को बैठा लिया, मारा नहीं, पीटा नहीं बल्कि चाय-पानी पिलाई। उनकी केवल यह मांग थी कि बड़ा अधिकारी आ जाये, एस0 एस0 पी0 आ जाये, डी0 आई0 जी0 आ जाये तब हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन वहां पर पूरे गांव में 30 घर पुलिस ने इस तरीके से लूटे कि कुछ भी नहीं छोड़ा, अलमारी से लेकर के, फ्रिज से लेकर के सब कुछ। यहां तक कि एक इंजीनियर था उस गांव का, उसने तो पुलिस के लोगों को चाय पिलायी, पानी पिलाया, उसके बाद भी उसका घर नहीं बचा, उसके घर को लूट लिया, आलमारी भी तोड़ दी, जो मिला वह तोड़ दिया। उसके बाद पूरा गांव रिपोर्ट चाहता था, एफ0 आई0 आर0 चाहता था, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई चाहता था लेकिन आज तक एफ0 आई0 आर0 नहीं हुयी है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां पर धरना दिया लेकिन एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी, क्या यह कानून का राज है। कम से कम यदि एप्लीकेशन दी जाती तो एफ0 आई0 आर0 लिखनी चाहिये थी, एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी। फिर आन्दोलन हुआ, विधायकों ने किया, उनके बाद मुझको भी 24 घण्टे के अन्दर थाने पर बैठना पड़ा। लेकिन आज तक एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी। धरना देने के बाद आन्दोलन करने के बाद, आज तक एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी है। यही कानून का राज है, क्या ये कानून का राज है, ये तो गुण्डा राज है, ये तो जंगल राज है। ऐसी बहुत सी घटनायें हैं मान्यवर, बहुत समय लगेगा, अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो बहुत समय लगेगा। मान्यवर, लखनऊ में मई, 2010 में अनेक हत्यायें हुयीं, इन्दिरा नगर में ए0 पी0 रस्तोगी की हत्या, हसनगंज मोहल्ले में लीलावती की हत्या, सआदतगंज में वृद्धा लक्ष्मी देवी की हत्या, चौक सर्राफ में सावित्री का कत्ल, हुसैनगंज के मदन अपार्टमेन्ट में जायसवाल दम्पत्ति की हत्या, कैण्ट में प्रोफेसर व उनकी पत्नी शैला पर हमला, फिर मौत। 21 मई, 2010 को दिन दहाड़े सीतापुर में तहसीलदार वी0 के0 सिंह की पत्नी की हत्या, बलिया के मुख्य अभियन्ता, सिंचाई आनन्द मोहन की पिटाई, वहां पर बसपा के विधायक और उनके लोगों ने पिटाई कर डाली। इसी प्रकार वाराणसी में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता हरेन्द्र कुमार को बसपा के विधायक के

भाई ने धमकाया, जान से मारने की धमकी दी, लखीमपुर में विधवा सुरजीत कौर की जमीन पर बसपा विधायक ने 16 मई, 2010 को कब्जा कर लिया, घर में लूटपाट कराई और वह लखनऊ में धरने पर बैठ गयी तो भी आज तक उसे न्याय नहीं मिला है। लखनऊ, गोमतीनगर में 17 मई, 2010 को सरस्वतीपुरम्, रामआसरेपुरवा, चौबेपुर में राठौर की 12 वर्षीय बेटी सुमन का अपहरण कर लिया गया। 12 मई, 2010 को लखनऊ के बन्थरा में सराय सहजादी की निवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। रायबरेली में 27 अप्रैल, 2000 की घटना में नोहानी निवासी इस्लाम ने न्यायालय के आदेश लिये, तब भी कोतवाली में अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गयी। इस तरीके से मान्यवर, हर जिले में यही हाल है। यदि मैं अपने इटावा की बात करूं तो जितनी घटनायें इस तीन महीने के अन्दर हुयी हैं, उतनी पहले नहीं हुयी। इससे पहले मैंने लखनऊ का जिक्र किया था। इटावा में 2-1-2010 को बटेवा थाने में दलित महिला के साथ बलात्कार और चौबिया में नगलारमऊ में जगमाल सिंह की हत्या। ऐसे ही बल्लई में कठपुरा में 4-1-2010 को बालादीन के पुत्र का अपहरण, कोतवाली इटावा होमगंज मोहल्ला में सर्राफ व्यवसायी प्रेम बिहारी की दुकान में नकब लगाकर चोरी, कोतवाली रामलीला मार्ग में ट्रंक की चोरी, भरथना में कोठी सेउआं के पास दलित युवक की हत्या। तो इतनी घटनायें हैं मान्यवर अभी हम ये सब घटनायें आपको दे देंगे ओर अभी भी लगातार रोजाना इस तरह की घटनायें हो रही हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई नियंत्रण नहीं हैं। मान्यवर, मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि आपने अभी कल भी कहा कि हमारी कानून-व्यवस्था सुदृढ़ है, मान्यवर, आपको पता होना चाहिये कि आज दलित उत्पीड़न कितना बढ़ रहा है या घटा है मान्यवर, आज दलित उत्पीड़न बढ़ा है, वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में 6144 लोगों पर, इतना तो बिहार में भी दलित उत्पीड़न नहीं हुआ, आप तो बिहार से भी आगे निकल गये और 2008 में दलित उत्पीड़न 8009 और बिहार में है 3616 तो आपने तो बिहार को पीछे कर दिया और दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है वर्ष 2009 में 9763 दलित उत्पीड़न और इसी तरीके से महिलाओं पर उत्पीड़न/बलात्कार की घटनायें इस समय 20953 और बिहार में हैं 7548 और दिल्ली में 4804, तो मान्यवर आपका उत्तर प्रदेश तो दलित महिला उत्पीड़न में भी बहुत आगे चला गया ओर इसी तरीके से वर्ष 2008 में 23569 महिलाओं के साथ उत्पीड़न, आप कहते हैं कि हमारी कानून-व्यवस्था सुदृढ़ है जबकि महिलाओं पर भी उत्पीड़न बढ़ा है, वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश में 26431 और बिहार में है 9803 तो बिहार से भी बहुत आगे पहुंच गये, बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है, तो सभी प्रदेशों को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है, महिला उत्पीड़न में, दलित उत्पीड़न में, आप आगे निकल गये हो। तो मान्यवर, यह है आपकी स्थिति और यहां जब हम लोगों ने कहा कि कानून-व्यवस्था पर चर्चा कर लो, तो चर्चा करायेंगे नहीं, चर्चा ही नहीं करायेंगे तो मान्यवर, इस सरकार में हर तरीके से लाइन आर्डर बहुत खराब है और उत्तर प्रदेश में अपराध इसलिये बढ़ा है मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि थानों की स्थिति, आज थानों में कोई भला आदमी और सम्मानित आदमी नहीं जा सकता है और बिना पैसे के कोई वहां पर पूछ होगी नहीं, क्योंकि कभी-कभी आपको पता होगा कि जनप्रतिनिधियों की भी मीटिंग बुला ली जाती थी, बैठकर उनके विचार ले लिया जाया करते थे, मैं पूछना चाहता हूं कि विगत तीन साल में जनप्रतिनिधियों की क्या कोई राय ली गई, ला-एण्ड आर्डर के मामले में कभी एस0 एस0 पी0 ने कभी डी0 एम0 ने क्या विधायकों के कभी सुझाव लिये हैं ला-एण्ड आर्डर के मामले में, क्या एस0 ओ0 ने भी गांव के पांच आदमी, भले आदमी, प्रधान क्या जनप्रतिनिधियों को

कभी बैठक में बुलाया गया, कभी उनके सुझाव लिये गये, नहीं लिये गये, आज जनप्रतिनिधि थानों में नहीं जा सकते हैं मान्यवर, उनका अपमान होता है और मान्यवर, आज थानों में कौन लोग बैठते हैं, अपराधी, दलाल, केवल उन्हीं को कुर्सी मिलेगी, अगर प्रधान जायेगा, ब्लाक प्रमुख जायेगा तो उनको अपमानित किया जायेगा। मान्यवर, आज के समय में थाने लूट के अड्डे हो गये हैं। जबकि थाने होते थे पब्लिक की बात सुनने के लिये जनता की सेवा करने के लिये। आज इन थानों को लूट का अड्डा बना दिया गया है। लोग सुबह से शाम तक थानों के चक्कर लगाते हैं। पूरे प्रदेश में आज यही हाल हो गया है। मान्यवर, यही नहीं कोर्ट के बहुत से आदेश हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा है। एक जिला पंचायत जनपद प्रतापगढ़ का मामला है उसमें डबल बैच का आदेश है लेकिन आप उसे नहीं मानेंगे। अनुसूचित जाति की महिला है। उसमें डबल बैच का आदेश है आप नहीं मान रहे हैं। यह तो कानून का राज है। यह भी बताना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में दलितों की जमीनों पर कब्जा किया गया। सत्ता पक्ष के विधायक जी कर रहे हैं। उसमें डी0एम0 की पूरी रिपोर्ट है। वह कापी प्रमुख सचिव गृह से लेकर डीजीपी तक गयी है आप तक भी वह पहुंचा दी जायेगी। लेकिन उस रिपोर्ट के बावजूद भी वहां के जो सूरज दीन चमार, पुत्र श्री देव चरन चमार, श्री सधई चमार, मधई चमार, रामशंकर, रामनारायण यादव, जंग बहादुर यादव, बदामा देवी, मनराजी, राम किशोर मिश्रा, कृष्ण चन्द्र मिश्रा, मेवा लाल पटेल, कृष्ण मुरारी पटेल, राम लखन पटेल इन सबकी जमीन है। आप जांच करा लें। इन लोगों की जमीनें है और बहुत छोटी-छोटी जमीनें हैं एक बीघा, दो बीघा जमीन है। कब्जा कर लिया है। उस पर कालेज बनायेंगे विधायक जी। मान्यवर, विधायक होते हैं जनता की सेवा करने के लिये, कब्जा करने के लिये नहीं होते हैं। यह हाल है। सत्ता पक्ष के कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है। गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। आज मंत्रियों का संरक्षण है अपराधियों को। सीधा सीधा संरक्षण है। इसीलिये अपराध लगातार बढ़ते जा रहे है। मान्यवर, यहां जब कोई पीड़ित ज्ञापन देने आता है तो यहां उसका ज्ञापन नहीं लिया जाता है। यह हाल है सरकार का। आप सुन लें। मान्यवर, विपक्ष का काम तो सरकार की पोल खोलना है। धरना प्रदर्शन हम लोग जब करते हैं तो 7-क्रिमिनल ऐक्ट और जितनी गम्भीर धारायें हो सकती हैं वह लगा दी जाती है। मान्यवर, इसी तरह से बिजली की वजह से भी ला-एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है। मान्यवर, हरदोई में धर्मज्ञ मिश्रा जी तहसील के सामने शान्तिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे हुये थे। 15 तारीख से लेकर लगातार 17 दिन तक धरने पर बैठे रहे। उनकी मांग क्या थी ? माननीय मंत्री जी कितने घंटे बिजली देने का आदेश है 14 घंटे का आदेश है। वह 14 घंटा बिजली दिये जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि हम लोगों के साथ भेदभाव न करें और हमारी तहसील बिलग्राम को 14 घंटे बिजली दें। लगातार शान्तिपूर्वक धरने पर बैठे रहे और भाषण करते रहे। वहां एक दिन एक तारीख को पूरे जिले की ओर आस पास के जिले की पुलिस को बुला लिया गया।

वहां पर पब्लिक भी आ गयी। जाम किया पुलिस ने। लेकिन पुलिस ने उन पर 7-क्रिमिनल ऐक्ट और दूसरी जितनी गम्भीर धारायें हो सकती थीं उन पर लगा दी गयीं। वहां का दरोगा क्या कर रहा है। करीब 31 लोगों को तो जेल भेज दिया और झूठी रिपोर्ट, कह रहा है कि डेढ़ सौ आदमी थे जिन्होंने जाम लगाया था और वहां के जितने भी लोग गांव में छापा मारता है जो 5 हजार 10 हजार रुपया दे देता है वह बरी और जो रुपया नही देते हैं जिनके पास बहुत से

ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 हजार 2 हजार रुपया भी नहीं है उनको भेज देता है जेल, यह है कानून व्यवस्था। मान्यवर, 10 घंटे बिजली देने के आदेश हैं। आपके 11 घंटे नहीं बिजली मांग रहे थे आप 10 घंटे ही बिजली दे देते तो क्यों जाम होता तो 10 घंटे ही बिजली दे देते वैसे देना चाहिये था अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था तो आपको देना चाहिये था 15 घन्टे, 16 घन्टे और धारायें कितनी लगी हैं पालिटिकल लोगो ंपर भी, पालिटिकल लोगों पर भी धारायें लगी। अब धारायें लगा दी हैं उन पर 147/332/353/336/504/506/323 आई0पी0सी0, 341 आई0 पी0 सी0 और 7-क्रिमिनल एक्ट यह इतनी धारायें लगा दी। आन्दोलन पॉलिटिकल लोगों का, अब आपको धरना प्रदर्शन ज्ञापन देंगे मांग करेंगे, आपसे न्याय मांगेंगे तो यह 7-क्रिमिनल एक्ट जैसी धारायें, गम्भीर धारायें क्रिमिनल धारायें, तो यह कानून का राज और जनता सब देख रही है। इतनी तो इमरजेंसी में भी धारायें नहीं लगी थी। इसीलिये मान्यवर, यह गम्भीर है। इस समय पूरा प्रदेश अराजकता के माहौल में है। ला-एण्ड-आर्डर नाम की कोई चीज है नहीं उत्तर प्रदेश में इसलिये हम चाहते हैं इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के सवाल पर सारे नियम स्थगित करा करके इस पर चर्चा कराई जाय और जवाब आना चाहिये और उसे बहुत गम्भीरता से लेना चाहिये। ऐसा नहीं है कि बढ़िया इससे थोड़े ही होगा, लोकप्रिय सरकार कहने से थोड़े ही हो जायेंगी, आप यहां कह देंगे। आपके यहां कहने से लोकप्रिय नहीं होती। जनता को जब दिखाई देती है जनता इस सरकार से तबाह है, ला-एण्ड-आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। झूठी एफ0आई0आर0 और जो पीड़ित हैं उसकी बात सुनी नहीं जा रही है जितने भी अपराधी हैं, माफिया है उनको सीधा-सीधा संरक्षण प्राप्त है पूरा प्रदेश इस कानून व्यवस्था से बहुत दुखी है तो इसलिये मान्यवर, आपसे हमारा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ी सी तकलीफ के कारण मैं चाहता था कि हमारे दूसरे साथी बोलें लेकिन आपकी जैसी व्यवस्था है माननीय प्रमोद तिवारी जी की इच्छा नहीं बल्कि निर्देश है कि बोलेंगे तो नेता बोलेंगे नहीं तो दूसरे का क्रम में नहीं आने दिया जाये। मान्यवर, मैं बहुत घटनाओं की तरफ नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आंकड़ों में हर सरकार चाहे यह हों, चाहे पीछे की हो, सरकार चाहे 1977 की रही हो जिसमें पहली बार मुझे बैठने का अवसर मिला। हर सरकार आंकड़ों से ही सिद्ध करती है कि हमारे यहां कानून व्यवस्था ठीक है लेकिन जनता उसको कहती है कि तेरा कथन ठीक नहीं है तू जा और दूसरे को आने दे। आंकड़ों पर जनता विश्वास नहीं करती, अपनी अनुभूति पर विश्वास करती है। मान्यवर, अपने यहां राज सत्ता के बारे में सबसे विद्वान, कोई मंत्री कह लीजिये या ज्ञाता कह लीजिये, ग्रन्थ का रचयिता कह लीजिये, सिद्धान्तों, नीतियों और व्यवस्था का व्याख्याकार कह लीजिये तो चाणक्य हुये हैं। कौटिल्य ने अपने शास्त्र में राज व्यवस्था की एक-एक छोटी-छोटी चीज की चर्चा की है पूरे समाज की चर्चा की है, हर चीज की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि राज व्यवस्था वही सबसे सुदृढ़, विश्वसनीय और सुरक्षा देने वाली मानी जायेगी, जिसमें कोई सुन्दर युवती गहनों से लदी हुयी, रात्रि में जंगल के सुनसान रास्ते पर सुरक्षित चली जाये वही राज व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जायेगी। अब इसमें दो बातों का उन्होंने उल्लेख किया है सुन्दर युवती, यह स्वयं में एक खतरा है और गहनों से लदी हुयी यह सम्पत्ति है जो दूसरे को आकर्षित करती है ओर ऐसी युवती अगर सुनसान रास्ते पर जंगल के रास्ते जा रही

है तो उसके अन्दर एक डर पैदा होता है। वह सुनसान रास्ते पर गहनों से लदी हुयी जा रही है तो इसका मतलब, कि उसके अन्दर एक आत्मविश्वास है सुरक्षा का। उस व्यवस्था के प्रति उसका आत्मविश्वास है इसलिये वह अकेले जा रही है और अपराधियों के अन्दर इतना भय है कि जंगल के सुनसान रास्ते पर भी वह उस गहनों से लदी हुयी युवती को असुरक्षा की स्थिति में नहीं डाल पा रहे हैं इतना उनके अन्दर भय है। चाणक्य ने यह उदाहरण जो दिया कि राज व्यवस्था वह है जिसमें जनता के अन्दर विश्वास हो, सुरक्षा के प्रति और अपराधी के प्रति भय हो लेकिन आज तक हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो पहले इस प्रदेश में कुछ वर्षों पहले तक जो कानून व्यवस्था थी, जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया और उससे खराब स्थिति की कानून व्यवस्था इस समय लागू है। मान्यवर, विश्वास कहां है, घर में तीन-चार साल की बच्ची भी अकेले छोड़ने का विश्वास अब जनता को नहीं रह गया है। युवती चाहे घर में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे आफिस में हो सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रही है। बूड़ी औरत अपने को घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। दुराचार हर समाज में होता है, हर समय होता है, लेकिन छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से दुराचार की घटनायें सामने आ रही हैं, हजरतगंज में महिलायें अब सीकड़ी पहनकर जाना छोड़ दी है, आर्टिफीशियल पहनकर जाती है, असुरक्षा का भाव यह आपकी कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का परिचायक है कि दिन में भी गहना पहनकर निकलने का सुरक्षा का भाव महिला में नहीं रह गया है। अपने घर में भी अपनी बच्ची को भी पड़ोसी या घर के लोगों के साथ छोड़ने की हिम्मत उसमें नही रह गयी। युवती की निश्चिन्त होकर दिन में भी चलने की हिम्मत नहीं रह गयी। बूढ़े परिवार अब घरों में सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहे हैं। यह है गिरती राज व्यवस्था, कानून व्यवस्था का परिचायक घटनायें तो होगी और यह स्थिति इसलिये हो गयी है क्योंकि इस प्रदेश में कुछ वर्षों से पुलिस का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है, अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है, राजनीति में अपराधियों का प्रवेश अधिकृत रूप से पार्टियां कराने लगी है। अब किसी अपराधी का चिन्हीकरण इस आधार पर नहीं होता कि उसके द्वारा किया गया कार्य कानून की किताब के अनुसार, कानून के नियमों के अनुसार गलत है बल्कि उसका निर्धारण इस आधार पर होता है कि वह मेरी पार्टी की है या दूसरी पार्टी का है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं होता है। अनेक घटनायें हैं, पहले भी होती रही हैं लेकिन इसका सीधा मतलब यही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है। मान्यवर, कानून का रक्षक कौन है ? कानून की रक्षक पुलिस है। पुलिस सभी जगह पर नहीं खड़ी की जा सकती, इतना बड़ा पुलिस तन्त्र नहीं हो सकता, किसी शासन में नहीं हो सकता, किसी सत्ता में नहीं हो सकता क्योंकि यह सम्भव नहीं है। पुलिस तो एक आधार है, एक साधन है, कानून व्यवस्था की जो असली ताकत है वह सत्ता का इकबाल है। उसके नाम से कितना भय होता है, वह भय आज खत्म हो गया है। क्या आप इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं, जो अखबारों में निकलता है कह दो कि वह गलत है, कह दो कि मीडिया गलत है, लूटने में पुलिस हिस्सेदार नहीं है, दुष्कर्म थानों में नहीं होता। ऐसी घटनायें सामने आती है, अखबारों में छपती हैं, पता चला कि पति-पत्नी जा रहे थे पति को थाने में बन्द कर दिया और पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। बलात्कार के मामलों में भी पकड़े जा रहे हैं, लूट के मामले में पकड़े जा रहे हैं, डकैती के मामले में पकड़े जा रहे हैं। सरकार उन्हें दण्डित कर रही है, सवाल उन्हें दण्डित करने का नहीं है क्योंकि पुलिस का चरित्र बिगड़ गया है।

जिस सरकार में पुलिस का चरित्र अपराधी का हो गया हो तो उस सरकार को स्वयं आत्मनिरीक्षण करना चाहिये कि हमारी राजव्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था गलत है। घटनाओं पर मैं नहीं जाता, घटनायें तो आपकी सरकार में 10 हो गई, इनकी सरकार में 10 हो गई, हमारे समय में भी हो सकती हैं लेकिन आज व्यवस्था ज्यादा बिगड़ गई है क्योंकि जब पुलिस और थाने पार्टियों के एजेण्डे के रूप में उनके निर्देशन के रूप में चलने लगेंगे तो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। हर जगह हम लोग सुनते हैं उनका फोन आ गया इसलिये पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है पहले भी ऐसा ही सुनने को मिलता था लेकिन जब भी ऐसा होगा कि राजसत्ता में बैठे हुये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के फोन पर पुलिस प्रशासन काम करना शुरू करेगा तो वह प्रशासन कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता, कानून सम्मत नहीं हो सकता और जब प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था कानून सम्मत काम न करे तो वह कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का परिचायक है। इसलिये मान्यवर, पुलिस का बिगड़ना आपके लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। पुलिस संरक्षक होती है जो आज अपराधियों की संरक्षक हो गई है और पुलिस के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि सारा पुलिस महकमा ऐसा हो गया है क्योंकि यदि ऐसा होता तो कानून व्यवस्था रह ही नहीं जाती और हम भी यहां सुरक्षित न बैठे होते, कहीं कोई सुरक्षित नहीं होता। लेकिन दिनोंदिन यह स्थिति बिगड़ी है, आपके शासन में बड़ी तेजी से बिगड़ी है ओर इसका शायद एक कारण यह होगा कि आपके अन्दर एक दर्द है। उस समाज का दर्द है, जो सदियों से पीड़ित रहा है, उत्पीड़ित है, शोषित है उपेक्षित है, अपमानित है। यह दर्द होना चाहिए, लेकिन यह दर्द आपकी प्रतिक्रिया में बदल रही है, प्रतिशोध में बदल रही है। यह बुरा है। प्रतिक्रिया और प्रतिशोध किसी भी व्यवस्था को नष्ट करता है। आप सुधारने के लिए चले, आप सम्मान दिलाये, आप बराबरी का दर्जा दिलाइये, मैं उसका समर्थक हूं और तहे दिल से समर्थक हूं, लेकिन प्रतिक्रिया और प्रतिशोध में करेंगे जो प्रतिक्रिया और प्रतिशोध इस दलित समाज के साथ पहले था, दूसरे समाज को वही आप करने लगेंगे, तो अंतर क्या हुआ। इसमें द्वंद्व की स्थिति पैदा हो रही है। दलित है, यदि वह फर्जी मुकदमा भी लगाता है तो वह ठीक है। आप एक कानून ला रहे हैं, उसमें दलित एक्ट है, लेकिन अगर उसमें फर्जी है, तो फर्जी हो रहा है। उस समाज को तो यह लग रहा है कि अब हमें संरक्षण मिल गया है अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, जैसी दूसरे वक्त में व्यवस्था थी। इसलिए समाज में यह द्वंद प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, ईर्ष्या एवं बदले की भाव से कार्यवाही होगी तो चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, दोनों गलत होंगे। इसलिए समन्वय, सद्भावना, सम्मान, यह एक अच्छे शासन और समाज का लक्षण है, इसके आधार पर समाज को चलना चाहिए। इसके आधार पर सरकार को चलना चाहिए। इसलिए बसपा के नाम पर पुलिस, दूसरों के साथ मिलकर कब्जा कराती है, अत्याचार कराती है, अन्याय के साथ भी चुप रहती है, इसे रोकिए। इसमें ही आपके शासन की प्रतिष्ठा रहेगी अन्यथा नहीं बन सकती। मान्यवर, मैं यह इस लिए कह रहा हूं कि जब पुलिस का सही संरक्षण नहीं मिलता है, कानून सम्मत पुलिस का व्यवहार नहीं रहता है तो उस पर से जनता का विश्वास उठ जाता है। मैं बताऊं मान्यवर, जनता का कानून पर से, सुरक्षा से विश्वास उठने का सबसे बड़ा उदाहरण मा0 मुख्य मंत्री जी हैं।

मान्यवर, सभी मुख्य मंत्री सुरक्षा में चलते हैं, लेकिन इतनी सुरक्षा। एक समय मुख्य मंत्री जी थीं, वह जब जनता के बीच में जाती थीं, जब-जब निरीक्षण में जाती थीं, निर्भीक होकर जाती थीं। अब चर्चा हो रही है कि मुख्य मंत्री जी सुरक्षा के भय के कारण से जनता के बीच में जाती

ही नहीं हैं। वह तो पहले भी नहीं जाती थीं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि उन्होंने अपने कार्य-व्यवहार में जो परिवर्तन किया है, उससे ही जनता में अविश्वास पैदा हुआ है कि कानून-व्यवस्था बहुत खराब है, क्योंकि मुख्य मंत्री जी अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसलिये बड़ी सुरक्षा में है। एनेक्सी में पहले जहां सब मुख्य मंत्री जी जाते थे, ये भी जाती थी। इस बार पता नहीं क्या हुआ कि पीछे से रास्ता बन गया। इतनी असुरक्षा का भाव क्यों। जिस प्रदेश की मुख्य मंत्री में इतनी असुरक्षा का भाव हो, उस प्रदेश को जनता में विश्वास की अपेक्षा कैसे करते हैं आप। इतना ही नहीं मान्यवर, सब लोग स्थल निरीक्षण करते हैं। अब तो जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है अपना-अपना प्रोजेक्ट होता है। मैं स्मारकों को बनवाने पर विरोध नहीं करता। मैनें आज तक कभी ऐसा बयान भी नहीं दिया। हां, उसके नाम पर फिजूलखर्ची का जरूर विरोध करता हूं। जिसको आप महापुरुष मानते हैं, ये लोग लोहिया जी को मानते हैं, दीनदयाल जी को मानते हैं, आप मान्यवर, कांशीराम जी को मानते हैं, लेकिन उसके नाम पर फिजूलखर्ची, मनमाना खर्च, ये ठीक नहीं है। अपना गांव विकसित करना ठीक है, लेकिन सैफई की तरह हर अन्तरिम बजट में बहुत-ज्यादा पैसा ले जाना, उसका भी हमने विरोध किया था। मैं उसका भी मैं समर्थक नहीं हूं। इसलिए खर्च की सीमा होनी चाहिए, इतना खर्च करो। आप और मुर्तियां लगवा दीजिए, हमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन ये जो खर्च होता चला जा रहा है। यह जो मैं खर्च होने की चर्चा कर रहा हूं। अब उस निर्माण का भी निरीक्षण मुख्य मंत्री जी हेलीकाप्टर से करती है। स्थल यात्रा में भी कहीं भय महसूस करती हैं, इतना भयग्रस्त अपने ही शासन में हो गयी हैं, इनका (समाजवादी पार्टी) शासन होता तब भयग्रस्त होती तब तो बात समझ में आती, लेकिन अपने ही शासनकाल में इतनी भयग्रस्त। तो यह लगता है कि कभी इतिहास लिखा जायेगा कि नवाबों के समय में लोग बागों में किस तरह निकलते थे, यह पढ़ने को मिल रहा है। आगे का इतिहास लिखा जायेगा कि एक मुख्य मंत्री थीं जो बागों का निरीक्षण हेलीकाप्टर से करती थीं। उसमें कोई लिखेगा कि इतनी भयग्रस्त थी या इतनी शौकीन थी। दलित की बेटी शौकीन नहीं हो सकती, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि वह भोगी हो सकती हैं, शौकीन हो सकती हैं, फिजूलखर्ची अपने ऊपर करती हैं, उनका सादगी का जीवन है। मैं मानता हूं कि भय है, असुरक्षा का भय है तो जिस राजा के अन्दर स्वयं असुरक्षा का भय हो, वह राजा अपनी जनता से कहे कि तुम निर्भीक हो तो यह सम्भव ही नहीं है, उसके अन्दर विश्वास नहीं पैदा हो सकता। दूसरा, आप मुकदमें वापस ले रहे हो, गंभीर अपराधों के मुकदमें वापस ले रहे हो, उसको घोषित क्यों नहीं करते ? सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना मांगी गयी, आप कहते हो कि जनहित में बताना ठीक नही, इसलिए नही बता रहे हो। मुकदमा वापसी, फिर जनहित में गोपनियता, यह कौन सा एटॉमिक सेण्टर हो गया कि यह गोपनीय है, कौन सी सुरक्षा भंग हो रही है गोपनियता से ? आप जनहित में जो चीज वापस ले रहे हो तो यह सीना तान कर कहिये कि ये धारायें पुलिस ने गलत लगा दी थी, यह व्यक्ति अपराधी नही है, इस पर गलत धारायें लगी है इसलिए इसे सरकार वापस लेती है। जब आप छिपा करके वापस लेते हो तो आपकी नीयत में कही न कही सन्देह पैदा होता है और जिस सरकार की अपराधी धाराओं को वापस लेने में नीयत संदिग्ध हो जाय उसकी कानून-व्यवस्था कभी अच्छी नही हो सकती, विश्वसनीय नही हो सकती। इसलिये आपकी कानून-व्यवस्था विश्वसनीय नहीं है।

मैंने मान्यवर, आपके माध्यम से भी चिट्ठी लिखी, प्रमुख सचिव को भी चिट्ठी लिखी कि जो आपने गंभीर धाराओं के मुकदमें वापस लिये हैं उसे आप मुझे बताइये। विधान मण्डल दल के एक पार्टी का नेता होने के नाते यह मेरा हक है और आज मैं इस बात को सदन में कह रहा हूं और यह इस सदन का हक है और हो सकता है कि कल हम आपके सामने यह उठायें कि आप सदन के पटल पर, जिन मुकदमों को सरकार ने वापस लिया है, यह सदन का हक है, जनता का हक कि आप उसे रखवाइये और जानकारी दीजिए। आप मुकदमें वापस ले रहे हैं, 302 के, लूट के, हत्या के, डकैती के, फिरौती के, जमीन कब्जा करने के, धोखाधड़ी के, ठगी के और उनको आप गोपनीय रख रहे हैं, वापस भी ले रहे हैं और गोपनीय रख रहे हैं। यह सन्देह पैदा करता है। मान्यवर, अनेक केसों में फर्जी मुकदमें लगाये जाते हैं पुलिस फर्जी मुकदमें लगाती है लेकिन आपकी तरफ से तो लगवाये जा रहे हैं, वहीं है कि जबरा मारे, रोवे न दे। बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है, पुलिस कस्टडी में लोगों की मृत्यु हो जा रही है और जब जनता आन्दोलन करती है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है और फर्जी मुकदमों भी लगाये जा रहे हैं। एक नहीं, पूरे प्रदेश में यह प्रचलन हो गया है, कैसे कहेंगे कि कानून-व्यवस्था ठीक है ? मैं घटनाओं की संख्या पर नहीं जाता। आप उठेंगें और घटनाओं की संख्या बता देंगें। आप कल से कह रहे हैं कि 34 स्टेट, अभी समय है लिख लीजिएगा और 34 स्टेट का नाम बता दीजिएगा। अगर गिना दोगे तो मैं मान लूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार 28 स्टेट हैं और तीन-चार केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

कोई दूसरा यह बात कहता तो अच्छा लगता। क्या मैं अब आपको भूगोल पढ़ाऊं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री जी यह भूगोल का सवाल नहीं है। कल से मैं सुन रहा हूं कि प्रदेश 34वें स्थान पर है तो कौन से प्रदेश हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

हम बता देंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

हो सकता है मैं गलत हूं। मैंने कई लोगों से परामर्श किया लेकिन मुझे पता नहीं चला। आप बता देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा नहीं तो मेरी बात सही है। आज लोगों पर फर्जी मुकदमें लिखाये जा रहे हैं। अभी उरई के बारे में मैंने पत्र भी लिखा। वहां पर कस्टडी में एक गरीब मर गया उसको चार दिन से बन्द किये थे जब वह मर गया तो उसकी लाश फेंकने के लिए ले जा रहे थे उसकी पत्नी ने देख लिया उसने चिल्लाना शुरू किया तो लोगों ने घेर लिया जब लोगों ने घेर लिया तो फर्जी उत्पीड़न का केस लगा दिया उसमें जब जमानत हो गयी तो गैंगस्टर लगा दिया। आप पुलिस को क्यों इतनी छूट दे रहे हैं। कल मंत्री नंदी जी की बहुत चर्चा हो रही थी यह गम्भीर विषय है मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूं। दूसरे लोगों के मामले में होता तो कोई बात नहीं तो आप कह सकते थे कि सत्ता अपने मंत्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखती है। आपके राज्य में मंत्रियों को, मुख्य मंत्री को और विधायकों को जितनी बड़ी सुरक्षा मिली हुई है यह स्वयं में कानून व्यवस्था के अविश्वास का परिचायक है। सत्ता में बैठे हुए जितना ही अपनी सुरक्षा

में शस्त्र बल को लगाएंगे यह कानून व्यवस्था के बिगड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पर आप आंकड़े जरूर दे दें कि किस सरकार में किन मंत्रियों को कितने सुरक्षा गार्ड मिले थे और आज कितने हैं जिन विधायकों को जेड श्रेणी, वाई श्रेणी सुरक्षा आपके कार्यकाल में मिली है उतनी किस सरकार में मिली थी यह आंकड़े इकट्ठा कर आप दे देंगे। कुल मिलाकर जब सत्ता में बैठे हुए मुख्य मंत्री, मंत्री और विधायक अपनी सुरक्षा को बढ़ा लेते हैं तो यह कानून व्यवस्था के बिगड़े हुए हालात का परिचायक है। अन्त में यह स्थिति क्यों आई। मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा कि हम अपराधियों को अपनी पार्टी से निकाल देंगे हमें भी खुशी हुई कि देर आये दुरुस्त आये पहले सुधार के नाम पर प्रवेश कराया जो नहीं सुधरे होंगे उनको निकाल देंगे लेकिन सुधारने के नाम पर प्रवेश कराया इसका मतलब आप उसके अपराधी होने को स्वीकार कर रहे है। जो सुधर जाएगा वही रहेगा इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने अपराधियों को पार्टी में लिया, टिकट दिया उसके बाद दो-ढाई साल बाद आप कह रहे हैं कि हम अपने दल से अपराधियों को निकाल देंगे। एक तिथि 31 और एक तिथि 10 तारीख जो भी रही हो उसके बाद फिर हम लोग ताकते रह गये कि कोई सूची जारी हो लेकिन कोई सूची नहीं देखने को मिली। अगर हम मान लें कि अपराधी लोग नहीं थे तो फिर यह घोषणा क्यों की गई ? अपराधी थे तब ही तो सुधार के नाम पर उनको स्वीकार किया है। इससे साबित होता है कि अपराधियों को निकालना इस पार्टी के मुखिया के बस में नहीं है। क्योंकि जिस दिन अपराधी निकाले जायेंगे उसी दिन यह सरकार कोलैप्स हो जायेगी क्योंकि यह उन्हीं के कन्धों पर बैठी हुई है। इसीलिये हमने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। आपके मंत्री के ऊपर हमला हुआ है जो सुरक्षित थे। आपकी गुप्तचर एजेन्सी फेल्योर है। आपकी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। माननीय हुकुम सिंह जी की पत्नी की हत्या हो गई। अच्छा है हम बधाई देंगें कि पुलिस तंत्र ने इसमें काफी अच्छा काम किया लेकिन अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है ? यह तो सोचना चाहिए ? इसका यही कारण है। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आपने जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये घातक हैं उस संगठन का आपने इसी सदन में बयान देकर कहा था कि 33 जिलों में सिमी संगठन सक्रिय है। इसी सदन में कहा था चाहे पिछले ही सत्र में कहा हो। अगर 33 जिलों में सिमी का संगठन सक्रिय है तो केन्द्र सरकार को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ? आपसे तो बहुत अच्छे यह हैं उन्होंने उसके अध्यक्ष को वापस ले लिया और धड़ल्ले से कहा सीना ठोक कर कि यह राष्ट्रवादी संघ है चोरी छिपे कुछ नहीं कहा। आप ना तो कह रहे हैं कि यह राष्ट्रविरोधी हैं ना राष्ट्रवादी हैं, चुप हो। उनकी गतिविधियां सक्रिय हैं 33 जिलों में। मैं कहता हूं कि 40 से ज्यादा जिलों में सक्रिय है और यह प्रदेश आपके कारण से यह अपराधियों का, माफियों का, आतंकवादियों का स्लीपिंग मॉडयूल शरणस्थली बन गया है उत्तर प्रदेश और वो समझ रहे हैं कि यह सरकार तुष्टिकरण के लिये हमारे विरुद्ध कार्यवाही न हो इसलिये फूलो, फलो, पनमो और शांति से सोओ और गतिविधियों दूसरे प्रदेश में करो। उत्तर प्रदेश की स्थिति आपने यह बना दी है। इसलिये आपके यहां कानून व्यवस्था अत्यन्त खराब स्थिति में है। कानून व्यवस्था की आपको चिन्ता नहीं। सिमी के विरुद्ध आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नहीं स्पष्ट करते आज तो मैं समझ लूंगा कि आप सिमी के संरक्षक हो गये हो और इसीलिये आतंकवादी गतिविधियों दूसरे रूप में अपराधियों को संरक्षण देकर प्रदेश में बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

इसलिये मान्यवर, आपने समय दिया, मैं इस बात पर बल देता हूं कि यह सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति और नोट बैंक की राजनीति के लिये अपराधियों को भी संरक्षण दे रही है और तुष्टिकरण के लिये सिमी के लोगों को भी संरक्षण दे रही है। प्रदेश की शांति व्यवस्था बहुत ध्वस्त स्थिति में है इसलिये इस पर विस्तार से चर्चा करायें। यह मेरा आग्रह है, धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, सवाल आंकड़ों का नहीं है। मान्यवर, सवाल गिनती का नहीं है। सवाल वातावरण का है, माहौल का है। क्या स्थिति है आज उत्तर प्रदेश की, बात इसकी है। अगर मुझसे पूछा जाय मान्यवर, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आजादी के बाद इस समय प्रदेश की कानून व्यवस्था जितनी खराब है उतनी इससे पहले कभी खराब नहीं रही है। सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मान्यवर, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज हम गिनते रहे कि 34 राज्य हैं कि नहीं हैं। आप अध्यापक रहे हैं माननीय ओम प्रकाश जी, इधर सरकार है जो आंकड़े दे रही है। मैं तो इतना मानता हूं कि यह जरूर दिखवा लीजियेगा कि 34वां नीचे से है कि 34वां ऊपर से है। क्योंकि मान्यवर, जो हालात हैं उन हालात से तो मुझे लगता है कि देश में सबसे खराब कानून व्यवस्था कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश में है।

मान्यवर, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं अगर यह बात आपकी कसौटी पर कसती है कि कानून व्यवस्था ठीक है तो फिर आज के अखबारों में यह क्यों छपा कि एक वैन में डा0 कय्यूम को उठाया जाता हैं पूरी राजधानी में उनको टहलाया जाता है उनके हाथ-पैर बांधे जाते हैं उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। अगर इस कानून व्यवस्था को चलाने वाली सरकार की राजधानी में यह हालत है तो मान्यवर, गांव की हालत क्या होगी, कस्बों की हालत क्या होगी, दूर दराज के लोगों की हालत क्या होगी। लाश नहीं मिली लेकिन इकबालिया बयान हो गया है उससे यह साफ हो गया है, राजधानी में एक गाड़ी में बैठाकर किसी की हत्या की जा रही है तो यह बहुत खौफनाक है। मैं सरकार से इस पर जरूर स्पष्टीकरण चाहूँगा। दूसरी बात कहूँगा मै उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जी के बारे में, लेकिन पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वह शीघ्र स्वस्थ हो, शतायू हों और इस गम्भीर हमले से बाहर निकले। मान्यवर, सवाल यह है कि उन पर चोरीछिपे हमला नहीं हुआ दिन में 12.00 बजे के आस-पास हुआ। हमला कहां पर हुआ है, मै इलाहाबाद का रहने वाला हूं वह इलाहाबाद का सबसे व्यस्ततम इलाका है। बहादुरगंज व्यस्ततम मोहल्ला है किसी जंगल में हमला नहीं हुआ है कैबिनेट मंत्री के घर पर हुआ है और मान्यवर, दो लोग उसमें मारे जा चुके है एक पत्रकार जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था विजय प्रताप जी, उनका तीन दिन बाद निधन हुआ। दूसरा राकेश मालवीय जी, जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्ति नौकरी मांगने आया था उसको नौकरी तो नही मिली हां जीवन से मुक्ति मिल गई। मान्यवर, मैं इस पर बहुत बल देना चाहता हूं कि इस तकनीक का प्रयोग उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इस तकनीक से किसी कैबिनेट मंत्री को मार डालने का प्रयास प्रदेश में पहली बार हुआ है। प्रदेश से बाहर हुआ होगा लेकिन प्रदेश पहली बार हुआ है। मान्यवर, मैं बहुत विवाद में न पड़कर केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब एक कैबिनेट मंत्री अपने घर में सुरक्षित नहीं है सुरक्षा घेरे में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता पर क्या प्रतिक्रिया होगी। उसके मन में असुरक्षा की भावना भर जाना यह अनहोनी घटना नहीं है। उसके बाद भी यह सरकार दावा करे कि 34वें नम्बर पर है या 35वें नम्बर पर है कानून का राज्य यहां पर है तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह जंगल का राज्य है कानून का राज्य होता तो कैबिनेट मंत्री को उनके घर में मारने का प्रयास न किया जाता, उनके साथ के लोग मारे नहीं जाते, तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कानून का राज्य नहीं, जंगल राज्य हैं। आज यहां पर अपराधियों का बोलवाला है। घर के अन्दर हत्यायें हो रही हैं। कल शासन ने दुःख व्यक्त किया। वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह जी की धर्मपत्नी रेवती जी की घर में हत्या हुई, मान्यवर, सरकारें अगर पुलिस से चला करतीं तो पुलिस आज आपकी है कल इनकी थी, जब यह आपसे मिल गये थे तो दोनों की थी, उससे पहले हमारी थी। सरकारें पुलिस पर इण्डियन पीनल कोड, सी0आर0पी0सी0 पर नहीं चलती है। सरकारें इकबाल पर चलती हैं सरकारें बुलन्द इरादों पर चलती हैं। सरकारें साख पर चलती है। लेकिन मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश की साख अपराध के मामले में समाप्त हो गई है खत्म हो गई है। अपराधी भयमुक्त हो गये हैं और जनता भययुक्त हो गई है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री हुकुम सिंह की पत्नी की नृशंस हत्या पर परम्परा से हटकर सदन की ओर से शोक-संवेदना भिजवाने का आग्रह

*श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 हुकुम सिंह जी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तपा-तपाया कैरियर है। उनकी धर्मपत्नी की घर में घुसकर नृशंस हत्या की गई। तो अपराधियों को कहीं न कहीं से यह लगा होगा कि आज का वातावरण बहुत अच्छा है जो कर सकते हो वह वह कर लो, मान्यवर, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि सदन की संवेदना हुकुम सिंह जी के परिवार तक जरूर पहुंचा दे यह परम्परा नहीं रही है लेकिन एक बड़े नेता की धर्मपत्नी की नृशंस हत्या हुई है इसलिए इस परम्परा को आप डालें।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 30 जुलाई को यह घटना होती है, लेकिन जिन परिस्थितियों में हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हुकुम सिंह जी ने कहा कि जांच से संतुष्ट हैं, मान्यवर, जो घटना हुई, जिसकी मृत्यु हुई, उसको लौटाया तो नहीं जा सकता लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार से सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी का चुनाव में दावा था कि जब हम आयेंगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो अपराधी जेल के अन्दर होंगे या फिर प्रदेश छोड़कर भाग जायेंगे। आपके चुनाव का मुख्य मुद्दा ही यही था, आप क्षमा करेंगे, लेकिन हालात आपने यह बना दिये जिन अपराधियों के पीछे पुलिस दौड़ती थी, आज आपके राज में पुलिस उन्हीं अपराधियों को सलूट कर रही है। आज वह आपके सहयोग से ऐसी जगह पहुंच गये जहां उन्हें सलूट किया जाना चाहिए। मान्यवर, विधान परिषद् में बहुत अच्छे-अच्छे लोग आये हैं, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर आज प्रदेश या देश के बहुत से हिस्से में कानून का राज कमजोर पड़ा है, जंगलराज बढ़ा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, पहले अपराधियों को सत्तारूढ़ दल से संरक्षण हुआ करता था, मान्यवर, इसी विधान सभा में पहले आरोप लगा करते थे कि मंत्री का किसी अपराधी को संरक्षण है, किसी राजनेता का संरक्षण है लेकिन मान्यवर, आपने संरक्षण देने की जगह सीधे-सीधे बना दिया। मान्यवर, ऐसे लोगों को राजनीति में लाने का परिणाम बहुत बुरा होगा और वह दिन दूर नहीं जब गांधीवादी विचारधारा के लोग, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग इन अपराधियों के रहमोकरम पर चुनाव लड़ेंगे और इन अपराधियों के रहमोकरम पर प्रदेश की इस विधान सभा में आयेंगे। ठीक है, आपने 500 लोगों को निकाला है लेकिन यह 500 तो वैसे ही हैं जैसे हिन्द महासागर से दो अंजुरी पानी निकाल कर बाहर कर दिया जाए। आप हिम्मत करिये, मान्यवर, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, विधान परिषद् में बहुत अच्छे-अच्छे लोग चुनकर आये हैं, जरा आप उन लोगों के परिवारों की पृष्ठभूमि बता दीजिए, जिनको आपने टिकट दिया था, एक तरफ आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का इनामी घोषित करेंगे और उसके बाद उनको अपना वाला टिकट पकड़ा देंगे। क्या यह दोनों बातें मान्यवर, साथ-साथ चलेंगी ? मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो साख आपकी आज दांव पर है, आप अपराधियों के खिलाफ मजबूती से काम करते थे लेकिन आज स्थिति यह हो गई है, कौन सी मजबूरी आ गई है, आपकी बहुमत की सरकार है, कौन सी मजबूरी आ गई है कि अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं ? मान्यवर, मैं फिर विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, अपराधियों को संरक्षण चाहे आप दें या इधर बैठे हुए लोग दें, मान्यवर, हम दोनों आने वाली पीढ़ी को अपराधियों के हाथ में देने की तैयारी कर रहे हैं और यह राजनीति के लिए बहुत अशुभ लक्षण है। मान्यवर, राजनीतिक और अपराधी का गठजोड़ खतरनाक होता है लेकिन सत्तारूढ़ दल और अपराधियों का गठजोड़ भयानक होता है। यह दर्द हमने भी झेला है, आपने भी झेला है, आगे कम से कम आप इससे बचें। मान्यवर, आप कहेंगे कि अपराध कम कर दिए, मैं तो बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं लेकर चलता लेकिन एक बात पर मैं जरूर बधाई देना चाहूंगा, मा0 लालजी वर्मा जी को और उनकी सरकार को, आपने एक अच्छा काम किया है, रोज-रोज घटनाएं न हों इसलिए आपने होलसेल की छूट दे दी है, पहले फुटकर होती थीं। मान्यवर, पहले कोई ए0टी0एम0 में जाता था, फर्जी नम्बर लाता था, ए0टी0एम0 से कुछ निकाल लाता था, एक चोरी की घटना हो जाती थी। फिर जाता दोबारा, फिर लगाता था, फिर एक चोरी की रिपोर्ट लिखनी पड़ती थी। कहीं न कहीं आपका मामला फिट हो गया है कि हमको ज्यादा रिपोर्ट न लिखनी पड़े, तुम ए0टी0एम0 ही उठा ले जाओ। आप मुझे एक घटना बता दो कि आपसे पहले गाजियाबाद, शाहजहांपुर, नोएडा में जो ए0टी0एम0 चोरी हुए आपसे पहले किस सरकार में चोरी हुए हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को इसके लिए बधायी देता हूं कि उन्होंने अपराध का राजनीतिकरण किया और होलसेल की व्यवस्था जो इन्होंने लागू की, इसके लिए मैं उनको बधायी देता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर में जो ए0टी0एम0 की चोरी की जाती है तो मुल्जिम कौन है, यह जनता

को, अपराधियों को कष्ट नहीं देते, यह काम खुद अपने सुरक्षाकर्मियों से करा लेते हैं। पकड़ा जाता है आपके एक राज्य मंत्री की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी। फिर बात आयी वातावरण की, फिर बात आयी हालात की, फिर बात आयी जंगलराज की। आज सिर्फ अपराधी अपराध नहीं कर रहा है। आपके राज में सब इतने भयमुक्त हैं कि जिसको जहां हाथ मिल रहा है वह हाथ साफ कर रहा है। चाहे वह पुलिस वाला हो या अपराधी हो। मान्यवर, अपराधों में क्या हो रहा है, वहां भी इनकी होलसेल स्कीम चल रही है।

पहले बलात्कार की छिटपुट घटनाएं होती हैं। अब यह जो बलात्कार कराते हैं सामूहिक करा देते हैं। 2-2, 3-3, महिलाओं के साथ चल रहा है। जितनी घटनाएं आज आ रही हैं सब सामूहिक बलात्कार की आ रही हैं। बनारस में कल तीन महिलाएं मारी गयी। मान्यवर, जो हत्याकाण्ड भी हो रहे हैं वह सामूहिक हो रहे हैं, अपहरण भी जो हो रहे हैं वह सामूहिक हो रहे हैं। मैं वर्मा जी से सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि आप ही ने कानून बनाया था कि हर विधायक को एक गनर मिलेगा और अगर चाहें तो 10 प्रतिशत जमा करके दूसरा अंगरक्षक मिल सकता है। जरा सूची पढ़ लीजिएगा कि कितनों को आपने दिया है। कितनों को इधर का बाकी है और कितनों को उधर का बाकी है, दोनो पढ़ दीजिए, बात साफ हो जाएगी। मान्यवर, आगरा की जो घटना हुई, वहां पर जाकर पुलिस का पुलिसिया ताण्डव जो हम लोगों ने देखा है, मानवता शर्मा जाएगी। मान्यवर, वर्मा जी का आप इशारा मत देखिए। इनकी तो आदत है। जब यह कालेज में पढ़ते थे तब भी इधर-उधर इशारेबाजी करते थे, कई बार मैं इनको छुड़ाने गया था। तो मान्यवर, इनके इशारों पर मत आइये। मान्यवर, मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा था कि डकैती, लूट की घटनाओं में 2008-10 के बीच में जो कमी-वृद्धि का प्रस्ताव है वह 38.28 प्रतिशत का है। मैं यह आपको भेज दूंगा। तो 38 प्रतिशत को आप वृद्धि नहीं मानते। यह जुलाई, 2010 तक का है। मान्यवर, फिरौती के लिए अपराध 2.86 प्रतिशत, यानी फिरौती बढ़ी, डकैती बढ़ी, लूट बढ़ी। तो डकैती, लूट और फिरौती इन तीनों को आप अपराध नहीं मानते। अगर मानते हैं तो इनमें वृद्धि हुई है, और कुल घटनाओं को मिलाकर 2.64 है। मान्यवर, दूसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कि समाज का सबसे कमजोर तबका है जो उम्मीद और आशा से आपकी तरफ देख रहा है और जिसकी वजह से आप यहां बैठे हुए हैं। उसका सबसे ज्यादा उत्पीड़न आप ही कर रहे हैं। मान्यवर, सिर्फ 2008-09 में 8.25 प्रतिशत की वृद्धि दलितों की हत्या में हुई है और अगर दलितों की हत्याओं से आप दुःखी नहीं हैं तो वह दिन बहुत दूर नहीं कि 2012 के बाद हम सुखी होंगे, फिर आप दुःखी होंगे। मान्यवर, जिन्होंने आप पर विश्वास किया, जिनके बूते पर आप यहां सरकार बनाये हो, उनकी हत्याओं में 8.25 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और उनके जले पर आप नमक छिड़क रहे हो, अगर आप यह कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मान्यवर, मैं यह नहीं समझता कि यह कहां से हो रहा है। मान्यवर, तीसरा महिला उत्पीड़न है, वह आपके कार्यकाल में बहुत बढ़ा है। जैसे मान्यवर, फिर कम्पेयर कर रहा हूं कि पिछले साल गिरावट आयी थी 2007-08 में लेकिन 2008-09-10 में 17.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अपहरण में। हो सकता है कि यह आपका फार्मूला हो कि महिलाओं का अपहरण आप जायज मानते हों और इसीलिये उनकी वृद्धि पर आप कहते हों कि कानून व्यवस्था ठीक हैं। हो सकता है ये भी आपका कोई टारगेट हो। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम सब इस बात से क्षुब्ध और दुःखी हैं

कि महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ा है, दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है, हत्या, डकैती, लूट बढ़ी है मान्यवर। तो मान्यवर, मैं ये आंकड़े भेज देता हूं आपके पास और आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के पास। मान्यवर, अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं और यह मेरी चिन्ता का विषय है। बिल्कुल ठीक गया कि सिमी या कोई ऐसा संगठन हो, जिनका आतंकवाद में हाथ हो, उस पर विचार करें और कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन अगर उन पर कार्रवाई करें तो उन पर भी कार्रवाई करें, मान्यवर, जो जाति और धर्म के आधार पर आतंकवाद पैदा करते हैं। जाति और धर्म के नाम पर जो आतंकवाद पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ओम प्रकाश जी भगवान करे कि आप विधान मण्डल दल के नेता बने रहें, इनकी रक्षा हो, मैं तो कहूंगा कि संघ परिवार के लोग हों या किसी भी परिवार के लोग हों, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाय, यह मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं। नहीं चलेगा दो तरफा सिद्धान्त बड़ौदा केस में, नहीं चलेगा मक्का मस्जिद में, नहीं चलेगा मालेगांव के नाम पर। एक समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो। यदि दोनों समुदाय एक साथ मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब बात समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अंतिम बार अगर आप समाप्त करने के लिये कह रहे हैं तो ठीक है मान्यवर, किसको समाप्त करना है, इनको समाप्त करना है कि उनको समाप्त करना है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आपकी इच्छा है, जिसको चाहें समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप कह रहे हैं तो मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से दोनों समाप्त हो जायें। जैसी आपकी इच्छा मान्यवर। यह तय मान्यवर कि यदि ये समाप्त भी हो जायें तो हम आपको समाप्त नहीं होने देंगे। ये आश्वासन पूरे सदन का आपके लिये हैं।

मान्यवर, एक बात है जो राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है, हमारे पड़ोसी राज्यों में जो एक नक्सलवाद के नाम पर या किसी न किसी नाम पर घटनायें बढ़ रही हैं, हमें उनसे सचेत होना पड़ेगा। मान्यवर, हमारी सीमायें लगी हैं छत्तीसगढ़ से, हमारी सीमायें लगी हैं मध्य प्रदेश से, हमारी सीमायें लगी है बिहार से। मान्यवर, धीरे-धीरे अगर यह नक्सलवाद उत्तर प्रदेश में दबे पांव कदम रख रहा है, घटनायें हो रही हैं। नेपाल की तरफ से बढ़ता हुआ माओवाद उत्तर प्रदेश की तरफ अब पैर पसार रहा है। इस चारों तरफ से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पहले से ज्यादा संवेदनशील, खतरनाक और कमजोर हो गयी है। आज तक मैं नहीं जातना था कि कोई नीति आपकी बनी हो, बताइये कि नक्सलवाद से निपटने के लिये कौन सी नीति आपने बनायी। मैं तो आपसे यह कहूंगा कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसमें तय करिये कि इस आने वाले खतरे का

मुकाबला हम कैसे करें ? मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ, यह कहते हुये कि अगर कामनवेल्थ गेम्स में कोई एक टीम यहां से जा सके तो यह तय हो जाये कि सबसे ज्यादा अपराध किस राज्य ने किये हैं, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा तो मैं दावे से कहूंगा कि आप एक टीम भेज दीजिये मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था खराब होने के मसले में उत्तर प्रदेश गोल्ड मेडल की जगह डायमण्ड मेडल लेकर आयेगा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कानून व्यवस्था पर अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री कौकब हमीद खां के अपने स्थान पर बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह चर्चा नहीं हो रही है। आपने एक व्यवस्था दी थी कि ग्राह्यता पर हम कुछ लोगों को सुन लेंगे। अब मान्यवर, ऐसी स्थिति में आधा-आधा घण्टा यदि आप सभी दल को समय देंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। संख्या के आधार पर हर जगह होता है मान्यवर, यदि आप नेता विरोधी दल के लिये आप नहीं रोक सकते तो न सही मान्यवर, लेकिन समय का ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक चीज मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से स्पष्ट कर दूं।

*श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, पीछे दो-तीन लौंडे बैठे हैं इन्हें बैठे रहने दें क्या, नये आये हैं, बैठे रहने दें इन्हें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं अगर वर्मा जी गुस्सा हो गये हैं तो हम पर निकाल लें, ओम प्रकाश जी पर निकाल लें, अम्बिका चौधरी जी पर निकाल लें, मान्यवर, जब यह आप पर गुस्सा करते हैं तो मेरी आत्मा छलनी हो जाती है, मान्यवर, मुझे बहुत तकलीफ होती है, यह बरदास्त के बाहर है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब यह अनुमति तो न दें, मेरा आपसे निवेदन है। मान्यवर, आपने जो समय दिया था उसका यह पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, अब हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं, तो परेशानी होने लगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक माइनॉरिटी को बरदास्त नहीं कर पा रहे है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, यह पूरा सदन, पूरा प्रदेश दुःखी है, परेशान है, सदन में चाहे कोई बोल रहा हो या न बोल रहा हो मगर कानून-व्यवस्था के बारे में सोंच जरूर रहा है, परेशानी है इधर वालों को भी, उधर वालों को भी, अगर परेशानी न होती तो आदमी, आप चले जाओ, सदन चल रहा है पता लगा लो, बैठा है प्रमुख सचिव, होम के पास, सेक्रेटरी के पास कि मेरे पास दो शैडो है, तीन शैडो हो जाये, पांच हैं सुरक्षाकर्मी आठ हो जायें, आठ, बारह, चौदह, अट्ठारह मान्यवर, इस तरह के सुरक्षाकर्मी यहां हैं। मान्यवर, यह अगर परेशानी नहीं है तो क्या है, उनकी जान को खतरा नहीं है तो क्या है कि आदमी अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए शैडो लेने की कोशिश कर रहा है। मान्यवर, इलाहाबाद में नन्दी जी पर जो हमला हुआ, आखिर वह कैबिनेट मिनिस्टर हैं और एक सवालिया निशान खड़ा होता है हम लोगों पर जो राजनीति कर रहे हैं कि जब राज्य सरकार का कैबिनेट मंत्री ही सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित ही नहीं बाकायदा उसके घर में चढ़ कर उसको मारने का प्लान बनता है, मान्यवर, किस्मत है बच गये, तो यह हम पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि हममें से कोई सुररिक्षत नहीं हैं और यह तरीका जो अपनाया गया, रिमोट से यह पहली बार इस प्रदेश के अन्दर हुआ है और सोचने की बात है कि अगर यह तरीका अपनाते रहे तो यहां सदन खाली हुआ करेगा, इसके अन्दर, सभा के अन्दर बैठने वाले नहीं आया करेंगें वह अपने घर में रहा करेगें, अगर यही तरीका रहेगा मान्यवर, इसके बारे में गौर करना पड़ेगा, यह कह कर मसला हल नहीं होगा, मंत्री खड़े होकर कह दें कि जो मेरा प्रदेश है जो मेरी सरकार है उसके अन्दर सबसे अच्छी कानून-व्यवस्था है और मैं 34 से 35 पर आ गया हूं, 35 से 34 पर आ गया हूं, जो भी बात उन्होंनें कही है। मान्यवर, ऐसा कहने से मसला तो हल नहीं होने वाला है और जहां तक पुलिसकर्मियों का सवाल है, पुलिस के लोगों का सवाल है, इतनी आजादी, जान से मार दो, जिप्सी में उठा कर ले जाओ, यह सारी चीजें इससे पहले नहीं हुआ करती थी, यह हालात नहीं हुआ करते थे। अन्सार अहमद कान्स्टेबिल है 426 उसका नाम है। वह इलाहाबाद से कौशाम्बी जाता है अपनी मां से मिलने, जी0आर0पी0 में इलाहाबाद गाड़ी के साथ आ रहा था और सैनी थाने में उसे पीट-पीट कर, यूनीफार्म में था मगर नाम अन्सार लिखा था, उसे शायद देख लिया होगा, मान्यवर उसे पीट कर मारते रहे, जब उसकी मां और सब लोग आ गये वहां कि भई क्यों कर रहे हो, तो दिखाने ले जा रहे हैं।

मान्यवर, मेडिकल रिपोर्ट में उसकी बाबत दिखाया गया, ईमानदार डाक्टर था उसने रिपोर्ट लिखी कि बहुत ज्यादा चोटें हैं। तो यह सारी चीजें हो रही हैं। वह यूनिफार्म में था, पुलिस वाले पुलिस वाले को पीट रहे हैं उसको मार दिया वह मर गया। और उसमें उसको लेकर कोई लम्बी कार्यवाही नहीं हुई। लम्बी कार्यवाही कर दी गयी होती तो उसका एक संदेश जाता। न जाने उस बेचारे ने क्या कर दिया कि उसको मार दिया गया जबकि यह यूनिफार्म पहने हुआ था। शायद टिकट को लेकर झगड़ा हुआ और मारपीट हो गयी। उस अंसार अहमद के साथ यह घटना हो गयी। शाहजहांपुर में जो हुआ पहली बार घटना सुनने को मिली। एक सुरक्षा कर्मी जो किसी मंत्री के साथ सुरक्षा व्यवस्था में था, वह मौजूद था, और लोग वहां ए0टी0एम0 उठाकर ले गये। यह तो ऐसे हो रहा है जैसे विधान सभा परिसर में कोई आ जाय और स्टेट बैंक में लूटपाट कर चला जाय और हम सब देखते रहें। यह सब आपके लिये सोचने की बात है। आखिर यह पुलिस वाले

क्या करेगें। खड़े होकर देखते रहेंगे। हाथरस में जंक्शन पर, पुलिस स्टेशन है। वहां पुलिस मौजूद है वहां लोग आये और राइफल छीन कर ले गये। यह सारी चीजें मान्यवर, साबित करती है कि सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। यहां विधायक जी बैठे हुए हैं पूरन प्रकाश जी। मंडी परिषद् मथुरा के परिसर में इनकी दुकान है स्टोर रूम है। वहां मोबिल आयल रखा जाता है। रात में इनके यहां चोरी होती है विधायक जी के यहां से करीबन 11-12 लाख रु0 का मोबिल आयल चोर उठाकर ले जाते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने आकर कहा कि 2-3 जगहों से यह 20-25 हजार मिले है। इन्होंने कहा कि मोबिल आयल के डिब्बे तो दिलवाइये हम 20-25 हजार रु0 का क्या करेंगे।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, माल बरामद नहीं हुआ। यह कहा गया कि यह 20 हजार रु0 बरामद हुए हैं। हमने कहा कि हमारे यहां से माल गया है।

*श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, इन कुछ घटनाओं का मैंने जिक्र किया है। आज हमारे यहां बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। राम किशोर दलित है उसकी शादी होती है वह कानपुर में एम0एस0 कर रहा है एम0बी0बी0एस0 करने के बाद। वह जा रहा था स्कूटर पर, उसकी वाईफ के साथ बलात्कार हो गया। वह रिपोर्ट लिखवाने गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। यह 19-7-09 की घटना है। वह कोशिश करके हाईकोर्ट जाता है हाईकोर्ट ने 2-7-10 को आदेश दिया कि इसमें एफ0आई0आर0 लिखी जानी चाहिये। उसके दो दिन बाद उसको गोली मार दी जाती है यह शुक्र है कि वह बच गया। मैं चाहता हूं कि इन सब घटनाओं पर आप गौर करें, लोगों की जानमाल की फिक्र करें। बकायदा इन सब मसलों पर यहां पर डिबेट होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आप बोल तो रहे हैं।

श्री कौकब हमीद खां-

मैं चाहता हूं मान्यवर, कि इन सब पर कार्यवाही हो और आप गौर करें। मान्यवर, मुझे नहीं मालूम मंत्री जी से बड़ी जोरदारी से, कल से सुन रहे हैं मान्यवर, नेशनल प्लान रिकार्ड ब्यूरो में 34वें नम्बर पर, 33वें नम्बर पर, मुझे नहीं मालूम कहां से लायें हैं आप लेकिन जो मेरे पास है वह मैं आपको दे दूंगा। आपका तो समझ में आ गया मेरे कि आपने यहीं से बनवा दिये अपने रिकार्ड से और वह आपने हमें थमा दिये और उसको नेशनल रिकार्ड ब्यूरों का बता दिया। यह तो यू0पी0 रिकार्ड से बनाये हुए हैं जो आपने यहां दिये है। मान्यवर, यह पुलिस वाले हैं इंडिया के अन्दर, हिन्दोस्तान के अन्दर देश में 865 यू0पी0 में 470, 2008 में हिन्दोस्तान के अन्दर 1529 देश में और उत्तर प्रदेश में 608 यह देश में सबसे ज्यादा हैं। कुल 33-34 जो आपके स्टेट हैं उसके अन्दर यह देश के सबसे ज्यादा वाले हैं। इनकाउन्टर पर आयें, हिन्दोस्तान में 2007 में 95 यू0पी0 में 48, 2008 में हिन्दोस्तान में 103 उत्तर प्रदेश में 41 देश में यह भी सबसे ज्यादा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश हिन्दोस्तान में है कि नहीं ?

श्री कौकब हमीद खां-

जी हां, वह हिन्दोस्तान में है। हिन्दोस्तान का मैं बता रहा हूं वह है बिलकुल है मगर मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 103 थे उसमें से 41 आपके बाकी में 30 हैं, देश में तो हैं ही बिलकुल है देश में।

हत्याओं में टाप पर, 2006-07 आप नये-नये आये थे। हिन्दोस्तान के अन्दर, पूरे हिन्दोस्तान के जो आंकड़े हैं 5480 उत्तर प्रदेश में 2,560, 2007-08 में 5000 और 1920 उत्तर प्रदेश में, 2008-09 में 4,565 और 1,470 उत्तर प्रदेश में। यह आंकड़े हैं देख लीजिए मैं भिजवा दूंगा। जो आप बता रहे हैं वह आपके बनाये हुए हैं और जो मैं बता रहा हूं यह हिन्दोस्तान वालों ने बनाये हैं।

मान्यवर, जेल सुरक्षा, बहुत शानदार, जो जेल में चला जाता है वह कुछ ऐसा हो जाता है इनका मेरठ में पाइप से सीढ़ी बनाई और सीढ़ी बनाकर न कोई देखने वाला न कोई सुनने वाला और उसको लगाकर चढ़ गये, 9 लोग भाग गये। यह 9 लोग वह भागे जो सख्त कैद में रहते हैं जिनको तालों में रखा जाता है वहां से वह लोग भाग गये और यह बैठे रहे। सुबह देखा गया आई0जी0 गये, डी0एम0 गये कि कौन गया पता नहीं चला। खबरें कोई खास आई नहीं इनके पास आई हो तो पता नहीं। मान्यवर, मैं सरकार से डिमान्ड करता हूं इनसे मैं मांग करता हूं कि यह कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र दें, व्हाइट पेपर दें, बाकायदा दें इनको बाकायदा एक स्वेत पेपर लाना चाहिए एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए और जो दावे आपके हैं उनको बताना चाहिए क्योंकि मेरा मानना यह है पूरा सदन बैठा है मेरा मानना यह है कि आपके दावे झूठे हैं। और आप ऐसी बात कर रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं है। अगर यहां सब ठीक होता तो कल यहां इतनी पुलिस अंदर। बहुत से लोग होगें उस दौर के, जो 5-10 साल पहले 20 साल पहले के होगें। यहां तो बस सब तरफ पुलिस ही पुलिस हैं यह पुलिस स्टेट बन गई विधान सभा के अंदर। सिर्फ खाकी कपड़े वाले दिखाई देते हैं विधान सभा के अंदर। यह क्या तरीका है, इसका क्या मतलब है ? मान्यवर, मैं इस पर बाकायदे इनसे श्वेत पत्र की मांग करता हूं और एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि मंत्री जी,

'तू इधर-उधर की न बात कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा,
तुझे रहजनों से मलाल था, तेरी रहबरी का सवाल है।'

आबकारी, सिंचाई लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, अभी कौकब साहब ने एक शेर पढ़ा कि तू इधर-उधर की न बात कर यह बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल हैं। इन्होनें हमारे ऊपर सवाल दाग दिया, अब जवाब देना लाजिमी है।

'मैं बताऊं कि काफिला क्यों लूटा, तेरा रहजनी से था वास्ता,
मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी दोस्ती पे मलाल है'।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब क्यों आप लोग खड़े हो रहे हैं। महाना साहब आप बैठें। अभी तो आप लोगों की नोटिसें ली जायेगीं। अभी तो नियम-56 की नोटिसें हैं। जो लोग दिये हैं सभी की हैं। इसमें आरिफ जी का है, श्याम देव राय चौधरी जी का है, राधा मोहन दास अग्रवाल जी का है, माता प्रसाद पाण्डेय जी का है, सतीश महाना जी का है। जिनका है उनको सुनेगें अभी नियम-56 जब आयेगा। आप लोग बैठें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप चाहे जितना रियायत दें, इन लोगों पर असर पड़ने वाला नहीं है।

(श्री सतीश महाना द्वारा कुछ कहे जाने पर)

आपको कौन सा अधिकार है, कहां चर्चा हो रही है, आप [XXX] बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब आप बैठिये इतना गरम होकर बात मत करिये। पूरन प्रकाश जी आप भी बैठिये।

श्री लाल जी वर्मा

आप 8-10 लोग मिलकर सदन को हाईजैक कर लेगें, बाकी सब बेकार है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, एक अनुरोध है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का कहना भी ठीक है। कुछ समय आप निर्धारित कर दें दो मिनट, तीन मिनट, इससे आपको सुविधा होगी।

(श्री सतीश महाना द्वारा पुनः अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आप इतना सीनियर होकर ऐसी बात करते हैं।

(श्री पूरन प्रकाश जी द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

पूरन प्रकाश जी, आपकी बात नोट नहीं की जायेगी। माननीय सदस्य जो खड़े हुये हैं, इन्होनें नियम-56 में सूचना दिया है, मैं सभी का ले लिया हूं कि दो-दो, तीन-तीन मिनट सुनूंगा। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल था, उसमें तय हुआ था कि सभी दल के नेता बोल लेंगें और संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब दे देगें। अब जो माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत घटनायें हैं जो समाज से जुड़ी हैं। मैं सबका ले लिया हूं। मैं ऐसी सभी नोटिसों पर दो-दो चार-चार मिनट सुन लूंगा। कानून-व्यवस्था पर मैंनें आपके दल के नेताओं की आधा-आधा घंटा बात सुन लिया है। अब नेता लोग न बोल पाये हों।

नोटः--[XXX] यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें क्या व्यवस्था है। मैनें एक व्यवस्था दिया था नेताओं की राय के आधार पर, उस राय के आधार पर मैनें माननीय नेताओं को 5-10 मिनट बढ़कर बुलवा लिया। सभी दलीय नेताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट रख दी। पूरे सदन ने सुना है और आपने भी सुना हैं अपने दल के नेता की बात को।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत नाराज हो रहे हैं। आप मार्शल को निर्देशित कर दें कि वह एक गिलास पानी मंगवाकर उनको पिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

कोई गुस्सा नहीं गुस्सा करने का कोई सवाल ही नहीं है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

कभी-कभी हो जाता है, कभी उनके गुस्से का हम न बुरा मानें कभी हमारा वह न बुरा मानें।

श्री अध्यक्ष-

हां, हां, यही होता है, यही परम्परा है, कटाक्ष भी होते हैं। महाना साहब आपकी नोटिस हमने ली है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत मामला है।

श्री अध्यक्ष-

अब ऐसे समय न खराब करें। मेरा तो यह विचार है कि दो-दो मिनट सभी को सुन लें। अब आप लोग बैठ जायें। जब मैंने सभी मा0 सदस्यों के नाम पढ़ दिये हैं अगर कोई रह जाता है तो उनको भी सुन लेगें। विशम्भर जी आप बतायें कि क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, हम नये सदस्य हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, तीन साल हो गये हैं, अब ये नये कहां रह गये है।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही है, कानून व्यवस्था पंगु हो गई है लेकिन आज यहां न तो नेता सदन है और न ही गृह मंत्री हैं तो कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी। मेरा अनुरोध है कि अगर नेता सदन लखनऊ में हों तो वह यहां पर आयें तभी इस चर्चा का कोई मतलब रह जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति के अनुसार ही कोई बात कहूंगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी की परेशानी भी देख रहा हूं वह ज्यादा परेशान होगें तो मैं खामोश हो जाऊंगा। मा0 अध्यक्ष जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो कृपा की है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं अपने दल की ओर से भी और अपने उन साथियों की ओर से भी, जिन्हें आप मौका नहीं देंगे। मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपकी उदारता सराहनीय है। अभी शेर-वेर का दौर नहीं है, पहले दूसरा दौर था।

कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।

और रात का इन्तजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता।

अपराध की आज स्थिति यह है कि मा0 मंत्री जी पर हमला करें दिन में 12 बजे, कपिल देव यादव पूर्व विधायक पर हमला करें 12 बजकर 10 मिनट पर और प्रदेश में जितना जो कुछ करना हो वह दिन-दहाड़े करे, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। मैं अपनी बात कहने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि जितनी बातों का जिक्र मा0 नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य सम्मानित दलों के नेताओं ने किया है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल दो-तीन बातें संक्षेप में कहकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। मा0 नन्दी जी पर हमले के विषय में जो बात हुई उसकी गम्भीरता अपनी जगह पर हैं उसको दोबारा कहूं तो कोई कायदा नहीं हैं। एक दूसरे एंगिल की ओर मैं आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूं कि इतनी बड़ी गम्भीर घटना के बाद इस सूबे के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी जो इस बारे में बोलते हैं, उनका नाम यहां पर लेना ठीक नहीं है। लेकिन एक अधिकारी इस सूबे में बड़े स्तर पर हैं जो सारी बातों पर भाषण बहुत बढ़िया करते हैं। उन्होंने ऐसी कहानी तत्काल 6 घण्टे बाद बता दी जैसे कि उनसे पूछ करके और उनके द्वारा लिखित स्क्रिप्ट पर सारे अपराधी उससे जुड़े हों। इन्दौर से ले करके उज्जैन तक और उज्जैन से ले करके जयपुर तक और जयपुर से इलाहाबाद तक किसने क्या-क्या संवाद किया 6 घण्टे में उनको सारी बातें पता चल गई। 6 घंटे में सारे डायलाग बता दिये। शाम को उसने उनसे यह कहा और दोपहर को यह कहा, यह कहा, उस मोहल्ले में यह कहा और फलानी गली में यह कहा। मान्यवर, अगर इतनी बातें इतने काम्पीनेंट तरीके से हमारे पुलिस महकमें के सर्वोच्च अधिकारी से, वो बोलने में सर्वोच्च हैं इसलिए होंगे वो, अगर उनको सारी बातें मालूम थीं तो, तब फिर मंत्री जी पर कैसे इतनी गंभीर हमला हो गया है, ऐसा गंभीर हमला हो गया है। यह एक विषय है जिस पर में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मंत्री जी, इस विषय को देख लें। माननीय मुख्य मंत्री का बयान दूसरा आया तत्काल घटना होते ही पूछे जाने पर कि यह क्यों हुआ, तो ये सारी चीजें आयी। माननीय ओम प्रकाश सिंह अभी यह कह रहे थे कि जब उनकी सरकार थी तो कई बार यह इल्जाम लगता था कि समाजवादी पार्टी वालों ने फलां कर दिया तो हुआ उन लोगों ने कर दिया तो उसी तरह से मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी सदन के एक सदस्य पर सीधे नाम लेकर के उसका इल्जाम लगा दिया, जो 2 साल के करीब होता जा रहा है, जो भदोही का एक उप चुनाव जीता था। उप चुनाव में उस आदमी की जो भूमिका थी उसकी इतनी बड़ी सजा कि प्रदेश से उसको निकाला गया है। वह प्रदेश में डेढ़ साल से नहीं आ पा रहा है, उसको सीधे-सीधे अभियुक्त

डिक्लेयर कर दिया गया है। मेरा यह कहना है कि अगर इस तरह के इल्जाम मुख्य मंत्री द्वारा लगा दिये जायेंगे तो फिर जांच किस बात की होगी। इनवेस्टिगेशन क्या होगा। कोई इनवेस्टिगेशन नहीं होगा।

श्री राम शिरोमणि शुक्ला-

उस समय कितनी हत्याएं, बलात्कार हुए।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप बोल लीजिएगा। बाद में बोल लीजिएगा। हत्या, बलात्कार पर भी चर्चा हो रही है। अभी मैं हत्या, बलात्कार की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीमन् मैं इसको फिर यहां रोकूंगा, क्योंकि आज मैंने आपसे कहा है इसलिए आज मैं वचन का पालन करूंगा। मान्यवर, कपिल देव यादव की हत्या होती है, उन्होंने पहले से अपनी जान पर जोखिम की बात कहीं, प्रार्थना-पत्र लिखा, जिले से उनकी सुरक्षा के लिए रिकमेनडेशन हुआ था। वे पूर्व विधायक थे, इसलिए नियमानुसार उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। वे 25 प्रतिशत जमा करने को तैयार थे, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गयी है। जिम्मेदारी आपकी कितनी है, इस विषय पर भी कानून-व्यवस्था पर बोलने के लिए मैं यहां ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं। मेरा ज्यादा जोर इस सवाल पर है मान्यवर, यहां से अभियुक्त दिन में 12-10 बजे हत्या करके सरेआम बाजार-मझवारा से होकर, मान्यवर आप तो 1-1 इंच जगह देखें हैं, आप जानते हैं उस इलाके को, उस इलाके से निकल के लखनऊ तक आते हैं। गुडम्बा में जहां पनाह लेते हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वह पनाहगार कौन-सी थी। पुलिस ने कहा कि गुडम्बा में थे, किस जगह पर पनाह लिया उन्होंने, उन लोगों को अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया था ? मान्यवर, बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल थे, और पुलिस ने कहा कि गुडम्बा में फलां जगह संरक्षण लेने को मिला। फलां जगह वे लोग छिपे, 3-4 दिन वे वहां रहे और उसके बाद उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष पेश किया गया। श्रीमन् इस सदन के माध्यम से इस प्रकार के पीछे की पूरी कथा इस प्रदेश को जानने का हक है। मैं कानून-व्यवस्था की बात इसलिए कहना चाहता हूं घटनाओं की गिनती से नहीं। जब समाज है तो अपराध इस समाज में होते रहे हैं, जब से यह समाज है तब से और जब तक यह समाज रहेगा, तब तक अपराध कमोवेश होंगे। कानून-व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में आपका दृष्टिकोण क्या है, उनको नियंत्रित करने की आपकी तकनीक क्या है ? उसको नियंत्रित करने के लिए आपकी तकनीक क्या है, उसको नियंत्रित करने के लिए आपका प्रयास और दृष्टि क्या है, यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से आप कौन से विश्वास का निर्माण कर पाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। मान्यवर, महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि हत्याएं नहीं हुई हैं। मान्यवर, कोई भी राज रहेगा, हत्याएं हो जायेंगी, कोई बलात्कार हो जायेगा, कोई चोरी हो जायेगी, लेकिन जब इन घटनाओं की बाढ़ आती है तो उन घटनाओं को आप कैसे नियंत्रित करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। श्रीमन् बहुत-सारे आंकड़े रखे जाएंगे, मैं आंकड़ों में नहीं जाकर के, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जो-जो बातें कह दी हैं, यहां पर उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि शराब पीना बुरी बात है। आप जानते है, बड़ी आलोचना होती है, इसके बावजूद तमाम लोग शराब पीते हैं। शराब का महकमा है। शराब को बेचा जाता है, लेकिन अगर गलती से भी मस्जिद में शराब पीने की बात आ जाये तो यह अक्षम्य होने लगता है। ऐसा कहा जाने लगता

है कि अरे अब वहां पर भी शराब पी जायेगी। ये स्थिति है श्रीमन् कानून-व्यवस्था का जो मसला है मान्यवर, वह सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। आंकड़ा इतने परसेन्ट बढ़ गया और इतना घट गया, वह भी मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं उस पर जाऊंगा नहीं और मुझे तुरन्त खत्म करना है। इसलिए मैं अपनी बात संकेत मात्र में कहना चाहता हूं। मान्यवर, विधायक निवास, ऐशबाग में विधायकों को जो फ्लैट विधायकों को आवंटित हुए हैं, वहां पर विधायक निवास में सरेआम दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई। सामूहिक बलात्कार घटनाओं के मामले में, किस किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बनारस में क्या हुआ, इससे केवल घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। इसलिए उसका उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन आप यह देख लें यह ट्रेण्ड जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, लोग इतनी हिफाजत से अपने को महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है ? अब मैं दूसरी बात कहूंगा, अब मैं स्वीकारोक्तियां की बात करूंगा। जो आपका महकमा स्वीकार करता है या जो आयोग कहते हैं, बाकी किसी के आंकड़े नहीं कहूंगा। आपके ए0डी0जी0 साहब खुद बड़ी बेबाकी से स्वीकार करते हैं कि पूर्वान्चल, बनारस और जौनपुर अन्तर्राज्यीय अपराधियों का हब बन गया है। अपराधों की समीक्षा के दौरान यह स्वीकार करते हैं कि बनारस और जौनपुर यह आसपास के प्रदेशों के अपराधियों का हब बना गया है, यह आपकी स्वीकारोक्ति है। मैं अपनी ओर से कोई बात कहूं तो इसको अस्वीकार कर दीजिएगा। सिर्फ कुछ बातें कहना चाहता हूं, जिन बातों को आप कह रहे हैं उसके लिए आंकड़े देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यह पूछा गया कि आपकी सरकार में शपथ लेने वालों में कितने लोग जेल में हैं या आपने जिनको विधायक के टिकट दिये, विधायक चुने गये उनमें से कितने लोग जेल में हैं ? या जिनको आपने विधान परिषद् के टिकट दिये, उनके परिवार में या उन पर कितने मुकदमें हैं, उनका आपराधिक इतिहास था उसके बाद भी आपने दे दिया। कितने लोग ऐसे थे जिनको आपने महापुरूष कह कर, अनेक मुकदमों में वांछित होने के बाद भी, बड़े-बड़े माफिया कहे जाने के बाद भी आदरपूर्वक शामिल किया, उनको जननायक साबित किया और उसके बाद उनसे किनारा करने के लिए कहा, कहा था कि बाकी लोगों से भी किनारा करेंगे, 500 लोगों की लिस्ट बतायी लेकिन 5 लोगों के भी नाम नहीं लिये। जितने बड़े अपराधी और जितने बड़े अपराधियों के परिवार के सदस्यों को इस बार आपने विधान परिषद् में सम्मानित किया है, आप आंकड़े निकलवा लीजिए। मैं कहूंगा तो बुरा हो जाऊंगा। जिन पर 10 लाख का ईनाम है उनको तो आप अपराधी मानेंगें, जिन पर 2 लाख का ईनाम है उनको तो आप अपराधी मानेंगे और उनमें किसी की पत्नी को, किसी के बेटे को, किसी को स्वयं सम्मानित करने का काम आपने विधान परिषद्, उच्च सदन में किया है, यह आपकी दृष्टि का परिणाम है कि कानून-व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। रोल मॉडल तलाशे जा रहे हैं, जब यह लगेगा कि सर्वाधिक सम्मान उसी का है जो जितना बड़ा अपराधी है तो छोटा नौजवान उस रास्ते पर चलने का काम करेगा। कुर्बानी का इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि लड़का उस रास्ते पर चलने के लिए सीखे, सद्विचार सीखे लेकिन जब अपराधियों को आप सम्मानित करेंगे तो इसमें कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी क्योंकि नौजवान सोचेगा कि बड़ा अपराध करेंगे तो बड़ा सम्मान मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। रिपीट नहीं कर रहा हूं, पहले आज कह दिया था इसलिए नहीं कहूंगा। श्रीमन्, नाम नहीं लूंगा, तो गड़बड़ हो जायेगा, विवाद हो जायेगा कि फलाने का नाम क्यों लिया लेकिन जब कुल मिलाजुला करके मंत्रियों के जिम्मे यही काम रह जायेगा तो यह बात होगी। मैं आखिर में दो वाक्यों में अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हुए है जस्टिस बालाकृष्णन, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्याायाधीश थे। इससे पहले चीफ जस्टिस थे, जस्टिस एस0 राजेन्द्र बाबू, उन्होंने कु0 मायावती जी की सरकार में जो मानवाधिकार हनन के जो आंकड़े आये और जिसका अध्ययन किया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, उसमें आपको अव्वल कहा है। इस हिन्दुस्तान में मानवाधिकार हनून के मामले में आपको गोल्ड मेडल दिया है, उत्तर प्रदेश अव्वल है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा है। दूसरा, एक और भी गोल्ड मेडल है, एक गोल्ड मेडल से काम नहीं चलता, एक यू0एस0 ओपन, एक बिम्बलण्डन से काम नहीं चलता, सारी ट्राफी इन्हीं के नाम होनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्या सत्या बहन ने पिछले दिनों दलित उत्पीड़न के मामलों में बताया कि उत्तर प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में दलित उत्पीड़न के मामलों में अव्वल है। इतने से गोल्ड मेडल पूरा नहीं होता। राष्ट्रीय मानवाधिकर आयोग ने फर्जी इनकाउण्टर में प्रदेश को गोल्ड मेडल दिया और फर्जी इनकाउण्टर से अपराध नहीं रूकते। फर्जी इनकाउण्टर एक प्रकार से सुनियोजित कोल्ड ब्लडेड हत्या है। सुनियोजित हत्याओं से कभी अपराध नहीं रूकते। अध्यक्ष जी, हमारा आपका सामान्य अनुभव है कि जब असली चोर पकड़ा जाता है तो मोहल्ले की चोरी रूक जाती है, और फर्जी लड़के को फंसा दिया जाता है तो असली चोर चोरी भी करता रहता है और अपराधियों का मनोबल भी बढ़ा रहता है और चोरियां दोगुनी हो जाती हैं। इसलिए यह फर्जी इनकाउण्टर करके आउट आफ टर्न प्रमोशन लिया जा रहा है। मेरे पास फीगर है अगर आप कहें तो आपको उपलब्ध करा दूं। मैंने जो बातें कही हैं अगर वह गलत हो तो जो सजा बनती हो मैं उसके लिए तैयार हूं। बाल शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है गोल्ड मेडलिस्ट यह मेरा नहीं राष्ट्रीय बाल आयोग का कहना है। बाल शोषण के मामले में आप अव्वल हैं। कानून-व्यवस्था की हालत यह है कि पंचायत में दलित महिला की जीभ काटी जाती है। दलित महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं की बहुत बड़ी संख्या है मैं दोहराना नहीं चाहता इसलिए मेरा कहना है कि कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति पर चिन्ता कीजिए केवल जवाब देने से काम नहीं चलेगा हम उम्मीद करते है कि आप इसका संज्ञान लेंगे। हमारे कहने से आप इस्तीफा तो नहीं देंगे न ही मैं इतनी नैतिकता की आपसे उम्मीद करता हूं न ही मैं इसकी मांग करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जब संविधान के प्रति आपका सम्मान का भाव नहीं है तो कानून-व्यवस्था के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा ? समाज का एक भी तबका ऐसा नहीं है जिसके सामने कानून के राज का एक उदाहरण हो। अध्यक्ष जी, नियम-311 के अन्तर्गत जो हमने नोटिस दी उसकी ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। साथ ही साथ मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सूचना की ग्राह्य करते हुए नियम-311 के अन्तर्गत सारे काम रोककर, सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा करा लें इससे महत्वपूर्ण दूसरा विषय नहीं हो सकता है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है। डा0 साहब ने एक विषय पर नोटिस दिया है उस पर आप बोल लें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस सूचना पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है। माननीया मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश में गुण्डा राज खत्म कर कानून के राज की स्थापना की वचनबद्धता के साथ अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त समाज का संकल्प लेकर जनविश्वास प्राप्त किया। हमारी सरकार उस पर अटल है। हमारी सरकार की संकल्पबद्धता है कि आजादी के 63 वर्षों में किसी भी राजनेता ने यह हिम्मत दिखाने का काम नहीं किया कि अगर उसके विधायक या मंत्री ने अपराध का कार्य किया या कानून का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाने का काम किया गया हो। हमारी नेता माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अगर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक या एम0पी0 के ऊपर आरोप लगा मंत्री के ऊपर आरोप लगा तो उसको भी जेल पहुंचाने में देर करने का काम नहीं किया। मान्यवर, कानून के राज की स्थापना व प्रदेश की जनता के लिए हमारी जवाबदेही है और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाही करने से हमारी सरकार कभी नहीं हिचकती। अपराधियों को हम किसी जाति के आधार पर किसी धर्म के आधार पर, किसी राजनीतिक पहुंच के आधार पर पहचान नहीं करते। अपराधी-अपराधी है जो भी अपराध करेगा वह कितनी ही राजनीतिक पहुंच का व्यक्ति होगा कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। हमारी सरकार की संकल्पबद्धता है उसके अनुसार बिना भेदभाव के हमने कार्यवाई करने का काम किया उसी का परिणाम है। जब हमने बिना भेदभाव के कार्यवाही की तो मान्यवर, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, माननीय कौकब हमीद साहब को मैं बताना चाहता हूं कि यह हमारी एजेन्सी नहीं है, यह भारत सरकार की अधिकृत एजेन्सी है जिसने अपराध दर का आंकड़ा प्रस्तुत करने का काम किया है। मान्यवर, मुझे इस बात पर तरस आता है जब कुछ लोग यह कहते हैं कि 35 स्टेट कहां से हो गये। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी और कल मैंने टेलीविजन पर एक नेता को कहते सुन रहा था कि देश में 35 राज्य ही नहीं हैं। मान्यवर, 28 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। मैं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्यू, दिल्ली,

लक्षदीप, पांडिचेरी यह सात .....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

यह राज्य नहीं हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

यह यूनियन टैरीटरी हैं सात। अब आपको नहीं मालूम। आप कहते रहिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बहुत बधाई कि गोआ दमन द्यू से हमारा मुकाबला हो रहा है। दादर नगर हवेली से भी हो रहा है।

श्री लाल जी वर्मा-

यह केन्द्र शासित प्रदेश हैं मान्यवर, यूनियन टैरीटरी है। और यह 35 में जो अपराध दर का आंकड़ा है मान्यवर, उत्तर प्रदेश चौतीसवें स्थान पर है। मान्यवर, मध्य प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन हैं यह चौथे नम्बर पर है। गुजरात, जिसकी बड़ी वकालत करते हैं वह दसवें स्थान पर हैं। हरियाणा आठवें नम्बर पर है। यह इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। मान्यवर, दूसरी तरफ मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि अपराधों में निरन्तर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर, कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा प्रमुख सचिव गृह के स्तर पर, डी0जी0पी0 के स्तर पर हमेशा होती रहती है और उसी का परिणाम है कि 1 जनवरी, 2010 से 31 जुलाई, 2010 के बीच 2009 में इसी के सापेक्ष डकैती में 6.8 प्रतिशत की कमी आई, लूट में 10.78 प्रतिशत की कमी आई, हत्या में 6.29 प्रतिशत की कमी आई, बलवा में 20.6 प्रतिशत की कमी आई, गृहभेदन में 14.10 प्रतिशत की कमी आई, रोड हैल्डप में 100 प्रतिशत की कमी आई, दहेज हत्या में 5.34 प्रतिशत की कमी आई, बलात्कार में 17.34 प्रतिशत की कमी आई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में 32.53 प्रतिशत की कमी आई, छेड़खानी में 14 प्रतिशत और महिला उत्पीड़न में 5.43 प्रतिशत की कमी आई। मान्यवर, आज विपक्ष के लोग कानून व्यवस्था की स्थिति पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मान्यवर, कानून-व्यवस्था की स्थिति 3 साल पहले क्या थी ? प्रत्येक जिले में अपराधी सत्ता का नियंत्रण करता था। उसके इशारे पर डी0एम0 और एस0पी0 चलते थे और जो डी0एम0, एस0पी0 उनकी बात नहीं सुनते थे चाहे वो फिरोजाबाद में एस0पी0 की पिटाई हो चाहे लखनऊ में सी0ओ0 को बोनट पर घुमाने का कार्य हो चाहे अन्य जिलों में डी0एम0 या दूसरे अधिकारियों की पिटाई हो, यह उस समय दिखाई पड़ता था। मुझे लगता था कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो इनको अपने शासन का याद आ रहा था और उस समय जो कानून-व्यवस्था का मखौल उड़ाया जाता था उसकी याद इनको आ रही थी। उस पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हमारे राज्य में जनप्रतिनिधियों का सम्मान होता था। इस समय विधायकों की भी बात नहीं सुनी जाती है। विधायक को रिश्वत देनी पड़ रही है और यहां तक कि सत्तापक्ष के विधायकों को ज्यादा रिश्वत देनी पड़ रही है और अधिकारी सत्तापक्ष के विधायकों की भी बात नहीं सुनते है। अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो गये हैं। (शोर) और मंत्री जी वाहवाही लूट रहे हैं सब फर्जी आंकड़े दे रहे हैं इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों क साथ सदन का त्याग किया।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो बात आ रही है उसको यह नहीं सुन सकते हैं हमने इनकी बात को धैर्य से सुना। माननीय नेता प्रतिपक्ष के समय इटावा में फर्जी मुकदमें लादे जाते थे, हमारे दल के विधायक विनय शाक्य का जिस तरह से उत्पीड़न किया गया और फर्जी मुकदमें लादे गये, धर्मपाल जी जिनके ऊपर नाजायज मुकदमें लादे गये। विनय शाक्य पर फर्जी मुकदमें लादे गये। इलाहाबाद में राजू पाल की हत्या होती है दौड़ा-दौड़ाकर दो-तीन किलोमीटर तक मारा जाता है। सबसे शर्म की बात है कि एक जनप्रतिनिधि की लाश भी उनके परिवार वालों को देखने का अवसर नहीं मिलता है इससे जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। (शेम-शेम की आवाजें) मान्यवर, वीरप्पन की लाश भी उनके परिवार वालों को दी गई लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि के परिवार वालों को उनकी लाश देखने को नहीं मिली। अपराधियों को संरक्षित करने का काम किया गया इससे दुःखद बात और नहीं हो सकती है। इलाहाबाद में ही मान्यवर, मदरसे के अन्दर लड़कियों का अपहरण करके, अभी चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे अपहरण, बलात्कार का, मदरसे से लड़कियों को अपहरण करके ले जाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के प्रयोजन से, उस समय जो सत्तारूढ़ सरकार थी उसके प्रयोजन से ले जाते हैं उनके साथ बलात्कार होता है मुख्य मंत्री जी इलाहाबाद में रहते हैं तो उनसे कहते हैं तो वह कहते हैं कि इस तरह की घटनायें होती रहती हैं। निठारी में जिस तरह से बच्चों की हत्यायें की जाती हैं उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो आज हैं वह मंत्री जी की हैसियत से जब वहां जाते हैं, प्रेस के लोग जब इस बारे में उनसे पूछते हैं तो वह कहते हैं कि इस तरह की छोटी-मोटी घटनायें प्रदेश में होती रहती हैं। आज ऐसे लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जिन्होंने हमेशा कानून का मजाक उड़ाने का काम किया और कानून का मजाक उड़कर पूरे प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। मान्यवर, 1977 में आज हमें सीख देने वाले लोगों को यह याद करना चाहिए कि 1997 में किस तरह से अपराधियों का सहयोग लेकर अपनी सरकार को बचाने का काम किया था। मान्यवर, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जैसी निर्भीक, निडर, साहसी विश्व में शायद कोई महिला हो इस बात का सबूत है जब 2 जून, 1995 को उनके साथ, गेस्ट हाउस में प्रदेश के सारे अपराधी जुट गये थे तब भी उन्होंने हिम्मत हारने का काम नहीं किया और किसी अपराधी से समझौता करने का काम नहीं किया। (शोर)

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के लोग आज कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो अपने प्रधानमंत्री की जान नहीं बचा सके, जो अपने केन्द्रीय मंत्री की जान नहीं बचा सके, सत्ता में रहते हुए। एक दो घटना होने पर वह कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। मान्यवर, मेरे पास कई आंकड़े हैं, मैं इस तथ्य को रखना चाहता हूं कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चार बार सरकार बनी और चारों बार की सरकार को मिलाकर लगभग साढ़े पांच साल का शासन रहा। इस साढ़े पांच साल के शासन में पूर्व विधायकों की तीन हत्याएं हुई। लेकिन मान्यवर, जिन लोगों ने भी हत्या किया है, एक भी हत्यारा बचने नहीं पाया, उसके साथ सख्ती के साथ कार्रवाई की गयी, किसी भी अपराधी को बचाने का काम नहीं किया गया, यह इस बात का सबूत है कि

हमने उसमें किसी तरह का भेदभाव करने का काम नहीं किया। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त श्री संतोष शुक्ल जी की हत्या थाने में होती है, श्री मंजूर अहमद विधायक की हत्या होती है, श्री निर्भय पाल शर्मा, भाजपा पूर्व विधायक की हत्या होती है, श्री गंगा सिंह चौहान लोकदल, पूर्व विधायक की हत्या होती है, श्री काजी रहमान, कांग्रेस विधायक की हत्या होती है, श्री बीरभद्र, विधायक की हत्या होती है, श्री भगवान बख्श सिंह की हत्या होती है, शारदा प्रसाद रावत की हत्या होती है, महेन्द्र सिंह भारती की हत्या होती है, मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 9 सांसदों और विधायकों की हत्या होती है।

राष्ट्रपति शासन में भी जिसमें केन्द्र में कांग्रेस के शासन में रहते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहते हुए भी श्री ओम प्रकाश पासवान की हत्या होती है, श्री लक्ष्मी शंकर यादव, पूर्व मंत्री की हत्या होती है, श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की हत्या होती है, श्री महेन्द्र सिंह, विधायक की हत्या होती है, श्री जवाहर लाल उर्फ पंडित, विधायक की हत्या होती है। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के शासन में 9 लोगों की, श्री भोपाल सिंह, विधायक की, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह की, श्री लक्ष्मी नारायन की, श्री अरविन्द सिंह की, जो एमएलसी थे, समाजवादी पार्टी के, श्री हरदेव रावत की, पूर्व विधायक श्री बलराम सिंह यादव की, श्री मलखान सिंह की, श्री राजूपाल जी की, श्री कृष्णा नन्द राय जी की, 9 हत्याएं होती हैं, मान्यवर, तब इनको कानून-व्यवस्था की याद नहीं आई, आज यह कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार कानून के प्रति दृढ़ संकल्प है, कानून का राज स्थापित करने के लिए और उसमें किसी तरह का पक्षपात करने का काम नहीं किया गया है। अपराधों की विवेचना करके अपराधियों को जेल में पहुंचाने का काम किया गया और उसका परिणाम हुआ कि लगभग इस सवा तीन वर्ष के शासन में कोई बड़ा साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मान्यवर, किसी तरह की नक्सलवादी घटना नहीं हुई, दिसम्बर, 2007 के बाद कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। मान्यवर, कानून-व्यवस्था के प्रभावी नियंत्रण के परिणाम स्वरूप यह हो सका है। मान्यवर, प्रदेश में अपराध में लिप्त जो लोग रहा करते थे ऐसे कुल अपराधियों को जिनके ऊपर अपराध घोषित था, ऐसे अपराधियों को मार गिराने में डेढ लाख के इनामी एक व्यक्ति को, एक लाख के इनामी 2 व्यक्ति को, 50 हजार के इनाम के 13 व्यक्तियों को, 35 हजार के इनाम के 3 व्यक्तियों को, 30 हजार के इनाम के 5 व्यक्तियों को, 25 हजार के इनाम के 1 व्यक्ति को, मान्यवर, यह बड़ी लिस्ट है, मैं इसमें समय नहीं लेना चाहूंगा, जो भी इस तरह के अपराधी थे, इसी तरह से 5 से 10 लाख के ईनामी 86 लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई।

मान्यवर, इसी तरीके से अपराधियों के खिलाफ निरन्तर कार्रवाई चल रही है। मान्यवर, दूसरी तरफ मैं इस बात पर चिंता, दुःख और संवेदना व्यक्त करता हूं कि माननीय हुकुम सिंह जी जो कि एक वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी पत्नी की हत्या की गयी, निश्चित रूप से यह एक दुःखद घटना है लेकिन जिस त्वरित गति से सभी अपराधियों को पकड़ने में सफलता अर्जित की गयी, उनके घर से जो पैसा ले गये थे उसको बरामद करने में सफलता अर्जित की गयी, यह इस सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देशन में पुलिस ने करने का काम किया। निश्चित रूप से इसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। मान्यवर, दूसरी तरफ हमारे मंत्री श्री नन्दी जी के ऊपर जो एक नये तरीके से आक्रमण हुआ है। 6 घण्टे में ही जिस तरह से पुलिस ने अपनी

बहादुरी का परिचय देते हुए, जिस तरीके से पुलिस महकमें ने पूरी तत्परता के साथ उसको वर्कआउट करने का काम किया निश्चित रूप से हम उसकी तारीफ करेंगे, उसके साथ ही साथ अब अगर उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आता है उस घटना को घटित कराने के लिए जिसके ऊपर 58 से ज्यादा अपराधिक मुकदमे दर्ज हों तो समाजवादी पार्टी को रोना आता है, समाजवादी पार्टी को चिंता होती है कि क्यों ऐसे कार्यवाही की जा रही है। हमने पहले ही कहा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं, नेता है, उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है कि अपराधी को अपराधी की स्थिति में माना जाएगा। किसी पार्टी के आधार पर उसके साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया जाएगा। अपराधी कैसा भी क्यों न हो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जाएगी। इसमें जो भी लोग शामिल रहे हैं किसी को बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से कानून के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस बात को भी कहना चाहता हूं कि लोक दल के बारे में हमारे माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने इस बात जिक्र किया कि इन्होंने बताया कि क्यों है, उसका उन्होंने वर्णन कर दिया, मैं उसमें अब जाना नहीं चाहता। मान्यवर, आज हमारे तमाम साथियों ने पुलिस के क्रियाकलाप के बारे में जिक्र किया है। निश्चित रूप से अगर कहीं दोष होता है तो यह सरकार दोषी को बख्शने का काम नहीं करती है। पुलिस के लोग भी अगर गलत करते हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाता है। मान्यवर, यह गड़बड़ी क्यों हुयी। मान्यवर, जब पुलिस की भर्ती में गड़बड़ी की जाएगी, पुलिस की भर्ती में पहले जिस तरह का पक्षपात किया गया, जिस तरह के हथकण्डे अपनाने का काम पहले किया गया, उसका परिणाम है कि उसका कहीं न कहीं छाप पड़ेगा। मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने का काम किया। मान्यवर, आज देश में प्रति लाख व्यक्ति पर पुलिस की संख्या का जो नियतन हुआ है वह उत्तर में सबसे ज्यादा है। उसी के साथ-साथ पुलिस निष्पक्ष भावना से काम करे, अच्छा काम करे इसलिए 35 हजार पुलिस की जिस पारदर्शी ढंग से भर्ती करने का काम किया गया उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, भारत सरकार की सुरक्षा के सम्बन्ध में एक बैठक थी उसमें मुझे जाने का अवसर मिला था तो केवल मैं ही नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री ने भी इस बात की चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी ढंग से पुलिस की भर्ती करने का काम किया गया है। मान्यवर, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात का आरोप लगा सके कि इस 35 हजार सिपाहियों की भर्ती में किसी तरह का भी पक्षपात करने का काम किया है। यह इस बात का सबूत है कि हम कानून-व्यवस्था के मामले में सजग है, सचेत हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं। मान्यवर, इसके साथ ही साथ इस बात को भी कहना चाहता हूं कि मा0 नेता भाजपा ने कहा कि बसपा के लोगों के फोन पर पुलिस कार्यवाही करती है। हमारी नेता ने अधिकारियों की जब-जब भी बैठक हुई, विधायकों की जब-जब भी बैठक हुयी, सांसदों की जब-जब भी बैठक हुई, स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि कानून के मामले में कोई दखल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। पुलिस को बिल्कुल स्वतंत्र करने का काम किया है कि कानून की हिफाजत के लिये, भले कितना ही बड़ा दबाव क्यों न हो, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। कानून के आधार पर कार्यवाही करना चाहिए, इस बात को मा0 मुख्य मंत्री जी ने बार-बार निर्देश देने का काम किया है। मान्यवर, थानों में अपराधी और दलाल के बैठने का सवाल हैं, आज कोई दिखायी नहीं पड़ रहा

है। ये बैठते थे, जब सरकार हुआ करती थी इन लोगों की और बैठते ही नहीं मान्यवर, वही चलाने का काम भी करते थे। जिलों में अगर टेण्डर भी होता था तो उसको भी डलवाने का काम करते थे। हर तरह से हर काम करते थे। मान्यवर, मुझे याद है कि मेरे जिले में एक इंजीनियर बिजली विभाग का उसकी पिटायी होती है, नारा लगता है समाजवादी पार्टी के एक नेता के नाम पर ''फला तुम पीटते रहो हम तुम्हारे साथ है'' और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती और दबाव डालकर समझौता कराने का काम किया गया। आज यह स्थिति नहीं है, आज गुण्डे लफंगे, कानून का उल्लंघन करने वाले लोग जेल में हैं या तो उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। यह स्थिति बनाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ही किया है। मान्यवर, इसलिये मैं यह चाहूंगा कि यह जो विषय लाया गया है हालांकि आपने इसको कल ही निरस्त कर दिया था। आज दोबारा नियमों के अनुसार आ नहीं सकता था लेकिन आपने सहृदयता दिखाने का काम किया और जिसके कारण आज दोबारा ग्राह्यता पर सुनने का काम किया और ग्राह्यता पर जिसने भी जितना भी समय लेना चाहा, आपने दिया। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि नियमों के अनुसार यह आता नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है, इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्यता करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने सरकार की तरफ से जो बयान दिया, यह सब पुराने बयान हैं। सदन में जब भी ऐसा अवसर आया, इन्होंने यही बयान दिया है। कोई ऐसी बात नहीं कहीं, विशेष रूप से जो गम्भीर अपराधों के मुकदमें वापस ले रहे हैं और उसको गोपनीय रखे हैं। सिमी जैसी आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी संस्था के ऊपर मौन साधे हुये हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि जिससे जनता को विश्वास हो सके कि कानून व्यवस्था अच्छी है और सुरक्षित है इसलिये मैं इनके कथन के विरोध में सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

श्री प्रदीप माथुर-

मैं जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी की हत्या के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया था, उसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री प्रदीप माथुर ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री कौकब हमीद खाँ-

मान्यवर, चूंकि सरकार ने कोई श्वेत पेपर की बात नहीं करी है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री कौकब हमीद खाँ ने भी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 श्री शिवपाल सिंह यादव को सुना, मा0 श्री ओम प्रकाश सिंह को सुना, मा0 श्री प्रमोद तिवारी को सुना, मा0 श्री कौकब हमीद खाँ को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुना। ये सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

वन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-570/14-57-2010-2006, दिनांक 9 अप्रैल, 2010†

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-570/14-57-2010-2006, दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-63 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

†† छापे नहीं गए।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-980/43-2-2009, दिनांक 07 जून, 2009 ††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-980/43-2-2009, दिनांक 07 जून, 2009 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-24 की उपधारा (5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

†† छापी नहीं गई।

††† छापी नहीं गई।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जो कागज इन्होंने सदन के पटल पर रखे हैं, उसका एक समय निर्धारित होता है, इसमें विलम्ब का कारण जो इसमें रखा गया है, उसमें कार्यवाही के बारे में भी लिखा गया है अब जो हो गया, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित कर दें जब इन्हें समय से यह कागजात यह रिपोर्ट मिल जाती है तो उसे समय से सदन के पटल पर रखना चाहिए। विलम्ब क्यों हुआ ? विलम्ब के लिए जो आपने दिया है कि अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप निर्देश दे दें कि भविष्य में ऐसा न करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2007 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2-241/ ग्यारह-9(295)/ 07-उ0प्र0 अधि0-5-2008 यू0पी0 वैट नियमावली, 08-आदेश-(55)-2010, दिनांक 4 फरवरी, 2010†††

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-241/ग्यारह-9(295)/07-उ0प्र0 अधि0-5-2008 यू0पी0 वैट नियमावली, 08-आदेश-(55)-2010, दिनांक 04 फरवरी, 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2-246/ ग्यारह-9(10)/ 08-उ0प्र0 अधि0-30-2007 आदेश-(56)-2010, दिनांक 19 फरवरी, 2010†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-246/ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0 अधि0-30-2007 आदेश-(56)-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

††† छापा नहीं गया।

† छापा नहीं गया।

2010, दिनांक 19 फरवरी, 2010 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-901/ ग्यारह-9 (81)/91-उ0प्र0 अधि0-30-2007 आदेश-(61)-2010, दिनांक 28 जून, 2010†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-901/ग्यारह-9(81)/91-उ0प्र0 अधि0-30-2007 आदेश-(61)-2010, दिनांक 28 जून, 2010 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7-2009 का (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7-2009 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06/2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06/2009 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2008 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2008 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1560/ 30-4-2009- 167-91टी0सी0, दिनांक 31 अगस्त, 2009††

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1560/ 30-4-2009-167-91टी0सी0, दिनांक 31 अगस्त, 2009 को उत्तर प्रदेश मोटरयान काराधान अधिनियम, 1997 की धारा-29(2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापा नहीं गया।

यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 के वार्षिक प्रतिवेदन 2007-2008†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 के वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-15-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-15-2007 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 में नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 (दिनांक 21-01-2010 से 16-02-2010 तक) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2010 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-26, 27 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या-28 को लेता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 अगस्त, 2010 की बैठक में विधान सभा की दिनांक 10 अगस्त, 2010 से 13 अगस्त, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

---

††† छापा नहीं गया।

† छापे नहीं गए।

अगस्त, 2010

10 मंगलवार

1-12.20 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा घण्टा) :-

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010

(2) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

3-'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 169-ङ के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयकों का पुनः पारण :-

(1) जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

(2) इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

4-'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 171 के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयकों का वापस लिया जाना :-

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007

(2) उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010

(3) राज्य विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2010

5-मा0 डा0 आर0 ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 16 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत एवं एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित सूचना पर अग्रतर चर्चा :-

"स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को बी0ए0 कक्षाओं में प्रवेश हेतु वर्ष 2009-10 की प्रवेश परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।"

अगस्त, 2010

11 बुधवार

1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-विधायी कार्य।

12 गुरुवार

1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा घण्टा) :-

(1) श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

(2) बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

(3) नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

(4) मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

(5) आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010

2-असरकारी दिवस (आधा दिन) 13 अगस्त, 2010 के स्थान पर।

13 शुक्रवार विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें, मैं बता देता हूं जिन माननीय सदस्यों का लिया गया है। अभी आपके विधेयक हैं, कुछ संशोधन आये हैं माननीय सदस्यों के, उस पर भी वह अपने विचार रखेंगे। आप लोग समय का ध्यान रखेंगे तो सभी माननीय सदस्य जिनकी सूचनायें हैं उनकी बात आ जायेगी।

पहली सूचना तो हो गयी है दूसरी सूचना माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी की वाराणसी में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति के कारण कोनिया, डायरिया एवं पूर्वी जिलों में इन्सेफलाइटिस एवं इंजेक्शन एण्टी रैबीज उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, यही सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी की और श्री महेन्द्र सिंह उर्फ झीन बाबू की है, तीसरी सूचना श्री महेन्द्र सिंह उर्फ झीन बाबू और सुरेश्वर सिंह की नैपाल से सटे जनपदों में नदियों के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री लालजी यादव, श्री जोखू लाल यादव और श्री संजीव दरियाबादी की प्रदेश में बरसात की कमी एवं विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्रीमती कृष्णा राज, श्री कृष्ण गोपाल पटेल और डा0 आर0 ए0 उस्मानी जी की जनपद खीरी एवं सीमा से लगे अन्य जनपदों में ग्रामीणों पर एस0एस0बी0 जवानों द्वारा किये जा रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री सतीश महाना, श्री सलिल विश्नोई, श्रीमती प्रेमलता कटियार, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री संजय कपूर एवं श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशिमी की विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्रीमती मधुबाला पासी की औद्योगिक क्षेत्र नगर भदोही में विद्युत आपूर्ति 20 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जिला अस्पताल सीतापुर में हार्ट के डाक्टर की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद

ओझा की राज्य चीनी निगम इकाई सिसवा बाजार, महराजगंज के मजदूरों द्वारा किये जा रहे अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की मथुरा स्थित जमुना नदी के कंजौली घाट पर हो रहे पुल का निर्माण मानक के अनुरूप न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ में खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावटों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना डा0 पी0के0 राय की जनपद कुशीनगर स्थित नवोदय विद्यालय के छात्र मो0 कलीम के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ स्थित हर्रा की चुंगी निवासी श्रीमती संतोषी देवी की निर्मम हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री शम्भू चौधरी की जनपद कुशीनगर के पत्रकार श्री तेज बहादुर का अपहरण कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें मैंने अस्वीकृत किया है उनमें 1-श्री कृष्ण गोपाल पटेल, डा0 आर0ए0 उस्मानी, 2-श्री अशोक कंसल, 3-श्री राधेश्याम जायसवाल, 4-श्री सर्वेश कुमार सिंह, 5-श्री अब्दुल वारिस खां, 6-श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, 7-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री इरफान सोलंकी, श्री अशोक सिंह चन्देल, 8-श्री इमरान मसूद, 9-श्रीमती मिथिलेश पाल, 10-श्री सुन्दर सिंह, 11-श्री प्रदीप माथुर, 12-श्री सर्वेश कुमार सिंह, 13-श्री जगन प्रसाद गर्ग, 14-डा0 राजेन्द्र सिंह, 15-श्री बैजनाथ दूबे, 16-श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, 17-श्री अनूप सण्डा, 18-श्री जमीर उल्ला खां, 19-श्री महबूब अली, 20-श्री राजकिशोर सिंह, 21-श्री दीप नारायण सिंह यादव, 22-श्री इकबाल अहमद। ये सूचनायें मैंने अस्वीकृत की है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरी सूचना है, उसको ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ले लेंगे डा0 साहब बैठ जाइये, एडजस्ट कर लूंगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इनकी पत्नी और बेटी से सम्बन्धित है, व्यक्तिगत है, इनको जरूर सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

सुन लेंगे।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैंने नोटिस भी दिया है।

श्री अध्यक्ष-

सुन लेंगे, अभी सुन लूंगा।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, मेरी सूचना को आपने नियम-56 में लिया था।

श्री अध्यक्ष-

तो आप बोलेंगे, लिया तो है, पटेल जी आपकी बात को सुन लिया जायेगा।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मुझे भी सुन लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

कल आप दे दीजियेगा, आपकी सूचना निरस्त हुई है।

*श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, कल भी ऐसे ही हो गया था और आज भी ऐसे ही हो गयी। हमारी सूचना पर आज सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

चलिये अच्छा बैठिये।

पटेल जी, आप बैठिये, कंसल जी, आप बैठिये। ओझा जी, आप बैठिये, आपका तो ले लिया हूं। 2-2 मिनट में आप सब लोग अपनी-अपनी बात कह लें क्योंकि क्षेत्रीय समस्याएं हैं, घटनाएं हैं। उसमें सदस्य बहुत विस्तार में न जायं उसको सदन के संज्ञान में ला दें और शासन के संज्ञान में भी आ जाय। बहुत ज्यादा समय लेंगे, भूमिका बांधेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लग जायेगा।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि एक बहुत ही ज्वलन्त और जनस्वास्थ्य के सवाल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसकी ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, आप भी अवगत हैं और नगर विकास मंत्री जी भी पूरी तरह से अवगत हैं कि मैं काशी नगर के हृदय से चुनकर आता हूं वहां पर जो पक्के महल हैं और उससे लगे हुए जो महल हैं वहां पर पेयजल की अनापूर्ति दूषित पेयजल आपूर्ति, पेयजल की घोर कमी का सवाल है। मैं विभिन्न सवालों के माध्यम से और विधान सभा के विभिन्न नियमों के माध्यम से उठाता आ रहा हूं। इस बात की जानकारी माननीय नगर विकास मंत्री जी को भी है पूरे शासन और प्रशासन को है। इधर बीच में मान्यवर, मैं जो दूषित पेयजल की आपूर्ति को उठाता रहा हूं उसने इतना भयंकर रूप ले लिया कि कुछ लोगों की मौत हो गयी और एक कोनिया क्षेत्र है जो बहुत गरीब लोगों का भी क्षेत्र है, पिछड़े लोगों का भी क्षेत्र है वहां इतने दूषित पेयजल की आपूर्ति हुई माननीय अध्यक्ष महोदय कि वहां पूरी तरह से पूरे मोहल्ले में एक आतंक फैल गया, हैजा फैल गया, डायरिया फैल गयी और उस डायरिया की चपेट में तीन बच्चियों की मौत हो गई। मैंने अपनी सूचना में भी कहा है कि लकी पुत्री बबलू, सुलेखा पुत्री बाबू लाल मौर्य और श्री गनेशू लाल की पुत्री की मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त बजरडीहा निवासी श्रीमती हाजरा देवी एवं मो0 मोमिन तथा भरद्वाजी टोला के ऋतुराज की मृत्यु भी डायरिया से हो चुकी है। मान्यवर, दुःख का विषय यह है कि यह जो स्थिति उत्पन्न हुई वह क्यों हुई ? इसका कारण है कि सारे जो सीवरलाइन्स हैं हमारे क्षेत्र के, अगल-बगल के और अब तो पूरा बनारस नगर ही इसकी चपेट में आ चुका है तो मान्यवर, सारे सीवरलाइन्स चोक हो चुके हैं। स्थिति यहां तक हो गई है कि सभासद थक गये हैं शिकायत दर्ज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराते-कराते और सांसद चूंकि केन्द्र से सम्बन्धित हैं इसलिए सारा दारोमदार अब विधायक पर आ गया है। जनता कहती है कि हमारा सीवर साफ नहीं हो रहा है, सभासद हार गये हैं इसलिए मैं आपके यहां आया हूं। मैं जल संस्थान के महाप्रबन्धक को जनता द्वारा प्राप्त प्रत्येक शिकायत नोट कराता हूं। मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे भी बहुत दुःख होता है कि जैसे ही शिकायतों का फीडबैक लेता हूं तो जायसवाल जी कहते हैं कि अरे सर वह तो मैंने कल ही करा दिया था और जब मैं क्षेत्र में कान्ट्रेक्ट करता हूं तो वह कहते हैं कि दादा कोई आता तब तो साफ होता, यहां कोई आया ही नहीं है। मान्यवर, यह एक नहीं बल्कि प्रत्येक मामले में महाप्रबन्धक का यही जवाब होता है कि वह तो मैंने करा दिया। मान्यवर, आज पूरे नगर में डायरिया फैल गया है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, सारे अखबार मेरे पास हैं, पता नहीं सूचना विभाग क्या करता है आपका वह सूचनाओं की कटिंग्स कंसल्ट विभाग तक पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है। मेरे पास दैनिक जागरण की प्रति है, अमर उजाला की प्रति है, हिन्दुस्तान की प्रति है, आज की प्रति है और इंग्लिश पेपरों की प्रति भी है लेकिन मुझे अफसोस है कि इतना लिखने के बाद भी कोई सुनवायी नहीं होती है। इसलिए मा0 अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप मुझे इस विषय को यहां पर उठाने दें क्योंकि यह सबसे बड़ी पंचायत है और अन्तिम हथियार है और यदि यहां पर नहीं सुनवायी हुई तो जनता की सुनेगा कौन। मैंने नगर की समस्या पर 09-07-2010 को नगर विकास मंत्री को लेटेस्ट पत्र लिखा है। प्रमुख सचिव, नगर विकास को 28-7-2010 को लिखा फिर मैंने मा0 अध्यक्ष जी आपसे मिल करके आपको पत्र दिया 02-08-2010 को। आपने कहा था कि मैं नगर विकास मंत्री जी को बुला लूंगा, प्रमुख सचिव, नगर विकास को बुला लूंगा और काशी नगरी की जो दयनीय स्थिति है जिस त्रासदी से यह नगर गुजर रहा है, लोगों की जान जो खतरे में है, उससे मैं निजात दिलाऊंगा। लेकिन शायद व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हो सका और मान्यवर, मैं फोटो लाया हूं, अभी आपके पास पहुंचा दूंगा, आप उन फोटो को देख लें, आप पायेंगे कि बनारस से प्रकाशित होने वाले सारे अखबार अपनी कलम तोड़ दे रहे हैं लेकिन कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। 31-7-10 को मैंने यह सोचा कि मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूं। मेरी नहीं सुनी जा रही है शासन में और प्रशासन में तो मैंने जो शासन का प्रतिनिधि है जिलाधिकारी, तो मैं आग्रह करके उनको वहां ले गया, नगर आयुक्त को ले गया, महाप्रबन्धक, जल संस्थान को कोनिया क्षेत्र में ले गया और सारे लोगों ने चीख-चीख कर कहा कि यह पानी है। मैं अध्यक्ष महोदय बनारस से यह पानी लेकर आया हूं। मैं आपके यहां भिजवा रहा हूं, पीने के लिये नहीं कहूंगा, क्योंकि इसे जानवर भी शायद न पिये। खाली इसकी कार्क खोलकर इसकी महक सूंघ लीजियेगा तो आपको अनुभव हो जायेगा कि किस मजबूरी में वहां के लोग जी रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह स्थिति हमारे केवल दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र की नहीं है। मैंने जिस बात का उल्लेख किया, उसमें सारा शहर प्रभावित है जो अभी पहला सोमवार गया है काशी में। बड़ी उम्मीद लेकर सारे देश से लोग वहां आये, यह फोटो रखा हूं कि एक तरफ वहां कांवरिया लोग लाइन लगाये हुये हैं और दूसरे तीर्थयात्री, वह सीवर के पानी से बचने के लिये उचककर बैरीकेटिंग पर खड़े हैं कि हमारी बारी कब आयेगी तो हम खिसकेंगे। इतनी भयानक और दर्दनाक स्थिति है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महाप्रबन्धक, जल संस्थान और नगर आयुक्त, वाराणसी इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यदि वह इसका संज्ञान लिये होते और जनता को इस त्रासदी से मुक्त कराये होते तो आज यह स्थिति न होती। मेरा तो मानना यह है आदरणीय अध्यक्ष

जी कि इस तरह का नाकारा महाप्रबन्धक, जल संस्थान मैंने अपने कार्यकाल में नहीं देखा, 1989 से चुनकर मैं आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पूरा विषय आ गया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा विषय और है। आपने सुबह कानून व्यवस्था पर सुना और सुनने के बाद यही साबित हुआ कि सदी के महानायक यह कहते हैं कि यू0पी0 में है बहुत दम, क्योंकि यहां हैं जुर्म कम। यह आपने स्वीकार कर लिया और शासन ने इसको साबित भी कर दिया। अब यह जनता की पीड़ा है कि 6 लोग वहां मर गये, 6 लोगों ने दुनिया नहीं देखी और डायरिया, प्रदूषित जल पीने से मर गये। अगर उसको भी आप नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। मान्यवर, आप कहें तो मैं उन मोहल्लों का नाम भी पढ़ दूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर कोई कार्यवाही करेंगे और बनारस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके कंधों पर इस बात की जिम्मेदारी है कि लोगों को शुद्ध पेयजल समुचित मात्रा में मिले, सीवर लाइनें जो भर जा रही हैं, चोक हो जा रही हैं, लोगों के आंगन में पानी घुस गया है, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप सही बोल रहे हैं, इसमें फोटो की क्या जरूरत।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

और बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में लोगों के करघों तक पानी घुस गया है, यह उसकी फोटुये हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं वहां के सारे अखबार कह रहे हैं। भले ही आप मेरी बात को झुठला दें, मैंने कभी आरोप लगाने में यकीन नहीं किया लेकिन जो सबूत चीख-चीख कर कह रहे हैं, उसको तो आप यकीन करेंगे। अगर लोगों को न्याय दिलाने में, लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित रखने में आपका यकीन है तो आप यह घोषणा करिये कि ऐसे निकम्मे अधिकारियों पर कार्यवाही की जाय क्योंकि वह वहां कुछ नहीं कर रहे हैं और जनता के धन से केवल सुख भोग रहे हैं। आप बतायें कि उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं यह जो 6 लोग मर गये, क्या अभी और लोगों के मरने का इंतजार है विभाग को कि अभी 100 लोग मर जायें, 50 लोग मर जायें, तब प्रशासन कुछ कार्यवाही करेगा। मैं अपनी नियम-56 की सूचना पर बल देता हूं और आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। माननीय नगर विकास मंत्री जी भी चिन्तित मुद्रा में बैठे हुये हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इसमें कुछ करें और संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप बोलें। आप इतना ध्यान रखियेगा कि मेरे कटे पर नमक न छिड़किएगा बाकी मल्हम अगर हो तो आप लगाइएगा, वरना मत बोलिएगा।

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य से मेरी इस बाबत विस्तार से वार्ता हो चुकी है। टेलीफोन के माध्यम से भी मैं वहां के अधिकारियों को लगातार सचेत करते हुए जितनी भी आवश्यक

कार्यवाही बन पड़ती है, मैं करता हूं। मैंने, माननीय सदस्य को इस सदन में भी आश्वस्त किया था और अपने रूम में भी आश्वस्त किया था कि कुछ दिन 2-4 दिन का सब्र करें, जिन लोगों ने वहां पर ऐसी लापरवाही की है, जिन लोगों ने दूषित जल मुहैया करवाया है, उनके खिलाफ मैं निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी साहब मैं यह सूचना अग्राह्य करता हूं।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, नाम इसका जरूर गोरखपुर लिखा है, लेकिन यह गोरखपुर विधान सभा की समस्या नहीं है। मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह शहरी है और ये सारे मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। आस-पास के तकरीबन 10 जिलों से आते हैं। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि कहीं आप यह न कह दें कि यह आपके निजी क्षेत्र की समस्या है, दो मिनट में निपटा दें। आज तकरीबन प्रदेश के 40 जिले इससे पीड़ित हो चुके हैं। आज सुबह जो सवाल मैंने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से लगाया था, स्वयं उत्तर प्रदेश शासन ने लिखित रूप से इस बात को स्वीकार किया है। मा0 मिश्रा जी यहां बैठे हैं, इनका ही जवाब आज ही मुझे दिया गया है। इस जवाब के अनुरूप 2006 में 1469 मरीज इन्सेफेलाइटिस के आये थे, अभी केवल गोरखपुर और बस्ती मण्डल की बात हो रही है, अन्य मण्डलों की बात नहीं हो रही है। वर्ष 2006 में 1469, वर्ष 2007 में 2001, वर्ष 2008 में 2123 तथा वर्ष 2009 में 2340 मरीज आए। यह वह जवाब है जो सरकार ने सदन को दिया है और यह जवाब यह बता रहा है कि सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि जब यह सत्ता में नहीं थी, 2006 में 1469 मरीज आते थे और आज तीन-साढ़े तीन साल के बाद, सरकार अपना जवाब देगी, हर साल जवाब देती है। इन्होंने बहुत कुछ किया है। इनके करने का फल यह हुआ है कि मरीजों की संख्या 1469 से बढ़ करके 2340 हो गयी है। यह स्वयं आपकी सरकार का लिखित जवाब आया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

सरकार ने किया है कि नहीं किया ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 मंत्री जी क्योंकि आपने बोल दिया है, इसलिए मैं आपके ऊपर बोलने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। अभी मैं जवाब उसका भी दे देता हूं। मान्यवर, इस वर्ष ही 800 मरीज आ चुके हैं और 200 मरीज उसमें से मर चुके हैं। मा0 वर्मा जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने कुछ किया है कि नहीं। मैंने इस बात को कभी नहीं कहा है कि आपने नहीं किया। मेरी इस बात की हमेशा लड़ाई रही है कि यह बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बीमारी है, मेडिकल कालेज की अकेली बीमारी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और दायित्व है, इसे उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा विभाग का दायित्व न बनाया जाए। माननीय मंत्री जी बार-बार यह कह देंगे कि 'मैंने किया है' लेकिन इनके करने से होता क्या है। मैंने पूछा था कि इन मरीजों में से कितने मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाज हुआ है ? जवाब लिखा हुआ है सरकार का है इसलिए मैं मानने को मजबूर हूं, जबकि मैं जानता हूं कि यह भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार कह रही है तो कम से कम मैं इसे मान लेता हूं। स्वयं सरकार के हिसाब से गोरखपुर मण्डल में मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी, वर्मा जी को छोड़ दीजिए, उनसे हम आज बात ही नहीं कर रहे हैं, आपसे बात हो रही है। गोरखपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमशः 1469 मरीजों में से 12, 2001 में से मात्र 23 मरीज और 2123 में से 24 मरीजों तथा 2340 में से 61 मरीजों का इलाज हुआ। मा0 मंत्री जी आपके आंकड़े स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किसी का इलाज नहीं हुआ, सामुदायिक केन्द्रों में इलाज किये गये मरीजों की अधिकृत संख्या यह है, हालांकि मैं इसे भी अधिकृत नहीं मानता हूं। अगर ये मरीज इन्सेफेलाइटिस के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इनका इलाज प्राथमिक स्तर पर हुआ होता। मेडिकल कालेज पहुंचने में जो देरी होती है, वह न हुई होती, प्राथमिक दौर में इलाज मिला हुआ होता तो जो मृत्यु दर है उसमें बहुत कमी आ गयी होती और दूसरी, सबसे बड़ी बात जो बच्चे मरने से बच जाते, उनमें विकलांग होने की संख्या कम हो जाती। लेकिन चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मैं लगातार कह रहा हूं, आपको स्मरण होगा आप गोरखपुर गये तब भी कहा, आपके निवास पर आ करके भी कहा और आपको 4 पेज का ब्लू प्रिन्ट बना करके भी दिया, मैंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू कर दीजिए। मैं उन विधायकों में नहीं हूं जो सिर्फ मंच पर खड़ा हो करके विरोध करें, मरीजों को मरने से बचाना है। एक चिकित्सक के रूप में जो समझ सकता हूं आपको लिखित में, टाइप कराकर मैंने दे दिया। लेकिन मैं कहूंगा नहीं 'भैंस के आगे बीन बजाये', 4 साल हो गया, मैं लिखकर देता ही रहा लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज भी आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि किन्हीं का इलाज नहीं हो रहा। दूसरी चीज, मेडिकल कालेज में सीमित संसाधन होते हैं। मेडिकल कालेज चिकित्सा शिक्षा का एक केन्द्र है, अस्पताल बनाया जाता है डाक्टरों के चिकित्सा शिक्षा के लिये। हमने इन्सेफेलाइटिस के लिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताऊं कि इन्सेफेलाइटिस के मरीजों के इलाज के लिए जो इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल कालेज में जा रहे हैं, उनके लिए किसी अतिरिक्त बजट की व्यवस्था चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है, की है तो बतायेंगे। उसका परिणाम क्या है, जो मेडिकल कालेज का सामान्य बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्सेफेलाइटिस के मरीजों के इलाज में समाप्त होता जा रहा है और इस वर्ष पहली बार हुआ है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में एक बैठक हुई थी, सारे जनप्रतिनिधि बुलाये गये थे, मैं स्वयं वहां गया था। बी0आर0डी0 मेडिकल के प्रधानाचार्य ने और बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग के अध्यक्ष ने खड़े होकर इस बात को स्वीकार किया कि दवा तक के लिए धन नहीं है, आई0बी0 बोतल खरीदी जा रही है। यह स्थिति अधिकृत बैठक में प्रधानाचार्य के द्वारा अधिकृत रूप से कही हुई बात है। स्थिति यह है कि वहां स्टाफ की कमी है। एन0आर0एच0एम0 के द्वारा 28 अतिरिक्त कर्मी इन्सेफेलाइटिस वार्ड में पोस्ट किये गये हैं। पिछले वर्ष उनको 3000 रुपये प्रतिमाह दिया गया, इस साल उनको जनवरी से वेतन भी नहीं दिया गया। अब ये कर्मचारी अगर वेतन तक नहीं पायेंगे, संसाधन कम है, दवायें नहीं हैं, स्टाफ कम है, मरीजों की भीड़ है और अगर उन्हें वेतन तक नहीं मिलेगा। मा0 कुशवाहा जी यहां नहीं हैं, मैं जानता हूं कि एन0आर0एच0एम0 उनके अण्डर में चला गया, क्यों चला गया ? मैं इस पर दुबारा विषय लूं तो

बहुत चर्चा की जा सकती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनके वेतन के लाले पड़े हुए हैं। टीकाकरण प्रोग्राम को लेकर मैं हर साल यहां आता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, 25 जनवरी, 2010 को इण्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी संस्तुति दी। मैं बार-बार यह पूछता था कि क्या सरकार यह महसूस करती है कि जापानीज इन्सेफेलाइटिस मरीजों को दुबारा इस क्षेत्र में टीकाकरण करना चाहिए, सरकार का जवाब होता था कि नहीं। 25 जनवरी, 2010 को इण्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च ने एक कमेटी बनायी उसकी रिपोर्ट बनी और उस रिपोर्ट की संस्तुति है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 15 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का नियमित टीकाकरण किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप अभी खड़े होंगे, भारत सरकार ने टीका भेजा था हम लोग बड़े जागरूक हैं, हम लोगों को पता चला कि टीका नकली है, खराब हो गया है, हमने मंत्री हो करके उस टीके को रोक दिया, छाती ठोंक कर आप बतायेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मैं खत्म कर रहा हूं। भारत सरकार टीका भेजेगी तो टीके लगेंगे, आखिर उ0 प्र0 की सरकार का दायित्व क्या है ? क्या आखिर हर साल इसी प्रकार बच्चे मरते रहेंगे ? इन टीका कार्यक्रमों में अगर 7 लाख बच्चों को टीका लगाया जाए और अगर थोक में टीके आयातित किये जायं तो मुश्किल से 20-22 या 25 करोड़ रुपये में ये टीके आ जायेंगे। क्या उ0 प्र0 की सरकार इस बीमारी से मरने वालों और विकलांग बच्चों के लिए टीके की इतनी कम धन की व्यवस्था करने में भी अक्षम हो चुकी है। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप पैसा कहां खर्च करते हैं, हर सरकार का अपना अधिकार है अपनी प्राथमिकता तय करती है राजनीति समय आने पर उसे जवाब देती है। लेकिन कम से कम पूर्वांचल के इन बच्चों को, भारत सरकार अगर संवेदनहीन है, मैं मानता हूं कि भारत सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। भारत सरकार अगर संवेदनहीन है तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी होकर यह कहे कि हम इन बच्चों को मरने नहीं देंगे और 18-20-25 करोड़ रुपये खर्च करके हम इन बच्चों को टीके लगवायेंगे और मरीजों को मरने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

दूसरी चीज जब आप खड़े होइएगा तो जापानी इन्सेफेलाइटिस नहीं है ए0टी0एस0 है उसके 9 वायरस की जो सूची है यह डा0 राधामोहन दास को न बताइएगा। क्योंकि यह सब मीटिंग हम कर लिए यह फर्जी आंकड़े प्रिंसिपल ने खुद स्वीकार कर लिए और कह दिया कि 2600 मरीजों की जांच हुई उसमें 465 में जापानी इन्सेफेलाइटिस ही पाया गया इसका मतलब उसको जापानी इन्सेफेलाइटिस नहीं है वैज्ञानिक आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जल जनित जे0ई0 सिर्फ 12 मरीजों में पाजिटिव पाया गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें और बेहतर प्रयास की जरूरत है शेष जैसा आप समझें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, बस्ती मण्डल भी इससे प्रभावित रहता है। हमारी विधान सभा क्षेत्र में हर साल 100-150 लोग मर जाते हैं उसके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। गोरखपुर मेडिकल कालेज जब मरीज जाता है तो एक-एक बेड पर तीन-तीन बच्चे लिटाए जाते हैं। उनके अभिभावक भी रहते हैं उनके लिए जगह नहीं रहती है। मैंने खुद जाकर देखा है। आप पता कर लें इसका अगर कोई निदान आ गया है तो उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। अन्यथा जिला मुख्यालय चाहे सिद्धार्थनगर हो, बस्ती हो, महराजगंज हो, सन्त कबीर नगर हो हर जगह इसकी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मरीज गोरखपुर न जाकर जिला मुख्यालय पर ही इलाज हो सके। इसके लिए अच्छे डाक्टर की व्यवस्था जिला मुख्यालय पर ही करवा दें। इसके लिए वार्ड बनवा दें। दूसरी बात इन मरीजों के लिए एम्बुलेंस की फ्री व्यवस्था करवा दें क्योंकि गरीब आदमी अपने बच्चों को ले नहीं जा पाते और इलाज के अभाव में बच्चे मर जाते हैं। मेरे दो सुझाव हैं एक जिला चिकित्सालयों में इलाज की व्यवस्था सुदृढ़ करवाइए दूसरे फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था पी0एच0सी0 या सी0एच0सी0 से करवाइए।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय कैबिनेट मंत्री जी बैठे हुए हैं अगर वह जवाब देने में अक्षम हों तो अलग बात है। मंत्री जी को अपनी बातें खुलकर कहनी चाहिए क्योंकि विभाग का पैसा यहां से जाना है।

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में लगातार प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी गोरखपुर गये थे और वहां बैठकर इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिये कि इसके टीके समय से लगें। साथ ही साथ हर जिला मुख्यालय पर इन मरीजों के दवा की व्यवस्था की जाय। अभी मंत्री जी ने बताया कि हर जगह जिला मुख्यालय में इनके वार्ड बना दिये हैं। लेकिन मान्यवर, आम व्यक्ति को यह लगता है कि मेडिकल कालेज में उसके बच्चे का अच्छा इलाज होगा इसलिए लगातार भीड़ मेडिकल कालेज की तरफ बढ़ रही है। मेडिकल कालेज में जो भीड़ बढ़ रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम उसके लिये इस बीमारी के इलाज पर जो खर्च आ रहा है उसकी दवा के लिये अतिरिक्त धन मेडिकल कालेज को दे रहे हैं जिससे कि अन्य मरीजों को इलाज के लिये जो दवा मिलती है उसमें कोई कमी न आने पाये। अभी माननीय पाण्डेय जी ने कहा कि उनके लिये अतिरिक्त व्यवस्था की जाये तो हम बताना चाहते हैं कि वह की जा रही है। सरकार सचेत है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसके अनुसार कार्यवाही करें।

*डा0 पी0 के0 राय-

माननीय पाण्डेय जी ने जो एम्बुलेन्स वाला कहा है वह इसलिये कि बच्चे को ट्रांसपोर्ट करना होता है। होता क्या है कि माननीय मंत्री जी ने जिला अस्पताल में वार्ड खोला हुआ है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एम्बुलेन्स की बात जैसे माननीय पाण्डेय जी ने कहा है। माननीय अग्रवाल साहब मैं बीच में खड़ा नहीं हो रहा हूं, मैं इसीलिये बोला नहीं हूं। मान्यवर, आपका वजन हल्का नहीं होगा। मैं खाली एम्बुलेन्स की बात कर रहा हूं कि चूंकि आपने यू0पी0एच0एस0डी0पी0 से जिले कवर्ड हैं। इनकी जो एम्बुलेन्स है उन एम्बुलेन्सों से बच्चों को ट्रांसपोर्ट कर पाना इतना कास्टली है कि ट्रांसपोर्ट नहीं होते, प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं और सिस्टम कोई बना ही नहीं है कि आपके जिला अस्पताल में आदमी जाय। जाहिर है कि मेडिकल कालेज में हर आदमी भाग कर जा रहा है। इसीलिये माननीय पाण्डेय जी ने एम्बुलेन्स फ्री करने की बात कही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो सुझाव आये हैं, माननीय मंत्री जी भी हम लोग बैठकर इस पर निर्णय ले लेंगे और उन मरीजों के हितों के लिये और जिससे साथ ही साथ यह रोग न फैले, इसकी संख्या कम हो, इसके लिये भी भारत सरकार का एक मेडिकल कालेज गोरखपुर में इसकी जांच के लिये व्यवस्था करने का काम किया गया है और रिसर्च आई0सी0एम0आर0 जो हैं वह रिसर्च का काम कर रही है और उसके आधार पर जो निष्कर्ष आयेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, बस एक मिनट, एक सवाल। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि 25-30 करोड़ रुपये किसी सरकार के लिये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर भारत सरकार टीका नहीं दे रही है, मैं कह रहा हूं कि नहीं दे रही है। अगर भारत सरकार टीका नहीं दे रही है तो इतने कम धन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन अपने संसाधन से कर सकती है और 50-60 लाख टीके एक बार लगवाये जा सकते हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इतने बड़े बजट में 25-30 करोड़ रुपये बहुत बड़ा बजट नहीं होता है। आप कम से कम इस बात की घोषणा करिये कि भारत सरकार टीका नहीं देती है तो न दे हम अपने संसाधनों से इसका टीका लगवा देंगे। बस इतना ही कह दीजिये बहुत बड़ी बात हो जायेगी।

*स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इन्होंने कहा कि मैं जवाब देने से बच रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि यह विद्वान हैं और पेशे से डाक्टर हैं। पी0के0 राय साहब भी डाक्टर हैं। निरन्तर हमारी सरकार इस इन्सेफेलाइटिस के खिलाफ जो भी कर सकती थी, हमने किया है और उन प्रयासों को यह जानते हैं। हमारी सरकार से पहले किसी भी तराई क्षेत्र में अस्पतालों में इन्सेफेलाइटिस वार्ड नहीं थे। गोरखपुर के रहने वाले माननीय जनप्रतिनिधि हैं। 2006 से पहले गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की दशा, उसकी बेड ऑक्यूपेंसी, उसकी विश्वसनीयता और वर्तमान में जिला गोरखपुर अस्पताल की विश्वसनीयता का फर्क यह स्वयं बता सकते हैं। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। प्रयास हम कर सकते हैं हमारे विभाग के डाक्टर्स कर सकते हैं, चिकित्सक कर सकते हैं। टीकाकरण की बात आज जहां तक इन्होंने कही हमको टीकाकरण कराने के लिये टीकों पर भारत सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी तक व्यवस्था यही थी। वैक्सीन चाइनीज होती है, इस चाइनीज वैक्सीन को इम्पोर्ट करने का अधिकार भारत सरकार को होता है। एक मिनट हमको जवाब दे देने दीजिये। आई0सी0एम0आर0 जो इण्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिसर्च है जो यह कह रहे थे कि एलियस की बीमारी मत बताइयेगा। उसके प्रमुख हैं डाक्टर कटोच। हमने निरन्तर भारत सरकार को निवेदन किया कि स्वयं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री आकर दौरा करें, हम उनके साथ में दौरा करेंगे। हम निष्कर्ष मिलकर निकालेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन बहुत प्रयासों के बाद हमको इतनी सी सफलता मिली की एस0आई0एम0सी0आर0 के डायरेक्टर जिनके अधीन एक डायग्नोस्टिक रिसर्च सेन्टर वहां पर बनाया गया है। जिस पर मात्र एक प्रोफेसर होता था उसकी भी शुरूआत हमारी सरकार के प्रयासों के बाद, निरन्तर भारत सरकार के परसू करने के बाद हम वहां पर मिलिन्द गोरे नामक एक वायरलॉजिस्ट को पोस्ट करा पाए। हम जानते हैं यह जीवन मृत्यु का प्रश्न है हमारे प्रदेश के लोगों का, उसमें हमने जो सफलता प्राप्त की और डाक्टर कटोच की रिपोर्ट आपको बतायेंगे, मैंने दिल्ली में जाकर उनसे मीटिंग की थी और मुझे पता चला था तो हमने डायरेक्टर हेल्थ और डायरेक्टर परिवार कल्याण को निर्देशित किया क्योंकि मैं समझता था कि हमारे प्रयास में, अगर हमारा सार्थक प्रयास है तो उसमें डा0 राधामोहन दास अग्रवाल और डा0 पी0 के0 राय जी, यह वहीं के रहने वाले हैं यह पेशे से डाक्टर हैं तो उसमें हमारा सहयोग करेंगे अपने सुझावों से और उसके चलते डा0 कटोच की बैठक में, डा0 राम ने भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी सहभागिता करें वहां जा करके उसके बाद डा0 कटोच का मेरे पास लिखित पत्र है जिसमें इन्होंने जिला चिकित्सालय की प्रशंसा की थी क्योंकि यह स्वयं वहां गये थे, रही वैक्सीनेशन की बात, उस मीटिंग के बाद भारत सरकार से जितनी हमने वैक्सीन मांगी थी, वह आ गई है और वह मात्र सात दिनों में मिलने जा रही है। इसके पहले जो हमें वैक्सीन मिली थी उसके जो मानक हैं वह पूरे नहीं थे। समाचार-पत्रों में निकला था उसके खिलाफ। हमने जांच बैठलवाई और जांच जो आई उसमें नियंत्रण करने के लिए मैं स्वयं दो दिन गोरखपुर रहा। डुमरियागंज का चुनाव चल रहा था मैं चुनाव में था लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बाम्बे से लोग वैक्सीनेशन करने आए थे प्रचार करने के बाद मैंने उनसे मीटिंग की और जब मैं खुद संतुष्ट नहीं हुआ सारे डायरेक्टर मेरे साथ गये थे जब मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो हमने उस टीके को नहीं लगाया। उसके बाद हमारे प्रयास करने के बाद डा0 कटोच आए। हमारी सरकार किसी भी कीमत पर ऐसा काम नहीं करेगी कि किसी के मन में यह भावना आए कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं हम भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, कांग्रेस के सदस्य भी बैठे हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 सदस्य अग्रवाल जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना इस रोग की गम्भीरता को देखते हुए अब तक जितने भी प्रयास हो रहे हैं यह जनहित में हैं, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

*श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में एन्टी रैबीज का इंजेक्शन पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर उपलब्ध नहीं है। जो मेरे पास जानकारी है महमूदाबाद, सीतापुर आदि कई जगहों पर एन्टी रैबीज का इंजेक्शन कई माह से उपलब्ध नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधामोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुए)

गांव में, कस्बों में गरीब लोगों को कुत्ता काटता है तो बाजार में इंजेक्शन बहुत मंहगा है उनकी क्षमता नहीं है कि वह बाजार से खरीदकर इंजेक्शन लगवा सकें। तमाम वह लोग जिनको कुत्ते काट लेते हैं वह मर रहे हैं। मेरी जानकारी है कि पहले इन इंजेक्शनों की खरीद मुख्यालय से होती थी। अप्रैल, मई माह में यह निर्देश गये कि एन्टी रैबीज के इंजेक्शनों की खरीद जनपद मुख्यालय से की जाएगी। लेकिन दर अनुबन्ध का रेट न पहुंचने के कारण यह खरीद नहीं हो रही है मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में एन्टी रैबीज पहुंचावें और जिन लोगों ने दर अनुबन्ध स्वीकृत करने में या दर अनुबन्ध को पहुंचाने में देरी की है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि प्रक्रिया में बदलाव हुआ है यहां पहले जो वैक्सीन आती थी वह कोल्ड स्टोरेज में स्टोर की जाती थी। हमारे पास हर जिला मुख्यालय में, मण्डल मुख्यालय में कोल्ड चेन उपलब्ध है। पहले 100 वाइल मुजफ्फरनगर से लाने के लिए एक एम्बुलेन्स आती थी, अब यह व्यवस्था की गई है कि अब इसको सीधे जिला मुख्यालय पर खरीद लिया जाए, मण्डल मुख्यालय पर ले लिया जाए इसके चलते यह प्रक्रिया बदली गई है। मान्यवर, इसका टेण्डर हो गया है, बहुत जल्दी यह वैक्सीन उपलब्ध करा दी जायेगी, इसमें जो कमी आयी थी, सब जिलों को एण्टी रैबीज के लिए बजट भेज दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

अधिष्ठाता महोदय, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि जो दरें अनुमन्य हैं, जब तक सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर यह एण्टी रैबीज के वैक्सीन नहीं पहुंचते हैं, तब तक जिले के सी0एम0ओ0 या जो भी इसके खरीद करने वाले अधिकारी हैं, उनको निर्देशित कर दें कि यथाशीघ्र जो पेसेण्ट आयें उनको एण्टी रैबीज देते रहें।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

ठीक है।

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की है।

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश के जनपद पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोरखपुर, बलिया आदि नेपाल से जो करीबी जनपद हैं, वहां घाघरा, शारदा और सरयू

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नदी में प्रतिवर्ष नेपाल द्वारा लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है और जब यह पानी इन नदियों में छोड़ा जाता है, तब भयंकर बाढ़ आती है। बाढ़ से तबाही के बाद जब बाढ़ का पानी घटने लगता है तब दूसरी त्रासदी से लोग परेशान होते हैं और नदी कटान अपना भयंकर रूप धारण कर लेती है। नदी कटान का जब भयंकर रूप धारण होता है तो उससे सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं, हजारों घर कट जाते हैं और हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि नदी कटान में चली जाती है। मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, अभी 8 तारीख की हमारे पास कुछ समाचार-पत्रों की कटिंग रखी है। हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, आज और डेली न्यूज में नदी कटान का ब्यौरा दिया गया है। मेरे स्वयं के मौके पर जाने पर वहां की जनता ने मुझको घेरा और कहा कि मैंने आपको विधान सभा में इसीलिए भेजा था कि विधान सभा में हमारी आवाज को उठायेंगे और जो नदी कटान से लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी पीड़ा को विधान सभा में पहुंचा कर हम लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, मैं कटान की फोटो भी लाया हूं, इस फोटो में कृषि भूमि में गन्ना लगा हुआ है, वह कट रहा है, कटान से पक्के मकान कट रहे हैं, कच्चे मकान कट रहे हैं, झोपड़ियां कट रही हैं, वहां की जो दुर्दशा है, वह त्रासदी को स्वयं बयान कर रही है। इन पेपरों के द्वारा मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचित कर रहा हूं। मान्यवर, वहां जो कटान हो रहा है, जिन लोगों के घर उस कटान में समा गये हैं, उनको कहीं दूसरी जगह पुनर्वासित करने का कष्ट किया जाए। जिला प्रशासन से जब कहा जाता है तो कहते हैं कि भूमि उपलब्ध नहीं है, मान्यवर, ऐसे लोगों को कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही है, सिर पर छत नहीं मिल रही है, कम से कम उनको एक-एक आवास दिलाया जाए और उनको बसने के लिए ग्राम समाज की भूमि जहां उपलब्ध हो, वह उनको दिलायी जाए। मान्यवर, एक और विशेष बात है, जिसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भूमि का कटान हो रहा है, उसमें तमाम पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ हैं, शीशम के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ लगे हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हैं, वह पेड़ भी उस कटान में समा जाते हैं। यदि सम्बन्धित किसान उन पेड़ों को काटना चाहता है तो उस पेड़ को पुलिस और फारेस्ट के लोग काटने नहीं देते हैं, रेवेन्यू विभाग नहीं काटने देता है। इसलिए मैं शासन से मांग करता हूं कि यहां से यह निर्देश कर दिये जायें कि जो कटान की भूमि है, जिसमें पेड़ लगे हैं, वहां पर फारेस्ट के अधिकारी जाकर ऐसे किसानों को मौके पर ही परमिट जारी कर दें। जिससे उस पेड़ को बेचकर उनके लिए, उनके बच्चे के लिए खाने की कुछ व्यवस्था हो सके। मान्यवर, नियम-311 में मेरी सूचना थी और ग्राह्यता पर आपने मुझे सुना। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस अति लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर नियमों को शिथिल करते हुए चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश्वर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय झीन बाबू की बातों को सम्वद्ध करते हुए अपनी बात को बढ़ाता हूं। बहराइच जनपद में बेल्हा बहरौली बांध 95 किमी0 लम्बा है। 238 राजस्व ग्राम उसके अन्तर्गत आते हैं। 4 तहसीलें नानपारा तहसील, महसी तहसील, कैसरगंज तहसील, सारी तहसीलें उसके अन्तर्गत आती हैं। मान्यवर, चूंकि इस बांध तटबन्ध का निर्माण 1955-56 में हुआ था। जब से विधान सभा गठित हुयी है तबसे लगातार मैं इस आवाज को इस सदन में

बुलन्द करता रहा हूं। आज स्थिति यह हो गयी है कि किमी0 64 में घाघरा नदी से तटबन्ध 500 मी0 शेष रह गया है। अगर तटबन्ध घाघरा नदी के नजदीक आ करके कट गया तो बिसवां गांव की आबादी 3500, मनेरा की 1500, धुरेहरीपुर की 2000, बहोरवा की 800, जैतापुर की 5000, धर्मापुर की 2000, गुंजौलीकला की 1500, गुंजौलीखुर्द की 1200, साईगांव की 4000, बेहटा चूरामणि की 1500, तेलवा की 1000, कोदही की 6000, कनेरा की 2000, गोहनिया की 3000, भदवानी की 2500, नंदवल की 5000, ढकेरवा की 1500, बसहिया की 2000, दिकोली की 2500, सिरौली की 1500, रसूलपुर धरेहटा की 2000, वजीरगंज की 4000, कटेला की 2000 की आबादी है।

श्री अधिष्ठाता-

इनकी आबादी एक जोड़कर साथ बता दें।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, इस प्रकार से कुल आबादी 26 ग्रामों की 64000 आबादी प्रभावित होगी। हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जायेगी। दर्जनों गांव बह जायेंगे। यही नहीं मान्यवर, यहां तो 500 मी0 दूरी बची है। दूसरा हमारा तटबन्ध है आदमपुर रेवली तटबन्ध। आदमपुर रेवली तटबन्ध के 50 मी0 के करीब घाघरा नदी पहुंच गयी है। जिले में जितनी भी बैठकें हुयी हैं, चाहे वह अनुश्रवण समिति की हो उसमें यह विषय उठाया गया था, जिलाधिकारी ने कहा था कि इसमें हम लोग अलग से बैठकर बात करेंगे। लेकिन आज स्थिति इतनी भयानक हो रही है कि तटबन्ध खाली कराये जा रहे हैं, गांव खाली कराये जा रहे हैं। आज तक जनप्रतिनिधियों के साथ में कोई भी बैठक नहीं हुयी है और दैवीय आपदा के नाम पर शासन से जो पैसा जा रहा है वह तो जा ही रहा है, अगर कोई लाइसेन्स के लिए जाता है तो दैवीय आपदा के नाम पर पैसा लिए बिना उसको लाइसेन्स नहीं प्रदान होता है। ऐसे ही उसको बिना पैसा दिये हैसियत प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है। जितनी भी लाइसेन्स की प्रक्रिया है बिना दैवीय आपदा में पैसा दिये उसको किसी भी प्रकार का लाइसेन्स नहीं मिलता है। यही नहीं जनपद में जितने ग्राम प्रधान हैं। सबसे 1-1, 2-2 नाव के पैसे व्यक्तिगत उनसे लिये गये हैं। इसके बाद भी न तो कहीं कोई टेंट की व्यवस्था है न तो कोई नाव की व्यवस्था है, न तो तटबन्ध की रक्षा हो रही है। आज की परिस्थितियों में अगर तटबन्ध टूट जाता है, हजारों एकड़ फसल नष्ट होती है, गांव बह जाते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो दोषी अधिकारी हैं ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाये जो सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। जब भी नोटिस लगायी गयी, सदन को गुमराह करने का काम जिन अधिकारियों ने किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। इस अति लोकमहत्व के अविलम्बनीय तात्कालिक विषय पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं और अपने इस विषय पर बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जाएगा और मान्यवर, माननीय झीन बाबू ने एक प्रश्न किया है तो उस पर भी सुनिश्चित कार्यवाही की जाएगी।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने झीन बाबू और श्री सुरेश्वर सिंह जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, अतः इसको अग्राह्य किया जाता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां एक तरफ तो दैवी आपदा की बात बाढ़ की हो रही है, नेपाल के पानी के प्रकोप की। मैं वहीं उसके विपरीत एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमेशा दैवी आपदा के शिकार हो जाते हैं और पानी न बरसे तो सूखा पड़ जाय। थोड़ा सा बरस जाय तो गांव बह जाय। ऐसी परिस्थिति में अभी यह अनावर्षण का शिकार, यह आपका गोण्डा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, ये अनावर्षण के शिकार हैं। इस सूखे से बचाने के लिये बहुत बड़ी धनराशि खर्च करके सरजू कैनाल का निर्माण कराया गया लेकिन सरजू कैनाल से जो पानी मिलना चाहिए था, गांवों को इस सूखे के समय में, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कितनी बारिश हुयी, कब हुयी लेकिन जो औसत बारिस थी वह 15 जुलाई के बाद वह आज तक नहीं हुयी। जो पिछली बार बारिश हुयी थी, वह पहली जुलाई में नहीं हुयी थी लेकिन अगस्त में जब शुरू हुआ तो लगातार बारिश हुयी। लोग अपनी रोपाई कर चुके, बुवाई कर चुके, इधर 15-20 दिनों से पानी का अभाव है और पानी के अभाव के नाते जो रोपाई हुयी थी, वह सूख रही है। बुवाई से जो फसल तैयार हुयी थी, वह भी सूख रही है। हम लोग बड़ा प्रयास करते हैं कि कैनाल का पानी छोड़ दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, वहां जब हम बात करते हैं सरजू कैनाल पर तो वे लोग कहते हैं कि हमको बिजली बराबर नहीं मिलती और जब बिजली प्रापर नहीं मिलती है तो वे कहते हैं कि हम 24 घण्टा पंप नहीं चला पाते हैं ओर पंप नहीं चलता तो पानी आता नहीं है। दूसरी तरफ नहरें सिल्ट से भर गयी हैं, पिछली बार भी मैंने बड़ा प्रयास किया था कि सिल्ट की नरेगा से सफाई कर दी जाय लेकिन वह सफाई नहीं हुयी और थोड़ा सा पानी आता है तो वह ऊपर फैल जाता है, टेल तक नहीं जाता है। इस तरह से हमारे सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी, इटवा, डुमरियागंज, नौगढ़, सूरजगढ़ इन सारे तहसीलों में हम लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं इस सूखे से। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इन नहरों को 24 घण्टा चलाया जाय। बिजली मंत्री जी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि इसको दिखवा लें मैं जानता हूं कि बिजली की समस्या है लेकिन उसमें थोड़ा बिजली और बढ़ा दें, जिससे आपके ट्यूबवेल पर जो बिजली नहीं पहुंच पा रही है, वह मिले। यह जो नलकूप हैं एक तो यह चलते ही नहीं है और दूसरा उनको यह बहाना मिल जाता है कि बिजली नहीं मिलती। इस कारण यह नलकूप भी नहीं चल पा रहे हैं, अगर यह नहीं किया जायेगा तो किसानों की बोयी फसल समाप्त हो जायेगी जो रोपायी की फसल है समाप्त हो जायेगी और भीषण सूखे का शिकार यह पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जायेगा। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको दिखवा लें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बिजली जैसे मुद्दे पर नियम-56 की मेरी सूचना पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, शाहजहांपुर वह जनपद है जिसका आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान रहा, पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह ने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमा और उन्हीं की कुर्बानियों का मान्यवर, परिणाम है कि आज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम इस सदन में अपनी बात कह रहे हैं। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि कुर्बानियों के मामले में जो जनपद सबसे आगे रहे, जब सुविधाओं के बंटवारे की बात आयी मान्यवर, तो उन जनपदों को पीछे ढकेला जाता रहा है। मान्यवर, शाहजहांपुर में घोषित घण्टों में भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मा0 मंत्री जी ने दो घण्टे बिजली बढ़ायी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई देता हूं। 16 से 18 घण्टे बिजली की घोषणा की गयी कि शाहजहांपुर को 16 से 18 घण्टे बिजली मिलेगी। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि 10 और 12 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है और हमारे शाहजहांपुर में एक हमारा फीडर उसको हथौड़ा फीडर करके जाना जाता है, वहां नया सब स्टेशन बना हुआ है, आधा शहर हथौड़ा फीडर से फीड होने लगा और उस हथौड़ा फीडर के ओवर लोड होने की वजह से मान्यवर, आज स्थिति यह है कि रात के 12 बजे, 1 बजे बिजली चली जाती है और सवेरे 5 बजे, 6 बजे तक भी बिजली नहीं आ पाती है। मान्यवर, रात के 12 बजे बिजली चली जाना और 6 बजे तक न आना, यह मैं समझ नहीं पाता कि कौन सा शेड्यूल हमारे शाहजहांपुर में काम कर रहा है। मा0 मंत्री जी को मैं एक बात के लिये और बधाई दे दूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना तो बहुत गम्भीरता से, बहुत प्रेम से मेरी बात को सुना, लेकिन मान्यवर, आज तक उसका काई समाधान नहीं हो पाया है। आप मान्यवर, अवगत हैं कि नलकूप चलते हैं बिजली से, कोल्ड स्टोर चलता है बिजली से, नगर में पेयजल सप्लाई होती है बिजली से और इस बिजली के अभाव में सब चीज पैरालाइज्ड है न तो नलकूप चल पा रहे हैं, न मान्यवर, कोल्ड स्टारों को बिजली मिल पा रही है और जिन पेयजल नलकूपों को बिजली मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि शाहजहांपुर जनपद की पुवांया तहसील 1978 से गेहूं और धान के क्षेत्र में टाप पर है और पुवांया तहसील में सबसे ज्यादा रिकवरी भी बिजली मूल्य की होती है। मान्यवर, हमसे यह कहा गया था कि हम पुवांया तहसील को बिजली सबसे ज्यादा दे देंगे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि छः घण्टे, आठ घण्टे तो दूर रही, कभी चार घण्टे कभी साढ़े तीन घण्टे आज पुवांया तहसील को बिजली दी जा रही है। पूरा जनपद बिजली की कमी का शिकार है, मान्यवर, वर्षों से यह उम्मीद लोगों ने लगाई थी, 1996 में एक पावर कारखाना शाहजहांपुर में स्वीकृत हुआ रिलायंस थर्मल पावर स्टेशन शाहजहांपुर में बना और 600 मेगावाट बिजली रिलायन्स थर्मल पावर स्टेशन आज की तारीख में पैदा करता है और शाहजहांपुर को एक मेगावाट, एक किलोवाट, एक यूनिट बिजली नहीं मिलती, मिलता क्या है, तपन, जलन, राख और प्रदूषण उस कारखाने से सब हमको मिल रहा है लेकिन बिजली हमको नहीं मिलती। उस कारखाने से लगे हुए जो गांव हैं वहां पर मान्यवर, लोग अपना खाना नहीं बना सकते, लोग खुले आसमान के नीचे बैठकर खाना खा नहीं सकते, मान्यवर, इतना धुंआ, इतना कोयला उसमें आता है, यह बात हम माननीय मंत्री जी को अवगत करा चुके हैं, मान्यवर, आज एक पालिसी का सवाल है कि जिन जनपदों को कारखाना दिया जाय उन जनपदों को उस प्रदूषण के साथ-साथ कम से कम कुछ अतिरिक्त बिजली भी दी जाय। मान्यवर, एन0टी0पी0सी0 जब किसी स्टेट को बिजली का कारखाना देती है तो उस स्टेट का पानी और मिट्टी का इस्तेमाल करने के बदले अतिरिक्त बिजली सप्लाई देती है। आज हमको अतिरिक्त बिजली तो छोड़ दीजिए जो घोषित घण्टे हैं बिजली के उतनी भी बिजली नहीं मिल रही है, आधे शहर को बिजली नहीं मिल रही है, पेयजल कोल्ड स्टोरेज, आलू, खेती सब चीज मान्यवर प्रभावित हो रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध

करना चाहता हूं, नम्बर एक घोषित घण्टों पर बिजली दी जाय, नम्बर-दो अगर पालिसी बनाना हो तो पालिसी बनायें, पुनर्विचार करना हो तो पुनर्विचार करें, जिन जनपदों को थर्मल पावर स्टेशन देंगे, उन जनपदों को कुछ न कुछ बिजली अतिरिक्त जरूर दी जाय इस बारे में माननीय मंत्री जी चाहे नियम, कानून में संशोधन करें चाहें नये नियम बनायें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक जवाब सामूहिक रूप से मैं माननीय मंत्री जी से जरूर चाहूंगा, माननीय मंत्री जी बैठे हैं कि वह अपनी बात को साबित करें कि वह इस पर विचार करेंगे, हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं लेकिन दुःख इस बात का है मान्यवर कि अभी तक सारे प्रयास हमारे निष्फल रहे। मैं स्वयं 80 घण्टे की भूख हड़ताल पर बैठा हूं और जनवरी से लेकर अब तक शाहजहांपुर में लगातार आन्दोलन चल रहा है, सत्ता पक्ष को छोड़कर क्योंकि वह सत्ता में हैं, सारे विपक्ष के लोग पूरे प्रदेश के सारे लोग, सारे व्यापार मण्डल के लोग, सब उद्वेलित हैं। बिजली सारे प्रदेश की समस्या है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, मा0 लालजी यादव जी, आप शुरू करें।

श्री लालजी यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र, बांसी विधान सभा क्षेत्र, जनपद सिद्धार्थनगर की समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मान्यवर, हमारे यहां बांसी में बिजली बहुत कम आती है, मान्यवर, सूखे की स्थिति है, जैसा कि अभी मा0 पाण्डेय जी ने भी बताया जनपद सिद्धार्थनगर के अन्दर बिजली की बहुत समस्या है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, पहले मेरी बात का जवाब दिलवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने पांच सूचनाओं को एक साथ तलब किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारा इश्यू अलग है, इसलिए पहले माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जायें, माननीय मंत्री जी अभी जवाब दे देंगे।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय खन्ना जी की बात को मैंने बड़ी गम्भीरता से सुना है, इनके क्षेत्र की जो समस्या है, दो घण्टे बिजली हमने बढ़ाई थी और अगर कहीं किसी फीडर

पर कम आ रही हो, तो मैं इसको दिखवा लूंगा और ठीक करा दूंगा और माननीय पाण्डेय जी ने भी अपने क्षेत्र की जो समस्या बताई है, मैं उसको भी दिखवा लूंगा और ठीक करवा दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, माननीय लालजी यादव जी, आप अपनी बात कहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर आया है हमारी बीस प्रतिशत बात का अस्सी प्रतिशत बात का तो उत्तर ही नहीं आया है अभी तक।

श्री अधिष्ठाता-

वह सब देख लेंगे खन्ना साहब।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रदेश सरकार लड़ती है केन्द्र सरकार से एन0टी0पी0सी0 से ज्यादा बिजली लेने के लिये।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, खन्ना साहब बराबर बिजली की बात यहां पर उठाते हैं। अगर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई इस समस्या के लिये जिम्मेदार है तो वह है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। जिस कारण बिजली नहीं मिल रही है। टाण्डा, ऊंचाहार किसने बेचा खन्ना साहब। आप बतायें। पिछले सात साल में उत्तर प्रदेश में उत्पादन कितना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जो हमारी क्षमता है वह 4 हजार मेगावाट की है और 3500 मेगावाट हमें सेन्ट्रल सेक्टर में मिल जाता है और डिमाण्ड 9500 मेगावाट और 10000 मेगावाट की है। मान्यवर, पहली बार जब बहन जी प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी थीं तो 4 महीने के लिये बनी थीं उसमें सम्भव नहीं था कि कोई नया पावर हाउस लग पाता। दूसरी बार 1997 में 6 महीने के लिये तब संभव नहीं था कि कोई नया पावर हाउस लग पाता। तीसरी बार जब बहन जी मुख्य मंत्री बनीं तो 420 मेगावाट की दो इकाईयां 210-210 मेगावाट की पारीक्षा झांसी में लगायी गयी और 2007 से उससे बिजली मिलना शुरू हो गयी। मान्यवर, चौथी बार जब बहन जी मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा। 25 हजार मेगावाट का। इसमें से 10 हजार मेगावाट पर तेजी से काम चल रहा है। 500 मेगावाट का हरदुआगंज में, 500 मेगावाट का पारीक्षा में, 1000 मेगावाट का आनपारा-डी में, 1200 मेगावाट का आनपारा-सी में और 3300 मेगावाट का बारा, करछना में। इसी तरह से 1200 मेगावाट का एन0टी0पी0सी0 के सहयोग से मेजा, इलाहाबाद में लग रहा है। यहां पर इलाहाबाद सोनभद्र और झांसी के मा0 सदस्यगण बैठे हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि काम चल रहा है युद्ध स्तर पर काम जारी है। बाकी 15 हजार मेगावाट के लिये कार्य योजना पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इतना बड़ा कार्य पूरे देश के किसी प्रान्त में नहीं हो रहा है। यहां पर बहन जी के नेतृत्व में यह काम हो रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में यहां पर कहा है कि वर्ष 2014 तक उत्तर प्रदेश बिजली के क्षेत्र में स्वावलम्बी हो जायेगा। हमारी नेता ऐसा चाहती हैं और जिस गति से काम चल रहा है उससे स्पष्ट है कि सन् 2014 तक उत्तर प्रदेश बिजली के क्षेत्र में स्वावलम्बी होगा।

मान्यवर, जो बिजली की समस्या है, मैं आपको बता दूं वह आज की नहीं है, मा0 शिवपाल जी यहां पर नहीं हैं इस समय उनके समय में कितना उत्पादन हुआ। आप लोग बतायें। आज जो समस्या है हम उसका स्थायी समाधान कर रहे हैं। जिस तरह से माननीया मुख्य मंत्री जी प्रयासरत हैं वर्ष 2014 के बाद हमारा उत्पादन तो बढ़ेगा ही, हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचने लगेगा। (मेजों की थपथपाहट)

मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, कि जो पावर हाउस लगता है उसमें जो औपचारिक कार्य होते हैं उसमें एक वर्ष, डेढ़ वर्ष का समय लग जाता है। फिर 36 महीने से 40 महीने का समय लग जाता है पावर हाउस के बनने में। सब पर काम चल रहा है और वर्ष 2014 तक हमारा प्रदेश बिजली के उत्पादन में स्वावलम्बी हो जायेगा। मान्यवर, वर्ष 2011 तक 6 हजार मेगावाट का उत्पादन हमारा बढ़ेगा। उत्पादन जस्ट डबल हो जायेगा। अगले वर्ष तक हमारा उत्पादन 6 हजार मेगावाट और बढ़ जायेगा। अगले वर्ष 6 हजार तक बढ़ जायेगा, मान्यवर, बहुत तेजी से काम चल रहा है और माननीय खन्ना साहब, हम आपकी समस्या का समाधान करायेंगे। व्यक्तिगत रूप से हम उसको देखेंगे।

(श्री लालजी यादव का नाम पुकारे जाने एवं श्री इकबाल महमूद द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप इस सूचना को देने वाले नहीं हैं, आप बैठ जाइये। आपकी कोई बात यहां नोट नहीं की जायेगी।

*श्री लालजी यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र एक तरफ बाढ़ की चपेट में रहता है और दूसरी तरफ सूखे की। बाढ़ तो इस साल आई नहीं और जो सूखा है, सूखे से नहर नहीं चल रही है और जो विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत ट्यूबवेल हैं, वह 70 प्रतिशत खराब हैं। अगर हम ट्यूबवेल के अधिशासी अभियन्ता के पास जाते हैं तो वहां जवाब मिलता है कि बिजली नहीं है और बिजली विभाग के एक्स0सी0एन0 के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि ट्यूबवेल खराब है। इन दोनों अधिकारियों की अकर्मण्यता से वहां ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। हमने पिछले 20 फरवरी को नियम-51 में सदन में सवाल लगाया था बिजली के लिये, तो मुझे जवाब मिला कि 12 घण्टे बिजली मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 12 घण्टे आपकी सूचना है लेकिन आप दिखवा लें, बांसी नगरपालिका कामर्शियल बिजली का बिल देता है, लेकिन जो कामर्शियल बिजली का बिल नहीं देता है वहां 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। इसी तरह पथरा फीडर पर 18 घण्टे बिजली, डुमरियागंज में 20 घण्टे बिजली और बांसी नगरपालिका जो कामर्शियल बिजली का बिल देता है, इसकी आप जांच करवा लें अपने अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से तो पता चलेगा कि बांसी नगरपालिका सबसे ज्यादा जिले में बिजली का बिल देता है। लेकिन वहां बिजली मात्र 8 घण्टे दी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाती है। मान्यवर, कितना मेरा दृर्भाग्य है कि मेरे ही क्षेत्र में पथरा फीडर से जो गांव आते हैं उनको 16 घण्टे बिजली दी जा रही है। इसी तरह पथरा फीडर से जो गांव हैं जो मेरे क्षेत्र में है, उनको 18 से 20 घण्टे बिजली मिलती है और बांसी फीडर टाउन जहां से उपभोक्ता कामर्शियल बिल देता है वहां का शहरी उपभोक्ता हम लोगों से लड़ाई करता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय आप शहर से आते हैं। पिछले मई जून में सभी वर्ग के, सभी दल के व्यापारी रोडवेज चौराहे पर धरना दिये, धरना के दौरान वहां कुछ बवाल हुआ और कुछ शरारती तत्वों ने वहां रोडवेज की बसें जला दीं और बस जलाने पर तमाम अपराधिक मुकदमें बांसी के व्यापारियों पर लादे गये। इस पर मैंने सवाल लगाया कि इसकी जांच कराकर निर्दोष लोगों से मुकदमा हटा लिया जाय। आपके अधिकारी कहते हैं कि 12 घण्टे बिजली दे रहे हैं मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में आठ से दस घण्टे बिजली आपूर्ति दें। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम हमारे क्षेत्र के साथ दोहरी मानसिकता न अपनायी जाये, दोहरी बिजली प्रणाली न लागू की जाय जो बिजली का बढ़िया बिल देते हैं, कामर्शियल बिल देते हैं, व्यापारी हैं उन्हें कम से कम 16 घण्टे बिजली, जितनी कि अगल-बगल में दी जा रही है उतनी बिजली देने की कृपा करें।

*श्री जोखू लाल यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैंने नियम-311 के अन्तर्गत सूचना दी थी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अध्यक्ष जी ने उसे नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री जोखू लाल यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह पूरे प्रदेश की ज्वलन्त समस्या है किसानों की समस्या है। पूरे प्रदेश की 80 फीसदी जनता खेती पर निर्भर है यह उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण अघोषित विद्युत कटौती और खराब पड़े नलकूपों के कारण किसान धान की रोपाई नहीं कर पाया है। जिसके कारण आज किसान पूरी तरह से बरबादी के कगार पर पहुंच गया है और आज पूरा पूर्वांचल सूखे की चपेट में आ गया है। नहरें सूखी पड़ी हैं, नहरों में पानी नहीं है ऐसी परिस्थिति में पूरे प्रदेश का किसान सूखे की अनुभूति कर रहा है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है और लोक महत्व का भी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरी कोई अलग से समस्या नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे प्रदेश के किसानों की समस्या है। मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं और हमारे क्षेत्र के चाहे भाई प्रवीण पटेल जी हों, चाहे भाई मुस्तफा सिद्दीकी हों और चाहे हमारे साथी मौर्या जी हों। जब नहरों में पानी नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उससे केवल विपक्ष ही प्रभावित होगा सत्ता पक्ष प्रभावित नहीं होगा। नहरें चाहे फूलपुर ब्रान्च की हों जहां हंडिया विधान सभा से उच्च शिक्षा मंत्री जी चुन करके आते हैं और चाहे वह वारी रजबहा हो जहां से हमारे साथी चुन करके आते हैं, आज इन नहरों में पानी नहीं आ रहा है। अभी विद्युत की स्थिति को मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है लेकिन आज प्रदेश का किसान दोहरी मार खा रहा है। एक तो प्रकृति की मार खा रहा है क्योंकि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर्याप्त वर्षा नहीं हुई और दूसरे सरकार की मार खा रहा है अघोषित विद्युत कटौती और खराब नलकूपों की वजह से वह धान की रोपाई नहीं कर पा रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मा0 सिंचाई मंत्री और मा0 ऊर्जा मंत्री जी को निर्देशित करें कि प्रदेश का किसान जो सूखे की चपेट में है उसे नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति देने का कष्ट करें और जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा है, जिनका मैंनें स्पष्ट उल्लेख भी किया है उन नहरों में पानी छोड़ने का काम करें और इन परिस्थितियों में प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य ने जो समस्या रखी है मैं व्यक्तिगत रूप से इसे दिखवा लूंगा और इसे ठीक करा दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री जोखू लाल यादव, श्री लालजी यादव तथा मा0 मंत्री जी को सुना यह नियम-56 में नहीं आता है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं। श्री संजीव दरियाबादी जी अपनी बात कहें।

(श्री संजीव दरियाबादी के उपस्थित न होने पर)

श्रीमती कृष्णाराज-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि भारत और नेपाल की सीमा पर लगे तमाम जिलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एस0एस0बी0 के जवान करते हैं। मान्यवर, इन जवानों को आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये तैनात किया गया है लेकिन खीरी के गांवों में ये लगातार [x x x] किये जा रहे हैं जिसका हमारे जनपद लखीमपुर के।

श्री अधिष्ठाता-

मैं निर्देश देता हूं कि इसको दिखवा लें और जो एस0एस0बी0 का नाम [x x x] के बारे में आया है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्रीमती कृष्णाराज-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी बात तो सुनिये, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का विषय है और जब देश के जवान ही हमारे देश के निवासियों को भयभीत करेंगे तो आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना जरूर चाहेंगे। एक विषय यह भी हो सकता है कि यह केन्द्र सरकार की व्यवस्था है। लेकिन हमारा यह कर्तव्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनपद लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच और ऐसे तमाम जो सीमा से सटे हुए जिलों के निवासी हैं, उनकी समस्या को भी सुने। मैं दो तारीख की घटना बताना चाहूंगी कि जनपद लखीमपुर के तिकोलिया गांव में सुबह-सुबह दो व्यक्ति जो नरेगा के मजदूर थे अपने घर से निकले और एस0एस0बी0 के जवानों ने अनायास गोली चलाया मैं तो इसे [x x x] ही कहूंगी, देखिये मुझे सुनिये अधिष्ठाता महोदय।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात रखें लेकिन शब्दों पर ध्यान दें मैं पुनः निर्देश देता हूं कि एस0एस0बी0 के बारे में जो [x x x] का प्रयोग हो रहा है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये। मा0 सदस्य कृपया यह सदन है और एस0एस0बी0 के सम्बन्ध में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते समय हमें सावधान होना चाहिए।

श्रीमती कृष्णाराज-

मान्यवर, ऐसा नहीं है। हमारे जिले की पुलिस ने वहां पर एफ0आई0आर0 भी की है। वहां पर जो घटना हुई है, वह दर्दनाक थी, उसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस का रोल भी कम नहीं था। हमारे जिले की पुलिस का रोल भी कम नहीं था। गांव के ग्रामवासियों ने बुलाना चाहिए सम्पूर्णानगर थाने की पुलिस को, लेकिन वह 2 घण्टे के बाद पहुंची, जिसके कारण दो निरीह लोगों की हत्या हो गयी। इसके पहले भी गौरीफंटा थाने में घुसकर रमेश नाम के व्यक्ति की हत्या हुई। एक साल पहले दीपा सिंह की भी हत्या हुई थी जो कि बड़ी दर्दनाक थी। आखिर हम लोगों के जिले की जो समस्यायें हैं, ऐसी गतिविधियां हैं, इसमें कौन सुनेगा। हम लोग कहां पर जाकर कहेंगे, हमारा आपसे आग्रह है कि उ0 प्र0 सरकार जहां भी समान रखना चाहती है, मुझे पता चला है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने बड़े कड़े शब्दों में भारत सरकार को लिखा है। हम यह कहेंगे आपके माध्यम से उ0 प्र0 एवं केन्द्र में गठजोड़ है, कम से कम उत्तर प्रदेश में जो निरीह लोग मारे जा रहे हैं सीमा पर जो हमारे देश के गरीब आम जनमानस हैं, वह अत्याचार अन्याय के शिकार हो रहे हैं, उसे रोकें जंगल की लकड़ियां भी कट रही हैं। यह मैं ही नहीं कर रही हूं, वहां से पत्रकारों ने लिखा है, समाचार-पत्रों में लिखा है आये दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुयी है, हिंसा हुई है, लेकिन हम अपनी बात को कहां रखेंगे। मैं आपके माध्यम से जो भी यहां पर छोटा जवाब मा0 ऊर्जा मंत्री जी देंगे या मा0 समाज कल्याण मंत्री जी देंगे, मेरे सवाल का जवाब कौन देगा। इसे इतने हल्केपन से लिया जा रहा है, लेकिन वहां जो दर्दनाक दुर्घटनाएं लगातार होती जा रही हैं और वहां पर सीमा में जो तैनात लोग हैं, आपके निर्देश से जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूं, लेकिन कहीं न कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको कौन सजा देगा। मैं आपके माध्यम से इसका जवाब चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपका, श्री कृष्ण गोपाल पटेल जी और श्री उस्मानी जी, आप सभी का उसी क्षेत्र की एस0एस0बी0 की गतिविधियों के बारे में सवाल है। इसलिए एक ही जवाब है, वह सामूहिक जवाब दिया जायेगा। आप बैठ जाएं, अभी आपका जवाब दिया जायेगा।

*श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, आपने मुझे नियम-56 में बोलने के लिए बुलाया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जैसा मा0 कृष्णाराज जी ने बताया है, अपने आपको उनसे सम्बद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में ही यह क्षेत्र है, दिनांक 2-8-2010 को

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एस0एस0बी0 की एक गाड़ी आ रही थी, सम्पूर्णानगर से पलिया के लिए रास्ते में ही पीछे से एक कमलापुरी का प्रधान रवि अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, उस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए वह काफी हार्न बजाता रहा और एस0एस0बी0 की गाड़ी को ओवरटेक करके जब आगे निकला तो एस0एस0बी0 वालों ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने के बाद एस0एस0बी0 वालों की और उसकी थोड़ी कहासुनी हुई, उसने एस0एस0बी0 वालों से माफी भी मांग ली, लेकिन वह तिरकुलिया गांव में पहुंच गया। उसी गांव में पीछे से एस0एस0बी0 वाले भी पहुंच गये और वहां पर एस0एस0बी0 के एक पण्डा थे। अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात सुन लीजिए, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैं आपकी पूरी नोटिस पढ़ चुका हूं।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

वहां पर जाकर के गांव वालों के साथ उन्होंने बदतमीजी की, मारपीट की और जो प्रधान गाड़ी चलाकर ले गया था, उसके साथ भी मारपीट की। उसके बाद जब वहां पूरा गांव इकट्ठा हो गया तो गांव इकट्ठा होने के बाद उन्होंने वहां पर अपनी और फोर्स बुला ली। फोर्स बुलाकर के वहां पर गोली चलाने का काम किया। 12 बजे दिन में गोली चला दी। गोली चलने से 2 लोग मारे गये। उनमें एक 22 साल का लड़का और एक 28 साल का लड़का, जिसका नाम बदरुद्दीन था। ये एस0एस0बी0 की हालत है। यह उसी एक जगह की घटना नहीं है इससे पहले बसोई चौकी पर इस तरह की घटना हुई। उसके आगे सूड़ा एक गांव है, सूड़ा गांव में एस0एस0बी0 वालों ने यह हरकते की। उसके बाद डांगा चौकी में भी उन्होंने यही हरकत की, उसके बाद उन्होंने बरशोला चौकी में भी इनका यही काम है। एस0एस0बी0 वालों के पास मात्र तीन काम है, शराब पीना, अय्याशी करना और उत्तर प्रदेश के बार्डर से नेपाल को माल सप्लाई करना है। चाहे वह आपकी खाद सप्लाई करा रहे हों, चाहे चीनी सप्लाई करा रहे हों, चाहे लाही सप्लाई करा रहे हों, चाहे सीमेण्ट की सप्लाई करा रहे हों, यह एस0एस0बी0 वालों का काम है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बातें आ चुकी हैं, अब समाप्त करिये।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

उसमें उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 भी लिखी गयी है उसमें मात्र एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, बाकी अभी फरार हैं। हम उनकी गिरफ्तारी और जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा राशि दिये जाने की मांग करते हैं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बहुत गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मा0 अधिष्ठाता महोदय, लखीमपुर खीरी जिला नेपाल के बार्डर से सटा हुआ है। वहां पर पूरे बार्डर एरिया में एस0एस0बी0 लगायी गयी है उसकी चौकियों को बार्डर एरिया में न बना करके, जो हमारे बार्डर के गांव हैं 10-15 कि0मी0 अन्दर, उन गांवों के पड़ोस में चौकियां

बनायी गयी हैं। मान्यवर, जो कहावत है कि 'सूर्य अस्त और [x x x] जैसे सूरज ढलने लगता है [x x x] मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं यह बताना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी में एस0एस0बी0 जवानों की ग्रामीणों पर फायरिंग से दो लोगों की मौत हो गयी इसी 02 अगस्त, 2010 को। 2-8-2010 को लखीमपुर खीरी में डिप्टी कमाण्डेन्ट की गाड़ी को ओवरटेक न होने देने को लेकर हुये विवाद में एस0एस0बी0 जवानों द्वारा की गयी फायरिंग में दो ग्रामीणों की मौत हो गयी और 6 लोग घायल हो गये। घटना खीरी के थाना सम्पूर्णानगर की है। कमलापुरी के प्रधान रवि प्रताप बोलेरो गाड़ी से पलिया आ रहे थे, उनके पीछे-पीछे एस0एस0बी0 के डिप्टी कमाण्डेन्ट एम0एस0 पड्डा की गाड़ी थी। बार्डर एरिया होने के कारण पलिया कलॉ में एस0एस0बी0 का शिविर कार्यालय है। एस0एस0बी0 के डिप्टी कमाण्डेन्ट के ड्राइवर ने बोलेरो गाड़ी को ओवरटेक करना चाहा परन्तु जगह न होने के कारण उस ग्राम प्रधान ने साइड नहीं दिया जिसके कारण एस0एस0बी0 के जवान नाराज हो गये और नाराज होने के कारण उस गाड़ी का पीछा करते-करते, जो तीन बार इस सदन के निर्दलीय विधायक रहे हैं निर्वेन्द्र कुमार मुन्ना उनके घर त्रिकौलिया पहुंच गये और जवान आक्रोशित होने लगे तो पूर्व विधायक जी ने पूछा कि क्या बात है तो बात बताने के बजाय उनको ही लाठी-डण्डों से मारने लगे। मारने के बाद जब गांव वालों को यह पता लगा कि एम0एस0बी0 के जवानों ने पूर्व विधायक पर हमला कर दिया है तो पूरे गांव के लोगों ने उनको घेर लिया और घेरने के बाद वह लोग लगातार सम्पूर्णानन्द थाने को फोन करते रहे कि पुलिस मौके पर आ जाए और उनका मामला रफा-दफा हो जाए वरना एस0एस0बी0 वाले गांव वालों पर आरोप लगा देंगे कि हमसे हथियार छीन लिये हैं लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। एस0एस0बी0 वाले लगातार अपने मोबाइल से हेडक्वार्टर को फोन करते रहे, हेड क्वार्टर से दो-तीन गाड़ियां एस0एस0बी0 की पहुंची और निर्दोष व निरीह ग्रामीणों पर सीधे फायरिंग कर दी। इसमें बदरुद्दीन व एक और नौजवान घटना स्थल पर मारा गया। इस घटना का उल्लेख दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि समाचार-पत्रों में जो लखनऊ से प्रकाशित होते हैं, उनके मुख पृष्ठ पर आया। लेकिन प्रदेश शासन का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं गया और मृतक परिवारों को ढाढस नहीं बंधवाया, उनको 10-10 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह मांग है कि एस0एस0बी0 की चौकियां, जो गांव के अन्दर बनायी गयी हैं उन चौकियों को वहां से हटाकर बार्डर एरिया में बनायी जाए और जो एस0एस0बी0 के जवान बिना वर्दी के घूमा करते हैं, अपनी नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, औरतों का शाम के समय शौच जाना मुश्किल है और ये लोग [x x x] ऐसे एस0एस0बी0 जवानों को वहां से हटाया जाये। जिन एक दर्जन जवानों और डिप्टी कमाण्डेन्ट के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम हुआ है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाये, उनके ऊपर [x x x] कार्यवाही की जाए [x x x] लगाया जाए और बार्डर में जो एस0एस0बी0 लगायी गयी है उसको वहां से हटाया जाए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब वहां पर एस0एस0बी0 नहीं थी तो उस एरिया की आय-सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स व एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होती थी। एस0एस0बी0 लगाने के बाद [x x x] और गवर्नमेन्ट की आय कम हो गयी।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जब लखीमपुर कोतवाली गंगापुर में एक दलित की हत्या हुई थी एन0एस0टी0 कम्पनी के कर्मचारियों ने हत्या की थी तो 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है और जब [x x x] तब सरकार का कोई आदमी नहीं गया और न ही मुआवजा दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मृतक परिवारों को कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा व उनके परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी में लिया जाय।

*पंचायती राज मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय सदस्या श्रीमती कृष्णाराज, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री कृष्ण गोपाल पटेल जी ने जनपद खीरी में एस0एस0बी0 के जवानों के द्वारा किये जा रहे जुल्म ज्यादती अत्याचार की सूचना नियम-56 के अन्तर्गत आपके सामने प्रस्तुत की। मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि हमारी सरकार की प्राथमिकता कानून राज की स्थापना और मुख्य मंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने अन्यायमुक्त, अपराध मुक्त, भयमुक्त समाज बनाने का संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानून राज की स्थापना का संकल्प लिया है उसके तहत कानून के ऊपर कोई नहीं है। छोटा हो बड़ा हो चाहे कितना ही बड़ा ओहदेदार हो यदि किसी ने कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश की है तो हमारी सरकार ने तत्काल प्रभावी कार्यवाही की है। इस सम्बन्ध में सदस्यों को केवल इतना अवगत कराना चाहता हूं कि आपको इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्री सुश्री बहिन कुमारी मायावती को धन्यवाद देना चाहिए कि देश की आजादी के 63 सालों में ऐसे पहली राजनेता और मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने कानून राज की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपनी भी सरकार के मंत्री, विधायक और सांसदों को जेल की सलाखों में भेजने का काम किया। किसी घटना विशेष की जहां तक बात है। इसमें भी अवगत कराना चाहता हूं जिस 2 अगस्त की घटना का जिक्र हमारे सदस्यों ने किया है इसमें भी कानून ने अपना काम किया। सम्पूर्णानगर थाने में 2 अगस्त को इस घटना की एफ0आई0आर0 लिखी गई। मुकदमा अपराध संख्या-992/10 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 34 जिसके विरुद्ध वहां के डिप्टी कमाण्डेन्ट एस0एस0 पड्ढा एस0एस0बी0 39 बटालियन थाना सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर में पंजीकृत हुआ। इसमें 11 कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया जिसकी सम्पूर्णानगर के जो थानाध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार सिंह उनके द्वारा इस प्रकरण की विवेचना में यह पाया गया कि एस0एस0बी0 के दो कांस्टेबिल शेर सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह दूसरे कांस्टेबिल का भी इसमें नाम आया है।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

दूसरे का नाम ही नहीं मालूम। दूसरे का नाम नहीं मालूम है अभी तक।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नहीं दोनों का नाम है इसमें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पटेल जी, होगा, अभी पूछ कर बतायेंगे।

(श्रीमती कृष्णाराज के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीया कृष्णाराज जी माननीय मंत्री जी को जवाब देने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसमें दो कांस्टेबिल शेर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी हरियाणा थाना शिकोहा जिला हिमांचल प्रदेश पकड़ा गया जिसे 4 अगस्त, 2010 को गिरफ्तार करके जिला जेल भेजा जा चुका है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस लगातार दबिश दे रही है और प्रयास किया जा रहा है जो भी अभियुक्त हैं कोई भी नहीं बचेगा, सब जेल की सलाखों के पीछे जायेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था बनाये रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी चिन्ता पर सरकार ने कार्यवाही कर दी है। चूंकि कार्यवाही हो चुकी है शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी जारी है इसलिये अब यह सूचना ग्राह्य नहीं है इसको निरस्त किया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्रीमती कृष्णाराज, श्री कृष्ण गोपाल पटेल और डा0 आर0 ए0 उस्मानी को सुना। माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब दिया है यह नियम-56 में नहीं आता, मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं। अगली नोटिस प्रदेश में स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में है। श्री सतीश महाना जी, श्री सलिल विश्नाई जी और प्रेमलता कटियार जी, आप तीनों बोलेंगे या कोई एक।

(सदस्यों के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पटेल जी, सरकार ने अपना जवाब दिया, अब आप बैठें। संसदीय कार्यवाही का एक उद्देश्य है और वह पूरा हुआ। आप लोग अपना स्थान लें, यह मेरा आपसे आग्रह है। महाना जी आप अपनी बात रखें सिर्फ आपकी बात लिखी जायेगी।

*श्री सतीश महाना-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस तात्कालिक गम्भीर विषय पर बोलने का अवस दिया। यह समय ग्रेजुएशन में एडमीशन का है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से सम्बन्धित है। मान्यवर, यह एडमीशन का सीजन है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से होता हुआ माध्यमिक शिक्षा मंत्री से होता हुआ उच्च शिक्षा मंत्री जी तक आ गया यह मामला। 12वीं की परीक्षाएं इस समय पूर्ण हुईं, परीक्षा परिणाम आया। क्लास 12वीं तक तो बच्चों की निरन्तर पढ़ने की एक प्रक्रिया होती है लेकिन उसके बाद वह स्नातक में एडमीशन लेता है या प्रोफेशनल कोर्स में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है, यह उसके जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय उसको तय करना होता है कि उसको जीवन में आगे क्या करना है ? प्रोफेशनल कोर्स में जाना है या पढ़ाई करनी है अपने जीवन यापन के लिये आगे क्या करना है। उसके बाद वह निर्णय करता है। मान्यवर, कक्षा बारह का रिजल्ट आने के बाद बहुत से बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेस में चले जाते हैं। इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, बी0बी0ए0 में चले जाते हैं अन्य विषयों में चले जाते हैं और थोड़े से बच्चे रह जाते हैं लगभग 50 प्रतिशत से कम जो कक्षा बारह पास होने के बाद यूनीवर्सिटी में एडमीशन लेना चाहते हैं। मान्यवर, आज स्नातक में एडमीशन लेने के लिये जितने बच्चे हैं उतने उनके एडमीशन वहां पर नहीं हो रहे हैं। स्कूल में कह दिया जाता है कि तानाशाही आर्डर मान्यवर कोई भी कर देता है कि इस वर्ष 100 बच्चे लिये जायेंगे। अगर पिछले साल 25 प्रतिशत सीटें बढ़ गई थीं तो इस साल 25 प्रतिशत सीटें कम करके हम एडमीशन लेंगे। इसमें शासन की कोई बात नहीं। न शासन की तरफ से कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया होगा। अगर किया गया होगा तो मेरा निवेदन है माननीया मंत्री जी कृपया स्पष्ट कर देंगे। लेकिन वाइस चांसलर इस बात की घोषणा कर देते हैं कि पिछले साल जितनी सीटें बढ़ी थीं उतनी सीटें इस साल कम कर दी जायेंगी। यह तो बड़ा अजीब सा आर्डर है लेकिन छात्र संघों के द्वारा इस पर दबाव डाला गया हर कालेज के बाहर छात्र और लड़कियों के कालेज के बाहर छात्राएं आन्दोलनरत रहीं। सड़कों के ऊपर आने के लिये विवश हैं। मारपीट हो रही है शिक्षकों और छात्रों में आपस में हाथापाई हो रही है, यह स्थिति आ गई है मान्यवर। ऐसी स्थिति में इस समय छात्रों को एडमीशन नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे एडमीशन हैं, कुछ ऐसी स्कीम हैं जैसे आपको मालूम है कुछ बच्चे आजकल इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी में जाना चाहते हैं, कम्प्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं वह अपना एडमीशन प्रोफेशनल कोर्सेज में लेते हैं, लेकिन जो बच्चे स्नातक में एडमीशन लेना चाहते हैं उसमें कामर्स की संख्या अधिक है। बी0ए0 और बी0एस0सी0 में हो सकता है उसमें उतने छात्र एडमीशन लेने के लिये इच्छुक हैं या नहीं हैं मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूं। इसके साथ-साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यदि सरकार के पास कुछ इस प्रकार की सूचना है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो पैसा लेकर एडमीशन लेते हैं और पैसा लेकर पास कराते हैं तो आप ऐसे कालेजों के खिलाफ कार्यवाही करें। उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे यह आप जानें, लेकिन उनकी वजह से बाकी कालेज प्रभावित न हों जिस समय बातचीत होती है तो ऐसी बातें सामने आती हैं कि कुछ कालेज ऐसा करते हैं। जो करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो, लेकिन जो ऐसा नहीं करते तो छात्रों का अधिकार है पढ़ना और सरकार की जिम्मेदारी है उनको शिक्षा प्रदान करना। अगर कालेज में स्टाफ नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है स्टाफ उपलब्ध कराना, अध्यापक प्रोफेसर उपलब्ध कराना, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो वर्तमान सत्र चल रहा है इसमें जितने भी बच्चों ने एडमीशन लेने के लिये एप्लाई किया है।

श्री अधिष्ठाता-

6 लोगों को इसमें बोलना है।

श्री सतीश महाना-

6 बजे से पहले खत्म कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

और लोगों का समय कम हो जायेगा।

श्री सतीश महाना-

समय न कम करें दो मिनट में खत्म कर दूंगा, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उनका प्रवेश, उनके द्वारा वांछित स्कीम में स्नातक कालेजेज में हो, अगर कोई इवनिंग क्लासेज चलाना चाहते हैं तो उनको इवनिंग क्लासेज चलाने की अनुमति दी जाए।

*श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पूरे प्रदेश में प्रवेश की जो भीषण समस्या है उस पर बोलने का, विशेष रूप से कानपुर में जो परिस्थितियां हैं उस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, कानपुर कभी औद्योगिक नगरी कहलाता था लेकिन उसका यह स्वरूप आज समाप्त हो गया है आज की तारीख में कानपुर एजूकेशन हब हो गया है। बनारस और इलाहाबाद से बड़ा केन्द्र हो गया है प्रतियोगी परीक्षाओं का, और वहां पूरे प्रदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं। विशेष रूप से कानपुर इस समय आई0आई0टी0, सी0ए0,सी0एस0मेडिकल का केन्द्र बन गया है। सबसे ज्यादा बच्चे कानपुर के सेलेक्ट होते हैं। जो बच्चे सी0ए0 ज्वाइन करते हैं उसी के साथ-साथ इनको ग्रेजुएशन को भी ज्वाइन करने की छूट होती है। इसी तरह से जो बच्चे आई0आई0टी0 और पी0एम0टी0 की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वह बी0एस0सी0 में एडमीशन लेते हैं। इसी तरह से जो बच्चे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वह बी0ए0 में एडमीशन लेते हैं। आज परिस्थितियां यह हैं कि आज कानपुर के कालेजों में 86 प्रतिशत की कट ऑफ लिस्ट है। 85.8 परसेन्ट पाने वाला आशीष नेवटिया छात्र एडमीशन को तरस रहा है। 84 परसेन्ट पाने वाली छात्रा भावना विमल जैसी दलित छात्रा प्रवेश नहीं ले पा रही है। आज हम देश की भावी पीढ़ी के साथ कैसा इमोशनल अत्याचार कर रहे है। इसको देखने की जरूरत है। हम कहते हैं कि यह सारी देश की भावी पीढ़ी है यह पढ़ लिखकर निकलेंगे, देश के सक्षम नागरिक बनेंगे और आज हम उन्हें प्रवेश देने में असमर्थ हो रहे हैं। मैं समझता हूं यह सरकार की कानून-व्यवस्था से ज्यादा बड़ी असमर्थता है कि जिन लोगों को आपने इण्टरमीडिएट की परीक्षा में पास किया है उनको आप ग्रेजुएशन में एडमीशन नहीं दे पा रहे हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से समय सीमा के अन्दर रहते हुए कहना चाहूंगा कि कानपुर में इसके कारण लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ रहा है हर विद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ हो रही है इसलिए शहर का वातावरण न बिगड़े देश की भावी पीढ़ी का भविष्य न बिगड़े इसलिए सीटों की 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। जो महाविद्यालय इन्ट्रेस्टेड हों उनको सांध्यकालीन कक्षायें चलाने की अनुमति दी जाएं। यह उनका मौलिक अधिकार है संविधान के अनुसार भी शिक्षा प्राप्त करना इस देश के नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस देश की भावी पीढ़ी के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनके प्रवेश को सुनिश्चित कराना सरकार का दायित्व है मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसमें अविलम्ब कार्यवाही करें। पिछले वर्ष इन्होंने कार्यवाही की थी लेकिन वह कार्यवाही इतने विलम्ब से हुई थी कि तमाम बच्चे इधर-उधर चले गये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे इसलिए इसमें निश्चित समय-सीमा के अन्दर इसमें कार्यवाही की जाए ताकि बच्चों को प्रवेश मिल सके।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे एक तात्कालिक और महत्वपूर्ण विषय पर अपने दो शब्द रखने का अवसर दिया। मेरे पूर्व दो सम्मानित सदस्यों ने जो विचार रखे हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहती हूं कि एक तरफ हम, सरकार और समाज सब मिलकर छोटे बच्चों की उंगली पकड़कर 'चलो शिक्षा के मन्दिर की ओर' कहकर, प्रेरित करके आगे चलते हैं और चलकर, आगे बढ़कर जब वह पहुंचते हैं, शनैः-शनैः प्राइमरी एजूकेशन के बाद जूनियर से गुजरते हुए और बहुत दूर नहीं केवल बारहवीं कक्षा को पास करके जब चौराहे-दोराहे पर खड़े हो जाते हैं और अभिभावक समेत अपने को ऐसी असहाय स्थिति में पाते हैं कि उनके सामने शासन की उदासीनता ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा और वह देख नहीं सकते उन निजी प्रबन्धन वाले महाविद्यालयों की ओर क्योंकि जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, उनकी वह स्थिति उन्हें वहां जाने से रोकती है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे प्रत्येक छात्र को प्रवेश मिले जिन मानकों के अन्तर्गत उसको उत्तीर्ण घोषित किया गया हो। लेकिन बड़ी बिडम्बना है कि 85 प्रतिशत वाले भी सिफारिशी चिट्ठी के लिए खड़े होते हैं, द्वितीय, तृतीय श्रेणी वाले तो सोच ही नहीं सकते ग्रेजुएशन के लिए। हम कर क्या रहे हैं, हम एक तरफ प्रेरणा देते हैं, मिड-डे-मील चलाते हैं कि हम शिक्षित हो जायें, पढ़-लिख जायें, हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो जायें और उनके घर के लोग पूरी व्यवस्थाएं किसी तरह जुटाकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आगे शिक्षा दिलाना चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि आज सरकार विश्वविद्यालयों की मर्जी पर नहीं केवल अपने संसाधनों के जरिए, अपने सर्वे के जरिए, स्वयं जानकारी कर लें कि कौन से महाविद्यालय में संसाधन मौजूद हैं जिनमें हम अतिरिक्त सीट दे सकते हैं। ऐसे महाविद्यालयों को सीट बढ़ाने के लिए आदेशित करने का काम करें और आवश्यकता हो तो सभी विकल्पों को सामने रखकर सान्ध्यकालीन कक्षाएं चलाने का काम करें, इसमें किसी भी तरह की कोताही न करें ताकि प्रत्येक बच्चे को प्रवेश मिल सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायें, धन्यवाद।

*श्री संजय कापूर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने एक बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं अपने पूर्व के माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सवालों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। आज हालात यह है कि दुनिया आगे जा रही है, हिन्दुस्तान आगे जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नौजवान बच्चों को शिक्षा का अवसर नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि आज लाखों बच्चे दोराहे पर खड़े हैं कि इधर जायें या उधर जायें। मान्यवर, इण्टर के बाद बच्चे की जो शिक्षा होती है, वह उसके भविष्य का रास्ता तय करती है। मान्यवर, कहीं बच्चे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धरने पर बैठे हैं, कहीं भूख हड़ताल कर रहे हैं, यदि आप उनको नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो उनका शिक्षा का अधिकार है, जो उनका मौलिक अधिकार है, उसका तो कम से कम हनन न हो, उसका पूरा अधिकार उसे मिलना चाहिए। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, बहुत विद्वान हैं, आज वह यहां पर घोषणा करें, पिछले साल 25 प्रतिशत सीटों की बढ़ोत्तरी की गयी थी। इसलिए जहां-जहां आवश्यकता हो, वहां कम से कम 25 प्रतिशत आप सीटें बढ़ायें। मान्यवर, मैं रामपुर जनपद की बात कर रहा हूं, वहां पर 15-20 छात्र आज छः दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सिर्फ इस उम्मीद से कि कब हमारे माननीय त्रिपाठी जी की मेहरबानी होगी और नौजवानों को सही मार्गदर्शन मिल पाएगा, उनको अपना भविष्य तय करने का मौका मिल पाएगा, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर यह काम नहीं किया गया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाला कल बहुत गम्भीर होगा, इससे लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम भी हो सकती है। मुझे यकीन है कि जो सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है सब बच्चों को शिक्षा देने का उनका जो वायदा है उस वायदे को पूरा करते हुए जितनी भी उनकी मांग है उनकी संख्या को देखते हुए महाविद्यालयों में कम से कम 25 प्रतिशत छात्रों की संख्या बढ़ायेंगे जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। मुझे उम्मीद है कि माननीय त्रिपाठी जी आज यहीं सदन में घोषणा करेगे। आपने मुझे नियम-56 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नियम-56 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है और इस पर सभी माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता जाहिर की है। एक तरफ तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सभी को शिक्षा का अधिकार देने की बात करती है। हमारे सामने बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में अध्यापक बच्चों के घर जा-जाकर, मिड-डे-मील की बात कहकर बच्चों को मुफ्त किताबें बांटने की बात कहकर बच्चों को मुफ्त स्कूल ड्रेस देने की बात कहकर विद्यालय में लाने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, आज इण्टर में पास बच्चों को एडमीशन नहीं मिल पा रहा है। हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं। आज प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इसकी वजह से भी पैदा हो गयी है। आज लाखों विद्यार्थी पास हुए हैं, एडमीशन के लिए भटकते फिर रहे हैं। आज भी जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक यही काम है कि किसी का परिवार का उसका पिता, उसकी माता या उसकी बहन बच्चे को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा है और आप हमारा जरा सा काम नहीं करते। मेरा आवसे अनुरोध है कि जितने भी बच्चे इण्टरमीडिएट में पास हुए सभी को दाखिला मिले। हमारे बुलन्दशहर में जितने भी विद्यार्थी संगठन हैं, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् हो, चाहे जो संगठन हो, वह लोग आन्दोलन कर रहे हैं, कालेज बंद पड़े हैं। अगर इन विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। माननीय अधिष्ठाता जी मैं चाहूंगा कि आप इस पीठ से निर्देश दें। अभी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी कहेंगे कि यह नियम-56 में नहीं आता, आप कहेंगे कि नियम-56 में न आने के कारण यह निरस्त की जाती है। इससे काम चलने वाला नहीं है। आज मैं बात नियम की नहीं कर रहा। आज मैं उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहा

हूं जो भटकते फिर रहे है, उनके परिवार भटकते फिर रहे हैं, उनको शिक्षा कैसे मिले, उसको दाखिला कैसे मिले, आज इस पर बात करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार को निर्देश करें कि सभी बच्चों को जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा पास की है सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला मिले। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चों को दाखिला मिले।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा अभी माननीय महाना साहब ने, सलिल विश्नोई साहब ने, कपूर साहब ने, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही साहब ने, सारे माननीय सदस्यों ने प्रवेश के सिलसिले में चिंता व्यक्त की और जुलाई-अगस्त का महीना प्रवेश का रहता है और आप लोगों ने खुद याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी प्रवेश की समस्या थी जिसका निराकरण इसी सदन में किया गया था। माननीय संजय कपूर जी ने कल अवगत कराया और तत्काल आपको बैठाकर उसी समय बरेली के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वहां कालेज में जाकर के भूख-हड़ताल समाप्त करायें और उनको प्रवेश दिलाने के लिए जो प्रयास हो सके वह करें। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे। अभी 30 अगस्त तक दाखिले की तारीख रहती है। सूचना एकत्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से सदन उठने के पहले मतलब कि कल परसों में, सम्भव है कि कल ही, इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी सलाह कर लिया है। आज भी सरकार का प्रयास है कि इण्टरमीडियेट पास करने के बाद कोई छात्र यदि प्रवेश चाहता है तो प्रवेश से उसको वंचित नहीं रहने दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री सतीश महाना जी, सलिल विश्नोई जी, प्रेमलता कटियार जी, सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, संजय कपूर जी, वीरेन्द्र सिंह सिरोही जी को सुना, ये नियम-56 में नहीं आता है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने नियम-56 की इस नोटिस की ग्राह्यता पर बल देने के लिये हमे अवसर दिया, मैं इसका आभारी हूं। मान्यवर, इस सदन में भूतपूर्व सदस्यों की विधवाओं या उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात सरकार ने मान ली थी और इसकी घोषणा भी हुई। किन्तु जब ये अधिनियम बना मान्यवर, उसको 5 मार्च, 2010 को पारिवारिक पेंशन का रूप देकर उत्तर प्रदेश सरकार के विधायी कार्य अनुभाग से जारी किया गया और ये अधिनियम बना और ये विधायी कार्य से सरकारी गजट हुआ मान्यवर, इससे एक चिंता बढ़ गयी और गंभीर चिंता है कि इसी 15वीं विधान सभा के जो सदस्य थे, उनकी विधवाओं को 05 मार्च के पहले पेंशन अनुमन्य नहीं थी। तो पहली से लेकर पन्द्रहवीं विधान सभा के जो सदस्य थे, उनकी विधवा तो छूट गयी। इसलिये मान्यवर, यह बहुंत गंभीर विषय है, सदन के संज्ञान में लाकर के और ये पूरे विधान मण्डल दल के लोगों के मान सम्मान और गरिमा का प्रश्न है और मान्यवर, जब घोषणा स्पष्ट हुई माननीय नेता सदन ने स्पष्ट घोषणा की तो ये जो अधिनियम बना और सरकार के विधायी कार्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग से गजट किया गया तो इसकी मंशा क्या है मान्यवर। इसमें अगर कोई भूल है तो मैं पीठ से निर्देश चाहता हूं कि सरकार को इस भूल को सुधारने का मौका दे दिया जाय और इसको ठीक कर दिया जाय। चूंकि मई, 2007 को 15वीं विधान सभा का गठन हुआ और वह मार्च, 2010 में अधिनियम बन रहा है, गजट हो रहा है। तो उस बीच के जो मा0 सदस्य दिवंगत हुये उनकी विधवायें भी इससे वंचित हो जायेंगी। तो यह बड़ा गंभीर विषय है मान्यवर। इसको, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, विद्वान हैं, इसको दिखवा लें, इसको दुरूस्त कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आप बैठिये, आपकी बातें आ गयीं। मैंने श्री आरिफ अनवर हाशिमी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्रीमती मधुबाला-

अध्यक्ष जी, आपने मुझको बोलने का मौका दिया गया नियम-56 के तहत इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र भदोही से लोकमहत्व व जनहित की सूचना पर सदन का ध्यान आकर्षित करती हूं। सरकार से मांग करती हूं कि भदोही कालीन नगरी है, जहां क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों विदेशी आते हैं। भदोही नगर में 70 प्रतिशत आबादी मजदूरों की है और विद्युत वहां बहुत कम रहती है। मैं आपकी पीठ के माध्यम से मंत्री जी से यह चाहती हूं कि भदोही जिले को कम से कम से 20 घण्टे की बिजली दी जाय। विद्युत न रहने के कारण मजदूरों, बुनकरों के घरों में उपवास हो रहा है। नगर में लोकल फाल्ट, जर्जर तार, ट्रांसफार्मर अधिक लोड होने के कारण मात्र 6 घण्टे ही बिजली मिलती है, जिससे जनमानस में जन आक्रोश व्याप्त है। नगर मोहल्ला आलमपुर नई बस्ती, नूरखांपुर बाजार, सदरदारखां, घमहापुर, गोरियाना, मालिकाना, पचभइया, जुमन्द बाजार, सलातखां आदि सभी 25 वार्ड में जर्जर तार को तुरन्त बदला जाय। तथा भदोहीनगर के नूरखांपुर एम0ए0 समद पर 400 के0वी0 का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाय तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाय। पावर हाऊस में मोबाइल ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था की जाय तथा मोबाइल गाड़ी 630 के0वी0, 400 के0वी0 एवं 250 के0वी0 का ट्रांसफार्मर फिट कर रखा जाय तथा जहां भी जले ट्रांसफार्मर हैं, तत्काल बदला जाय मान्यवर, बिजली हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसफार्मर कम से कम दो दिन के अन्दर जरूर चेन्ज कर दिया जाय, जिससे रमजान, दुर्गा पूजा, दशहरा, ईद, बकरीद एवं नवरात्रि में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मान्यवर, हमारे वहीं क्षेत्र में माननीय मंत्री जी भी रहते हैं उनको बिजली 24 घण्टे उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन वहां की जनता को बिजली 18 घण्टे दिया गया है कि मिलेगी लेकिन मुश्किल से आठ-दस घण्टे मिलती है और गांवों में तो बिजली मिल नहीं पाती, मुश्किल से तीन घण्टे मिल पाती है। आज सूखा पड़ा हुआ है क्षेत्र में पिछली बार भी सूखाग्रस्त नहीं घोषित किया गया है जो उप चुनाव हम लोगों ने जीता था भदोही से शायद यह उसी का परिणाम है कि आज हम लोग भोग रहे हैं भदोही को। अघोली ब्लाक, सुरियांवा, मोढ़, दुर्गागंज, बसवापुर, असनाव, अमोली, औराई, खुमहरिया, महराजगंज, ज्ञानपुर एवं चौरी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति भदोही नगर की भांति 20 घण्टे की जाय। सुरियांवा बाजार, नई बाजार टाउन एरिया के जर्जर तारों को तत्काल बदला जाय व सभी ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाय। इन्दिरा मील फीडर को दो भागों में विभाजित किया जाय। आलमपुर, नई बस्ती, जलालपुर, रेवड़ापरसपुर, नूरखांपुर, पूरेरहीम, बाजार सलावत खां, दरोपुर,

एम0ए0 समद एवं गजिया को पावर हाउस से जोड़ा जाय तथा नया फीडर बनाया जाय। मोहल्ला बकुचिया मुस्लिम एवं पाल बस्ती एवं मथुरापुर में लगे पोलों पर तत्काल तार लगाकर चालू किया जाय। मान्यवर, यह सभी प्रकरण जनहित से जुड़े हुए हैं।

अतः मै। आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय सूचना पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने एवं उपरोक्त कार्यों को जल्द से जल्द कराये जाने की सरकार से मांग करती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्रीमती मधुबाला पासी को सुना यह नियम-56 में नहीं आता, फिर भी मैं शासन का ध्यान आकृट करता हूं।

(श्री राधेश्याम जायसवाल जी का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, चीनी मिल जो कारपोरेशन की है, महाराजगंज जिले में सिसवां चीनी मिल, सम्भवतः इस चीनी मिल को नीलाम कर दिया गया और नीलामी में जो वेज बोर्ड के जो फैसले हैं जो डायरेक्टिव हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो डायरेक्टिव हैं वेज बोर्ड के वह इस पर कतई लागू नहीं हो रहा है और मजदूरों को जबरदस्ती बी0आर0एस0 दिया जा रहा है और वह पिछले 25 दिनों से पिछली 25 तारीख से वह धरने पर बैठे हुए हैं, अनसन प्रदर्शन हो रहा है, जिले का प्रशासन जबरदस्ती जिस आदमी ने उसको खरीदा है टेण्डर से, उसको अन्दर प्रवेश कराना चाहते हैं, मजदूरों ने उसका प्रतिरोध किया, आज भी अनसन चल रहा है और भयानक स्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि चीनी मिल धूनी जो कायदे से बन्द हो चुकी है और यह जब दोनों बन्द हो जायेगी तो गन्ना किसानों में स्वाभाविक आक्रोश है वह व्याप्त है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात किया और सुप्रीमकोर्ट के निश्चित जो आदेश हैं, बहुत ही क्लियर आदेश है, उसको भी मैंने उन्हें दिखाया, उनका इशारा यह था कि ऊपर का मामला है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश को अगर आप नहीं मानेंगें तो कौन मानेगा। मजदूर कुछ नहीं चाहता, मजदूर का यह कहना है कि जो वेज बोर्ड के फैसले हैं, जो वेज बोर्ड के नार्म्स हैं, जिसमें हम सभी लोग आ रहे हैं और जिस मामले में सुप्रीमकोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो डायरेक्टिव दिया है उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। जो गरीब लोग हैं, पिछली 25 तारीख से अभी भी अन्शन पर बैठे हुए हैं, गेट बन्द है, आना-जाना सभी का बन्द हो गया है मान्यवर, तो इस लोक महत्व के विषय पर, हम जानते हैं कि आप सदन को स्थगित नहीं करेंगे, लेकिन यह परम्परा है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय सूचना पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय ओझा जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता है, फिर भी मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत इस विषय को यहां पर रखकर मैं चर्चा कराये जाने की मांग भी करता हूं। मान्यवर, जब किसी बच्चे की मां मर जाती है और उसे स्तनपान का अवसर नहीं मिल पाता है तो उसे मां के दूध की जगह गाय का दूध पिलाया जाता है। आज दूध में मिलावट के नाम पर पेंट से बना हुआ दूध, यूरिया से बना हुआ दूध बाजार में बिक रहा है। इसी तरह से अन्य जो सिंथेटिक पदार्थ है। उनको मिलाकर और दूध बनाकर बेचा जा रहा है। और बाजार में धड़ल्ले से यह दूध बिक रहा है। मान्यवर, इसी दूध से खोया बनाकर लखनऊ में मिठाई बेची गयी और नकली खोये से बनी मिठाई खाने से 16 व्यक्ति बीमार हो गये। तब कहीं जाकर स्थानीय प्रशासन का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने छापे मारे। लेकिन उसके बाद उसमें कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। इससे यहां के लोगों में आतंक फैल गया है। जब दूध दूषित हो गया तो लोग क्या करेंगे। मान्यवर, आज सब्जियां रंगी जा रही हैं। डाक्टर लोग कहते हैं कि अगर बच्चे को दूध और केला मिलाकर दिया जाय तो बच्चा हृष्ट-पुष्ट हो जाता है यह उसका पूरा आहार है। लेकिन स्थिति क्या है केले को काबाईड और कीटनाशक केमिकल्स से पकाया जा रहा है। अन्य फलों में आक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाये जा रहे हैं। आज खाने के फल दूषित हो गये हैं। मसालों में गोबर और लीद पिसी हुई ईंट मिलायी जा रही है। सूखे मेवे को गन्धक में रखकर कमरे में बन्द कर दिया जाता है। आटे में मिलावट है। यहां पर मंत्री जी ने कहा था कि आक्सीटोसिन इंजेक्शन की सामान्य बिक्री पर प्रतिबंध है। मैंने उन्हें उसका एम्प्यूल दिखाया जो 10 रु0 में मैंने खरीदा था। मान्यवर, यह इंजेक्शन जगह-जगह पर बिक रहा है। मान्यवर, कानपुर में मा0 प्रधान मंत्री जी आये थे उनके लिये जो भोजन बन रहा था उसमें भी जहरीले रसायनों की मिलावट कर दी गयी थी।

मान्यवर, ज्यादा धन कमाने की लालच में यह धंधा चल रहा है। मैं मांग करता हूं कि इसमें कड़े नियम बनाये जायें ताकि फलों और सब्जियों को जो रंगा जा रहा है जो आक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाये जा रहे है उस पर रोक लग सकें। मान्यवर, अभी समाचार-पत्र में छपा था उसमें किसान को लौकी में आक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया गया था। इसीलिए एक कड़ा कानून बनाया जाय जो फलों और सब्जियों में हो रही इस कार्यवाही को रोके। दूध में मिलावट के सम्बन्ध में आपके पास कानून है मगर फलों और सब्जियों को दूषित होने से बचाने के लिये कोई प्रभावी कानून नहीं है। मैं इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कोई कड़ा कानून बनाये जाने की मांग करता हूं और साथ ही इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोकमहत्व के इस प्रश्न को यह कोई छोटा प्रश्न नहीं है सम्पूर्ण सदन सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष जब एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे तब इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। आप तो अधिष्ठाता महोदय चिकित्सक हैं। मैं लखनऊ में अपने एक बाल रोग चिकित्सक के यहां बैठा था लाइन से बच्चे डाक्टर के यहां आ रहे थे नवजात शिशु और सभी बच्चों के शरीर में दाने निकल रहे थे और डाक्टर केवल इतना कह रहे थे कि कडुवा तेल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या मालिश करते हैं। सबके जननी माता-पिता उन बच्चों की मालिश की बात स्वीकार करते थे डाक्टर कहते थे कि कडुवे तेल की मालिश बन्द करिये। बच्चा जन्म लेता है कडुवे तेल की मालिश नहीं हो सकती, बच्चा जन्म लेता है, गाय का दूध नहीं पिलाया जा सकता, आक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर दूध निकाला जा रहा है मान्यवर, अगर इसकी जांच कराई जाय आक्सीटोसिन इंजेक्शन कुछ फायदेमन्द लग रहा है। सब्जियों में लगाया जा रहा है सब्जी बड़ी हो रही है। अगर वह फायदेमंद है तो सरकार एक प्रगयोगशाला बनाये और उसका लाभ हम लोगों को भी बताये और हम लोग भी उसका सदुपयोग करें। मान्यवर, प्रातःकाल से आज जब से सदन प्रारम्भ हुआ है कई विषयों पर मिलावट की चर्चा हुई। मिड-डे-मील में मिलावट, मध्याह्न भोजन में मिलावट, टी0वी0 खोलिये तो फर्जी फैक्ट्री खुली हैं, पान मसाले का जिक्र आया तो नकली पान मसाला बिक रहा है, भारत सरकार के नोट नकली बैंकों से मिल रहीं है। मान्यवर, इस विषय को इतना हल्के ढंग से लेकर कि विषय जल्दी समाप्त करिये अभी दूसरे सदस्य को बोलना है, यह नहीं चलेगा। इसके लिए मैं मान्यवर, मांग करता हूं कि सम्पूर्ण सदन सत्ता पक्ष विपक्ष बैठकर जब चर्चा करेगा तभी इसका हल निकलेगा। मान्यवर, दूध, लखनऊ में जब दूध की मण्डियों में छापा पड़ता है तो सब लोग भाग जाते हैं पूछा जाता है कि यह किसका केन है दूध का तो कुछ तो जमीन में ढरका देते हैं और बाकी छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन कैनों के अन्दर दूध नहीं लखनऊ शहर में जहर बेचा जा रहा है। इसको अगर आप गम्भीरता से नहीं लेंगे तो मान्यवर, आगे आने वाली पीढ़ी बीमार, कमजोर पैदा होगी जो हमारे देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम नहीं कर सकेंगे। अतः आपसे निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि देसी घी, आप बाजार में चले जाइये तो ऐसा लगता है कि ममता घी, समता घी, रमता घी जरा सबसे पूछा जाय कि इनकी कहां कहां गौशालाएं खुली हैं इनकी कहां-कहां कितनी भैंसे दूध दे रही हैं जिससे शुद्व दूध मिल रहा है। मान्यवर, ज्यादा चर्चा न करते हुए मुझे आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना है कि यह गम्भीर विषय है। राजस्थान के अन्दर महानगरों में दूध की जांच के लिए मोहल्लों मोहल्लों में बूथ बने हुए हैं। जो व्यक्ति दूध लेकर उसकी जांच कराना चाहे कि वह शुद्ध है तो वह वहां जाकर करा सकता है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतनी मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलग अलग क्षेत्रों में एक-एक बूथ और जांच केन्द्र खोल दिये जायें जिससे दूध की जांच हो सके और लखनऊ के नौनिहाल स्वस्थ, तन्दरुस्त जाबांज रह सकें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव को सुना और श्री सुरेश चन्द्र तिवारी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है फिर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री पूरन प्रकाश का मैंने नाम लिया था उस समय वह नहीं थे, विषय इनका कुछ और है। चलिये, बहुत संक्षेप में अपनी बात कह लीजिए। मैं समझता था कि आपका निजी विषय है लेकिन यह कुछ और है।

*श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। जनपद मथुरा में कंजौली घाट पुल का निर्माण चल रहा है। जो कि जमुना के ऊपर बनाया जा रहा है। इधर हमारा बलदेव क्षेत्र है और उधर हमारा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोर्वधन क्षेत्र है। साथ ही जो ताज हाई-वे आ रहा है वह भी उसी पर कनेक्ट होता है। मान्यवर, इस कंजौली घाट के पुल को शुरू हुये दो साल हुये हैं। पिछली 6 तारीख को हमें लोगों ने बताया कि विधायक जी इस पुल में दरार आ गयी है, इसमें क्रेक आ गया है। तो लोग दंग रह गये। अभी पुल तैयार हुआ नहीं है और इससे पहले ही उसमें क्रेक हो गया और दरार आ गयी। मान्यवर, इस समय काम रूका पड़ा है और सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है, वह यह है कि दोनों तरफ का रास्ता बिल्कुल जाम पड़ा है और जो 40-40 टन के वाहन जा रहे हैं, उसकी वजह से सड़क बिल्कुल खराब हो गयी है। पीपे वाला पुल जो पहले चल रहा था वह भी बंद हो गया है, न लोग इधर जा पा रहे हैं और न उधर जा पा रहे हैं। अगर इस प्रकार किसी पुल की स्टार्टिंग होने से पहले ही बीम टूट जाये तो कैसे संभव है कि पुल आगे चल पायेगा। मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, यह महत्वपूर्ण विषय है अतः इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आपकी बात आ गयी। अब विशेष उल्लेख में डा0 पी0के0 राय जी अपनी बात रखें।

*डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, आपकी कृपा हुई। मैनें यह विषय नियम-56 में दिया था। इसे विशेष उल्लेख के लिये माननीय अध्यक्ष जी द्वारा चयनित किया गया है। यह विषय भी कानून व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है और सुबह के वक्त इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं केवल अपने विधान सभा क्षेत्र तक ही बात का उल्लेख करूंगा। कल ही की बात है, मेरे जनपद के सेवरही कस्बे का एक लड़का , जिसका नाम मो0 कलीम पुत्र मो0 अली, उम्र 12 वर्ष, सेवरही कस्बे के पास ही एक गांव है सुमईसंग्राम, वहां से निकलकर नवोद्य विद्यालय में साइकिल से पढ़ने जा रहा था। यह कल दिन की बात है, साइकिल सहित उसको पिकप में लोगों ने उठा लिया, उसका अपहरण हो गया, किसी ने देखा नहीं, जो अपहरणकर्ता थे, उन्हें भी पता नहीं था कि उसके पास मोबाइल भी था, उसने कहीं से जाकर अपने घर वालों को मैसेज किया है, वह आखिरी काल थी, उसके बाद से उसका पता नहीं लग पाया। मान्यवर, अपहरण हुआ है, हो सकता है कि वह वापस जिन्दा भी चला आये और हो सकता है, न भी आये। लेकिन यह कानून व्यवस्था के लिये एक आईना है। कल ही की तारीख में पडरौना में बैंक के अंदर डेढ़ लाख रुपया लूट लिया गया और पडरौना में नहर के ऊपर एक मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव को गोली मार दी गयी। मुझे तो खुशी हुई थी कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे जनपद से जीतकर आये थे कि वह वहां से विधायक चुने गये हैं और बड़े ताकतवर मंत्री हैं। उधर उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता था। माननीय अधिष्ठाता जी, आपके जनपद में बड़े लोगों का अपहरण तो हुआ ही करता था, लेकिन अभी 8 तारीख को दो मासूम बच्चों वाहिद उम्र 6 वर्ष और जाहिद 4 वर्ष का अपहरण गोरखनाथ थाना क्षेत्र से हो गया। यह आपके भी संज्ञान में होगा और अभी तक उनका पता नहीं लग पाया है। मैं इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो कानून व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जो शासन की धमक और इकबाल के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये एक सवालिया निशान है, उस तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। चूंकि मैं बिहार बार्डर इलाके का हूं, मुझे यहां कहने में थोड़ा शर्म महसूस हो रही है, कि हम कभी बिहार के बगल में रहते हुये यह कहा करते थे कि बिहार में घुसने पर किसी भी व्यक्ति को यह उम्मीद नहीं होती थी कि वह सुरक्षित वापस लौट आयेगा, बिहार में घुसते ही सड़कें बता देती हैं कि बिहार आ गया और ठीक उल्टा स्थिति आज की तारीख में यहां की हो गयी है। इसलिये आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान एक गम्भीर घटना की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ शहर के अन्तर्गत मोहल्ला चुंगी में 85 साल की वृद्ध महिला जो गरीब परिवार की थी अचानक गायब हो गई। उनके परिवार के लोगों ने उन्हें खोजने का प्रयास किया तो शहर के अन्दर काशीराम योजना के अन्तर्गत मकान बन रहे थे उसमें उनका चश्मा और चप्पल मिलीं। उसके बाद उन लोगों ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी, इसके बाद भी वृद्ध महिला का पता नहीं चला। अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है, उस वृद्ध महिला का अपहरण किया गया और आजमगढ़ के सरायमीर कस्बे के बगल में जूनियर हाइ र्स्कूल के एक कमरे में उनकी हत्या कर दी गयी क्योंकि वह महिला कड़ा और छड़ा पहने हुई थी इसलिए बदमाश उन्हें बहकाकर ले गये और उनके हाथ पैर काटकर उनके कड़े निकाल लिये। इतनी बड़ी घटना हो गई और यह सरकार कहती है कि हम गरीबों की रक्षा करते हैं। वह महिला अनुसूचित जाति की महिला थी और उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया 85 साल की उम्र में उनके हाथ पैर काट डाले गये। आज तक पुलिस ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने कप्तान साहब से भी कहा कि यह गम्भीर घटना है इसका पर्दाफाश होना चाहिए लेकिन पुलिस इस मामले में छानबीन नहीं कर रही है। इस वृद्ध महिला का नाम संतोषी देवी पत्नी श्री सुखदेव है, मैं इस गरीब परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिये की मांग करता हूं और साथ ही साथ इस घटना का पर्दाफाश किये जाने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री शम्भू चौधरी जी, आप अपनी बात रखें।

श्री शम्भू चौधरी-

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 08-07-2010 को जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा रायपुर गजरिया में।

(इस समय 5 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, जवाब तो दिलवा दें। इतनी गम्भीर बात को गम्भीरता सुना नहीं गया। जो हमने मसला उठाया है उस घटना का पर्दाफाश किया जाये, दोषियों को दण्डित किया जाये और उस गरीब परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह आजमगढ़ का प्रकरण है और सौभाग्य से आप वहां पर विराजमान हैं मेरा अनुरोध है कि मा0 सदस्य को न्याय दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट चौधरी साहब बैठ जायें। मा0 मंत्री जी, अभी मा0 सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी ने एक घटना का जिक्र किया है जिसमें वृद्ध महिला के हाथ पैर काटकर उनके जेवरात निकाल लिये गये हैं। अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, कृपया इसको दिखवा लें और मैं इनकी सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री शंभू चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक गंभीर विषय पर बोलने का आप के द्वारा मौका मिला। मैं नौरंगिया विधान सभा क्षेत्र के ग्रामसभा रायपुर बजरिया में हुए, दिनांक 8-7-2010 को पत्रकार तेजबहादुर की हत्या की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करता चाहता हूं। मान्यवर, दिनांक 8-7-2010 को ग्रामसभा रायपुर बंजरिया में एक पत्रकार तेजबहादुर अपनी मोटर साइकिल में जा रहे थे और एक सफारी में सवार 5-6 लोगों ने उनकी मोटर साइकिल में ठोकर मारकर उनको जमीन में गिरा दिया। उनको मोटर साइकिल से गिराने के बाद उनको उठा कर के अपनी सफारी गाड़ी में लाद लिए सावज ले गये और इस तरह से उनको 2 दिन तक अपहरण किये रहे। उसके बाद 2 दिन के बाद दिनांक 10-7-2010 को पनियावा और वगहा मार्ग के बगल में रेलवे ट्रेक है, उस ट्रेक पर उनकी लाश मिली थी और लाश तीन टुकड़ों में कटी हुई थी। मान्यवर, वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में तीन थाने पड़ते हैं और रास्ते में तीन-चार पुलिस चौकियां पड़ती हैं, लेकिन यहां तक वे लोग इतनी आसानी से ले गये, जैसे लग रहा था कि पुलिस उनका सहयोग कर रही है। मान्यवर, इसमें कई सवाल खड़े होते है कि आखिर अपहरण की त्वरित सूचना पर भी वहां की जनता ने थानाध्यक्ष, नौरंगिया सहित पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर और तमाम पुलिस के अधिकारियों को सूचना दिया और सूचना पाने के बावजूद वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई। और न ही गाड़ी की चेकिंग की गयी और न ही सीमा सील की गयी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सवाल कई खड़े होते है कि आखिर गाड़ी कहां की थी, उसका नंबर क्या था और अपहरण कर्ता कौन थे, गिरफ्तारी किनकी हुई ? मान्यवर, ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। मान्यवर, मैं अपने इस तात्कालिक विषय पर बल देते हुए, मैं सदन से यह चाहता हूं कि इस प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच करायी जाए। सी0बी0आई0 जांच कराके मैं उस पत्रकार की हत्या पर 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग करता हूं। मान्यवर, मैं अपने प्रश्न पर बल देता हूं कि उसके परिवार के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके जीवन यापन करने के लिए उनके बड़े बेटा जो 21 वर्ष का है, उसको नौकरी दी जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं अपने प्रश्न को बल देते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैने मा0 श्री शंभू चौधरी को सुना, वैसे यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, लेकिन जिस घटना का इन्होंने जिक्र किया है एक पत्रकार का अपहरण करके उनकी निमर्म हत्या की गयी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मा0 मंत्री जी इसको जरूर दिखवा लें।

मा0 सदस्य डा0 राजेन्द्र सिंह के अपने परिवार पर हुए हमले के सम्बन्ध में सुरक्षा एवं जांच की मांग

श्री अध्यक्ष-

एक व्यक्तिगत प्रकरण डा0 राजेन्द्र सिंह का है। उनकी पत्नी और बच्चे के ऊपर गोलियां चली हैं। इनके परिवार के ऊपर गोलियां चली हैं।

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, थोड़ा-सा इस बात को सुन लिया जाए। मान्यवर, यह दिनांक 27-5-2010 की बात है। मेरे आवास के अन्दर मेरी पत्नी विद्यावती सिंह और पुत्री अमिता सिंह घर के अन्दर अकेले थे। हमारे घर के पीछे लॉन है और तकरीबन 33 फुट ऊंची तीन छतें हैं और वहां से लॉबी की दूरी तकरीबन 80 फीट के करीब है। रात को साढ़े नौ बजे के करीब जैसे ही मेरी पत्नी ने लॉबी का पर्दा हटाया, उसी समय एक गोली आई और वह सीधे मेरी पत्नी को लक्ष्य करके चलाई गई थी। वहां पर कूलर रखा हुआ था, वह गोली उस कूलर में जाकर फंस गयी। हमने इस पूरी घटना की धारा-307 के तहत 80/10 में शमसाबाद थाने के अन्तर्गत रिपोर्ट करायी। मान्यवर, कई दिन बीत गये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वहां पर ऊपर की छते तीन घरो की थी। एक आदमी को पकड़ा गया, लेकिन उस आदमी को छुड़ाने के लिए एक पूरे जुलूस के रूप में एक पार्टी खास के कार्यकर्ता थाने के अन्दर घुस गए। वहां के सी0ओ0 के साथ में और वहां के एस0ओ0 के साथ में हद दर्जे की बदसलूकी की गई। उनकी वर्दी फाड़ दी गई, गालियां दी गई और उस आदमी को छुड़ाने की पुरी कोशिश की गई। आश्चर्यजनक रूप से जुलूस के अन्दर शासन के एक प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इतनी कार्यवाही होने के बाद में उस आदमी से कोई पूछतांछ किये बगैर और तुरन्त उसको जेल भेज दिया गया। न तो यह पूछा गया कि तेरा उद्देश्य क्या था, तूने गोली कहां से चलायी, तेरे पास में क्या हथियार थे ? इसके बाद जब हमें लगा कि कोई समुचित रूप से कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमारे समर्थकों ने धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया। मेरे पास एक एस0पी0(आर0ए0) का फोन आता है कि डाक्टर साहब आप अपनी निजी समस्या का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसके आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इन सारी बातों की जानकारी वहां के प्रशासन को दी और आपके पास भी एक फैक्स के माध्यम से विशेषाधिकार के तहत एक सूचना भी दी। माननीया मुख्य मंत्री के लिए भी एक सूचना थी। लेकिन इसके बावजूद अभी तक वह अधिकारी वही पर उपस्थित है। अभी तक उस केस के अन्दर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न यह पता चल रहा है कि गोली क्यों चलायी गयी ? मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। कारण क्या है, यह भी पता नहीं चल रहा है। जैसा कि कहा गया है कि कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी है लेकिन जिस आदमी ने गोली चलायी, जिसने गोली चलवायी, कहां से गोली चली, किसने गोली चलायी, उसका उद्देश्य क्या था आज तक कुछ पता नहीं चला। इसलिए मुझे यह प्रकरण विधान सभा के अन्दर लाना पड़ा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां पर जो भी एजेंसी है उससे मुझे किसी भी तरह न्याय की उम्मीद नहीं है। मैं सरकार के ऊपर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छोड़ता हूं कि जो भी सक्षम एजेंसी है वह उसकी जांच कर ले। मेरा सौभाग्य था कि एक फुट की दूरी से मेरी पत्नी बच गयी नहीं तो मा0 हुकुम सिंह जी की तरह से मैं भी आज सदन में आने की स्थिति में नहीं होता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि यदि अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो निःसन्देह उनके हौसले बुलन्द होंगें। उसकी जो एफ0आई0आर0 की गयी है वह भी अज्ञात के रूप में की गयी है। वहां के एस0पी0(आर0ए0) का कहना था कि डाक्टर साहब ऐसे केस खुलने में तो वर्षों लग जाते हैं, आप तो चाहते हैं कि जैसे मेरे पास कोई चिराग है जिससे हम तुरन्त जा करके ढूंढ लें कि किसने गोली चलायी ? मैं आशा करता हूं ऐसे संवेदनहीन, एक तरह से असभ्य अधिकारी जिसका नाम संजय कुमार, एस0पी0(आर0ए0) है और उसका फोन नम्बर मेरे पास है। उसने जिस समय मुझको फोन किया था वह मैंने नोट कर रखा हैं, समय सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर, 01-06-2010 को एस0पी0(आर0ए0) पूर्वी संजय कुमार ने 9454401010 से मेरे मोबाइल 9415607521 पर फोन किया था, इन सभी के विरुद्ध कार्इवाई करने के लिए और इस केस को खोलने के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं आप इन्हें निर्देशित करें ताकि मालूम पड़े कि यह किन लोगों का काम हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह मा0 विधायक जी के परिवार के ऊपर हमला हुआ है, इसकी एफ0आई0आर0 भी धारा-307 में अज्ञात दर्ज है लेकिन जो मा0 विधायक जी ने अपनी सुरक्षा और परिवार के प्रति व्यक्तिगत रूप से कहा है कि इस तरह की घटना घटी है। इस पर मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय को गम्भीरता से दिखवा लें और इस पर कुछ कार्रवाई करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, ठीक है।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इकबाल महमूद जी, कल आप दे दीजिएगा।

मा0 सदस्य श्री जगदीश सोनकर के ऊपर हुये हमले की सम्बन्ध में सुरक्षा दिलाये जाने की मांग

*श्री जगदीश सोनकर-

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत मामला है।

श्री अध्यक्ष-

सोनकर जी बताइये, आपका व्यक्तिगत क्या मामला है ?

श्री जगदीश सोनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे ऊपर हमला हुआ है 26 जून, 2010 को मेरे ऊपर हमला हुआ है। 26 जून को रात्रि के लगभग 10.00 बजे मैं अपने क्षेत्र से घर की तरफ लौट रहा था। हमारे शहर के मध्यम में एक चहारस चौराहा पड़ता है, चौराहे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से 100 मीटर की दूरी पर मैं अपनी सफारी गाड़ी से जा रहा था, मेरे साथ एक गनर था। दो लोग मोटर साइकिल मेरी गाड़ी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और गाड़ी खड़ी करने के बाद उन लोगों ने अपशब्द कहना व गाली-गलौज देना शुरू कर दिया और अपने हाथों में पिस्टल ले करके मेरी गाड़ी की तरफ झुके। मेरा गनर चूंकि गाड़ी से गेट खोलकर के नीचे उतरा, उसने विरोध किया तो उसके ऊपर पिस्टल सटा दिया और मेरे गेट को खोलकर मेरे ऊपर भी पिस्टल लगा दिया। वहां के लोकल लोगों ने जब विरोध करना शुरू कर दिया, काफी जद्दोजहद किया, अगल-बगल के लोगों ने काफी विरोध किया। विरोध करने के बावजूद वे लोग गाली-गलौज देते रहे और जान से मारने की धमकी देते रहे कि इसे गोली मार दो। लगभग 20 मिनट तक वे लोग यह हरकत करते रहे लेकिन 100 मीटर की दूरी पर पिकेट की पुलिस रहती है। पुलिस का कोई सिपाही वहां तक नहीं पहुंचा। जब लोगों ने काफी विरोध किया तो वह लोग वहां से भाग गए मैंने अपने फोन से कप्तान को फोन किया 20 मिनट बाद वहां फोर्स आई। सभी लोगों ने बताया कि विधायक जी के साथ यह घटना घटी है। काफी दबाव के बावजूद तब जाकर पुलिस ने मुकदमा लिखा एक लड़का जिसने पिस्टल लिया था वह पकड़ा गया लेकिन तीन अन्य लोगों को नहीं पकड़ा गया कुछ लोगों ने पहचान कर यह बताया कि फलां नाम का लड़का है हमने भी नाम बताया लेकिन किसी को नहीं पकड़ा गया तीन लोगों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। मुझे आये दिन धमकी दी जाती है उसके बाद मेरे खिलाफ एक सप्ताह बाद एक मुकदमा कायम कर दिया जाता है और पुलिस के द्वारा मुझ पर दबाव डाला जाता है कि अगर आप सुलह समझौता नहीं करेंगे तो आपको इससे ज्यादा परेशान किया जायेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर घटना किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और मेरे ऊपर जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है उसको खत्म किया जाय और मेरी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मुझे सुरक्षा दिलाई जाय।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी विधायक श्री सोनकर की सुरक्षा का सवाल है इसको दिखवा लिया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, विधायक जी का मामला गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए मैंने मंत्री जी से दिखलाने के लिए कह दिया।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप कल अपनी सूचना दे दें जिससे उस पर कुछ सूचना भी आ जाय।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, यह अल्पसंख्यकों का मसला है। बी0जे0पी0 वाले तो वैसे ही नहीं सुनते।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए मैंने कहा कि कल दे दीजिए। क्योंकि अपहरण का विषय है कुछ सूचना भी आ जाएगी।

डी0आई0जी0, मेरठ द्वारा श्री मदन चौहान के प्रति अभद्र व्यवहार

*श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद से विधायक हूं। बड़ी मुश्किल इस सदन में आने का मौका मिलता है। लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान होता है। मैं एक घटना विशेष के बारे में सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं। यह डी0आई0जी0/एस0एस0पी0, मेरठ से सम्बन्धित है। मैं योगेन्द्र त्यागी के बच्चों के साथ हुई एक घटना के सिलसिले में डी0आई0जी0/एस0एस0पी0, मेरठ से मिलना चाहता था उनको कितने ही फोन किये कितने ही बार मिलने का प्रयास किया लेकिन वह मुझसे नहीं मिले। एक दिन मैं स्वयं श्री योगेन्द्र त्यागी के साथ चला गया तो गेट पर कांस्टेबिल खड़ा था। मैंने उसको अपना नाम लिखकर स्लिप भेज दी कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। वहां पर काफी लोग बैठे हुए थे मैं आफिस में जाने के बाद खड़ा रहा लेकिन वह मुझसे मुखातिब नहीं हुए। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया लेकिन वहां खड़े कांस्टेबिल ने मुझे वहां से हटा दिया। मैं वहां पर काफी देर रहा लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने उनको कागज दे दिया तो उन्होंने कहा कि आप जाइए। मान्यवर, जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के काम से हम लोगों को आना जाना पड़ता है लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा लगा कि जनप्रतिनिधि बेकार है। सभी लोगों के साथ ऐसा आगे भविष्य में न हो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। मेरा निवेदन है कि इस पर आप शासन का ध्यान आकृष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी माननीय सदस्य के साथ इस तरह की घटना हुई है इसको दिखवा लीजिए।

अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं इस सरकार को एन्टीसिपेटरी बिल का प्राविधान पुनः लाने के लिये धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा। आपातकाल की एक बहुत बड़ी गलती पिछले 34 सालों से इस प्रदेश में चलती चली आ रही थी इस सरकार ने उसे दूर करने का प्रयास किया है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा अकेला राज्य है उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र 2/3 ऐसे प्रदेश हैं जहां एन्टीसिपेटरी बिल के प्राविधानों में थोड़े परिवर्तन किये गये थे लेकिन उनको वहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाप्त नहीं किया गया था सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां आपातकाल के दौरान बहुत सी ज्यादतियां हुई थीं। उनमें कुछ संवैधानिक ज्यादतियां भी हुई थीं। उन्हीं ज्यादतियां के क्रम में यह बेल का प्राविधान भी हटा दिया गया था और हम सब समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के साथ 1976 में यह किया गया रहा होगा और जो आधार दिया गया था वह बहुत हल्का था। यह कहा गया था कि ऐन्टीसिपेट्री बेल के प्राविधान कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से बहुत व्यवहारिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। 34 साल का एक लम्बा पीरिएड गुजर गया और बहुत सारे अस्त्रों पर माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और भारत के विधि आयोग ने और उत्तर प्रदेश के राज्य के विधि आयोग ने लगातार वर्ष दर वर्ष अपनी सिफारिशों में इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को दण्ड प्रक्रिया में जो परिवर्तन 1976 में किया था उसे डिलीट करके ऐन्टीसिपेट्री बेल के प्राविधान पुनः करने चाहिए लेकिन बधाई के साथ कि एक जो बहुत बड़ा अन्याय था वह आपने दूर किया है लेकिन जो नई समस्याएं आपने पैदा कर दी इस नये प्राविधान के द्वारा मैं उसकी ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं आपके सामने उन समस्याओं को रख देता हूं यदि आपके पास यह विवेक था न्यायसंगत और निष्पक्ष कि ऐन्टीसिपेट्री बेल होना चाहिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी विचार करेंगे कि ऐन्टीसिपेट्री बेल लाते वक्त जो समस्याएं नई आपने पैदा कर दी हैं उनको नहीं पैदा करने पर भी आप विचार करेंगे। मैंने अखबारों में भी पढ़ा था कि प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी और माननीय सतीश मिश्रा जी उसके अध्यक्ष थे, माननीय महाधिवक्ता महोदय और प्रमुख सचिव गृह और कौन-कौन यह सारे उसके सदस्य थे। यह सारे लोग विधि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और मैं यह मानकर चलता था कि इतनी बड़ी कमेटी ने अगर इतने महत्वपूर्ण विधेयक को हम लोगों के सामने रखने का काम किया है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश रहे हैं, माननीय हाई कोर्ट के जो कैसेज रहे हैं मैं उन केसेज को कोट कर सकता हूं, माननीय विजय वर्मा से लेकर महेन्द्र पाल तक के। मैं यहां उनकी बात नहीं करना चाहता या जो भारत के विधि आयोग की जो सिफारिशें रही हैं 41वीं रिपोर्ट रही हो या 203वीं रिपोर्ट रही हो या 2009 में राज्य विधि आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी हैं तो जब आप ऐन्टीसिपेट्री बेल लायेंगे तो कम से कम उन सिफारिशों को और ऐन्टीसिपेट्री बेल के प्राविधानों में संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया इस देश में लगातार होती रही हैं उन संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करके आप इन परिवर्तनों को करने का प्रयास करेंगे जैसे 1973 के पहले इस ऐन्टीसिपेट्री बेल का प्राविधान नहीं था। 1973 में यह ऐन्टीसिपेट्री बेल का प्राविधान पहली बार आया। 1981 में पुलिस अधिकारियों की दिल्ली में बैठक हुई और जिन भी बैठकों में पुलिस अधिकारी बैठते हैं उनकी एक ही दृष्टि होती है पकड़ो, धकड़ो, मारो कूटो और जेल भेजो। यही उनका दिमाग होता है। उन्होंने उस समय 1981 की बैठक में कहा कि ऐन्टीसिपेट्री बेल के प्राविधानों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाय। भारत सरकार ने 1983 से शुरू किया और करते करते 2005 आते आते ऐन्टीसिपेट्री बेल में कुछ परिवर्तन कर भी दिये यह बहुत घातक परिवर्तन थे। दो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसकी मैं चर्चा इसलिये करना चाहूंगा कि उसका इस बेल से सीधे सम्बन्ध है, मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। पहला प्राविधान जो 2005 के संशोधन में भारत सरकार ने किया वह यह था कि जब अन्तिम सुनवाई का अवसर आयेगा। प्रॉसीक्यूटर को सात दिन की नोटिस दी जाएगी प्रॉसीक्यूटर

अगर यह कहते हैं कि जो आवेदन कर्ता हैं उन्हें उपस्थित किया जाए तो कोर्ट मेन्डेटरली आदेश करेगी कि आवेदनकर्ता अन्तिम सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहें और दूसरा प्राविधान यह था कि अगर ऐन्टीसिपेट्री बेल उस समय ग्रान्ट न हो तो पुलिस उस उपस्थित आवेदनकर्ता को गिरफ्तार कर सकती है। 2005 में भारत सरकार ने संशोधन किया यह दोनों प्राविधान जोड़े। यह दोनों प्राविधान जोड़े जाने के बाद पूरे विधि विशेषज्ञों की पूरे देश में हलचल हुई और ढेर सारे प्रतिवेदन भारत सरकार के पास गए और भारत सरकार के पास इस बात की आपत्तियां बार एसोसिएशन्स ने प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर बार एसोसिएशन्स ने भेजा कि यह दोनों प्राविधान बड़े घातक हैं इन्हें नहीं होना चाहिए क्योंकि एक अधिवक्ता किसी से कहता है कि मैं तुम्हें ऐन्टीसिपेट्री बेल दिला दूंगा वह उसके कहने पर आवेदन करता है कोर्ट उसको ऐन्टीसिपेट्री बेल नहीं देती है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है इसका मतलब अधिवक्ता ने उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराने में सहयोग दिया यह अधिवक्ता का काम नहीं हो सकता। दूसरी चीज जब आप यह कहते हैं कि हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे तो वस्तुतः जो बेल लेने पहुंचा है आप उसे कस्टडी में लेते हैं। जबकि बेल का प्राविधान यह है कि अगर एफ0आई0आर0 न भी हुआ है अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो गया है कि उसे किसी संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार किया जाने वाला है तो भी वह ऐन्टीसिपेट्री बेल के लिए जा सकता है। एफ0आई0आर0 नहीं हुआ तब भी वह बिना एफ0आई0आर0 के एन्टीसिपेटरी बेल के लिए गया और पुलिस उसको वहीं खड़ी होकर गिरफ्तार कर लेगी, भारत सरकार ने इसकी गम्भीरता को समझा। 2005 में जो संशोधन किये थे उनको लागू तो किया 2006 में लेकिन इन दोनों प्राविधानों को स्थगित कर दिया। आज भी पूरे देश में, यही मैं कहना चाहता हूं, आज भी पूरे देश में ऐन्टीसिपेट्री बेल के प्राविधानों में 2005 में जो संशोधन किये गये थे उनके यह दो संशोधन कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है कि उस व्यक्ति को अन्तिम सुनवाई के समय उपस्थित होने की बाध्यता होगी, पूरे देश में यह प्राविधान कहीं भी लागू नहीं है। भारत सरकार ने 2005 में जब उसे स्टे किया तो उसके बाद उन्होंने यह विषय लॉ कमीशन को रिफर कर दिया। भारत सरकार के विधि आयोग ने इस पर पूरी बहस किया, पूरी चर्चा किया और बहस करने के बाद भारत के विधि आयोग ने स्वयं एक रिपोर्ट दी अभी वह रिपोर्ट भारत सरकार के पास पहुंच चुकी है दिसम्बर, 2007 में वह रिपोर्ट पहुंच चुकी है। विधि आयोग ने भी इस बात को दोहराया कि इस प्रकार से धोखे में गिरफ्तार कर लेना न्याय विरुद्ध है।

गिरफ्तारी का यह प्राविधान होने का कोई आधार नहीं है। मेन्डेटरली उसको वहां उपस्थित किया जाए इसका भी प्राविधान नहीं होना चाहिए क्योंकि यह भी गिरफ्तारी है। तो भारत सरकार ने स्टे किया था। विधि आयोग की सिफारिश भारत सरकार के कहने पर दी गई और विधि आयोग ने कहा है कि यह दोनों प्राविधान हटा लेने चाहिए। ऐन्टीसिपेट्री बेल लाने का काम तो आपने बहुत अच्छा किया लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इतने बड़े-बड़े विधि विशेषज्ञ, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं इतनी छोटी सी बात को लेकर बैठे थे उन्होंने संविधान के इन पन्नों को पलटने का काम किया या नहीं किया यह मेरी समझ से परे है अन्यथा जो काम पूरे देश में नहीं हो रहा, पूरे प्रदेश में नहीं हो रहा जिसे भारत सरकार ने स्थगित किया जिसे लॉ कमीशन ने स्वयं माना कि यह दोनों प्राविधान नहीं होने चाहिए थे यह दोनों प्राविधान इस विधेयक को

प्रस्तुत करते समय उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं करना चाहिए थे। तीसरा जो सबसे घातक काम हुआ है अध्यक्ष महोदय, जो 2005 में परिवर्तन किया गया था उसमें यह कहा गया था अन्तिम सुनवाई के समय ऐन्टीसिपेट्री बेल में दो प्राविधान है इन्टरिम बेल और फाइनल बेल, इन्टरिम बेल के समय कोर्ट को बाध्यता नहीं होती है कि वह प्रॉसीक्यूटर को सरकार को नोटिस दे इन्टरिम बेल बिना इस नोटिस के दी जाती है। फाइनल बेल के समय कोर्ट सात दिन की नोटिस प्रासीक्यूटर को, सरकार को देती है। भारत के अन्दर ऐन्टीसिपेट्री बेल के प्राविधानों में कहीं भी यह प्राविधान नहीं है कि इन्टरिम बेल देने के पहले भी कोर्ट दो दिन की नोटिस प्रॉसीक्यूटर या सरकार को दे। यह जो विधेयक हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें इन्टरिम बेल देने के पहले भी यह प्राविधान है कि प्रॉसीक्यूटर को दो दिन की नोटिस दी जाए। अर्थात् बेल तो हमने दिया है लेकिन बेल का सारा सुख, बेल का सारा अधिकार हमने छीन लिया है। आपातकाल के समय में अन्याय तो दूर किया है लेकिन उससे भी खतरनाक बात पैदा कर दिया कि अगले को लगेगा कि हमको बेल मिलेगी, जायेगा तो अन्दर हो जायेगा, जैसे कहा जाए कि फंसा करके जाल में लाना, यह कुछ ऐसा ही हो रहा है। देश के एन्टीसिपेट्री बेल के जो प्राविधान हैं, उनमें कहां-कहां, किन-किन अपराधों में एन्टीसिपेट्री बेल न दिया जाए, इसका कोई वर्णन नहीं है। 1973 में भारत सरकार जब इस प्राविधान को जोड़ रही थी, उस समय लॉ कमीशन में इसकी बहस हुई, लॉ कमीशन की रिपोर्ट के 41वें नम्बर पर है, रिपोर्ट में कहा गया है, किस अपराधी को एन्टीसिपेट्री बेल दिया जाए या न दिया जाए, इसको हमें मा0 न्यायालय और मा0 न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। हम कहते हैं कि इन-इन केसेज में बेल देना चाहिए, इन-इन केसेज में बेल नहीं देना चाहिए तो हम वस्तुतः न्यायालय के ऊपर, उनके विवेक की ताकत को छीन करके अपना आदेश लगाते हैं। प्री जजमेन्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरे देश में एन्टीसिपेट्री बेल के प्राविधानों में यह बाध्यता नहीं है कि इस-इस केस में एन्टीसिपेट्री बेल नहीं दिया जा सकता है। आपने प्राविधान किये हैं, उन प्राविधानों को मैंने पढ़ा है, 'विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम' कोई भी मान सकता है, राष्ट्र विरोधी काम कहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि उसको एन्टीसिपेट्री बेल न मिले, अगर आपने कह भी दिया तो उसको माना जा सकता है। स्वापक औषधि, एनडीपीएस ऐक्ट, हम सब जानते हैं कि पुलिस एनडीपीएस ऐक्ट को ले करके छोटे-छोटे बच्चों के साथ क्या-क्या खेल खेलती है, बड़े-बड़े अपराधियों को तो छोड़ देती है। पब्लिक सेक्रेसी ऐक्ट यह तो ठीक बात है कि पब्लिक सेक्रेसी ऐक्ट में एन्टीसिपेट्री बेल नहीं होना चाहिए, यदि भारत सरकार में प्राविधान न होते हुए भी कर दिया तो कोई बात नहीं। गैंगेस्टर ऐक्ट है, हम लोग सब समाज में काम करते हैं, किस प्रकार से पुलिस राजनैतिक कारणों से गैंगेस्टर ऐक्ट लगाती है, हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। मैं गोरखपुर की बात कह सकता हूं, एक सामान्य से व्यावसायी को जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं था सिर्फ दुकानदारी करता था, एक दूसरे व्यावसायिक नेता से झगड़ा हुआ, वह व्यावसायिक नेता कल तक किसी और दल में था, सत्ता आने पर सत्ता दल में चला गया और उसके ऊपर पूरी फाइल तैयार करके गैंगेस्टर ऐक्ट लगा दिया गया, बिना किसी अपराध के, डी0एम0 ने उस पर दस्तखत भी कर दिया। हम लोगों ने आपत्ति की, बिहार के एक सांसद ने आपत्ति की, मामला लखनऊ तक आया, कमिश्नर को जांच दी गई और कमिश्नर ने उस पर से

गैंगेस्टर ऐक्ट को हटाया। गैंगेस्टर ऐक्ट एक ऐसा ऐक्ट है, जिसका राजनैतिक दुरुपयोग प्रतिशोध की इस राजनीति में बहुत होने लगा है और फिर यह एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट मैं आपसे कहूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अगर मैं कानून-व्यवस्था की बहस कर रहा होता और अपराधों की संख्या आपको बता रहा होता तो आप स्वयं इसी बात को कह रहे होते। बहुत से दलित ऐक्ट के मुकदमें ऐसे होते हैं जो फर्जी तरीके से लागू किये जाते हैं। अब आपने एक बार यह प्राविधान कर दिया कि एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में एन्टीसिपेट्री बेल नहीं मिलेगा तो किसी ने अगर दलित को मारा है, किसी ने उसके हाथ-पैर तोड़े हैं, किसी ने उसका मकान जलाया है तो उसको एन्टीसिपेट्री बेल न मिले तो समझ में आता है लेकिन किसी ने कहीं बहस हो रही थी, बहस-बहस में कुछ कह दिया या किसी ने किया कुछ नहीं हम और आप जानते हैं कि कैसे फंसा दिया जाता है। किसी ने ऐसे ही फंसा दिया और आपने तय कर दिया कि एन्टीसिपेट्री बेल हम नहीं देंगे तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अन्याय करेंगे और अगर रोकने के प्राविधान करने थे तो मैं जानना चाहूंगा, आर्थिक भ्रष्टाचार के मुकदमों में एन्टीसिपेट्री बेल न देने का प्राविधान अगर इस सदन से किया होता तो इस प्रदेश के लिए कितना अच्छा रहा होता। सरकार एक मेसेज देती कि सरकार का कोई मंत्री भ्रष्ट नहीं है, इस सरकार की सर्वोच्च ताकत भ्रष्ट नहीं है, इस सरकार के सत्ताधारी दल में बैठा कोई कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं है। हमें कोई डर नहीं है, हम सत्ता में रहें न रहें, आर्थिक भ्रष्टाचार करने वालों को एन्टीसिपेट्री बेल नहीं मिलना चाहिए।

आर्थिक भ्रष्टाचार करने वालों को एन्टीसिपेट्री बेल न दिया जाए, इसका प्राविधान आपने क्यों नहीं किया ? दूसरा दहेज उत्पीड़न। हम सबको मालूम है कि दहेज उत्पीड़न में अबोध वधुओं की हत्या शादी के एक साल के अन्दर जिस प्रकार से होती है अगर आप इस प्रकार से प्राविधान कर देंगे, आप इसी में प्राविधान कर दिये होते कि जो अपनी बहु को जलाएगा उसको एन्टीसिपेट्री बेल नहीं दिया जाएगा तो शायद यह और भी प्रशंसनीय काम हो सकता था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चार आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। एक कि यह जो अंतरिम बेल के समय शासन को रिफर करने का और तब अंतरिम बेल देने का प्राविधान है इसे हटाया जाये। फाइनल हियरिंग के समय जो आवेदनकर्ता की प्रस्तुति बाध्यकारी है इसे हटाया जाये जो पुलिस की गिरफ्तारी का आदेश है उसे हटाया जाये और आप इसके प्रावधानों को तो अध्यक्ष महोदय, धारा-5 यह कहती है कि यदि न्यायालय आवेदन को अंतिम रूप से अस्वीकृत कर देता है तो वह व्यक्ति उसी दिन न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण कर देगा। यह कैसा अविधिक शब्द है। हमारे खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं, हमें डर है कि शायद हमको फंसाया जाएगा। हम एन्टीसिपेट्री बेल लेने के लिए जाते हैं एन्टीसिपेट्री बेल नहीं मिलता है जब एफ0आई0आर0 ही हमारे खिलाफ नहीं है तो हम समर्पण क्यों कर दें। देश के किस कानून में यह लिखा है कि अगर हमारे ऊपर एफ0आई0आर0 नहीं है तो हम न्यायालय में समर्पण कर देंगे। यह लिखित प्राविधान तो भारत सरकार के अपने प्राविधानों में नहीं है। अतः मैंने जो संशोधन दिये हैं, गम्भीर हैं, दूरगामी हैं पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। हम उत्तर प्रदेश के लोग एन्टीसिपेट्री बेल को पुनः लेकर आ रहे हैं लेकिन हमारे नाते भारत में अलोकतांत्रिक मानसिकता और अधिक प्रभावी न हो पाये इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस अपने संशोधन पर बल देते हुए डा0 अग्रवाल ने जो बातें कही हैं उनमें लगभग सारी बातों से हम अपने को सम्बद्ध करना चाहते हैं। मैं बहुत संक्षेप में बहुत थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जी इन पर विचार कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह एन्टीसिपेट्री बेल का प्राविधान पुरानी सी0आर0पी0सी0 में नहीं था। 19वीं शताब्दी से सी0आर0पी0सी0 का यह कानून आया है। लेकिन जब नयी सी0आर0पी0सी0 1974 में प्रभावी हुयी तो उसमें इस एन्टीसिपेट्री बेल का प्रोविजन किया गया और एन्टीसिपेट्री बेल का जो प्रोविजन किया गया उसमें राज्यों के जो अधिकार हैं उसमें स्टेट अमेंडमेन्ट्स दूसरे राज्यों में भी हुए हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में भी हुआ और सबने अपने स्टेट अमेंडमेन्ट में छोटी-बड़ी चीजें जोड़ने का काम अपने-अपने हिसाब से राज्यों ने किया जो मूल सेक्शन है 438 सी0आर0पी0सी0 का, मान्यवर, उसमें जो प्राविधान है उसके अतिरिक्त जिन राज्यों ने भी उसको किया मूलतः वही रह गया और उसमें थोड़े-थोड़े संशोधन जोड़ दिये। मैं भी अपनी बात यहां से शुरू करूं कि आपने एन्टीसिपेट्री बेल के प्रोविजन को जो रिस्टोर करने का काम किया, आप पुनर्स्थापना इसकी करने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, इसकी आवश्यकता थी और हम प्रदेश में जब इससे वंचित हो जाते थे तो कठिनाइयां हमारे सम्मुख आती थी। आप इसको लेकर आये, यह कदम स्वागत योग्य है। लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीजें बड़ा दिमाग लगाकर और इतना श्रम करके जो इसमें जबरदस्ती जोड़ दिया उससे इसकी उपयोगिता बढ़ने के बजाये यह कूड़ा हो गया। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि इसको आप गम्भीरता से देख लीजिए। आप जिद् करेंगे कि आज ही पारित करायें तो आप सदस्य संख्या के आधार पर पारित करवा लीजिए। हमारा संशोधन यह है कि आप इस पर विचार कर लीजिए और जो सुझाव आ रहे हैं आप उन पर विचार करके फिर अगली बार इसको फिर से लेकर आइये। कहीं ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि अगर इतने दिनों से एन्टीसिपेट्री बेल नहीं है तो कल नहीं होगी तो कोई बहुत बड़ा भारी कानून-व्यवस्था का संकट हो जाएगा या वित्तीय संकट हो जाएगा या संवैधानिक संकट हो जाएगा। इसलिए इस पर विचार कर लीजिए। दो-तीन बातें इसकी आवश्यक हैं जो डा0 अग्रवाल ने कहा है जो आपके इसमें धारा-7 में दिया गया है कि निम्नलिखित अधिनियम से उत्पन्न होने वाले अपराधों पर लागू नहीं होंगे। उसमें श्रीमन् ये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम एवं अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम इन तीन मामलों को किसी भी हालत में इसमें नहीं रखना चाहिये। हम तो मूलतः यह कहते हैं कि आप कोर्ट के विवेक पर यह छोड़ दीजिये कि मेरिट देख करके डिसाइड कर देगी कि एण्टी-सिपेटरी बेल देना है या ऐन्टीसिपेट्री बेल नहीं देना है, उसके हाथ बांध करके, न्यायपालिका के हाथ बांध करके कि इन प्राविजन्स को करना कि आप खाली लिमिटेड इसमें देखेंगे, उसमें नहीं देखेंगे। इस ऐन्टीसिपेट्री बेल को लाने का उद्देश्य जो आपका है, जैसा आपने कहा है वह उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जायेगा। लेकिन उसके बाद भी यह अत्यंत गम्भीर है कि फिर भी अगर अपनी उन चीजों को जोड़ना चाहते हैं मान्यवर, तो गैंगेस्टर ऐक्ट का दुरुपयोग स्पष्ट है, बिल्कुल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साफ गैंगस्टर ऐक्ट का दुरुपयोग है और आपने कर दिया, हमने कर दिया, उन्होंने कर दिया, नहीं कर दिया, कौन सी सरकार आयेगी, किस सरकार के कार्यकाल में अतिरिक्त चम्चागिरी करने में, अतिरिक्त खुशामद दिखाने में कौन सा अधिकारी कोटा अपना बढ़ाने में, कितने लोगों पर ये कार्यवाही कर देगा, इसकी गारण्टी सरकार कर नहीं सकती। कई बार आपका निर्देश नहीं हो तो भी नीचे के लोग अतिरिक्त रूप से आपको प्रसन्न करने के लिये, उनको लगता है कि शायद आप खुश हो जायं, हालांकि आप खुश नहीं होते लेकिन अतिरिक्त रूप से, ये जो राजनैतिक तौर पर सरकार के विपक्षी दल के लोग हैं, उन पर गैंगस्टर की कार्यवाही चला देते हैं। मेरे अपने क्षेत्र में दो ऐसे नौजवानों पर गैंगेस्टर की कार्यवाही चल गयी, जिनके ऊपर एक मुकदमा उसी थाने में 323 का दर्ज हुआ, पहली बार जीवन में और उन पर गैंगेस्टर ऐक्ट लगा दिया गया तो अब यह कि गलती हो गयी, लेकिन उनका जीवन तो आपने बरबाद कर दिया।

इसलिये स्वयं इस गैंगेस्टर ऐक्ट और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में कहना चाहता हूं, सरकार पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, सरकार ने स्वयं यह अपने अनुभव से पाया कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और सरकार ने स्वयं ही यह निर्देश जारी किया, यद्यपि यह कहीं प्राविजन नहीं है कि पहले इन्क्वायरी कर लो फिर एफ0 आई0 आर0 दर्ज करो, लेकिन निर्देश है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट वाला आकरके अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराता है तो तुरन्त मत दर्ज करो, उसको रोको, देख लो, समझ लो, ये सरकार के निर्देश हैं। मान्यवर, जब सरकार यह बात स्वयं ही स्वीकार कर रही है कि इस ऐक्ट का दुरुपयोग नीचे हो रहा है और अभी उस पर काशन आप ले रहे हैं, तो इसलिये इसको अगर आप इसमें शामिल कर देंगे तो ऐन्टीसिपेट्री बेल का पूरा प्रावधान निर्रथक हो जायेगा। अगर आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसको अच्छा रहने दीजिये, अच्छी मूर्ति पर कोई टाट का फटा हुआ चीथड़ा पहना करके, उसके चेहरे को विकृत करके, आप उसका स्वरूप और खराब करेंगे, उसका प्रभाव तो खराब होगा ही। निश्चित रूप से काबिल लोगों ने इसको बनाया है लेकिन फिर से आप एक बार इस पर विचार कर लें। हमारा संशोधन आज आप स्वीकार कर लीजिये, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। एक महीने के बीच आप इसमें एक्सपर्ट्स से राय ले लें, सबसे राय ले लीजिये और फिर दोबारा लेकरके आइये। इसके अलावा मा0 अध्यक्ष जी, यह जो आपने एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट को इसमें रखा है, अगर एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट को इसमें रखना है तो प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्टरेशन ऐक्ट को भी इसके साथ ही शामिल माना चाहिये था या रखना चाहिये था। आप कोई भी मत रखिये लेकिन अगर आप इसमें एन0डी0पी0एस0 रख रहे हैं तो जो आज का मामला और जो सदन में कई बार यह बात आ चुकी है कि मिलावटी तेल, मिलावटी दवाइयां, मिलावटी डालडा, इसको निश्चित रूप से इसमें रखना चाहिये क्योंकि समाज के लिये इस एन0डी0पी0एस0 से ज्यादा खतरनाक अपराध हुये हैं अगर आप इसको रखना चाहें तो उसको रखिये जो मिलावटी दवाइयों का और मिलावटी खाद्य पदार्थों का मामला है, इसको रखना चाहें तो रख लें। धन्यवाद।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं तो एण्टीसिपेटरी बेल के अगेंस्ट में हूं। मैं तो अपने आपको डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी से सम्बद्ध कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से ऐन्टीसिपेट्री बेल के एकदम अगेंस्ट में हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी और मा0 चौधरी साहब ने जहां इस बिल के संशोधन को लाये जाने का स्वागत किया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, काफी दिनों के बाद और बहुत विचार-मंथन के बाद और जैसा कि सभी ने बताया कि उच्च कमेटी एक बनी थी, उसके सुझाव के आधार पर यह संशोधन लाया जा रहा है। इसका दुरुपयोग न हो, इसलिये गम्भीर अपराधों पर इसे लागू नहीं किया गया है। मान्यवर, जहां तक अभी मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने जिक्र किया कि नोटिस का या वह जायेगा अन्तिम सुनवाई के समय उपस्थित रहेगा गिरफ्तार कर लिया जायेगा तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति वाण्टेड है और अगर उसकी अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं हुई तो उसको गिरफ्तार होना भी चाहिये, इसलिये इस पर जरूरी भी है और दूसरी नोटिस देने का समय इसलिये भी है कि प्रकाश में आये कि वह व्यक्ति वाण्टेड है या नहीं है। मान्यवर, जहां तक माननीय डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने कहा जिसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 नहीं है, तो अगर वह वाण्टेड नहीं होगा तो गिरफ्तार क्यों होगा, अग्रिम जमानत स्वीकार हो या न स्वीकार हो, लेकिन बेल के समय उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसलिये उसका कोई संशय नहीं होना चाहिये। दूसरा विषय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का जिक्र किया कि इसका दुरुपयोग होगा तो इस पर लागू इसलिये नहीं किया कि इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिये प्रभावी निर्देश पहले से ही है और प्रभावी निर्देश यह है कि बिना क्षेत्राधिकारी की जांच के बाद ही गिरफ्तारी की कार्यवाही हो सकती है। तो अगर इतनी प्रक्रिया के बाद सी0 ओ0 की जांच के उपरान्त ही उसमें गिरफ्तारी होगी तो निश्चित रूप से अगर उसके लिये दोषी है तो उस पर अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं होनी चाहिये, इसलिये इसको यह गम्भीर प्रकरण के अपराध थे, इनको इससे बाहर किया गया है। यह संशोधन आज लाया गया हैं अगर समय-समय पर कोई कठिनाई और आयेगी तो आगे उस पर विचार किया जा सकता है, इसलिये आज मान्यवर, इसको मैं चाहूंगा कि डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी, उनके जो संशय थे, उसको मैंने बताने का काम किया है, इसलिये यह अपने संशोधन को वापस ले लें और इसको पारित कराने में सहयोग करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 में धारा-438 का बढ़ाया जाना गिरफ्तार की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिये निदेश

2-उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्-

''438 (1)-जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाये, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिये उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश-न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष रूप से नाम-निर्दिष्ट किसी अपर सेशन न्यायाधीश-न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये और वह न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये अर्थात् :-

(एक) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता ;

(दो) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी है कि क्या उसका सेशन न्यायाधीश द्वारा पहले ही विचारण किया जा चुका है/उसने किसी संज्ञेय अपराध के बाबत किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही सजा भुगती है ;

(तीन) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता ; और

(चार) जहां आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है ;

या तो तत्काल आवेदन अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिये अंतरिम आदेश देगा :

परन्तु यह कि जहां कोई आवेदन किया जाता है, वहां न्यायालय तत्काल दो दिन की अन्यून सूचना के साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति, न्यायालय द्वारा आवेदन की सुनवाई के समय लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने की दृष्टि से, लोक अभियोजक को देगा :

परन्तु यह और कि जहां उच्च न्यायालय, या यथास्थिति सेशन न्यायालय/इस धारा के अधीन विशेष रूप से नाम-निर्दिष्ट किसी अपर सेशन न्यायाधीश-न्यायालय ने इस उपधारा के अधीन कोई अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिये आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, वहां किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस बात के लिये मुक्त रहेगा कि ऐसे आवेदन में आशंकित अभियोग के आधार पर आवेदक को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सके।

(2) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अन्तरिम आदेश मंजूर करता है, वहां वह तत्काल एक सूचना जो सेशन न्यायाधीश/इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश के मामले में सात दिन से अन्यून न होगी

और उच्च न्यायालय के मामले में पन्द्रह दिन से अन्यून न होगी, ऐसी आदेश की एक प्रति, न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम रूप से सुनवाई के समय लोक अभियोजक और पीड़ित व्यक्ति/सूचनादाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने की दृष्टि से, लोक अभियोजक, पीड़ित व्यक्ति/सूचनादाता को देगा।

(3) अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक की उपस्थिति, आवेदन की अंतिम सुनवाई और न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करते समय आख्यापक होगी, जब तक मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय को अंग शैथिल्य या गम्भीर बीमारी के आधार पर गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके महिला होने पर अंतिम सुनवाई से न्यूनतम 3 दिन पूर्व कोई आवेदन नहीं किया जाता है, जिसकी प्रतियां लोक अभियोजक और पीड़ित व्यक्ति/सूचनादाता को भी तामील की जा सकती है, और जब तक उक्त न्यायालय न्याय हित में ऐसे व्यक्ति को आख्यापक आदेश द्वारा उपस्थित होने से विचारोपरान्त मुक्त नहीं कर देता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन अंतरिम आदेश में संसूचित दिनांक को न्यायालय लोक अभियोजक ओर आवेदक की सुनवाई करेगा और उनके प्रति विरोधों पर समयक् विचारोपरान्त वह उपधारा (1) के अधीन किये गये अंतरिम आदेश की पुष्टि, उपान्तरित या उसे रद्द कर सकता है।

(5) यदि न्यायालय आवेदन को अंतिम रूप से अस्वीकृत कर देता है तो वह व्यक्ति उसी दिन न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करेगा जिसमें विफल होने पर पुलिस उसे तत्काल गिरफ्तार कर सकती है।

(6) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश-न्यायालय या इस धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश-न्यायालय उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश देता है, तब वह इसमें ऐसी शर्तों को सम्मिलित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) यह शर्त की वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा ;

(दो) यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा ;

(तीन) यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा ;

(चार) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है, मानो उस धारा के अधीन जमानत स्वीकृत की गयी हो।

(7) इस धारा के उपबंध,

(क) निम्नलिखित अधिनियम से उत्पन्न होने वाले अपराधों पर लागू नहीं होंगे, -

(एक) विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967

(दो) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

(तीन) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

(चार) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

(पांच) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(ख) ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें धारा 82/83 के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, और

(ग) ऐसे अपराधों में लागू नहीं होंगे जिनमें मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास दिया जा सकता है।

(8) यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय को कोई आवेदन किया गया हो तो उसी व्यक्ति द्वारा अग्रतर किसी आवेदन को सेशन या इस संहिता के अधीन नाम-निर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश-न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।''

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 के खण्ड-2 द्वारा बढ़ायी जाने वाली धारा 438 की उपधारा (7) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार) तथा (पांच) को निकाल कर शेष को पुनः संख्यांकित किया जाय।

मान्यवर, मैं इस पर ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं और न ज्यादा कुछ कहना चाहता हूं, मान्यवर, मैं सिर्फ एक ही बात को कहना चाहता हूं, जो बातें सबने कह दी है, इसमें संशोधन था प्रवर समिति के लिये, हम तो केवल इन धाराओं को निकालने का संशोधन रख रहे हैं, इसमें प्रस्ताव पारित होगा, यह निकल जाय, इससे क्या नुकसान होगा, आप चाहते भी हैं, अब देखिये आपने लिख दिया एन0 डी0 पी0 एस0 वाला मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, मान्यवर, मेरा बार्डर का जिला है, यह पुलिस वाले जब नहीं कुछ पाते हैं तो उस पार जा करके गांजा लाते हैं और यह लाते है ंचरस और यहां शरीफ आदमी को पकड़ कर उसको रख देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ढबरुआ थाने में दो बड़े सम्भ्रान्त व्यक्तियों को पकड़ा गया, उनसे कहा गया कि एक-एक लाख रुपया लाओ, वह रुपया देने में इन्कार हुये तो कहा कि इनको चरस में रखो, अब थाने में चरस था नहीं, दो सिपाहियों को भेज दिया नेपाल में चरस लाने के लिये और दोनों वहीं पकड़ गये और पकड़ कर जेल चले गये फिर उनको कप्तान ने सस्पेण्ड भी कर दिया, खुद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो भेजा लाने के लिये और फिर उनको सस्पेण्ड कर दिया नेपाल की पुलिस ने जब उनको पकड़ा। बहुत आरजू मिन्नत के बाद जब वह हमसे मिले मैंने कहा क्या हो गया, फिर वहां के एस0 पी0 वगैरह से सिफारिश करा के फिर उनको किसी तरह से वहां से छुड़वाया और यह दिखवाया कि यह जो चरस है यह नकली था यह असली नहीं था। तो इस तरह के वाकया हमारे यहां बार्डर पर रोज हुआ करते हैं, इसलिये मैंने कहा कि जो गम्भीर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरह के पेशेवर लोग हैं उनकी और भी दफाएं हैं। अनुसूचित जनजाति के बारे में बता ही दिया कि इतना रोज हो रहा है, इसलिये मैंने यह प्रस्ताव दिया है कि यह आपका जो आजीवन कारावास सजा है, मृत्युदण्ड है। उसके बारे में मैंने संशोधन नहीं दिया है। विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप, स्वापक औषधि, शासकीय गुप्त बात, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रिया-कलाप इनके बारे में मैंने कहा है। मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा हो गयी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में जो आप लोगों ने कहा है उससे अपने को सम्बद्ध करते हुये अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं। आप इसे मान लीजिये।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पाण्डेय जी मंत्री जी को अवगत कराना चाहते थे। मैं कह रहा हूं कि यह सब उनके निर्देश पर ही हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर पाण्डेय जी उसमें उन्हें बचा लेंगे।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 द्वारा बढ़ायी जाने वाली धारा 438 की उप धारा (7) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार) तथा (पांच) को निकाल कर शेष को पुनः संख्यांकित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 मूल रूप में इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का

संशोधन

करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सी चीजें इसमें हैं नहीं। मैंने सोचा था कि माननीय मंत्री जी समाज के मुहल्ले में रहते हैं उन्हें चिन्ता होगी मंहगाई की। उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वैट के नाते महंगाई कितनी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में वैट की दरें कितनी अधिक हैं और वह संशोधन ला रहे होंगे कि वैट की जो बढ़ी हुई दरे हैं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जनता के हित में इन दरों को घटाने का काम करेगी। इसलिए जब मैंने अखबार में पढ़ा कि इसमें संशोधन आयेगा तो मैं खुश हुआ था। मान्यवर, मैं यह बात तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यवर, वैट के सम्बन्ध में एक कम्परेटिव लिस्ट प्रकाशित की है कि किस प्रदेश में किस वस्तु पर कितना वैट लगता है। यह स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने छपवाकर बंटवायी है। इसको पढ़कर समझ में आता है कि ढेर सारे प्रोडक्ट्स में देश के अन्य प्रान्तों के मुकाबले हमारे यहां दरें ज्यादा हैं यह बहुत लम्बी लिस्ट है उसको बताकर सदन का समय खराब नहीं करूंगा। जीवन के उपयोग की करीब-करीब हर वस्तु हैं उसमें आप देखें कि हमारे यहां दरें कितनी ज्यादा है। अब जैसे प्लास्टिक एवं कागज के कप हैं गिलास हैं इनमें हमारे यहां पर 10 प्रतिशत कर है जबकि पूरे देश में 4 प्रतिशत है। इसी तरह से दवाओं पर, टीकों पर डा0 पी0के0 राय साहब आपको जानकर ताज्जुब होग कि हमारे यहां 8 प्रतिशत कर हैं जबकि यह पूरे देश में 4 प्रतिशत है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से सम्बन्धित सामानों पर 10 प्रतिशात है जबकि पूरे देश में यह 4 प्रतिशत है। इम्बराड्रीज और जरी पर 10 प्रतिशत है जबकि पूरे देश में 4 प्रतिशत है। फीडिंग बाटिल पर 10 प्रतिशत है जबकि पूरे देश में यह 4 प्रतिशत है। जड़ी बूटियों पर 4 प्रतिशत है जबकि पूरे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश में इस पर कोई टैक्स नहीं है क्योकि यह जड़ी बूटियों दवाओं के बनाने में काम आती हैं। इण्डस्ट्रियल केवल पर 10 प्रतिशत है। इसी तरह से अध्यक्ष जी सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम कैरोसिन आयल बांटते है उस पर 10 प्रतिशत टैक्स है जबकि पूरे देश में यह 4 प्रतिशत है। जबकि यह गरीबों को दिया जाने वाला मिट्टी का तेल है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सूची आपकी है। इसको देखकर आपको लगेगा कि मेरी बातें सही हैं और आपको अपना अंदाज गलत लगेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि वैट की इन दरों पर आपको सोचना चाहिए। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय चूंकि इस पर बात आ गयी है इसलिए मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं जिनका वैट से सम्बन्ध है। आप चाहें तो अगली बार संशोधन के रूप में इनको ले आइयेगा या इसी में संशोधनों को स्वीकार कर लें।

जैसे व्यापारियों का यह कहना है कि 50 लाख के ऊपर के व्यवसाइयों को जिनका टर्नओवर हो उनको बाध्यकारी किया जाय कि इन्टरनेट फाइलिंग करें। यह इनके लिए बड़ा कष्टसाध्य है। 50 लाख का व्यवसाय कुछ होता वोता नहीं है आजकल। 50 लाख की आय नहीं है यह 50 लाख का व्यवसाय है और टर्नओवर है वार्षिक टर्नओवर और इतने टर्नओवर के व्यापारी से उम्मीद करें कि वह इन्टरनेट पर मासिक अपनी रिटर्न दाखिल करें यह उसके साथ कुछ अन्याय है। आपको यह विचार करना चाहिए क्या यह पचास लाख की सीमा पहले यह एक करोड़ हुआ करती थी आपने घटाकरके पचास लाख किया है क्या इसे बढ़ा करके एक करोड़ या दो करोड़ की सोचिये यह व्यापारियों की पीड़ा है जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं मानना न मानना आपका विषय है। आप मानेंगे तो व्यापारी आपसे खुश होंगे आप समझ सकते हैं उसका राजनैतिक लाभ आपको मिलेगा नहीं मानेंगे तो हम लोगों को मिलेगा उसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी चीज फार्म 38, फार्म 31 पहले लगा करता था वह 5 रुपये में 100 मिल जाता था अब फार्म 38 आप छपा हुआ लेने जायें तो इसका दाम दस गुना बढ़ गया है और अगर आप इसको इंटरनेट से निकालें तो हम सब इंटरनेट के बारे में जानते हैं फार्म 38 की 3 कापियां रखनी होती हैं एक बाहर से जमा होती है एक विभाग में जाती है एक मुझे रखनी होती है और मेरे पास वह कापी दो साल तक बची रहनी चाहिए इंटरनेट की छपाई का कोई कागज दो साल तक बचता नहीं है। उसकी इंक उड़ जाती है और उसमें क्या लिखा है यह पता नहीं चलता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि यह फार्म 31 का दाम, छपे हुए फार्म का दाम दस गुना बढ़ा दिया है इसे ठीक कर लीजिए। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं आपने सी0यू0जी0 की रिपोर्ट पढ़ी होगी, इस सदन में रखी गयी होगी मैंने आपसे इस पर कम से कम आधे घण्टे बैठक की थी और आपसे आग्रह किया था कि किस प्रकार से सेल्स टैक्स विभाग में कितना व्यापक भ्रष्टाचार है, अधिकारियों के द्वारा कितना सुनियोजित तरीके से जनता की कमाई की लूट की जा रही है हमने अभी वह सिस्टम भी नहीं डेवलप किया है कि हम उनके भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सकें। अगर आपने सिर्फ इसी भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया होता तो जिस राजस्व को बढ़ाने के नाम पर आप यह अधिनियम लेकर आये हैं तकरीबन 25 हजार करोड़ का राजस्व इसी विभाग को अपने विभाग की चूड़ी कसने पर मिला होता। यह जो संशोधन मैंने आपको दिये हैं यदि आप इनको मान लें तो ठीक होगा।

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जिन लोगों का नुकसान हो जाता था उनको आपने इसमें इंगित कर लिया, इसके लिए मैंने पहले भी कहा था इसको आपने इंगित करके बहुत सी कठिनाइयों से छुटकारा दिला दिया है। दूसरी बात यह कहना चाहता था कि आपने जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उस रजिस्ट्रेशन पर आपने शुल्क विलम्ब लगा रखा है 500 रुपये 1000 रुपये। आपसे यह चाहता था कि 31 अगस्त, 2010 तक इसको बिना शुल्क के ही रजिस्ट्रेशन करने की कृपा करें। उसमें भी आपने यह नहीं कहा है कि 500 रुपये ही जमा कर दें आपने यह कहा है कि कुछ भी अंश जमा कर दें। आपने एक तरह से छूट दिया है कि जमा करना है या नहीं करना है तो इसके लिए भी कहना चाहता था इसे पूर्ण छूट कर दें। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के सही टैक्स जमा नहीं होते हैं उसके ऊपर आपने शक्ति कर दी है कि 20 प्रतिशत आपको देना ही है यह पहले से था मैं यह नहीं कहता हूं कि आपने बढ़ दिया है मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि जो रिटर्न जमा करते समय कागज जमा नहीं कर रहे हैं उनसे आपने 2000 की शास्ति दोबारा लगा दी है जो नहीं होना चाहिए था। यह धारा 54 है इसके अन्दर आपने पहले नहीं लगाई थी। यह जो 2000 रुपये शास्ति अपने अलग से लगा दी है इसका मैं एक तरह से विरोध करता हूं। चौथी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा है कि जिन लोगों के पास कागज नहीं होगा जिन लोगों का माल बिना कागज के पकड़ा जायेगा उस माल पर आप 40 प्रतिशत से ज्यादा शास्ति नहीं लगायेंगे लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 40 प्रतिशत क्यों रखते हैं एक तरह से जो माल पकड़ेगा वह करेगा सौदेबाजी कि तुम्हें मैं 5 प्रतिशत में छोड़ देता हूं, 10 प्रतिशत में छोड़ देता हूं, 20 प्रतिशत में छोड़ देता हूं तो इस सौदेबाजी को खत्म करने के लिए जो भी माल पकड़ा जाय उस पर एक फिक्स रेट कर दें आप कि साहब 20 परसेन्ट देना है या 25 परसेन्ट देना है। असिस्टेन्ट कमिश्नर 40 प्रतिशत शास्ति लगाने से पहले उससे 10 बार पूछेगा कि 5 प्रतिशत लगा दूं, 10 प्रतिशत लगा दूं, 15 प्रतिशत लगा दूं या 20 प्रतिशत लगा दूं तथा रिश्वत लेगा तो मैं चाहता हूं कि इसको आप थोड़ा सा रेशनलाइज कर दें। चौथी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने उद्देश्य में यह कहा है कि 2 लाख की जो शास्ति होगी उसके बारे में एक आदमी की एकल पीठ के द्वारा सुना जायेगा लेकिन आपने जो विवरण दिया है उसमें लिखा है कि दो आदमी की पीठ सुनेगी इसमें विसंगति है। इसी संशोधन में देखने को मिल जायेगा। उद्देश्य में दिया हुआ है कि एक आदमी की एकल पीठ सुनेगी लेकिन आपने जो विवरण दिया है उसमें अभी भी लिखा हुआ है कि दो आदमी की पीठ सुनेगी। इसको देख लें और जो आदरणीय राधामोहन दास अग्रवाल जी ने कहा है कि कम से कम टैक्स पेट्रोल पर, डीजल पर और केरोसिन पर कर दें और जगह 12 प्रतिशत तक टैक्स डीजल पर है जबकि आपके यहां 17 प्रतिशत डीजल पर लेते हैं और जगह 18 प्रतिशत तक पेट्रोल पर टैक्स है, आपके यहां 26 प्रतिशत तक ले रहे हैं और ऐसे समय पर जबकि इतनी तगड़ी मंहगाई है, आप यदि यह काम कर देंगे तो लोग आपकी वाह-वाह करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्पूर्ण संशोधन के माध्यम से उन 9 धाराओं में छोटे-छोटे एमेन्डमेन्ट करने का प्रयास किया गया है। चूंकि वैट सन् 2005 में लागू होना चाहिए था लेकिन वह किन्हीं कारणों से सन् 2005 में लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में मई, 2007 में जब सरकार बनी तो 01 जनवरी, 2008 को बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में वैट लागू किया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ-साथ एक स्वस्थ वातावरण देना चाहती है, इसलिये यह निर्देश हुये कि प्रदेश भर में जो चौकयां, चेकपोस्ट चलते हैं उनको समाप्त कर दिया जाय और उन चेकपोस्टों को समाप्त करने के कारण कुछ संशोधनों की आवश्यकता पड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन जांच चौकियों को समाप्त करने के कारण 3 धारा 6 क और 2 धाराओं में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है। जहां तक अन्य संशोधनों का सवाल है, माननीय राजेन्द्र सिंह साहब ने उन संशोधनों को पढ़ लिया, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इन सभी संशोधनों के माध्यम से व्यापारियों को जो आज तक असुविधा होती थी अब यह जो कह रहे हैं कि फार्म 38 की कीमत आपने 5 रुपये से 50 रुपये क्यों कर दिया। उस फार्म 38 को जो हम 50 रुपये का दे रहे हैं उस फार्म 38 के माध्यम से हम व्यापारियों बन्धुओं को काफी ऐसी सुविधायें दे रहे हैं, जिन सुविधाओं को प्राप्त करने में उनको 500 से 700 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम उन सुविधाओं को मात्र 50 रुपये में मुहैया करा देंगे और जिन कम्पनियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उनको एक बार पुनः मौका देते हुए, पहले हमने उनको 15 माह का मौका दिया था, वह नहीं करा पायें, अब एक बार पुनः उनको मौका दे रहे हैं ताकि उनका हैरेसमेन्ट न होने पावे। उनका हैरेसमेन्ट रोकने के उद्देश्य से एक बार पुनः संशोधन लाकर हम उनको भी सुविधा देना चाहते हैं। जहां तक हमारे माननीय अग्रवाल साहब ने केरोसिन के सम्बन्ध में कहा है तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि केरोसिन पर उत्तर प्रदेश में जितनी भी पी0डी0एस0 शाप्स है, आप पता लगा लें, सब जगह 4 प्रतिशत प्लस एक प्रतिशत टैक्स है। इन्डस्ट्रियल पर भी 4 प्रतिशत टैक्स है। दवाओं पर भी 4 प्रतिशत प्लस एक प्रतिशत टैक्स है। उसको अभी आप भिजवा दीजियेगा उसको हम संशोधन करके दे देंगे ताकि जब आप दुबारा पहुंचे तो आप भी इसकी तारीफ करें। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय सदस्यगण से कहूंगा कि यह बहुत ही नामिनल संशोधन है इसलिये अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, आप संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(वापस न लेने पर)

नहीं ले रहे हैं तो प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-10 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 4 के खण्ड (ख) को दिनांक 01 जनवरी, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा तथा शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6-क में, स्पष्टीकरण में से शब्द ''या जांच चौकी पर तैनात'' निकाल दिये जायेंगे। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008 की धारा 6-क का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- — धारा 13 का संशोधन

''(च) इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया जाता है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके निर्मित या प्रसंस्कृत माल का उस दर पर विक्रय किया जाता है, जो

(एक) पुनर्विक्रय की स्थिति में ऐसे माल के क्रय मूल्य से, या

(दो) निर्माण की स्थिति में लागत मूल्य से,

कम हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा और उसकी अनुमति माल या निर्मित माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा तक होगी।

4-मूल अधिनियम की धारा 17 में, — धारा 17 का संशोधन

(क) उपधारा (3) में शब्द ''प्रत्येक व्यवहारी'' के स्थान पर शब्द ''उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन प्रत्येक व्यवहारी'' रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (5) में खण्ड (क) में, विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिसम्भाग में तैनात अपर कमिश्नर का यह समाधान हो जाता है कि व्यवहारी को निर्धारित अवधि में

आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से निवारित करने वाली ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वह विलम्ब को माफ कर सकता है और यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अथवा कर निर्धारक प्राधिकारी को निदेश दे सकता है कि वह इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करें।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि विलम्ब क्षमा का आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके साथ निम्नलिखित का प्रमाण-पत्र संलग्न न हो :-

(एक) विलम्ब अवधि के लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक विलम्ब शुल्क प्रतिमाह पांच सौ रुपये अथवा इसके आंशिक भाग तथा 31 दिसम्बर, 2010 के पश्चात् प्रतिमाह एक हजार रुपये अथवा उसके आंशिक भाग का भुगतान ;

(दो) प्रार्थना-पत्र जमा करने के दिनांक तक समस्त कर अवधियों की कर विवरणी का भरा जाना ;

(तीन) इस अधिनियम के अधीन देय ब्याज के साथ-साथ खण्ड (दो) के अधीन कर विवरणी में शुद्ध कर का भुगतान :

परन्तु यह और भी कि इस खण्ड के अधीन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी आवेदन-पत्र को अस्वीकार नहीं किया जायेगा।''

धारा 24 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (7) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा।

धारा 26 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 26 में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी होते हुये यदि कोई व्यक्ति राज्य के बाहर से कोई कराधेय माल लाता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी व्यवहारी के ऐसे माल की प्रत्येक प्राप्ति का पृथक-पृथक कर निर्धारण कर सकता है।

धारा 28 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 28 में,

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में से उपखण्ड (छह) निकाल दिया जायेगा,

(ख) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(9) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां कोई गैर रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, राज्य के बाहर से कोई कराधेय माल

किसी कर निर्धारण वर्ष में एक से अधिक बार लाता है वहां प्रत्येक अवसर पर लाये गये माल के सम्बन्ध में उसी वर्ष के लिए पृथक-पृथक कर निर्धारण किया जा सकता है।''

धारा 48 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 48 में,

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(2) जहां उपधारा (1) में संदर्भित किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी गाडी, जलवाहन, भवन या स्थान में पाये गये माल, किसी वास्तविक व्यवहारी के नहीं हैं अथवा माल ले जाने के सम्बन्ध में किसी वास्तविक व्यवहारी द्वारा जारी दस्तावेजों में मिथ्या विवरण है या यह कि संदेह हो कि ऐसे माल को किसी व्यवहारी ने अपने सामान्य व्यवसाय के क्रम में अनुरक्षित अपने लेखों, रजिस्टरों व अन्य दस्तावेजों में उचित रूप से लेखाबद्ध नहीं किया है, वहां उसे ऐसे माल को अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी और इस धारा के अवशेष उपबन्ध ऐसे अभिग्रहण के सम्बन्ध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।''

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(5) यदि ऐसे प्राधिकारी का, यथा स्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि उक्त माल को उपधारा (1) में संदर्भित लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है या उक्त माल किसी वास्तविक व्यवहारी का नहीं है या किसी व्यवहारी द्वारा समुचित रूप से लेखाबद्ध नहीं किया गया है या माल ले जाने के सम्बन्ध में किसी वास्तविक व्यवहारी द्वारा जारी दस्तावेजों में मिथ्या विवरण है या स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां उक्त संव्यवहार हुआ है, में सुसंगत समय पर प्रचलित ''माल के मूल्य से करापवंचन के आशय से पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक के माल का अवमूल्यन हुआ है तो वह ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक, जैसा वह उचित समझे, का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए आदेश पारित करेगा।''

धारा 54 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (1) की तालिका में क्रमांक 1 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
1	व्यवहारी युक्तियुक्त कारण के बिना निम्नलिखित के लिए विफल हो गया है :-	
	(क) किसी कर अवधि के लिए देयकर को विहित या बढ़ायी गयी अवधि के अन्तर्गत जमा करना ;	शुद्ध संदेय कर का 20 प्रतिशत
	(ख) किसी कर अवधि के लिए विहित रीति से कर विवरणी जमा करना।	दो हजार रुपये

धारा 57 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 57 में उपधारा (12) के खण्ड (क) में उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

''(एक) जहां ऐसे आदेश में, जो स्थगन के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना पर पारित आदेश न हो, विवादित कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित ऐसी धनराशि तीन लाख रुपये से अनधिक हो, से अधिक हो, दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 10 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर पुनर्विचार एवं पुनः पारण का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की

अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर पुनर्विचार एवं पुनः पारण का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 पर पुनर्विचार एवं पुनः पारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 पर पुनर्विचार एवं पुनः पारण का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी निधिकृत विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2010 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 पर पुनर्विचार एवं पुनः पारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक, 2010 को वापस लेने की अनुमति दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश हेतु वर्ष 2009-2010 की प्रवेश परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मा0 अध्यक्ष जी स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश हेतु वर्ष 2009-2010 का सत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य घोषित कर दिया। उसकी प्रवेश परीक्षा नहीं करायी गयी। आज मा0 अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के लगभग 900 बी0एड0 कालेजों में लगभग एक लाख सीटें बी0एड0 की है। वर्तमान में डिग्री लेने के बाद, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सी0बी0एस0सी0 तथा आई0सी0एस0सी0 विद्यालयों में बी0एड0 धारक आवेदक ही रखे जाते हैं। ऐसे में शासन ने वर्ष 2009-2010 का सत्र शून्य घोषित कर दिया प्रदेश में दो तरह से इसका

प्रभाव पड़ा। एक तरफ एक लाख छात्र शिक्षा ग्रहण कर अध्यापक बनकर प्रदेश और देश के अन्य प्रदेशों में नौकरी पाते और अपनी रोजी-रोटी चलाते उनके ऊपर एक तरह से कुठाराघात किया गया और सरकार ने यह कहा कि हम इस सत्र को नियमित कर रहे हैं। सत्र को नियमित करने के लिए यह किया गया है। लेकिन आप देख लीजिए मा0 अध्यक्ष जी वर्ष 2010-2011 की प्रवेश परीक्षाएं कराई गयीं, अभी तक उसकी सीटें नहीं आवंटित हो पायीं। अभी तक उसका निर्णय नहीं हो पाया कि कहां पर कितनी सीटें हैं, कौन कहां पर एडमिशन लेगा और अब अगस्त माह पूरा बीता जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी इस तरीके से उन बेरोजगारों छात्र-छात्राओं के हितों के ऊपर कुठाराघात है। वर्ष 2009-2010 का सत्र शून्य घोषित करने से और इतना ही नहीं प्रदेश के जो 900 बी0एड0 कालेज हैं, उनमें से अधिकांश सहायता प्राप्त है और आधे से ज्यादा डिग्री कालेज निजी स्रोतों से चलते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब इसमें मा0 उच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है। इसमें अब कोई औचित्य नहीं बनता है।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

मा0 अध्यक्ष जी, हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है, जुर्माना भी सरकार के ऊपर लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

निरस्त नहीं किया, एक डायरेक्शन दिया। मा0 उच्च न्यायालय ने इस विषय में। इसमें आप मा0 मंत्री बता दें।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

वर्ष 2009-2010 में जो परीक्षा नहीं कराई गयी और उसी के साथ जो अल्पसंख्यक विद्यालय थे, जो अल्पसंख्यक डिग्री कालेज थे, उनमें वर्ष 2009-2010 का सत्र चलाया गया है। उनमें वर्ष 2009-2010 का सत्र चल रहा है। उसमें मा0 मंत्री जी को शासन को अनुमति देने में क्या परेशानी है। इसमें सरकार का राजस्व का घाटा भी है, जो सरकार के सहायता प्राप्त डिग्री कालेज है, उनके शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को करोड़ों रुपये सरकार ने दिया, जबकि वर्ष 2009-2010 का सत्र नहीं चला जो डिग्री कालेज निजी स्रोतों से चल रहे थे उनके जो प्रोफेसर थे उनको उस साल का वेतन नहीं मिला वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक कालेज, जो अल्पसंख्यकों के नाम पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं उन कालेजों में अल्पसंख्यकों के न तो अध्यापक रखे जाते हैं, न अल्पसंख्यकों के बच्चों का उसमें एडमीशन होता है, बल्कि डोनेशन ले करके एडमीशन कर लिया जाता है, ऐसे महाविद्यालय अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 2009-2010 का सत्र चालू किया जाए और 1 लाख बच्चे जो बेरोजगार है वह बी0एड0 करेंगे और बी0एड0 करके प्रदेश में जो स्कूल खुल रहे हैं और जो प्राइमरी व माध्यमिक स्कूल, मास्टरों की कमी की वजह से नहीं चल पा रहे हैं वह स्कूल चलेंगे और इन 1 लाख बच्चों को नौकरी मिलेगी और प्रदेश का विकास होगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से केवल एक बात जानना चाहता हूं कि आपकी रोक के बावजूद जो माइनॉरिटीज महाविद्यालय थे उन्होंने सत्र चलाया है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार का इसमें पक्ष क्या है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्मानित सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि मा0 उस्मानी साहब ने काफी विस्तार से चर्चा की। सूत्र रूप में 2-3 बिन्दु आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। माननीय उच्च न्यायालय ने 2009-2010 सत्र के बारे में कई दिनों तक लम्बी सुनवाई की और मा0 मुख्य मंत्री जी की भी चिन्ता रही है कि सत्र नियमित होने चाहिए। आज की तारीख में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सारे परीक्षाफल, लगभग 97 फीसदी परीक्षाफल 30 जून, 2010 तक आ गये, काशी विद्यापीठ का बाकी है, जो शायद दो-तीन दिनों में समाप्त हो जायेगा। 30 जून तक हमने सत्र को नियमित किया है। मा0 उच्च न्यायालय की चिन्ता थी कि सत्र शुरू हो गया है और सत्र नियमित करने के लिए मा0 उच्च न्यायालय के कई आदेश आये जिसके तहत इस सत्र को नियमित करने के लिए 2009-10 के सत्र को शून्य किया गया, मा0 उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दिया गया। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि आप अपनी परीक्षा का कैलेण्डर दें। हमने उनको पूरा कैलेण्डर दिया और 30 जून तक इन्ट्रेन्स और काउन्सिलिंग खत्म करके 01 जुलाई, 2010 से कक्षाओं को प्रारम्भ करने का हमने उनको भरोसा दिया। इस बीच थोड़ा दुर्भाग्य था कि फर्रुखाबाद में प्रवेश परीक्षा का पर्चा लीक हो गया, तमाम लोग उसमें गिरफ्तार किये गये, इस वजह से 19 जून, 2010 को इन्ट्रेंस परीक्षा सम्पन्न कर दी गयी और आज 9 अगस्त तक लगभग 48 हजार लड़कों की काउंसिलिंग करके उनके विद्यालय एलाट कर दिये गये हैं, उनके प्रवेश को सुनिश्चित किया जा रहा है। दूसरी काउंसिलिंग तक लगभग 1 लाख 08 हजार के करीब छात्रों को इसमें प्रवेश होगा। हम इसको बहुत जल्दी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। अभी मा0 उस्मानी जी ने और कुछ साथियों ने भी कहा कि बेसिक की चिन्ता है। अभी हमारे मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अवगत भी कराया, माननीय मुख्य मंत्री जी का निर्देश है लाखों लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, कोई वंचित नहीं रहने पायेगा। तीसरा बिन्दु, सत्र को नियमित करने में 2010-2011 की प्रवेश परीक्षा करा दी थी उसमें कोई बाधा नहीं है, शुरू होने जा रहा है। 210 दिन हमको पूरा करना होता है, जब तक 210 दिन पूरा नहीं होता है तब तक बी0एड0 का कोर्स पूरा नहीं होता। इस पर भी न्यायालय और विभाग की चिन्ता थी। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने चिन्ता व्यक्त की। मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार अपने कानून के तहत इन तमाम माइनॉरिटी के जो महाविद्यालय है इसमें दो राय नहीं कि उनको जो माइनॉरिटी का अधिकार मिला है उससे हट करके कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि 2009-10 में माइनॉरिटी के महाविद्यालयों ने अगर अपना मनमाना एडवरटीजमेण्ट दे करके प्रवेश लिया है, उनकी परीक्षा हमारे राज्य के विश्वविद्यालय नहीं करायेंगे, उनका प्रवेश वैलिड नहीं है। हम आपको पूरा भरोसा देते हैं और हम आपसे सहमत है। दो ऐसे माइनॉरिटी के महाविद्यालय हैं जो वर्ष 2009-10 में इसके पहले वर्ष 2006-07 के पहले के सत्रों में वगैर काउंसिलिंग के उन्होंने प्रवेश लिया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि इण्टरेंस के द्वारा ही विद्यार्थियों को लिया जाय और बाहर के विद्यार्थियों को वैध न माना जाय। उस्मानी जी से आग्रह है कि वर्ष

2010-2011 का प्रवेश हमने शुरू कर दिया है। जहां-जहां जो गड़बड़ियां थीं उनको ठीक कर दिया है। 48 हजार का प्रवेश हो गया और का कर दिया जायेगा। वर्ष 2009-10 के सत्र की बात आप कर रहे हैं गाड़ी आगे जानी चाहिए कि पीछे ले जायेंगे। इसलिए निवेदन है कि इस चर्चा को यहीं समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इस सूचना पर डा0 आर0 ए0 उस्मानी को सुना मंत्री जी को सुना। चर्चा में महत्वपूर्ण विषय आ गया इसलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त किया जाता है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10-08-2010 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 65 सूचनायें प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालय एवं महाविद्यालयों को अनुदानित किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की मिर्जापुर सहित पूरे प्रदेश में विद्युत लाइनों के ढीला होकर लटकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अंगद यादव की आजमगढ़ अन्तर्गत बरदहा में मार्टिनगंज, अम्बारी रोड का मानक के अनुसार मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा शहर में टीलों पर बसे मोहल्लों में पानी की पाइप लाइनों व नालियों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी अन्तर्गत नहरों को पूरी क्षमता से न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा छठी सूचना श्री कौकब हमीद खां, डा0 अजय तोमर की जमुना नदी में पानी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। सातवीं सूचना डॉ0 पी0के0 राय की कुशीनगर स्थित बेंदूपार खलवा टोला, स्थित पुल का पुनर्निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगर में जर्जर 8 परिषदीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी की जनपद बलिया स्थित रेवती इण्टर कालेज के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन फरवरी, 2007 से रोके जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह की कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में धरना प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा वापस लेने एवं 7-7 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 से सम्बद्ध नहरों में पानी की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में तथा तेरहवीं सूचना श्री महबूब अली की फ्री सेल किरोसिल ऑयल विक्रय/विपणन की समानान्तर विपणन व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अनुचित तरीके से लागू किये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। चौदहवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की बलरामपुर स्थित रेहरा बाजार में मानक के अनुरूप स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण न कराने के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की मेरठ स्थित सरथना बिनौली मार्ग से कस्बा करनावल तक

सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर स्थित मोहल्ला उत्तरी एवं दक्षिणी रामपुरी एवं हरीपुरम में पानी की निकासी हेतु नाली एवं सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री दीनानाथ कुशवाहा की देवरिया स्थित ग्राम पंचायत बरियारपुर में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की मथुरा मुख्य मण्डी परिषद् के परिसर में सर्वो मोबिलआयल विक्रेता के यहां पड़ी डकैती के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमें के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री रमापति उर्फ रमाकान्त की पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोंड़ जाति को अ0ज0जा0/अ0जा0 का प्रमाण-पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह की प्रदेश में असहायिक उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को वित्तीय मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है तथा इक्कीसवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की लखीमपुर खीरी के ग्राम नवगवां स्थित रामासरे की पत्नी की दबंगों द्वारा की गयी हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री इमरान मसूद,
2-श्री माधो पासवान,
3-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,
4-डा0 अनिल चौधरी,
5-श्री अनूप कुमार गुप्ता,
6-श्री विशम्भर सिंह यादव,
7-श्री दीप नारायण सिंह यादव,
8-श्री राधेश्याम जायसवाल,
9-डा0 आर0 ए0 उस्मानी,
10-श्री इमरान मसूद,
11-श्रीमती मधुबाला,
12-श्री राज किशोर सिंह,
13-श्री लालजी यादव,
14-श्री सुन्दर सिंह,
15-श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह,
16-श्री सुरेश्वर सिंह,
17-श्री लालजी यादव,
18-श्री दुर्गा प्रसाद यादव,
19-श्री विद्या सागर गुप्ता,
20-श्री कुबेर सिंह,
21-श्री उदयभान करवरिया,
22-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,
23-महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी,
24-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

25-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,
26-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,
27-श्री प्रजापाल वर्मा,
28-श्री राधेश्याम गुप्ता,
29-डा0 राजेन्द्र सिंह,
30-श्री लल्लू सिंह,
31-श्री सुखलाल ,
32-श्री काशीराम,
33-श्री महेन्द्र सिंह उर्फ झीन बाबू,
34-श्री सर्वेश कुमार सिंह,
35-श्री आर0 के0 चौधरी,
36-श्री निर्मल वर्मा,
37-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
38-श्री अशोक सिंह चन्देल,
39-श्री आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय,
40-श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप,
41-श्री जावेद अन्सारी,
42-श्रीमती मिथिलेश पाल,
43-डा0 हरगोविन्द भार्गव एवं
44-श्री महेश चन्द्र गुप्ता।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 10 अगस्त, 2010

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37-38 पर)

चिन्हित प्रपाती की सूची

क्रमांक	नाम	जनपद	नहर
1	2	3	4
1	बलीपुरा	बुलन्दशहर	अपर गंगा
2	कुतुबपुर	मेरठ	अपर गंगा अनूपशहर शाखा
3	चुड़ियाला	मेरठ	अपर गंगा अनूपशहर शाखा
4	डासना	गाजियाबाद	अपर गंगा
5	ढकौली	मेरठ	अपर गंगा अनूपशहर शाखा
6	बेतवा-2	झांसी	बेतवा नहर
7	बेतवा-1	झांसी	बेतवा नहर
8	कुठौन्द-1	जालौन	बेतवा नहर
9	कुठौन्द-2	जालौन	बेतवा नहर
10	केन	बांदा	केन नहर
11	घुन्चई	पीलीभीत	शारदा नहर
12	अकबरपुर	बुलन्दशहर	अपर गंगा अनूपशहर शाखा
13	मटैना	पीलीभीत	शारदा नहर
14	गुडामी	पीलीभीत	शारदा नहर
15	हरदोई कैनाल	हरदोई	हरदोई नहर
16	फतेहपुर	सहारनपुर	हथनीकुण्ड लिंक नहर
17	खेरी	सहारनपुर	यमुना नहर
18	माधौ-1	पीलीभीत	शारदा नहर हरदोई शाखा
19	माधौ-2	शाहजहांपुर	शारदा नहर हरदोई शाखा
20	सिंगरौली	सोनभद्र	रिहन्द जलाशय
21	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	शारदा नहर हरदोई शाखा
22	रामगंगा	बिजनौर	रामगंगा फीडर नहर
23	जौली	मुजफ्फरनगर	अपर गंगा नहर
24	बानसागर-1	मिर्जापुर	अदवा मेजा लिंक नहर
25	बानसागर-2	मिर्जापुर	अदवा मेजा लिंक नहर
26	केन ब्रान्च-1	बांदा	केन ब्रान्च

1	2	3	4
27	केन ब्रान्च-2	बांदा	केन ब्रान्च
28	नौसेरा	सहारनपुर	इसटर्न यमुना कैनाल
29	मिल्कापुर	सहारनपुर	इसटर्न यमुना कैनाल
30	बन्दरौना	ललितपुर	डेम टो
31	मेजा	मिर्जापुर	डेम टो
32	करमनासा	वाराणसी	डेम टो
33	शारदा सागर	पीलीभीत	डेम टो
34	डुन्डा	लखीमपुर	शारदा नहर हरदोई शाखा
35	निरगाजनी	मुजफ्फरनगर	अपर गंगा नहर
36	चित्तौरा	मुजफ्फरनगर	अपर गंगा नहर
37	सलावा	मेरठ	अपर गंगा नहर
38	भोला	मेरठ	अपर गंगा नहर

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

जनपद-महामायानगर, तहसील-सादाबाद के तालाबों के पट्टा धारकों की वर्षवार सूची।

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	तालाब की गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0)	पट्टा धारक का नाम व पिता का नाम	पट्टेधारक का पता		
					ग्राम	पोस्ट	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 2007-2008							
1	कुरसण्डा	2151	0.304	श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री भगवार	टुरसण्डा	कुरण्डा	महामायानगर
2	कजरोठी	236	0.575	श्री मठरू कुमार पुत्र श्री राम सिंह	रसगवां	कजरोठी	,,
3	कजरोठी	278	0.239	संजीव कुमार पुत्र श्री राम सिंह	रमचेला	कजरोठी	,,
4	बरौस	413	0.202	सुशील कुमार पुत्र लक्ष्मी नरायन	बरौस	बासअगरू	,,
5	समदपुर	400	0.445	शिवलाल पुत्र जगन सिंह	समदपुर	समदपुर	,,
6	समदपुर	426	0.421	शिवलाल पुत्र जगन सिंह	समदपुर	समदपुर	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
7	रसगवां	230	1.642	रमेश पुत्र सुखराम	गुतहरा	गुतहरा	महामायानगर
8	गुवार	621 क	0.304	बोनसहाय पुत्र तुलसीराम	गुतहरा	गुतहरा	,,
9	--	485 क	0.760	सत्य प्रकाश पुत्र प्रेमचन्द्र	गुतहरा	गुतहरा	,,
10	रसगवां	707	0.792	प्रेमशंकर पुत्र पाइप सिंह	रसगवां	रसगवां	,,
वर्ष 2008-2009							
1	कंजोली	1152	0.405	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र सुम्मेर सिंह	गोबिन्दपुर	कंजोली	महामायानगर
2	कंजोली	931	0.421	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र सुम्मेर सिंह	गोबिन्दपुर	कंजोली	महामायानगर
3	कंजोली	994	0.555	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र सुम्मेर सिंह	गोबिन्दपुर	कंजोली	महामायानगर
4	कंजोली	305	0.607	बाल किशन पुत्र भाव सिंह	गोबिन्दपुर	कंजोली	महामायानगर
5	जारऊ	2110	2.123	फरीद खां पुत्र रसीद खां	जारऊ	जारऊ	महामायानगर

6	जारऊ	1479	0.494	नेत्रपाल पुत्र हुब्बलाल	जारऊ	जारऊ	महामायानगर
7	जारऊ	604	0.425	नेत्रपाल पुत्र हुब्बलाल	जारऊ	जारऊ	महामायानगर
8	कुरसण्डा	2455क	0.227	श्रीमती कमलेश पत्नी नाहर सिंह	कुरसण्डा	कुरसण्डा	महामायानगर
9	कुरसण्डा	2583	0.264	श्रीमती कमलेश पत्नी नाहर सिंह	कुरसण्डा	कुरसण्डा	महामायानगर
10	कुरसण्डा	3406	0.623	बलवीर सिंह पुत्र श्री कन्दोली	कुरसण्डा	कुरसण्डा	महामायानगर
11	करकौली	451	1.145	बनी सिंह पुत्र श्री भुण्डसेन	करकौली	करकौली	महामायानगर
12	झगरार	183 क	0.886	इन्द्रपाल पुत्र सोदानी	झगरार	बरामई	महामायानगर
13	धरौरा	101	0.186	देवेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र	धरौरा	धरौरा	महामायानगर
14	धरौरा	140	0.142	देवेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र	धरौरा	धरौरा	महामायानगर
15	बहादुरपुर	513	0.097	सलीम खां पुत्र इस्माइल खां			
		515	0.251		महावतपुर	महावतपुर	महामायानगर
16	बहादुरपुर	427 ख	0.016	बलवीर सिंह पुत्र श्री रामदयाल	महावतपुर	महावतपुर	महामायानगर

1	2	3	4	5	6	7	8
17	नौगवां	2494	0.372	राजकुमार पुत्र सूरजपाल	नगला धनी	नगला धनी	महामायानगर
18	कुरसण्डा	3200	0.324	भिक्कीराम पुत्र भागीरथ	कुरसण्डा	कुरसण्डा	महामायानगर
19	सहपऊदेह	2573 क	0.304	बाबूलाल पुत्र विद्याराम	नगला मेवा	नगला मेवा	महामायानगर
वर्ष 2009-2010							
1	झगरार	263 क	0.405	श्री सत्यवीर पुत्र श्री राम स्वरूप	झगराल	बरामई	महामायानगर
2	उद्यैना	758	0.577	सुरेश चन्द्र पुत्र मानिकचन्द्र	उद्यैना	जलेसर रोड	महामायानगर
3	उद्यैना	371	0.260	जयपाल पुत्र नेत्रपाल	उद्यैना	--	महामायानगर
		372	0.445				
4	पीहुरा	42	0.214	छीतर सिंह पुत्र तुलाराम	पीहुरा	पीहुरा	महामायानगर
5	बरामई	459 ख	0.636	फूल सिंह पुत्र ढाला राम	बरामई	बरामई	महामायानगर
6	कुरसण्डा	493 ख	0.509	नाहर सिंह पुत्र रामचन्द्र	नगलाचांद	कुरसण्डा	महामायानगर
7	कुरसण्डा	3171	0.485	सुरेश चन्द्र पुत्र पहफुल	कुरसण्डा	कुरसण्डा	महामायानगर
8	कुरसण्डा	3877	0.469	मानिक चन्द्र पुत्र मोहनलाल	भर्दूरी	कुरसण्डा	महामायानगर
9	मकनपुर	83	0.388	राजबहादुर पुत्र हरी सिंह	नगला मंशा	मकनपुर	महामायानगर
10	खोंडा	70	0.275	रवि कुमार पुत्र बाबूलाल	खोंडा	खोंडा	महामायानगर
11	खोंडा	1152	0.611	थान सिंह पुत्र रोशनलाल	खोंडा	खोंडा	महामायानगर

12	खोंडा	1165	0.182	धान सिंह पुत्र रोशनलाल	खोंडा	खोंडा	महामायानगर
13	खोंडा	1167	0.101	धान सिंह पुत्र रोशनलाल	खोंडा	खोंडा	महामायानगर
14	खोंडा	69 ख	0.405	हकीम सिंह पुत्र होती लाल	खोंडा	खोंडा	महामायानगर
15	समदपुर	400	0.445	शिवलाल पुत्र जगन सिंह	समदुर	समदुर	महामायानगर
16	समदपुर	426	0.421	शिवलाल पुत्र जगन सिंह	समदपुर	समदपुर	महामायानगर
17	रामपुर	67	0.494	हुलाशी राम पुत्र विशम्भर	टकपुरा	जलेसर रोड	महामायानगर
18	वीरनगर	244	1.060	भागवीर सिंह पुत्र बाबूलाल	खोंडा	खोंडा	महामायानगर
		245	0.125				
19	धानौली	240	0.360	विजयपाल पुत्र श्री भूरी सिंह	नगला मानसहाय	सादाबाद	महामायानगर
20	धानौली	471 ग	0.380	विजयपाल पुत्र श्री भूरी सिंह	नगला मानसहाय	सादाबाद	महामायानगर
21	धानौली	486 ख	0.421	विजय पाल पुत्र श्री भूरी सिंह	नगला मानसहाय	सादाबाद	महामायानगर
22	बरामई	244 क	1.132	अजयपाल पुत्र सोरन सिह	बरामई	बरामई	महामायानगर
23	बरामई	527 ग	1.803	गोपाल सिंह डोरी लाल			महामायानगर
24	सरौठ	272 ग	0.733	महेश पुत्र बनी सिंह	सरौठ	कुरसण्डा	महामायानगर

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्रश्न सं0-119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर)

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ के हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों की सूची

	विकास खण्ड सादाबाद		विकास खण्ड सहपऊ	
क्र0सं0	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1	2	3	4	5
1	प्रा0वि0 नगला चौधरी	पू0मा0वि0 ढकरई	प्रा0 वि0 उघई	पू0मा0वि0 बहरदोई
2	प्रा0वि0 झगरार	पू0मा0वि0 ताजपुर	प्रा0वि0 नगला चिमन	पू0मा0वि0 नगला नवल
3	प्रा0वि0 नगला कल्हू	पू0मा0वि0 गढ़ी गुमानी	प्रा0वि0 गढ़ी भूपचन्द	पू0मा0वि0 हसनपुर बारू
4	प्रा0वि0 नगला मुखिया	पू0मा0वि0 नगला गरीबा		पू0मा0वि0 नगला वैरू
5	प्रा0वि0 नगला सीस्ता	पू0मा0वि0 सीस्ता		पू0मा0वि0 नगला बिहारी
6	प्रा0वि0 वासदत्ती	पू0मा0वि0 बरौस		पू0मा0वि0 दोहई
7		पू0मा0वि0 वासदत्ती		पू0मा0वि0 नगला दली
8		पू0मा0वि0 तामसी		पू0मा0वि0 शेरपुर
9		पू0मा0वि0 गढ़ी भगता		पू0मा0वि0 गढ़ी एहवरन
10		पू0मा0वि0 नगला अपरवल		पू0मा0वि0 बुढ़ाचइ
11		पू0मा0वि0 भदूरी		पू0मा0वि0 नगला सुखराम
12		पू0मा0वि0 श्रीनगर नासिरपुर		पू0मा0वि0 रामपुर
13		पू0मा0वि0 रैपुरा		पू0मा0वि0 मकनपुर
14		पू0मा0वि0 गुरसौटी		पू0मा0वि0 इसौंदा
15		पू0मा0वि0 झगरार		पू0मा0वि0 नगला

				बंजारा
1	2	3	4	5
16		पू0मा0वि0 मड़नई		पू0मा0वि0 नगला परसू
17		पू0मा0वि0 एदलपुर		पू0मा0वि0 नगला ब्राह्मण
18		पू0मा0वि0 घाटमपुर		पू0मा0वि0 परसौरा
19		पू0मा0वि0 मीरपुर		पू0मा0वि0 गढ़ी चिंता
20		पू0मा0वि0 बीजलपुर		पू0मा0वि0 चंदवारा
21		पू0मा0वि0 महावतपुर		पू0मा0वि0 खेरिया
22		पू0मा0वि0 रमचेला		पू0मा0वि0 चमरपुरा
23		पू0मा0वि0 ध्यानअनगदा		पू0मा0वि0 सिखरा
24				पू0मा0वि0 पीहुरा
25				पू0मा0वि0 सुल्तानपुर
26				पू0मा0वि0 चौबारा
27				पू0मा0वि0 थरौरा
28				पू0मा0वि0 भूतनगरिया

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद व सहपऊ के खराब हैण्डपम्प वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

	विकास खण्ड सादाबाद		विकास खण्ड सहपऊ	
क्र0सं0	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1	2	3	4	5
1	प्रा0वि0 नगला बीरबल	पू0मा0वि0 नगला कली	प्रा0 वि0 बुढ़ाइच	
2	प्रा0 वि0 निवारी	पू0मा0वि0 तामसी	प्रा0वि0 मढ़ाका	
3	प्रा0 वि0 वार्ड नं0 11	पू0मा0वि0 नगला दुर्जिया	प्रा0वि0 नगला ब्राह्मण	

1	2	3	4	5
4	प्रा0 वि0 वार्ड नं0 16	पू0मा0वि0 गुखरौला		
5		पू0मा0वि0 कूपाक		
6		पू0मा0वि0 अंधपुरा		
7		पू0मा0वि0 नगला छीतर		
8		पू0मा0वि0 बागपुर		
9		पू0मा0वि0 पचावरी		
10		पू0मा0वि0 तिल्हूचहत्तर		
11		पू0मा0वि0 भुर्रका		

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्रश्न सं0-152 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98-99 पर)

जनपद लखीमपुर खीरी में ग्रामवार आवंटित मछुआ आवासों का विवरण

क्र0सं0	चयनित ग्राम का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	सलावत नगर	12
2	सुरजनपुर सुनाबोई	08
3	बबुरी (मुंडा बुजुर्ग)	07
4	तारानगर	03
5	महराजनगर	06
6	बलपुर	05
7	सिंगाही खुर्द	05
8	सेमरई	10
9	मस्तीपुर	10
10	मोतिया	04
11	सिरैयाकला	06
12	मदिया	05
13	सेमरावां	05
14	होन्दा	03
15	भानपुर	13
16	गौरतारा	04
17	ढटैल	10
18	अलियापुर	05
19	पटुआ	10
20	बसैहा	17
21	बखरिया	03
22	गजरौरा	15
23	मरौचा	10
24	रंजीतनगर	10
25	सुरजनपुर	10
26	इन्दिरानगर	10
	योग :	206

पी0एस0यू0पी0-एल0 128 विधान सभा (249)-15-10-2010-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।